Vol. 267
No. 19

Tuesday,
25th March, 2025
4 Chaitra, 1947 (Saka)

PARLIAMENTARY DEBATES

RAJYA SABHA

OFFICIAL REPORT (FLOOR VERSION)

(PART-II)

CONTENTS

Papers Laid on the Table (pages 1 - 6)

Reports of the Department-related Parliamentary Standing Committee on Science and Technology, Environment, Forests and Climate Change - *Presented* (pages 6 - 7)

Reports of the Department-related Parliamentary Standing Committee on Transport, Tourism and Culture- *Presented* (page 7)

Statements of the Department-related Parliamentary Standing Committee on Consumer Affairs, Food and Public Distribution -*Laid on the Table* (page 8)

Report of Committee on The Welfare of Scheduled Castes and Scheduled Tribes -*Laid on the Table* (page 8)

Statements by Ministers-

Status of implementation of the recommendations contained in the first report of the Department-related Parliamentary Standing Committee on Finance -*Laid on the Table* (page 9)

©
RAJYA SABHA SECRETARIAT
NEW DELHI

Status of implementation of the recommendations contained in the Third, Fifteenth, Ninth, Twentieth, Twenty-Seventh, Thirty-Seventh, Forty-Second, Forty-Ninth, Fifty-Sixth and Sixty-Third Reports of the Department-related Parliamentary Standing Committee on Finance and reasons for delay in making above statements -*Laid on the Table* (pages 9 - 10)

Regarding Notices received under Rule 267 and other issues (pages 11 - 12)

Observation by the Chair (pages 12 - 14)

Matters raised with permission-

Concern over the Rat-hole mining of coal in the Dima Hasao district of Assam (page 15)

Demand to provide assistance in increasing the income of farmers of Punjab (pages 16 - 17)

Need to imbibe new global technologies by National Broadcasters (pages 17 - 18)

Demand to consult Government of West Bengal regarding release of Teesta River water to Bangladesh (pages 19 - 20)

Demand to reserve seats for Doctors on flights to help tackle emergency situations (pages 20 - 21)

Need to address the challenges faced by women officers in India's security forces (pages 21 - 22)

Demand to reinstate the celebration of Panchayat Diwas on 5th March of every year (pages 22 - 24)

Demand to regulate Coaching Institutes of Competitive Examinations across the country (page 24)

Demand to denotify the existing Kasireddy Nayana Jyothi Kshetram lands in Andhra Pradesh from Forest Department (page 25)

Concern over the issue of safety and security arrangement in shelter homes for women in the State of Bihar (pages 25 - 27)

Demand for stoppage of Train Nos. 12355 and 12356 (Patna-Jammu) at Mungra Badshahpur Railway Station in Jaunpur, Uttar Pradesh (pages 27)

Need to tap India's Potential in the field of Artificial Intelligence (AI) (pages 27 - 28)

Website : http://rajyasabha.nic.in
https://sansad.in/rs
E-mail: rsedit-e@sansad.nic.in

Oral Answers to Questions (pages 29 - 56)

[Answers to Starred and Un-starred Questions (Both in English and Hindi) are available as Part -I to this Debate, published electronically on the Rajya Sabha website under the link https://sansad.in/rs/debates/officials *]*

Announcement by the Chair (page 56)

Government bills -*Passed*

The Disaster Management (Amendment) Bill, 2024 (pages 57 - 132 and pages 132 - 137)

Messages from Lok Sabha- *Reported and Government Bill laid on the Table* - The Finance Bill, 2025 (page 132)

RAJYA SABHA

Tuesday, the 25th March, 2025 / 4 Chaitra, 1947 (Saka)

The House met at eleven of the clock,
MR. CHAIRMAN *in the Chair.*

PAPERS LAID ON THE TABLE

I. Notifications of the Ministry of Finance

II. Report (July, 2023 to June, 2024) of the National Housing Bank, New Delhi

II. Reports and Accounts (2023-24) of CPR, New Delhi; CDE, Delhi; ISID, New Delhi; ISEC, Bengaluru; MSE, Chennai; NCAER, New Delhi and related papers

IV. Statement giving reasons for the delay in laying the ∝Annual Report and Accounts (2022-23) of the Goods and Services Tax Network (GSTN), New Delhi

MR. CHAIRMAN: Papers to be laid on the Table.

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पंकज चौधरी) : महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:-

I. (i) A copy each (in English and Hindi) of the following Notifications of the Ministry of Finance (Department of Financial Services), under Section 27 of the Insurance Regulatory and Development Authority Act, 1999:-

(1) No. IRDAI/Reg/1/208/2025., dated the 3rd January, 2025, publishing the Insurance Regulatory and Development Authority of India (Meetings)(amendment) Regulations, 2025.

(2) No. IRDAI/Reg/2/209/2025., dated the 3rd January, 2025, publishing the Insurance Regulatory and Development Authority of India (Insurance Advisory Committee) (Amendment) Regulations, 2025.

[Placed in Library. For (1) and (2), See No. L.T. 2421/18/25]

(ii) A copy each (in English and Hindi) of the following Notifications of the Ministry of Finance (Department of Financial Services), under sub-section (3) of Section 114A of the Insurance Act, 1938 and Section 27 of the Insurance Regulatory and Development Authority Act, 1999: -

∝ The Annual Report and Annual Accounts of the Goods and Services Tax Network (GSTN), New Delhi, for the year 2022-23, together with the Auditor's Report on the Accounts, was laid on the Table of the Rajya Sabha on 30.07.2024.

Contents Page

(1) No. IRDAI/Reg/4/211/2025., dated the 3rd January, 2025, publishing the Insurance Regulatory and Development Authority of India (Maintenance of Information by the Regulated Entities and Sharing of Information by the Authority) Regulations 2025.

(2) No. IRDAI/Reg/5/212/2025., dated the 3rd January, 2025, publishing the Insurance Regulatory and Development Authority of India (Regulatory Sandbox) Regulations, 2025.

[Placed in Library. For (1) and (2), see No. L.T. 2421/18/25]

(iii) A copy (in English and Hindi) of the Ministry of Finance (Department of Financial Services) Notification No. IRDAI/Reg/3/210/2025., dated the 3rd January, 2025, publishing the Insurance Regulatory and Development Authority of India (Reinsurance Advisory Committee) (Amendment) Regulations, 2025, under sub-section (3) of Section 114A of the Insurance Act, 1938.

[Placed in Library. See No. L.T. 2421/18/25]

(iv) A copy (in English and Hindi) of the Ministry of Finance (Department of Financial Services) Notification No. MRB/ESTD/1/2025., dated the 29th January, 2025, publishing the Manipur Rural Bank (Officers & Employees) Service (Amendment) Regulations, 2024, under sub-section (2) of Section 30 of the Regional Rural Banks Act, 1976.

[Placed in Library. See No. L.T. 2423/18/25]

(v) A copy (in English and Hindi) of the Ministry of Finance (Department of Financial Services) Notification No. S.O. 600(E)., dated the 4th February, 2025, notifying the amalgamation of Telangana Grameena Bank and part of Andhra Pradesh Grameena Vikas Bank operating in the State of Telangana as the Telangana Grameena Bank, under sub-section (4) of Section 23A of the Regional Rural Banks Act, 1976.

[Placed in Library. See No. L.T. 2422/18/25]

(vi) A copy each (in English and Hindi) of the following Notifications of the Ministry of Finance (Department of Revenue), under Section 159 of the Customs Act, 1962:-

(1) S.O. 823(E)., dated the 17th February, 2025, publishing the Customs (On-Arrival Movement for Storage and Clearance at Authorised Importer Premises) Regulations, 2025, along with Explanatory Memorandum.

[Placed in Library. See No. L.T. 2524/18/25]

(2) G.S.R. 164(E)., dated the 7th March, 2025, amending the Principal

Notifications, as mentioned therein, along with Explanatory Memorandum.

(3) G.S.R. 165(E)., dated the 7th March, 2025, amending the Principal Notification No. G.S.R. 884(E), dated the 7th December, 2023, along with Explanatory Memorandum.

[Placed in Library. For (2) and (3), See No. L.T. 2580/18/25]

(vii) A copy (in English and Hindi) of the Ministry of Finance (Department of Revenue) Notification No. G.S.R. 166(E)., dated the 7th March, 2025, levying anti-dumping duty on imports of 'Trichloro Isocyanuric Acid' imported from China PR and Japan for a period of 5 years, on the recommendations of DGTR, under sub-section (7) of Section 9A of the Customs Tariff Act, 1975, along with Explanatory Memorandum.

[Placed in Library. See No. L.T. 2580/18/25]

II. A copy each (in English and Hindi) of the following papers, under Section 42 of the National Housing Bank Act, 1987:-

(a) Report on Trend and Progress of Housing in India, from July, 2023 to June, 2024 by the National Housing Bank (NHB), New Delhi.

(b) Brief of the above Report.

[Placed in Library. See No. L.T. 2420/18/25]

III. A copy each (in English and Hindi) of the following papers: -

(i) (a) Annual Report and Accounts of the Centre for Policy Research (CPR), New Delhi, for the year 2023-24, together with the Auditor's Report on the Accounts.

(b) Review by Government on the working of the above Centre.

(c) Statement giving reasons for the delay in laying the papers mentioned at (a) above.

[Placed in Library. See No. L.T. 2416/18/25]

(ii) (a) Thirtieth Annual Report and Audited Accounts of the Centre for Development Economics (CDE), Delhi, for the year 2023-24.

(b) Review by Government on the working of the above Centre.

(c) Statement giving reasons for the delay in laying the papers mentioned at (a) above.

[Placed in Library. See No. L.T. 2419/18/25]

(iii) (a) Thirty-seventh Annual Report and Accounts of the Institute for Studies in

Contents Page

Industrial Development (ISID), New Delhi, for the year 2023-24, together with the Auditor's Report on the Accounts.

(b) Review by Government on the working of the above Institute.

(c) Statement giving reasons for the delay in laying the papers mentioned at (a) above.

[Placed in Library. See No. L.T. 2418/18/25]

(iv) (a) Annual Report and Accounts of the Institute for Social and Economic Change (ISEC), Bengaluru, for the year 2023-24, together with the Auditor's Report on the Accounts.

(b) Review by Government on the working of the above Institute.

(c) Statement giving reasons for the delay in laying the papers mentioned at (a) above.

[Placed in Library. See No. L.T. 2417/18/25]

(v) (a) Third Annual Report and Accounts of the Madras School of Economics (MSE), Chennai, for the year 2023-24, together with the Auditor's Report on the Accounts.

(b) Review by Government on the working of the above School.

(c) Statement giving reasons for the delay in laying the papers mentioned at (a) above.

[Placed in Library. See No. L.T. 2415/18/25]

(vi) (a) Annual Report and Accounts of the National Council of Applied Economic Research (NCAER), New Delhi, for the year 2023-24, together with the Auditor's Report on the Accounts.

(b) Review by Government on the working of the above Council.

(c) Statement giving reasons for the delay in laying the papers mentioned at (a) above.

[Placed in Library. See No. L.T. 2414/18/25]

IV. A copy (in English and Hindi) of the Statement giving reasons for the delay in laying the ∝Annual Report and Accounts of the Goods and Services Tax Network (GSTN), New Delhi, for the year 2022-23.

[Placed in Library. See No. L.T. 2581/18/25]

∝ The Annual Report and Annual Accounts of the Goods and Services Tax Network (GSTN), New Delhi, for the year 2022-23, together with the Auditor's Report on the Accounts, was laid on the Table of the Rajya Sabha on 30.07.2024.

Notification of the Ministry of Health and Family Welfare

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE (SHRIMATI ANUPRIYA PATEL): Sir, I lay on the Table, a copy (in English and Hindi) of the Ministry of Health and Family Welfare (Department of Health and Family Welfare) Notification No. G.S.R. 127(E)., dated the 11th February, 2025, publishing the Drugs Amendment Rules, 2025, under Section 38 of the Drugs and Cosmetics Act, 1940.

[Placed in Library. See No. L.T. 2381/18/25]

I. Notifications of the Ministry of Ports, Shipping and Waterways

II. Reports and Accounts (2023-24) of SCL, Chennai, Tamil Nadu and IWAI, Noida, Uttar Pradesh and related papers

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PORTS, SHIPPING AND WATERWAYS (SHRI SHANTANU THAKUR): Sir, I lay on the Table—

I. (i) A copy (in English and Hindi) of the Ministry of Ports, Shipping and Waterways Notification No. S.O. 616(E)., dated the 4th February, 2025, exempting the Indian fishing boats of less than 24 meters in length from the requirements of the Merchant Shipping (Indian Fishing Boats Inspection) Rules, 1988, subject to the conditions mentioned therein, issued under of Section 435X of the Merchant Shipping Act, 1958.

(ii) A copy (in English and Hindi) of the Ministry of Ports, Shipping and Waterways Notification No. S.O. 826(E)., dated the 17th February, 2025, regarding guidelines for specialised fishing vessels for fishing operations in the Southern Ocean, issued under clause (c) of Section 435B of the Merchant Shipping Act, 1958.

(iii) A copy (in English and Hindi) of the Ministry of Ports, Shipping and Waterways Notification No. G.S.R. 155(E)., dated the 28th February, 2025, amending the Notification No. G.S.R. 543(E), dated the 2nd September, 2020, issued under sub-section (1) of Section 435D and Section 435E of the Merchant Shipping Act, 1958.

[Placed in Library. For (i) to (iii), See No. L.T. 2502/18/25]

II. (i) (1) A copy each (in English and Hindi) of the following papers, under sub-section (1) (b) of Section 394 of the Companies Act, 2013: -

(a) Nineteenth Annual Report and Accounts of the Sethusamudram

Corporation Limited (SCL), Chennai, Tamil Nadu, for the year 2023-24, together with the Auditor's Report on the Accounts and the comments of the Comptroller and Auditor General of India thereon.

(b) Review by Government on the working of the above Corporation.

(2) Statement (in English and Hindi) giving reasons for the delay in laying the papers mentioned at (1) above.

[Placed in Library. See No. L.T. 2387/18/25]

(ii) (1) A copy each (in English and Hindi) of the following papers, under Section 24 of the Inland Waterways Authority of India Act, 1985: -

(a) Annual Report and Accounts of the Inland Waterways Authority of India (IWAI), Noida, Uttar Pradesh, for the year 2023-24, together with the Auditor's Report on the Accounts.

(b) Review by Government on the working of the above Authority.

(2) Statement (in English and Hindi) giving reasons for the delay in laying the papers mentioned at (1) above.

[Placed in Library. See No. L.T. 2501/18/25]

Notification of the Ministry of Corporate Affairs

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF CORPORATE AFFAIRS (SHRI HARSH MALHOTRA): Sir, I lay on the Table, a copy (in English and Hindi) of the Ministry of Corporate Affairs Notification No. CCI/Reg.-R.R./2024-25., dated the 27th February, 2025, publishing the Competition Commission of India (Manner of Recovery of Monetary Penalty) Regulations, 2025, under sub-section (3) of Section 64 of the Competition Act, 2002.

[Placed in Library. See No. L.T. 2444/18/25]

REPORTS OF THE DEPARTMENT-RELATED PARLIAMENTARYSTANDING COMMITTEE ON SCIENCE AND TECHNOLOGY, ENVIRONMENT, FORESTS AND CLIMATE CHANGE

MS. INDU BALA GOSWAMI (Himachal Pradesh): Sir, I present the following Reports (in English and Hindi) of the Department-related Parliamentary Standing Committee

on Science and Technology, Environment, Forests and Climate Change:-

(i) Three Hundred Eighty Seventh Report on Demands for Grants (2025-26) of the Department of Atomic Energy;

(ii) Three Hundred Eighty Eighth Report on Demands for Grant (2025-26) of the Department of Biotechnology;

(iii) Three Hundred Eighty Ninth Report on Demands for Grants (2025-26) of the Department of Scientific and Industrial Research;

(iv) Three Hundred Ninetieth Report on Demands for Grants (2025-26) of the Department of Science and Technology;

(v) Three Hundred Ninety First Report on Demands for Grants (2025-26) of the Department of Space;

(vi) Three Hundred Ninety Second Report on Demands for Grants (2025-26) of the Ministry of Environment, Forest and Climate Change; and

(vii) Three Hundred Ninety Third Report on Demands for Grants (2025-26) of the Ministry of Earth Sciences.

REPORTS OF THE DEPARTMENT-RELATED PARLIAMENTARY STANDING COMMITTEE ON TRANSPORT, TOURISM AND CULTURE

SHRI SANJAY KUMAR JHA (Bihar): Sir, I present the following Reports (in English and Hindi) of the Department-related Parliamentary Standing Committee on Transport, Tourism and Culture:-

(i) Three Hundred Seventy Fifth Report on Demands for Grants (2025-26) of Ministry of Civil Aviation;

(ii) Three Hundred Seventy Sixth Report on Demands for Grants (2025-26) of Ministry of Culture;

(iii) Three Hundred Seventy Seventh Report on Demands for Grants (2025-26) of Ministry of Ports, Shipping and Waterways;

(iv) Three Hundred Seventy Eighth Report on Demands for Grants (2025-26) of Ministry of Road Transport and Highways; and

(v) Three Hundred Seventy Ninth Report on Demands for Grants (2025-26) of Ministry of Tourism.

STATEMENTS OF THE DEPARTMENT-RELATED PARLIAMENTARY STANDING COMMITTEE ON CONSUMER AFFAIRS, FOOD AND PUBLIC DISTRIBUTION

श्री रामभाई हरजीभाई मोकरिया (गुजरात): महोदय, मैं विभाग-संबंधित उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण संबंधी संसदीय स्थायी समिति के निम्नलिखित की गई कार्रवाई संबंधी प्रतिवेदनों के अध्याय I और V में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्रवाई को दर्शाने वाले अंतिम की गई कार्रवाई संबंधी विवरणों की एक-एक प्रति (अंग्रेजी तथा हिंदी में) सभा पटल पर रखता हूं:-

(i) First Report (Eighteenth Lok Sabha) on Action Taken by the Government on the observations/recommendations contained in the Thirty Seventh Report (Seventeenth Lok Sabha) on 'Initiatives in the North East in the Field of Consumer Rights Protection' pertaining to Ministry of Consumer Affairs, Food and Public Distribution (Department of Consumer Affairs);

(ii) Second Report (Eighteenth Lok Sabha) on Action Taken by the Government on the observations/ recommendations contained in the Thirty Eighth Report (Seventeenth Lok Sabha) on 'Functioning of Warehousing Development and Regulatory Authority (WDRA)' pertaining to Ministry of Consumer Affairs, Food and Public Distribution (Department of Food and Public Distribution);

(iii) Third Report (Eighteenth Lok Sabha) on Action Taken by the Government on the observations/ recommendations contained in the Thirty Ninth Report (Seventeenth Lok Sabha) on 'Regulation of Weights and Measures with Specific Reference to Dispensing Machines at Fuel Stations' pertaining to Ministry of Consumer Affairs, Food and Public Distribution (Department of Consumer Affairs); and

(iv) Fourth Report (Eighteenth Lok Sabha) on Action Taken by the Government on the observations/ recommendations contained in the Fortieth Report (Seventeenth Lok Sabha) on 'Transforming Fair Price Shops' pertaining to Ministry of Consumer Affairs, Food and Public Distribution (Department of Food and Public Distribution).

REPORT OF COMMITTEE ON THE WELFARE OF SCHEDULED CASTES AND SCHEDULED TRIBES

श्रीमती सुमित्रा बाल्मीक (मध्य प्रदेश) : महोदय, मैं अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के कल्याण संबंधी समिति के 17 से 22 जनवरी 2025 तक रांची, कोलकाता और रायपुर के अध्ययन दौरे संबंधी प्रतिवेदन की एक प्रति (अंग्रेजी तथा हिंदी में) सभा पटल पर रखती हूं।

Contents Page

STATEMENTS BY MINISTERS

Status of implementation of the recommendations contained in the First Report of the Department-related Parliamentary Standing Committee on Finance

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पंकज चौधरी) : महोदय, मैं वित्त मंत्रालय (आर्थिक कार्य, व्यय, वित्तीय सेवाएँ, लोक उद्यम तथा निवेश और लोक परिसम्पत्ति प्रबंधन विभागों) की 'अनुदान माँगों 2024-25' के संबंध में विभाग संबंधित वित्त संबंधी संसदीय स्थायी समिति (अठारहवीं लोक सभा) के पहले प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति के संबंध में एक वक्तव्य सभा पटल पर रखता हूँ।

Status of implementation of the recommendations contained in the Third, Fifteenth, Ninth, Twentieth, Twenty-seventh, Thirty-seventh, Forty-second, Forty-ninth, Fifty-sixth and Sixty-third Reports of the Department-related Parliamentary Standing Committee on Finance

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF CORPORATE AFFAIRS (SHRI HARSH MALHOTRA): Sir, I rise to make the following statements regarding:—

(a) Status of implementation of recommendations contained in the Third Report of the Department-related Parliamentary Standing Committee on Finance on 'Demands for Grants 2019-20' of the Ministry of Corporate Affairs.

(b) Status of implementation of recommendations contained in the Fifteenth Report of the Department-related Parliamentary Standing Committee on Finance on Action taken by the Government on the recommendations contained in its Third Report on 'Demands for Grants (2019-20)' of the Ministry of Corporate Affairs.

(c) Status of implementation of recommendations contained in the Ninth Report of the Department-related Parliamentary Standing Committee on Finance on 'Demands for Grants 2020-21' of the Ministry of Corporate Affairs.

(d) Status of implementation of recommendations contained in the Twentieth Report of the Department-related Parliamentary Standing Committee on Finance on Action taken by the Government on the recommendations contained in its Ninth Report on 'Demands for Grants (2020-21)' of the Ministry of Corporate Affairs.

(e) Status of implementation of recommendations contained in the Twenty-seventh Report of the Department-related Parliamentary Standing Committee on Finance on 'Demands for Grants 2021-22' of the Ministry of Corporate Affairs.

(f) Status of implementation of recommendations contained in the Thirty-seventh Report of the Department-related Parliamentary Standing Committee on Finance on Action taken by the Government on the recommendations contained in its Twenty-seventh Report on 'Demands for Grants (2021-22)' of the Ministry of Corporate Affairs.

(g) Status of implementation of recommendations contained in the Forty-second Report of the Department-related Parliamentary Standing Committee on Finance on 'Demands for Grants 2022-23' of the Ministry of Corporate Affairs.

(h) Status of implementation of recommendations contained in the Forty-ninth Report of the Department-related Parliamentary Standing Committee on Finance on Action taken by the Government on the recommendations contained in its Forty-second Report on 'Demands for Grants (2022-23)' of the Ministry of Corporate Affairs.

(i) Status of implementation of recommendations contained in the Fifty-sixth Report of the Department-related Parliamentary Standing Committee on Finance on 'Demands for Grants 2023-24' of the Ministry of Corporate Affairs.

(j) Status of implementation of recommendations contained in the Sixty-third Report of the Department-related Parliamentary Standing Committee on Finance on Action taken by the Government on the Observations /Recommendations contained in its Fifty-Sixth Report on 'Demands for Grants (2023-24)' of the Ministry of Corporate Affairs. *...(Interruptions)...*

(k) Reasons for the delay in making the statements mentioned at (a) to (j) above.

MR. CHAIRMAN: I find reaction of some Members. So let me remind the Members what I learnt early in my parliamentary career. When these Reports are laid on the Table of the House, and sometimes it is felt, a number of the Reports are laid on the Table at one time, Members have a right to raise issues about the delay and also to go through the contents. That will be extremely rewarding; and, I am sure, Professor Ram Gopal Yadav will agree with me. Am I right, Sir? *...(Interruptions)...* Professor will agree! *...(Interruptions)...*

प्रो. राम गोपाल यादव : सर, अगर मैं disagree भी करूँ, तो क्या कर सकता हूँ? ...(**व्यवधान**)... इसलिए मैं agree ही करता हूँ।

REGARDING NOTICES RECEIVED UNDER RULE 267 AND OTHER ISSUES

MR. CHAIRMAN: Being in disagreement and being disagreeable are two different things. You will never be in disagreement.

Hon. Members, eight notices have been received under Rule 267, the notices of Shri Sukhendu Sekhar Ray, Shri Mohammed Nadimul Haque, Shrimati Mausam B Noor, Ms. Dola Sen, Shri Saket Gokhale and Ms. Sushmita Dev. These hon. Members have demanded discussion over the alleged lapse of the Election Commission in issuance of multiple duplicate Electors Photo Identity Cards, EPICs, across the States. The notice of Shri Sanjay Singh demands a discussion over inadequate State Advised Price, SAP, for sugarcane farmers, particularly in the State of Uttar Pradesh. The notice of Shri Haris Beeran demands discussion on the issue of recovery of huge amounts of cash from the residence of a sitting Judge of the Delhi High Court. Hon. Members, I am left with no option but to reiterate what I have done quite often. The rulings imparted from the Chair on Rule 267 on 8th December, 2022 and 19th December, 2022 will again be uploaded today for the benefit of the Members and for information on the portal. The same has been reiterated a number of times. These notices do not conform with the directives imparted by the Chair; the same are declined. But one thing which is very fundamental that if an hon. Member of Parliament in the Council of States feels invocation of Rule 267 is imperative, his or her presence is the minimal requirement. I find some of the Members who have given Rule 267 notices today — I would not like to name them — are not present in the House. That does not reflect the kind of spirit that is required for Rule 267. Now, I will try to accommodate the Members on these issues in the Zero Hour, over the coming days, if the Members would so want. ...*(Interruptions)*...

SHRI PRAMOD TIWARI (Rajasthan): Sir, this is a very important issue.

MR. CHAIRMAN: Which one? We need to be sure about the issue.

श्री प्रमोद तिवारी : जो इश्यू दिल्ली हाई कोर्ट के सिटिंग जज के बारे में उठाया गया है। ...(**व्यवधान**)...

MR. CHAIRMAN: On that, I will hear you in a minute.

श्री प्रमोद तिवारी : ठीक है।

MR. CHAIRMAN: Hon. Members, I had the benefit yesterday of the wise and

experienced counsel of the Leader of the House and the Leader of the Opposition who were gracious enough to respond to my invitation for an interaction on this very critical issue that is agitating minds in all branches of governance. The issue, undoubtedly, is serious enough. The three of us together took note of the developments, and also took note of the healthy development that, for the first time, in an unprecedented manner, the Chief Justice of India took the initiative to put everything in public domain. But then, a suggestion emanated from the Leader of the Opposition and agreed to by the Leader of the House that the issue needs to be deliberated, at my instance, with the floor leaders. I have scheduled a meeting, after seeking convenience, at 4.30 p.m. today with the floor leaders, as suggested by the Leader of the Opposition and agreed to by the Leader of the House.The timing has already been indicated to the concerned. I am sure we will have very fruitful interaction and find a way out, because Legislature and Judiciary perform optimally when they perform best in their respective realm with expedition. I do not wish to be judgmental on any issue, but one thing, which has found widespread acceptability in the country, is that the entire material available with the Supreme Court has been shared with the people at large, and with the constitution of a committee with that speed, I am sure, things will be available to us. We will discuss when we meet the floor leaders that certain constraints have been generated by the judicial orders on State actions, and once that takes place, I will come back to the House with the wise counsel that would be received from the floor leaders today at 4.30 p.m.

श्री प्रमोद तिवारी : सर, मुझे यह कहना है कि पूरा देश चिंतित है। जिस तरीके का दृश्य दिखाया पड़ा है, इसमें सिर्फ न्याय होना ही नहीं चाहिए, बल्कि यह दिखना भी चाहिए कि न्याय हो रहा है। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ कि इस पर आप विशेष ध्यान दें। आप इस पर ध्यान दे रहे हैं, मैं यह नहीं कहता कि आप ध्यान नहीं दे रहे हैं। आपने लीडर ऑफ दि अपोज़िशन को बुलाया, लीडर ऑफ दि हाउस को बुलाया, लेकिन इस पर एक ऐसा कदम उठाया जाना चाहिए, जिससे भविष्य में ऐसी घटनाएँ न हों।

OBSERVATIONS BY THE CHAIR

श्री सभापति : माननीय सदस्य, इस सदन ने गरिमा का ख्याल रखते हुए, मर्यादित आचरण का प्रदर्शन करते हुए 2015 में एक राय से एक कानूनी व्यवस्था बनाई थी, and that constitutional structure, that emanated unanimously with one abstention from the Parliament, endorsed by the State Legislatures, should be the rule of law because it was sanctified by the hon. President by appending signatures under Article 111. Now is the befitting occasion for all of us to reiterate that because that was a visionary step

endorsed by the Parliament. Imagine if that had taken place, things would have been different. For hon. Members of Parliament, I seek your suggestions on one very important point. What emanated from the Indian Parliament, as a historic development with rare convergence of unanimity since independence, found acceptance by needed State Legislatures, we need to reflect on what happened to that. Under the Constitution, there is no provision that allows anyone to tinker with that.There is no constitutional provision of review or appeal of a Constitution Amendment. If there is legislation in the country by the Parliament or a State Legislature, judicial review can take place on the anvil whether there is conformity with the constitutional provisions or not. Now, before the nation, there are two situations. The first is what emanated from the Indian Parliament, duly endorsed by the State Legislatures, sanctified by the hon. President by appending signatures under Article 111, and the second is a judicial order. Now, we are at crossroads. I strongly urge the Members to reflect. There can be no breach by any institution on what emanated from the Parliament, endorsed by the State Legislatures, and that should again -- I reiterate -- be the mechanism holding the field. It is time for us to think having seen such extraordinarily painful scenario. I do not wish to go into the merits of who is right or wrong. Innocence is something which we take at a very high level till someone is proven guilty. So, the Members would think and, therefore, the step taken by me is with the benefit of wise counsel and experience of the Leader of the Opposition and the Leader of the House, and rarely there has been convergence that the Ruling Party President is the Leader of the House here and the main Opposition Party President is the Leader of the Opposition.

So, we will come back to this House on this very critical important issue that concerns much beyond judicial mess. It concerns sovereignty of Parliament, the supremacy of Parliament, and, whether we are at all relevant, if we effect an amendment to the Constitution and that is not executable, or, say, if a constitutional amendment is not executable. I have no doubt that the Parliament is possessed of the power, any power, to ensure in any institution that what emanated from the Indian Parliament, sanctified by the requisite number of State legislatures, holds the field.

THE LEADER OF THE OPPOSITION (SHRI MALLIKARJUN KHARGE): Sir, I appreciate your deep knowledge of the Constitution, the law and also of the Rules of Procedure. सर, आपने ठीक ही कहा, लेकिन यहाँ के सदस्यों के मन में कोई doubt न आए, इसलिए मैं आपके सामने स्पष्टीकरण देना चाहता हूँ। आपने Leader of the House और Leader of the Opposition, दोनों को बुलाया। हम दोनों को बुलाकर आपने हमें detailed कानूनी पेच के बारे में बताया और जिस ढंग से इसको करना चाहिए, उसके तरीके भी आपने बताये। इसीलिए हमने सोचा कि एक तो आपके पास Constitution, Rules of Procedure और दूसरे कानूनों के

Contents Page

बारे में बहुत knowledge है, क्योंकि आपने बहुत दिनों तक वकालत की है। हमने एक ही साल में वकालत छोड़ दी, क्योंकि हमें पोलिटिक्स में जल्दी जगह मिल गई और हम इधर आ गए। सर, मेरा यह मानना है कि आपसे बात करके अगर हम दोनों किसी चीज़ पर यहीं agree हो गए, तो कल को हमारे floor leaders, जिनकी मैं बहुत इज्जत करता हूँ, वे यह समझेंगे कि अंदर जाकर इन दोनों ने क्या कर लिया, चेयरमैन साहब ने इनके सर को हाथ लगाया है और ये लोग agree हो गये हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए, इसमें transparency रहनी चाहिए और इसके बारे में सबको मालूम होना चाहिए, इसीलिए मैंने आपको सजेस्ट किया कि हम floor leaders को confidence में लेकर इस बात को आगे बढ़ाएंगे और मैंने आपसे हमें आज ही बुलाने की विनती की थी, ताकि जल्द से जल्द इस पर कोई फैसला हो जाए, नहीं तो rumors इतने फैल रहे हैं कि कोई प्रोटेक्ट कर रहा है, गवर्नमेंट...

DR. M. THAMBIDURAI: Mr. Chairman, please allow me...

MR. CHAIRMAN: Please take your seat. ...(*Interruptions*)... The Leader of the Opposition is on the floor. In this House, when a Member is on the floor, others will please observe silence. I am very happy that we are giving a very good exemplification of our excellence.

श्री मल्लिकार्जुन खरगे : सर, इसीलिए हम यह चाहते थे कि हमें आप आज बुलाइए। मैंने सोचा कि आप हमें सुबह बुला रहे हैं, लेकिन आपने 4.30 का टाइम निर्धारित किया है। हम वहाँ आएंगे और अपने विचार रखेंगे और उसके बाद जो भी निर्णय लेना है, वह लेना चाहिए। सर, मुझे एक और चीज़ अच्छी नहीं लगी। यह हो सकता है कि दूसरों को -- सर, यहाँ पर पहले एक घटना हुई, जिसके बारे में बगैर हमको सुने आपने यहाँ पर एक विचार दे दिया या फैसला सुनाया। अगर आप हमको सुनने के बाद कुछ क्वोट करते, तो वह जरा ज्यादा अच्छा होता। बस, मेरा इतना ही कहना है।

DR. M. THAMBIDURAI: Mr. Chairman, I would like to...

MR. CHAIRMAN: Please take your seat. I am grateful for the sentiments expressed. What I indicated and, it is a very sound suggestion, that both the Leader of the House and the Leader of the Opposition wanted the floor leaders to be brought on the table before we come to the House.

This emanated from the Leader of the Opposition, instantly agreed to by the Leader of the House. Both had shown concern only for the nation and state of institutions. I am grateful. Now, Matters raised with Permission of Chair. Shri Ajit Kumar Bhuyan, 'Concern over the Rat-hole mining of coal in the Dima Hasao District of Assam'.

Contents Page

MATTERS RAISED WITH PERMISSION

Concern over the Rat-hole mining of coal in the Dima Hasao district of Assam

SHRI AJIT KUMAR BHUYAN (Assam): Thank you, Sir, for allowing me to raise a very important issue pertaining to Assam, namely, the issue of death of nine labourers working in an illegal rat-hole coal mine in Umrangso, Dima Hasao District in Assam.

(MR. DEPUTY CHAIRMAN *in the Chair*.)

This tragic incident is an example of how the State Government is compromising on the matter of environmental protection and jeopardising human lives. We all know that the National Green Tribunal had banned rat-hole mining, and the hon. Supreme Court had upheld it as such mining has adverse environmental consequences. A Commission headed by Justice (retired) B.P. Katakey, has also in its report pointed out way back in the year about rampant illegal coal mining in Assam. In spite of such conclusive evidence, the illegal mining is continuing in Assam just under the nose of State Government authorities. The incident in Umrangso is a reflection of the state of affairs in Assam. I want to draw the attention of this House to the fact that such illegal mining cannot continue unless there is some collusion with the State Government. Most of the newspapers are publishing stories about syndicate. Illegal mining, rat-hole mining, syndicate, all are interlinked and has patronage from highest echelons of the Government. Such illegal mining is causing loss to the exchequer and is also causing environmental degradation. I, therefore, demand immediate intervention of the Central Government on this issue as the State Government has miserably failed to discharge its duty. I also demand a high-level inquiry to find out the role of the State Government as well as that of the authorities of North Cacher Autonomous Council in Umrangso incident. Thank you, Sir.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: The following hon. Members associated themselves with the matter raised by the hon. Member, Shri Ajit Kumar Bhuyan: Shri Manoj Kumar Jha (Bihar), Shri A. A. Rahim (Kerala), Dr. V. Sivadasan (Kerala), Shri R. Girirajan (Tamil Nadu), Dr. John Brittas (Kerala), Shrimati Priyanka Chaturvedi (Maharashtra), Shri M. Shanmugam (Tamil Nadu), Ms. Sushmita Dev (West Bengal), Shri M. Mohamed Abdulla (Tamil Nadu), Shri Saket Gokhale (West Bengal), Shri Javed Ali Khan, (Uttar Pradesh), Shri Niranjan Bishi (Odisha) and Shri Sandosh Kumar P (Kerala).

माननीय श्री संत बलबीर सिंह जी, 'Demand to provide assistance in increasing the income of farmers of Punjab'. आप पंजाबी में बोलें।

Demand to provide assistance in increasing the income of farmers of Punjab

SHRI SANT BALBIR SINGH: *Sir, I rise today to bring to the attention of this House a matter of urgent public importance concerning the farmers of Punjab and their deteriorating economic condition. In 2012, the Government had made a promise to double the income of farmers across the country. However, even after more than a decade, this promise remains unfulfilled. A committee constituted by the hon. Supreme Court recently concluded that the daily income of a farmer is approximately Rs. 27. This amount is abysmally low and insufficient for even basic survival. It is this dire financial situation that has driven farmers and farm laborers to the brink, with many resorting to the tragic step of ending their lives. According to the National Crime Records Bureau (NCRB), since 1995, nearly 400,000 farmers and farm laborers across India have committed suicide. Closer to home, a survey conducted by three prominent universities in Punjab between 2000 and 2015 revealed that 16,006 farmers in the state took their own lives during this period. It is deeply unfortunate that no proper, up-to-date record of suicides, by farmers and farm laborers is being maintained, which reflects a lack of seriousness towards addressing this crisis.

Punjab today is burdened with a debt of approximately Rs. 3.73 lakh crore. With a population of 3,20,00,000, this translates to an average debt of Rs. 1,00,000 per individual in the state. Meanwhile, the Central Government recently increased the salaries of Members of Parliament by 24%, citing the rise in the Inflationary Index as the reason. If inflation is a justification for enhancing our salaries, then, surely the farmers and labourers, who are the biggest victims of rising prices, deserve greater consideration. The Government must honor its commitment to double the income of farmers.

It is disheartening to note that while the Government has waived off loans worth Rs. 16 lakh crore for corporates, the debt of Rs. 3.73 lakh crore burdening Punjab's farmers has been ignored. I urge the Government to waive this debt to provide much-needed relief to the farming community. Instead of concrete action, we see only politics being played in the name of farmers and farm laborers, with no tangible results.

Sir, the Government currently provides Minimum Support Price (MSP) for 23 crops, but how many of these crops are actually procured at the fixed MSP? Farmers

---

* English translation of the original speech delivered in Punjabi.

Contents Page

are demanding a legal guarantee for MSP on all agricultural produce to ensure that they can recover at least the minimum input costs incurred in cultivation.This is not just a demand—it is a necessity for their survival. When farmers are forced to sell their produce at a loss due to the absence of assured MSP, they are pushed deeper into despair, often leading to suicide. This is the primary reason behind the ongoing farmer agitations across the country, including in Punjab, where they seek a legal guarantee for MSP. Furthermore, I propose that opening the international border between India and Pakistan for trade could significantly benefit Punjab's farmers. Enhanced trade opportunities would provide them with access to larger markets, thereby increasing their income and reducing their economic hardships.

In conclusion, I appeal to the Government to take immediate and concrete steps, namely, waive the debt of Punjab's farmers, ensure a legal guarantee for MSP, and explore trade opportunities that uplift the agricultural community. Thank you, Sir. *Sat Shri Akaal*."

MR. DEPUTY CHAIRMAN: The following hon. Members associated themselves with the matter raised by the hon. Member, Shri Sant Balbir Singh: Shri Niranjan Bishi (Odisha), Dr. V. Sivadasan (Kerala), Shri R. Girirajan (Tamil Nadu), Dr. John Brittas (Kerala), Shri A. A. Rahim (Kerala), Ms. Dola Sen (West Bengal), Shri M. Mohamed Abdulla (Tamil Nadu), Shri M. Shanmugam (Tamil Nadu) and Dr. Ashok Kumar Mittal (Punjab).

Shrimati Sagarika Ghose. 'Need to imbibe new global technologies by National Broadcaster'.

Need to imbibe new global technologies by National Broadcasters

SHRIMATI SAGARIKA GHOSE (West Bengal): Sir, new media technologies are shrinking the world. India's unique identity as a vibrant democracy rooted in diversity and pluralism is an asset to the international order and needs to be projected on the global stage. This can only happen if our national broadcaster, Doordarshan, aspires to becoming truly world-class. The Network Russia Today is rapidly expanding in taking the message of Russia to the world. Networks like Al Jazeera are using Government funding to project the Arab voice in the world. Doordarshan can play this role. But, for this, it needs top-class modern content and management. Seven decades after independence, India deserves a truly world-class public broadcaster as envisaged in the Prasar Bharati Act of 1990.[£]

[£] Expunged as ordered by the Chair.

Sir, I have been a journalist for 35 years and it is tragic to see trivialisation, character assassination and sensationalism which are today practised in television news.Today, almost 400 licensed news channels are competing for the lowest common denominator. Four years ago, news channels ran a motivated campaign against a film actor. Today, that film actor has been proven innocent. Today, all those accusations have been revealed as baseless. But who will give back to Miss Rhea Chakraborty those years of humiliation that she endured at the hands of the media? The question arises: how can news media channels be made more responsible and accountable. Media owners will soon be called out on the floor of Parliament. Rogue anchors are a disgrace to journalism. We know that the business model of TV news is broken. So is this the new way to make profit to unleash lies and more lies and fakery?

Sir, I had the privilege of serving on the News Broadcasting Standards Authority which was chaired by the distinguished jurist, late Justice J.S. Verma. Justice Verma would say that media should be free and responsible, not irresponsible and censored.The NBSA lacks teeth and any statutory power. However, today, an independent media industry body that upholds global standards of professional broadcasting and journalistic fairness is urgently needed.

Sir, I would just like to say that today the model of advertising funded television news is rapidly imploding. The model is imploding. Therefore, it is for this reason that the media is engaging in character assassination. The media is engaging in a witch-hunt against individuals and the media is engaging in hate-mongering. ...*(Time-bell rings.)*...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: The following hon. Members associated themselves with the matter raised by the hon. Member, Smt. Sagarika Ghose: Ms. Dola Sen (West Bengal), Dr. V. Sivadasan (Kerala), Shri Saket Gokhale (West Bengal), Dr. John Brittas (Kerala), Shri M. Mohamed Abdulla (Tamil Nadu), Shri A. A. Rahim (Kerala), Dr. Ashok Kumar Mittal (Punjab), Shri M. Shanmugam (Tamil Nadu), Shri Niranjan Bishi (Odisha), Shri Manoj Kumar Jha (Bihar), Shri R. Girirajan (Tamil Nadu), Shri Mohammed Nadimul Haque (West Bengal), Smt. Mausam B Noor (West Bengal), Shri Digvijaya Singh (Madhya Pradesh), Shri Imran Pratapgarhi (Maharashtra), Shrimati Priyanka Chaturvedi (Maharashtra), Smt. Jaya Amitabh Bachchan (Uttar Pradesh), Shri Pramod Tiwari (Rajasthan), Shri Mallikarjun Kharge(Karnataka), Shrimati Sonia Gandhi (Rajasthan), Ms. Sushmita Dev (West Bengal), Shri Haris Beeran (Kerala), Shri Ajit Kumar Bhuyan (Assam), Shri Prakash Chik Baraik (West Bengal), Shri Anil Kumar Yadav Mandadi (Telangana) and Smt. Phulo Devi Netam, (Chhattisgarh).

Contents Page

Shri Ritabrata Banerjee. 'Demand to consult the Government of West Bengal regarding release of Teesta River water through Bangladesh'.

Demand to consult Government of West Bengal regarding release of Teesta River water to Bangladesh

SHRI RITABRATA BANERJEE (West Bengal): Sir, the Teesta River is a 414 km long river rising in the Eastern Himalayas, flowing through Sikkim and West Bengal and subsequently entering into Bangladesh to flow into the Bay of Bengal. The Teesta is the second largest river in our State and traverses through our districts of Kalimgpong, Darjeeling, Jalpaiguri and Cooch Behar before entering Bangladesh.

The health of the Teesta River is suffering due to construction of a series of hydro-power projects in Sikkim, deforestation at the upper catchment area, and climate change. The hon. Chief Minister of West Bengal, Ms. Mamata Banerjee, had conveyed her strong reservation that no discussion regarding sharing of water and Farakka Treaty should be taken up with Bangladesh without the involvement of the West Bengal Government. The people of West Bengal would be the worst sufferers due to the impact of Agreements on water sharing between India and Bangladesh. The Government of India is in the process of renewing the Indo-Bangladesh Farakka Treaty, 1996, which is to expire in 2026. It has huge implications for the people of our State as far as their livelihoods are concerned and the water which is diverted at the Farakka Barrage is creating navigability problems for the Kolkata port.

Sir, it is highly necessary to bring to the notice of the Union Government that river morphology has changed in the eastern part of India and Bangladesh over many years which has deprived West Bengal and negatively impacted the water availability in the State. Lakhs of our people have been displaced from their habitations, rendering them homeless and leading to loss of livelihood. The reduced silt load in the Hooghly River has impeded the nourishment of our Sundarbans Delta also.

Now, our hon. Chief Minister, Ms. Mamata Banerjee, has written to the hon. Prime Minister thrice, highlighting that the Farakka Barrage has caused flooding and erosion in the State of West Bengal in a very big way. Water flow in the Teesta River has gone down over the years and it is estimated that if any water is shared with Bangladesh, lakhs of people in the northern part of our State will get severely impacted due to inadequate availability of irrigation water. Teesta water is also for meeting drinking water requirements of the residents in the northern part of Bengal. It is, therefore, not feasible to share Teesta water with Bangladesh. An Indo-Bhutan River Commission is also an urgent need of the hour, as flash floods from trans-boundary rivers in Bhutan are having devastating impacts on the northern districts of

Contents Page

West Bengal.

Sir, through you, I would urge upon and request the Union Government that the Government of West Bengal needs to be consulted regarding release of Teesta water to Bangladesh and also about the renewable clauses of the Indo-Bangladesh Farakka Treaty. These renewable clauses are very important. Thank you.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: The following hon. Members associated themselves with the matter raised by the hon. Member, Shri Ritabrata Banerjee: Shri Niranjan Bishi (Odisha), Shri Manoj Kumar Jha (Bihar), Shri R. Girirajan (Tamil Nadu), Shri A. A. Rahim (Kerala), Dr. John Brittas (Kerala), Shri M. Mohamed Abdulla (Tamil Nadu), Shri Prakash Chik Baraik (West Bengal), Shri Mohammed Nadimul Haque (West Bengal), Smt. Mausam B Noor (West Bengal), Ms. Sushmita Dev (West Bengal), Shri Sant Balbir Singh (Punjab), Ms. Dola Sen (West Bengal), Dr. V. Sivadasan (Kerala) and Shri Saket Gokhale (West Bengal).

Now, Dr. Kalpana Saini -- Demand to Reserve Seats for Doctors on Flights to Help Tackle Emergency Situations.

Demand to reserve seats for Doctors on flights to help tackle emergency situations

डा. कल्पना सैनी (उत्तराखंड(: उपसभापति जी, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। मैं आज सदन के समक्ष एक अत्यंत आवश्यक विषय प्रस्तुत करना चाहती हूं। पिछले एक दशक में माननीय प्रधान मंत्री, नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व में विमानन क्षेत्र में अभूतपूर्व सुधार हुए हैं। 'उड़ान योजना (उड़े देश का आम नागरिक)' के तहत छोटे शहरों से भी हवाई यात्रा को किफायती और सहज बनाया गया है। महोदय, इस प्रगति के साथ ही यात्रियों की सुरक्षा और स्वास्थ्य देखभाल को और अधिक सुदृढ़ करने की आवश्यकता है तथा उड़ान के दौरान उत्पन्न होने वाली चिकित्सीय आपात स्थितियों के लिए हमारी तैयारी को और मजबूत करने की आवश्यकता है। मैं सदन के माध्यम से यह सुझाव रखना चाहती हूं कि हर उड़ान में कम से कम एक सीट किसी योग्य चिकित्सक के लिए आरक्षित की जाए, जो आपात स्थितियों में सहायता देने के लिए तैयार हो।

महोदय, हवाई यात्रा के दौरान कई बार ऐसे आपातकालीन चिकित्सीय हालात उत्पन्न हो जाते हैं, जहाँ पर त्वरित और विशेषज्ञ उपचार की आवश्यकता होती है। इसमें प्रसव जैसे आपात मामले, हृदयाघात, श्वसन संबंधी जटिलताएं, रक्तचाप संबधी गंभीर समस्याएं और अन्य आकस्मिक चिकित्सीय स्थितियाँ शामिल हैं। महोदय, प्रत्येक उड़ान में कम से कम एक सीट योग्य डाक्टर के लिए आरक्षित की जाए, जिसे रियायती दर पर या प्राथमिकता के आधार पर उपलब्ध कराया जा सकता है। यदि उड़ान से एक निश्चित समय पहले यह सीट बुक न हो, तो इसे अन्य यात्रियों के लिए उपलब्ध कराया जा सकता है, जिससे एयरलाइन्स को कोई आर्थिक नुकसान न हो। इसके अलावा सभी विमानों में उन्नत मेडिकल किट, ऑक्सीज़न सिलेंडर और अन्य आवश्यक चिकित्सा उपकरणों की अनिवार्यता, उपलब्धता सुनिश्चित की जाए। हर वर्ष उड़ान के दौरान हज़ारों यात्रियों को चिकित्सा सहायता की आवश्यकता पड़ती है, ऐसे में डॉक्टर

की उपस्थिति किसी भी आपात स्थिति में त्वरित और प्रभावी उपचार सुनिश्चित करेगी। यह पहल यात्रियों में सुरक्षा और विश्वास की भावना उत्पन्न करेगी, जिससे वे निश्चिंत होकर यात्रा कर सकेंगे। इसके साथ ही डॉक्टर्स की मौजूदगी से एयरलाइन्स की विश्वसनीयता और सुरक्षा मानकों में वृद्धि होगी, जिससे हवाई यात्रा और अधिक सहज और आकर्षक बन सकेगी।

महोदय, मैं सदन के माध्यम से सरकार से निवेदन करती हूं कि वह इस प्रस्ताव पर गंभीरता से विचार करे, ताकि भारतीय विमानन क्षेत्र यात्रियों के लिए और अधिक सुरक्षित और विश्वसनीय बन सके। उपसभापति जी, मुझे सदन में अपनी बात रखने का अवसर देने के लिए आपका पुनः बहुत-बहुत धन्यवाद।

MR. DEPUTY CHAIRMAN: The following hon. Members associated themselves with the matter raised by the hon. Member, Dr. Kalpana Saini: Shri Manoj Kumar Jha (Bihar), Shri R. Girirajan (Tamil Nadu), Shri M. Mohamed Abdulla (Tamil Nadu), Shri Niranjan Bishi (Odisha), Shri Sandosh Kumar P (Kerala), Shri Ravi Chandra Vaddiraju (Telangana), Dr. Sumer Singh Solanki (Madhya Pradesh), Ms. Kavita Patidar (Madhya Pradesh), Shrimati Geeta alias Chandraprabha (Uttar Pradesh), Shrimati Sumitra Balmik (Madhya Pradesh),Shri Naresh Bansal (Uttarakhand), Shri Ram Chander Jangra (Haryana), Smt. S. Phangnon Konyak (Nagaland),Shri Devendra Pratap Singh (Chhattisgarh), Smt. Darshana Singh (Uttar Pradesh), Shri Dhananjay Bhimrao Mahadik (Maharashtra), Ms. Indu Bala Goswami (Himachal Pradesh), Shri Baburam Nishad (Uttar Pradesh) and Shri Tiruchi Siva (Tamil Nadu).

Dr. Fauzia Khan, "Need to address the challenges faced by women officers in India's security forces."

Need to address the challenges faced by women officers in India's security forces

DR. FAUZIA KHAN (Maharashtra): Sir, after the tragic stampede at the New Delhi Railway Station on 15th February, a photo went viral showing a woman RPF constable patrolling the station with her one year old child strapped to her chest. While glorified by the RPF as a symbol of *Nari Shakti*, I believe, the photo actually highlights the systemic challenges faced by women personnel in security forces and the failure of the system to provide basic support to working mothers. This is no sign of empowerment but of the need for institutional reforms to support working mothers in uniform. Women in security forces already face significant challenges. The nature of security work directly clashes with consistent care that the young children need. What is needed is toilets, creches, baby care or breastfeeding rooms everywhere so that women can effectively manage both their professional and maternal

responsibilities. Everywhere, including in the Parliament Building, the Government's goal of increasing female representation in security forces, which currently stands at a mere 4.4 per cent in Central Armed Police Forces, must be supported by sustainable policies. Women at border security positions often face the dilemma of choosing between careers and the well-being of their children. A 2024 study has revealed that out of 209 police stations in Delhi, only two had sanitary pad vending machines and even those two were poorly maintained. We need urgent and comprehensive reforms. Expanding childcare facilities at every major and minor security installation is crucial. Initiatives like the day care centres of the Bengaluru Police should serve as a model nation wise. Moreover, financial support is essential for situations where onsite childcare is not available. The vision of *Nari Shakti* must go beyond mere optics and must be backed by real tangible support for women. The policy-makers must acknowledge that enabling women to thrive in these roles requires systemic changes, investments in infrastructure, improved workplace facilities, flexible policies, financial assistance and recognition of their dual responsibilities. Childcare should be regarded as a fundamental service, not a luxury. सर, जो मां हमारी सुरक्षा की जिम्मेदारी निभा रही है, क्या उसे अपने बच्चों की जिम्मेदारी निभाने में सहकार्य करना हमारी जिम्मेदारी नहीं है?

MR. DEPUTY CHAIRMAN: The following hon. Members associated themselves with the matter raised by the hon. Member, Dr. Fauzia Khan: Shri Manoj Kumar Jha (Bihar), Shri R. Girirajan (Tamil Nadu), Shri Digvijaya Singh (Madhya Pradesh), Shri A. A. Rahim (Kerala), Shri Prakash Chik Baraik (West Bengal), Dr. John Brittas (Kerala), Shri M. Shanmugam (Tamil Nadu), Smt. Jaya Amitabh Bachchan (Uttar Pradesh), Shri Imran Pratapgarhi (Maharashtra), Shri Haris Beeran (Kerala), Shri M. Mohamed Abdulla (Tamil Nadu), Shri Sant Balbir Singh (Punjab), Shri N.R. Elango (Tamil Nadu), Shri P. P. Suneer (Kerala), Smt. Ranjeet Ranjan (Chhattisgarh), Smt. Phulo Devi Netam, (Chhattisgarh), Ms. Dola Sen (West Bengal), Dr. V. Sivadasan (Kerala), Shri Niranjan Bishi (Odisha), Shri Sandosh Kumar P (Kerala) and Shri Tiruchi Siva (Tamil Nadu).

Shrimati Sulata Deo, "Demand to reinstate the celebration of Panchayat Divas on 5th March of every year."

Demand to reinstate the celebration of Panchayat Diwas on 5th March of every year

श्रीमती सुलता देव (ओडिशा) : जय श्री जगन्नाथ! उपसभापति महोदय, हम लोग ओडिशा में 5 मार्च को पंचायती राज दिवस मनाते थे। यह आज का नहीं है, बल्कि 30 साल पुराना है, जिसको कैबिनेट ने मंजूर किया था। कांग्रेस के समय में भी बीजू पटनायक के बर्थडे को पंचायती राज दिवस के रूप से मनाया जा रहा था। जब हम लोग alliance Government में भी थे, तब भी 9

Contents Page

साल तक यह मनाया जा रहा था। पीछे भी मनाया जा रहा था, मगर इस बार अभी की गवर्नमेंट ऑफ ओडिशा ने 5 मार्च को गवर्नमेंट केलेंडर में लाल अक्षर से अंकित किया और उसमें नीचे डिस्क्रिप्शन में यह दिया गया है कि इस दिन बीजू पटनायक का जन्मदिन है और छुट्टी है। इसके बाद क्या हुआ है, इसका पता नहीं है। फिर उसे कैंसिल कर दिया गया। मुझे यह बताते हुए खेद होता है और बुरा भी लगता है। बीजू पटनायक केवल ओडिशा के लीडर नहीं थे। Biju Patnaik is a tall man. Biju Patnaik is a daredevil pilot. बीजू पटनायक फ्रीडम फाइटर थे और उनके सम्मान में जो कुछ भी किया जाए, वह कम है। वे एक ऐसे लीडर थे, जिनकी डेथ के बाद, उनके शरीर पर तीन कंट्रीज़ के फ्लैग्स डाले गए थे। बीजू पटनायक ऐसे महान व्यक्ति थे। मगर कितनी छोटी मानसिकता है कि कैसे बीजू पटनायक के नाम को हटाया जाए - इसीलिए पंचायती राज दिवस को उस दिन मनाना बंद कर दिया गया।

बीजू पटनायक जी एक ऐसे लीडर थे, जिनका मॉडर्न ओडिशा को गढ़ने में बहुत योगदान था, जैसे पारादीप पोर्ट हो, राउरकेला स्टील प्लांट हो, बीजू पटनायक इंटरनेशनल एयरपोर्ट हो, रीजनल इंजीनियरिंग कॉलेज, राउरकेला हो, OUAT हो, HAL हो, सैनिक स्कूल हो। इस तरह से आप देखिए, तो बीजू पटनायक जी का इतना योगदान था, मगर आज भूल गए। सबसे बड़ी बात यह है कि हम पंचायती राज दिवस इसलिए मनाते थे, क्योंकि बीजू पटनायक जी ऐसे व्यक्ति थे, जो महात्मा गाँधी जी के ग्राम स्वराज को आगे ले गए थे। महिला कैसे सशक्त हो, इसके लिए भारतवर्ष में सबसे पहले 33 परसेंट रिजर्वेशन बिल बीजू पटनायक जी ने लगवाया था। इसको किसी और ने कभी नहीं लगाया था। इसीलिए हम लोग इसको पंचायती राज दिवस के नाम से celebrate करते थे। आप सरकार की मानसिकता देखिए कि उसने इसको भी बंद कर दिया। केवल यही नहीं, यह बीजू पटनायक इंटरनेशनल एयरपोर्ट का नाम भी हटाने के लिए सोच रही है। हम लोग बीजू पटनायक जी के नाम पर बीजू स्वास्थ्य कल्याण (BSKY) कार्ड दे रहे थे, इसने उसके नाम में भी परिवर्तन कर दिया। ऐसी सरकार आई कि यह केवल परिवर्तन ही परिवर्तन कर रही है। इसके साथ ही आप देखेंगे, तो नाम के बाद यह डेट में भी परिवर्तन कर रही है। अपने आप जो दिए हैं, उनमें भी परिवर्तन कर रही है। हमारे बीजू पटनायक जी एक बात बोलते थे। £" A person cannot grow with a narrow mindset. अगर मन छोटा करे, तो कोई आदमी बड़ा नहीं बन सकता, मन बड़ा रखिए, तो जाति बड़ी होती है। इसलिए मैं बोल रही हूँ कि आप मन बड़ा करके जाति बड़ी कीजिए। आप यह छोटी मानसिकता छोड़िए और नाम चेंज करना छोड़िए, कलर चेंज करना छोड़िए, डेट चेंज करना छोड़िए। जो कैबिनेट निष्पत्ति हुई थी, गवर्नमेंट ने कैसे एक Executive Order लाकर उसको चेंज कर दिया। ...(**समय की घंटी**)...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: The following hon. Members associated themselves with the matter raised by hon. Member, Shrimati Sulata Deo: Shri Sandosh Kumar P (Kerala), Ms. Dola Sen (West Bengal), Shri Prakash Chik Baraik (West Bengal), Shri M. Mohamed Abdulla (Tamil Nadu), Shri Niranjan Bishi (Odisha), Shri A. A. Rahim (Kerala), Shri R. Girirajan (Tamil Nadu), Dr. Fauzia Khan (Maharashtra), Shri P. Wilson (Tamil Nadu), Dr. Sasmit Patra (Odisha) and Dr. John Brittas

£ English translation of the original speech delivered in Odia.

(Kerala).

Now, Shri Sanjay Seth: 'Demand to Regulate Coaching Institutes of Competitive Examinations Across the Country.'

Demand to regulate Coaching Institutes of Competitive Examinations across the country

श्री संजय सेठ (उत्तर प्रदेश) : सर, आज मैं सदन के सामने एक बड़ा गंभीर मुद्दा रखना चाहता हूँ। देश के अंदर सैकड़ों कोचिंग इंस्टिट्यूट्स चल रहे हैं। आपने भी हर शहर में देखा होगा कि सब जगह कोचिंग इंस्टिट्यूट्स हैं, जो विद्यार्थियों को, छात्रों को इंजीनियरिंग, मेडिकल और अन्य परीक्षाओं की तैयारी कराते हैं। लेकिन उनमें से कुछ इंस्टीट्यूट्स ऐसे हैं, जो केवल कमाई करने का धंधा बन गए हैं। इसी तरह का एक इंस्टिट्यूट FIITJEE था, जो एक बड़ा प्रतिष्ठित कोचिंग सेंटर था, लेकिन उसकी अपनी financial management की गड़बड़ी के कारण एक दिन उसने अपने सारे सेंटर्स बंद कर दिए, जिसकी वजह से जो छात्र थे, जो वहाँ पढ़ाई कर रहे थे, उन सब को बहुत नुकसान हुआ और बीच में उनकी पढ़ाई छूट गई। सर, उनके माता-पिता ने उसके अंदर अपना काफी रुपया लगा कर उन सबको वहाँ पर दाखिला दिलाया था, लेकिन FIITJEE के बंद हो जाने की वजह से अब उनको यह समझ में नहीं आ रहा है कि वे क्या करें। सोशल मीडिया पर भी FIITJEE के अभिभावकों की वीडियो आ रही है, जिसमें यह दिखाया गया है कि वे सभी लोग सेंटर्स के बाहर खड़े हैं और सेंटर्स पर ताले लगे हुए हैं। वे सब अब तनाव में हैं और उन छात्रों का पूरा साल बर्बाद हो रहा है। अभी कल ही राजस्थान की सरकार ने कोचिंग इंस्टिट्यूट्स के ऊपर अपनी विधानसभा में एक बिल भी पास किया है, जिसमें वह कोचिंग के ऊपर कुछ नियंत्रण बना रही है।

मैं सरकार से यह माँग करता हूँ कि FIITJEE और अन्य कोचिंग संस्थाओं की वित्तीय जाँच की जाए और यह सुनिश्चित किया जाए कि छात्रों और अभिभावकों की फीस वापिस मिले; छात्रों की शिक्षा का नुकसान न हो, इसके लिए वैकल्पिक व्यवस्था की जाए, जिससे वे अपनी परीक्षाओं की तैयारी जारी रख सकें; कोचिंग संस्थानों के लिए एक regulatory body बनाई जाए, ताकि इस तरह की धोखाधड़ी भविष्य में न हो। यह केवल एक संस्थान का संकट नहीं है, बल्कि यह हजारों परिवारों की मेहनत और सपनों के साथ किया गया धोखा है। सरकार को इसे गंभीरता से लेना चाहिए और तत्काल कार्रवाई करनी चाहिए। धन्यवाद।

MR. DEPUTY CHAIRMAN: The following hon. Members associated themselves with the matter raised by hon. Member, Shri Sanjay Seth: Shri Mission Ranjan Das (Assam), Shri Baburam Nishad (Uttar Pradesh), Dr. John Brittas (Kerala), Shri Niranjan Bishi (Odisha), Shri Dhananjay Bhimrao Mahadik (Maharashtra), Dr. Fauzia Khan (Maharashtra), Shri R. Girirajan (Tamil Nadu), Dr. Sasmit Patra (Odisha), Shri Aditya Prasad (Jharkhand) and Shri Deepak Prakash (Jharkhand).

Shri Meda Raghunadha Reddy: 'Demand to Denotify the Existing Kasireddy Nayana Jyothi Kshetram Lands in Andhra Pradesh from Forest Department.'

Contents Page

Demand to denotify the existing Kasireddy Nayana Jyothi Kshetram lands in Andhra Pradesh from Forest Department

SHRI MEDA RAGHUNADHA REDDY (Andhra Pradesh): Sir, I would like to bring forth an important issue regarding the demolition of certain structures at the Kasireddy Nayana Ashram in the Jyothi Kshetram, Andhra Pradesh located in the deep forest which renders selfless service and offers free meal to the poor and those coming in from neighbouring States of Tamil Nadu, Karnataka, Kerala and even to the foreigners who do visit in large numbers. It also has more than 100 annadana satrams all over the State feeding thousands of poor people daily and was formed on the teachings of renowned spiritual guru Kasireddy Nayana. His teachings moved thousands of farmers in the drought-hit regions of Rayalaseema promoting them to donate the first crops from their fields to the ashram and the same is continued till now. Recognizing his significant contribution to the society, the Government has named a mandal in his honour in YSR Kadapa district, Andhra Pradesh. The recent action of the Forest Department to raze down the structures in the Kasinayana Jyothi Kshetram has hurt the sentiments of the enormous number of devotees who perform annadanam and also the public in and around the region.

Therefore, the Central Government is requested to please consider denotifying the existing Kasinayana Jyothi Kshetram land from the Forest department and also for consideration of allotment of 33 acres of land for taking up the developmental activities for expansion as a spiritual center considering its significance and the sentiment of lakhs of devotees from Andhra Pradesh and Rayalaseema region.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: The following hon. Members associated themselves with the matter raised by hon. Member, Shri Meda Raghunadha Reddy: Shri Golla Baburao (Andhra Pradesh), Dr. Sasmit Patra (Odisha), Shri Niranjan Bishi (Odisha) and Shri A. A. Rahim (Kerala).

Shrimati Ranjeet Ranjan; Concern over the issues of safety and security arrangements in shelter homes for women in the State of Bihar.

Concern over the issue of safety and security arrangement in shelter homes for women in the State of Bihar

श्रीमती रंजीत रंजन (छत्तीसगढ़) **:** उपसभापति जी, मैं आपके माध्यम से यह बताना चाहती हूँ कि जब मैं लोक सभा में थी, तो 2018 में मुजफ्फरपुर बालिकागृह कांड हुआ था, जिसमें 34 बच्चियों के बलात्कार की बात सामने आई थी। उसकी सीबीआई जांच हुई थी। उस सदन में वह मामला उठा था। तब सुमित्रा ताई स्पीकर थीं। उस मामले में कई लोग जेल गए थे, लेकिन बहुत सारे

Contents Page

सफेदपोशों को बचा लिया गया था।

महोदय, एक बार फिर 19 तारीख को रात में सिवान में ऐसी ही एक घटना हुई। सिवान के भैसाखाल गांव में एक आश्रय गृह है, जिसमें बालक भी रहते हैं, वृद्ध भी रहते हैं। अचानक प्रशासन द्वारा यह खबर आई कि वहाँ 13 लड़कियां रात से फरार हैं। सर, सबसे पहली बात तो यह है कि वे फरार हुईं, तो यह आपको कैसे मालूम है और अगर वे फरार हुईं, तो इसकी वजह क्या थी? प्रशासन दूसरी बात कह रहा है। वहाँ 8 सीसीटीवी कैमरे थे। उनमें से 5 कैमरे उस रात को बंद थे, जहाँ जिस दीवार से उन बच्चियों के फरार होने की बात की गई। तीसरी बात यह है कि वह दीवार 20 फीट ऊंची है और उसके ऊपर तार भी लगी हुई है, तो वे बच्चियाँ कैसे भागीं? चौथी बात, प्रशासन के द्वारा कहा गया कि एक लड़की मिल गई है और 8 लड़कियां अपने परिवार के संपर्क में हैं। अगर यह सिर्फ फरारी का मामला था, तो प्रशासन इसे सामने क्यों नहीं कर रहा है और उन परिवारों को छुपाया क्यों जा रहा है?

उपसभापति जी, मैं आपके माध्यम से सरकार को बताना चाहती हूँ कि यह नॉर्मल मामला नहीं है। पहले भी लगातार shelter home में उनके साथ sexual harassment तथा बहुत तरह की harassments होती रही हैं। यह वैसा ही मामला लगता है। मैं यह बात आपके माध्यम से सदन के संज्ञान में लाना चाहती हूँ कि एक बार फिर से इसकी सीबीआई जांच होनी चाहिए। मैं तो कहूँगी कि एक स्वतंत्र कमेटी बननी चाहिए, जो देश के तमाम बालिकागृहों की निगरानी करे, स्वतंत्र निगरानी करे। सर, इस पर जब तक आप कुछ कहें, यह मामला अभी सदन में आ रहा है, तभी से वहां लीपापोती शुरू हो जाएगी।

सर, मैं आपके माध्यम से यह कहूँगी कि इसका राजनीतिकरण नहीं करें, क्योंकि चाहे पक्ष हो या विपक्ष हो, इसमें बहुत तरह के सफेदपोशों के जाने की, involve होने की बातें लगातार आती रही हैं। यह हमारे देश की उन बच्चियों का सवाल है, जो गरीब हैं, लावारिस हैं, जिनको शादी का झांसा देकर बुला लिया जाता है। वे लावारिस तरीके से उन शेल्टर होम्स में रहती हैं। कुछ बच्चियाँ orchestra में काम कर रही होती हैं। यहां तक कि वहाँ के बालकों के साथ भी sexual harassment होता है। सर, यह सिर्फ sexual harassment का केस नहीं है। जिस बुरे तरीके के साथ उनके साथ harassment किया जाता है, वह शब्दों में बयां करने के लायक नहीं है। इसलिए इसको सरकार बहुत गंभीरता से ले। वहां के डीएम जो कह रहे हैं कि यह मामला गंभीर है, लेकिन बच्चियाँ फरार हुई हैं, तो यह authentication वे कैसे दे रहे हैं? ...(**समय की घंटी**)...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: The following hon. Members associated themselves with the matter raised by hon. Member, Shrimati Ranjeet Ranjan: Shri Sandosh Kumar P (Kerala), Shrimati Phulo Devi Netam (Chhattisgarh), Ms. Dola Sen (West Bengal), Dr. V. Sivadasan (Kerala), Shri Niranjan Bishi (Odisha), Shri Sant Balbir Singh (Punjab), Shri M. Mohamed Abdulla (Tamil Nadu), Shrimati Jaya Amitabh Bachchan (Uttar Pradesh), Shri Prakash Chik Baraik (West Bengal), Shrimati Sonia Gandhi (Rajasthan), Shri Mallikarjun Kharge (Karnataka), Shri Pramod Tiwari (Rajasthan), Dr. John Brittas (Kerala), Shri Imran Pratapgarhi (Maharashtra), Shri Anil Kumar Yadav Mandadi (Telangana), Shri Haris Beeran (Kerala), Shri P. Wilson (Tamil Nadu), Dr. Fauzia Khan (Maharashtra), Shri R. Girirajan (Tamil Nadu), Dr. Sasmit

Patra (Odisha) and Shri A. A. Rahim (Kerala).

Now, Shrimati Seema Dwivedi on 'Demand for stoppage of Train Nos. 12355 and 12356 (Patna-Jammu) at Mungra Badshahpur Railway Station in Jaunpur, Uttar Pradesh.'

Demand for stoppage of Train Nos. 12355 and 12356 (Patna-Jammu) at Mungra Badshahpur Railway Station in Jaunpur, Uttar Pradesh

श्रीमती सीमा द्विवेदी (उत्तर प्रदेश) : माननीय उपसभापति महोदय, आज मैं आपके माध्यम से जनहित के एक मुद्दे को सदन में रखना चाहती हूँ। पटना से जम्मू जाने वाली ट्रेन संख्या 12355 'नीलांचल एक्सप्रेस' तथा जम्मू से पटना आने वाली ट्रेन संख्या 12356 मुंगरा बादशाहपुर रेलवे स्टेशन से ही गुजरती है, लेकिन वहाँ पर उसका ठहराव नहीं है। वहाँ भारी संख्या में तीर्थ यात्री 'माता वैष्णो देवी' के दर्शन करने जाना चाहते हैं, सबकी आस्था जुड़ी हुई है, परंतु ट्रेन का ठहराव न होने के कारण श्रद्धालुओं को बड़ी निराशा होती है। पूर्व में इसके लिए बार-बार प्रयास करने के बाद भी सफलता नहीं प्राप्त हो सकी। आज परम श्रद्धेय माननीय मोदी जी की सरकार ने ट्रेनों को प्रत्येक बहुसंख्यक जिले में चलाए जाने का जो प्रयास किया है, जो निर्णय लिया है, वह बहुत सराहनीय है। रेलवे की समय प्रतिबद्धता, सुरक्षा की भरपूर सुविधाओं से रेल यात्रियों का उत्साहवर्धन हुआ है और विश्वास भी जगा है।

महोदय, पब्लिक को यह पूरा यकीन है कि सरकार जहाँ 'वंदे भारत' जैसी प्रीमियम गाड़ियों को चला कर हर जिलों को जोड़ने का काम कर रही है, वहीं मैं आपके माध्यम से अनुरोध करना चाहती हूँ कि जनहित में उक्त ट्रेन, यानी 'नीलांचल एक्सप्रेस' का 2 मिनट के लिए ठहराव मुंगरा बादशाहपुर स्टेशन पर करने की कृपा करें ताकि भारी संख्या में श्रद्धालु 'माता वैष्णो देवी' के दर्शन कर सकें। मान्यवर, मैं आपके माध्यम से सरकार से अनुरोध करना चाहती हूँ कि वह इस जनहित के प्रकरण का संज्ञान लेकर उक्त ट्रेन के ठहराव को सुनिश्चित करने की कृपा करे, धन्यवाद।

MR. DEPUTY CHAIRMAN: The following hon. Members associated themselves with the matter raised by hon. Member, Shrimati Seema Dwivedi: Shri M. Mohamed Abdulla (Tamil Nadu), Shri Niranjan Bishi (Odisha), Ms. Kavita Patidar (Madhya Pradesh), Shrimati Sumitra Balmik (Madhya Pradesh), Dr. Sasmit Patra (Odisha), Dr. Sumer Singh Solanki (Madhya Pradesh) and Dr. Kalpana Saini (Uttarakhand).

Now, Shri Raghav Chadha on 'Need to tap India's potential in the field of Artificial Intelligence.'

Need to tap India's potential in the field of Artificial Intelligence (AI)

श्री राघव चड्ढा (पंजाब) : सर, आज मैं जिस विषय पर बात करने के लिए खड़ा हुआ हूँ, वह आज के भारत से कहीं ज्यादा आने वाले कल के भारत के लिए जरूरी है। मैं Artificial

Contents Page

Intelligence की बात कर रहा हूँ। इस एआई की क्रांति के युग में जहाँ अमेरिका के पास अपना ChatGPT, Gemini, Anthropic Groq जैसे indigenous models हैं, वहीं चीन ने DeepSeek जैसा सबसे ज्यादा क्षमता वाला और सबसे कम लागत से बना एआई मॉडल तैयार कर लिया है। लेकिन इस एआई के युग में भारत कहाँ है? क्या भारत इस युग में पिछड़ता जा रहा है? क्या भारत अपना generative AI model नहीं बना पाएगा? वर्ष 2010 से लेकर 2022 के बीच में दुनिया में जितने एआई पेटेंट्स रजिस्ट हुए, उनका 60 प्रतिशत हिस्सा यूएस ने हासिल किया और 20 प्रतिशत हिस्सा चीन ने हासिल किया। दुनिया की पाँचवीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था भारत ने मात्र आधा प्रतिशत ही हासिल किया है।

सर, यह बात तो सत्य है कि यूएस और चीन के पास एआई में चार-पाँच साल का headstart है, लेकिन वह इसलिए है, क्योंकि उन्होंने अपने रिसर्च, academia और एआई डेवलपमेंट में निवेश किया। सर, भारत की बहुत बड़ी आबादी एआई के वर्कफोर्स का हिस्सा है। बताया जाता है कि एआई की कुल वर्कफोर्स का 15 प्रतिशत हिस्सा भारतीयों से बनता है और साढ़े चार लाख भारतीय एआई प्रोफेशनल्स के तौर पर फॉरेन कंट्रीज़ में काम कर रहे हैं।

Sir, India ranks third in highest penetration of AI skills, जिसका मतलब यह है कि भारत के पास प्रतिभा भी है, मेहनती लोग भी हैं, ब्रेन पावर भी है, digital economy भी है और 90 करोड़ से ज्यादा इंटरनेट यूजर्स भी हैं, लेकिन फिर भी कहीं-न-कहीं आज भारत एआई का consumer बन गया है, एआई का producer नहीं बन पा रहा है।

सर, ओपन एआई के फाउंडर Sam Altman से जब भारत की एआई पोटेंशियल के बारे में पूछा गया, तो उन्होंने भारत को नकारते हुए कहा कि भारत का एआई पोटेंशियल पूरी तरीके से होपलेस है, यानी निराशाजनक है। आज समय आ गया है कि हम उन्हें जवाब दें और भारत इस एआई के युग में एआई प्रोड्यूसर बने, न कि एआई कंज्यूमर। सर, इसके लिए कई कदम उठाने होंगे। सबसे पहले हमें indigenous AI chips बनाने होंगे, भारत में indigenous chip

(**सभापति** महोदय *पीठासीन हुए।*)

manufacturing ईजाद करनी होगी। इसी के साथ-साथ हमें dedicated AI infra fund तैयार करना होगा, AI research grants देने होंगे, AI tax breaks देने होंगे और talent migration रोकना होगा ताकि भारत का top tier AI talent और देशों में जाकर काम न करे, बल्कि भारत में काम करे। इसी के साथ-साथ AI के indigenous start-ups को large volume of existing data का एक्सेस देना होगा, जो Meta, Microsoft और Google के पास है, लेकिन भारत के पास नहीं है। सर, अंत में, हमें financial investment बढ़ानी होगी। जहाँ एआई रिसर्च में यूएस अपनी जीडीपी का 3.5 परसेंट खर्च करता है, चीन 2.5 परसेंट खर्च करता है, वहाँ भारत मात्र 0.7 परसेंट खर्च कर रहा है। आने वाले काल में इस दुनिया पर वही राज करेगा, वही विश्व गुरु होगा, जिसके पास AI की ताकत होगी, इसलिए भारत को Make in India के साथ-साथ Make AI in India की ओर आगे बढ़ना होगा। ...(**समय की घंटी**)...

श्री सभापति : विश्व गुरु तो भारत ही होगा।

The following hon. Members associated themselves with the matter raised

Contents Page

by hon. Member, Shri Raghav Chadha: Shri M. Mohamed Abdulla (Tamil Nadu), Shri Niranjan Bishi (Odisha), Shri A. A. Rahim (Kerala), Shri P. Wilson (Tamil Nadu), Dr. Ashok Kumar Mittal (Punjab), Dr. Fauzia Khan (Maharashtra), Shri Sant Balbir Singh (Punjab), Shri Prakash Chik Baraik (West Bengal), Shri Mohammed Nadimul Haque (West Bengal), Shri R. Girirajan (Tamil Nadu), Dr. Sasmit Patra (Odisha), Dr. John Brittas (Kerala) and Shri P. P. Suneer (Kerala).

SHRI TIRUCHI SIVA: Sir, yesterday, my name was at serial no. 12, when it was updated on my portal, but now it is at serial no. 15.

MR. CHAIRMAN: I will ensure, tomorrow, it is not at no. 12. It will not be down, it will be up.

SHRI SANDOSH KUMAR P: Sir, mine was at serial no. 14 but now it is at 18.

MR. CHAIRMAN: Well, I will take note of all these developments and try to give precedence tomorrow and day after. Now, Question Hour.

ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

Beneficiaries under NFSS

*256. SHRI NIRANJAN BISHI: Will the Minister of CONSUMER AFFAIRS, FOOD AND PUBLIC DISTRIBUTION be pleased to state:

(a) the latest data on the number of beneficiaries covered under the National Food Security Scheme (NFSS) in the country, State -wise;

(b) the details of amount allocated under the NFSS in the country during the last three years, State-wise, including the amount disbursed for the procurement and distribution of food grains and other essential commodities; and

(c) whether Government has fixed any specific targets under the NFSS, if so, the presentstatus of these targets, including any challenges faced and the progress made?

Contents Page

THE MINISTER OF CONSUMER AFFAIRS, FOOD & PUBLIC DISTRIBUTION (SHRI PRALHAD JOSHI): (a) to (c) A statement is laid on the Table of the House.

Statement

(a) A statement indicating State/UT-wise coverage of beneficiaries under the National Food Security Act, 2013 is at **Annexure-I**.

(b) Foodgrains are made available by Food Corporation of India (FCI) to the States/UTs free of cost under the NFSA, for which food subsidy is released to FCI. Only in the case of States participating in the Decentralized Procurement (DCP), under which State Government take responsibility of procurement of foodgrains and its distribution to the eligible households, that food subsidy is released directly to State Governments. Ministry of Finance allocates scheme-wise fund as a whole. There is no State-wise fund allocation for Food Subsidy

The details of food subsidy allocated to and released by Department of Food & Public Distribution (DFPD) may be seen at **Annexure-II** and state-wise funds released to DCP States by DFPD during the last three years are attached at **Annexure-III**.

Central Government also provides assistance to States/UTs under the scheme "Assistance to State Agencies for intra-State movement of foodgrains and FPS dealers' margin under NFSA" A Statement indicating the fund released to States/UTs under this scheme during the last three years is at **Annexure-IV**.

Under the Act, free of cost foodgrains are distributed to beneficiaries. The term "foodgrains" is defined as rice, wheat or coarse grains or any combination thereof conforming to such quality norms as may be determined, by order, by the Central Government from time to time. No other commodity is distributed under the Act.

(c) The Act provides for coverage of upto 75% of the rural and upto 50% of the urban population, which at Census 2011 comes out to 81.35 crore persons. At present, against intended coverage of 81.35 crore, 80.56 crore beneficiaries are identified by the States/UTs under the Act. The identification of beneficiaries by States/Union Territories (UTs) is a continuous process, which involves exclusion of ineligible/ fake/ duplicate ration cards and also exclusion on account of death, migration etc. and inclusion on account of birth as also that of genuine left-out households.

Annexure-I

Sl. No.	States/ UTs	Ceiling under NFSA (in lakh)	Ceiling of AAY HH (in lakh)	Present coverage (In lakh)				
				AAY		Priority	Total persons	% of accepted persons
				No. of families	No. of person	No. of persons		
1	Andhra Pradesh	268.23	9.09	9.08	23.52	244.70	268.22	100.00%
2	Arunachal Pradesh	8.71	0.38	0.38	1.50	6.90	8.40	96.53%
3	Assam	251.90	7.04	6.73	21.70	226.29	247.98	98.45%
4	Bihar	871.16	25.01	25.01	125.05	746.11	871.16	100.00%
5	Chhattisgarh	200.77	7.19	7.19	20.42	180.35	200.77	100.00%
6	Delhi	72.78	1.57	0.69	2.78	70.00	72.78	100.00%
7	Goa	5.32	0.18	0.12	0.46	4.86	5.32	100.00%
8	Gujarat	382.85	8.13	7.77	36.10	329.74	365.84	95.56%
9	Haryana	126.49	3.03	2.68	11.35	115.14	126.49	100.00%
10	Himachal Pradesh	36.82	1.97	1.65	6.82	23.07	29.88	81.17%
11	Jharkhand	264.25	9.18	8.94	34.76	229.43	264.19	99.98%
12	Karnataka	401.93	12.00	10.97	43.91	358.02	401.93	100.00%
13	Kerala	154.80	5.96	5.96	25.59	129.21	154.80	100.00%
14	Madhya Pradesh	546.42	15.82	14.63	54.93	479.86	534.79	97.87%
15	Maharashtra	700.17	25.05	25.05	108.01	592.16	700.17	100.00%
16	Manipur	25.06	0.64	0.64	1.91	18.97	20.87	83.30%
17	Meghalaya	21.46	0.70	0.70	2.91	18.54	21.46	100.00%
18	Mizoram	7.06	0.26	0.26	0.64	6.41	7.05	99.83%
19	Nagaland	14.79	0.48	0.48	2.11	11.94	14.05	94.99%
20	Odisha	326.21	12.65	12.53	37.57	287.60	325.17	99.68%
21	Punjab	141.45	1.79	1.79	7.64	133.80	141.45	100.00%
22	Rajasthan	446.62	9.32	6.29	22.29	417.72	440.01	98.52%
23	Sikkim	4.07	0.17	0.17	0.57	3.24	3.81	93.78%
24	Tamil Nadu	364.69	18.65	18.64	65.78	298.34	364.12	99.84%
25	Telangana	191.70	6.49	5.67	15.95	175.74	191.70	100.00%
26	Tripura	25.02	1.13	1.09	4.62	19.81	24.43	97.65%
27	Uttar Pradesh	1520.59	40.95	40.90	132.91	1365.79	1498.70	98.56%
28	Uttarakhand	61.94	1.91	1.84	7.92	54.02	61.94	100.00%
29	West Bengal	601.84	19.86	16.42	54.99	546.85	601.84	100.00%
30	A&N	0.63	0.11	0.04	0.14	0.46	0.61	96.21%
31	DNH&DD	3.56	0.08	0.05	0.24	2.45	2.69	75.60%
32	Lakshadweep	0.22	0.01	0.01	0.04	0.18	0.22	99.72%
33	Chandigarh (DBT)	4.96	0.09	0.00	0.01	2.98	2.99	60.29%

Contents Page

34	Puducherry (DBT)	6.34	0.32	0.25	0.82	5.52	6.34	99.92%
35	J&K	72.69	2.76	2.33	10.61	61.80	72.41	99.61%
36	Ladakh	1.44	0.06	0.06	0.29	1.15	1.44	99.99%
Total		8134.91	250.00	237.00	886.85	7169.17	8056.02	99.03%

Annexure-II

Details of funds allocated and released by DFPD under Food Subsidy to FCI & DCP States under NFSA/PMGKAY during 2021-22, 2022-23 and 2023-24 are as under:

(Rupees in Crore)

Year	Funds Allocated	Funds released to FCI	Funds released to DCP States
2021-22	288718.54	208929.00	79789.54
2022-23	272501.70	200219.20	72282.49
2023-24	211393.85	139661.03	71732.82

Annexure-III

Statement indicating the amount of Food Subsidy re-imbursed to DCP States during the last three financial years

(rupees in crore)

S.No.	Name of the State	2021-22	2022-23	2023-24
1	Andhra Pradesh	9323.38	6635.97	6268.19
2	Bihar	7671.9	10966.1	6557.64
3	Chhattisgarh	9047.77	7574.81	5236.13
4	Gujarat	749.43	311.54	267.83
5	Himachal Pradesh	-	-	47.38
6	Jharkhand	-	-	42.77
7	Karnataka	1682.12	2191.75	1222.13
8	Kerala	1777.86	1544.89	1151.85
9	Madhya Pradesh	14420.62	9471.5	16939.27
10	Maharashtra	4082.07	2725.75	3923.29
11	Odisha	7892.69	7600.05	14473.68
12	Punjab	2047.53	1202.49	2064.56
13	Tamil Nadu	6250.93	8685.95	7072.53
14	Telangana	7665.02	5242.76	5367.07
15	Tripura	15.58	148.67	106.51

Contents Page

16	Uttarakhand	1554.43	1212.25	724.39
17	West Bengal	5421.34	6580.11	-
18	DBT	186.87	187.9	267.6
	Total	79789.54	72282.49	71732.82

Annexure -IV

Funds released to States/UTs under the scheme "Assistance to State Agencies for intra-State movement of foodgrains and FPS dealers' margin under NFSA" during the last three years financial year.

(In crore)

S. No.	States/UTs	Fund released		
		2021-22	2022-23	2023-24
1	Andhra Pradesh	122.37	91.73	105.44
2	Arunachal Pradesh	0.00	44.19	8.39
3	Assam	545.75	826.91	321.75
4	Bihar	743.27	881.05	434.73
5	Chhattisgarh	72.48	181.88	355.06
6	Delhi	26.27	48.88	0.00
7	Goa	2.66	4.69	5.67
8	Gujarat	309.46	260.20	124.37
9	Haryana	178.23	43.26	45.78
10	Himachal Pradesh	17.69	188.03	29.58
11	Jharkhand	282.50	187.02	99.64
12	Karnataka	764.16	354.89	148.70
13	Kerala	121.00	110.03	403.63
14	Madhya Pradesh	129.13	844.50	234.66
15	Maharashtra	289.72	621.69	703.54
16	Manipur	81.19	31.54	36.46
17	Meghalaya	38.78	79.78	20.59
18	Mizoram	7.71	12.57	0.00
19	Nagaland	8.15	61.06	31.42
20	Odisha	294.18	110.86	872.57
21	Punjab	51.08	0.00	50.06
22	Rajasthan	585.84	406.77	479.15
23	Sikkim	7.59	12.33	3.85
24	Tamil Nadu	131.65	543.01	145.90
25	Telangana	69.18	147.95	378.50
26	Tripura	64.53	49.15	23.92
27	Uttar Pradesh	195.77	1325.40	3213.86

Contents Page

28	Uttarakhand	67.19	379.83	58.71
29	West Bengal	741.32	535.06	226.32
30	A & N	0.00	0.00	0.00
31	Chandigarh	0.37	0.00	0.00
32	DNH & DD	1.01	1.55	0.87
33	Lakshadweep	0.00	0.00	0.00
34	Puducherry	2.25	2.13	0.00
35	J&K	47.51	184.08	139.96
36	Ladakh	0.00	0.00	1.38
	Total	6000.00	8572.03	8704.46

MR. CHAIRMAN: Supplementary one, Shri Niranjan Bishi.

SHRI NIRANJAN BISHI: Sir, what action is being taken by the Government to complete the e-KYC exercise of ration card beneficiaries under the National Food Security Act? Also, when will the left-out BPL families be provided with ration cards under the National Food Security Act?

SHRI PRALHAD JOSHI: Sir, e-KYC upto 60 per cent अभी पूरा हुआ है। इसमें कई राज्य, especially दिल्ली ने इसको अभी दो महीने पहले शुरू किया है। इससे पहले दिल्ली का बिल्कुल नहीं था, इसीलिए अभी यह out of 80 crores, 74 crores nearly complete हुआ है। अब इसको दिल्ली भी कर रही है। बाकी राज्य, जिन्होंने इसको अब तक नहीं किया है, उनको भारत सरकार के डिपार्टमेंट की ओर से लगातार reminders भी भेजे जा रहे हैं। 60 crore beneficiaries, that is, 74 per cent अभी complete हुआ है। I correct myself. अभी तक e-KYC process 74 per cent complete हुआ है। सर, जहाँ तक राशन काड्र्स इश्यू करने का सवाल है, तो उसमें स्टेट गवर्नमेंट्स को जिम्मेदारी दी गई है। According to the law and under the federal structure, इस पर स्टेट गवर्नमेंट्स को निर्णय करना है। स्टेट गवर्नमेंट्स को निर्णय करने के लिए अभी 50 per cent in urban areas and 75 per cent in rural areas, यह हमने एक ceiling limit दी है। Within that ceiling limit, State Governments को इसे verify करना चाहिए। इसको verify करके जो लोग ineligible हैं, उनको इसमें से निकालना है और जो लोग अभी eligible हुए हैं, उनको इसमें जोड़ना है। यह काम लगातार करना है, लेकिन स्टेट गवर्नमेंट्स की तरफ से अभी यह नहीं हो रहा है।

MR. CHAIRMAN: Second supplementary, Shri Niranjan Bishi.

श्री निरंजन बिशी : सर, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत बीपीएल फैमिलीज़, राशन कार्ड लाभार्थियों की आर्थिक स्थिति पिछले 12 साल में बदल गई होगी। मैं माननीय मंत्री जी से यह पूछना चाहता हूँ कि क्या मंत्रालय ने ऐसे अयोग्य लाभार्थियों की पहचान की है, जो बहिष्करण

Contents Page

मानदंड में आ सकते हैं? जो actually गरीब हैं, जो Below Poverty Line में हैं, उनको राशन कार्ड देने के लिए मंत्रालय के क्या नियम हैं?

श्री प्रहलाद जोशी : सर, जैसा कि मैंने पहले भी कहा, इसके लिए स्टेट गवर्नमेंट्स मानदंड तय करती हैं। Under the Targetted Public Distribution System, the National Food Security Act provides for 75 per cent coverage for rural population and up to 50 per cent coverage for the urban population, which is on the basis of Census 2011. इसका 81.35 करोड़ और हो जाएगा, लेकिन इसमें अभी तक 80.56 करोड़ हुआ है, यानी इसमें nearly 80 lakhs vacancies ही pending हैं। उसके अलावा अगर अपडेट करते जाते हैं, तो for example - सर, मैं डिटेल में नहीं जाना चाहता हूं - सिंगल मेम्बर अंत्योदय अन्न योजना राशन कार्ड - हमने दिल्ली में बैठकर ई-केवाईसी टेक्नोलॉजी का उपयोग किया है। महोदय, अंत्योदय अन्न योजना में प्रति राशन कार्ड 35 किलोग्राम अनाज मिलता है। एक व्यक्ति है, तो उसको भी 35 किलोग्राम दे रहे हैं। ऐसे 30,63,998 बेनिफिशियरीज़ है और 100 वर्ष की आयु से अधिक के जो बेनिफिशियरीज़ है, उनकी संख्या 5,60,775 है और single member ration cards having beneficiaries below 18 years — 10, 12, 15 वर्ष की उम्र के करीब 2,11,000 बेनिफिशियरीज़ हैं। ऐसे बहुत सारे बेनिफिशियरीज़ हैं। हमने ऐसे बहुत सारे डुप्लीकेट बेनिफिशियरीज़ का डेटा इकट्ठा किया है कि कितने बेनिफिशियरीज़ हैं, कितने लोग मर गए हैं। यह सब डेटा ई-केवाईसी में आया है। हमने एक सॉफ्टवेयर और एआई के द्वारा पूरा डेटा निकाल कर स्टेट गवर्नमेंट के साथ शेयर किया है। मैं स्टेट गवर्नमेंट से निवेदन करता हूं कि करोड़ों लोग ऐसे हैं, क्योंकि मैं यह कहना चाहता हूं कि according to NITI Aayog nearly 25 crore people have come out of the multi-dimensional poverty. अगर कोई नीति आयोग को नहीं मानता है, तो वर्ल्ड बैंक के तहत 13 करोड़ लोग multi-dimensional poverty से बाहर आए हैं। इन सब चीजों को देखते हुए यदि स्टेट गवर्नमेंट एक्टिव होकर काम करती है, तो इनएलिजिबल बेनिफिशियरीज़ को निकाल सकते हैं। सर, मैं आपको यह स्पष्ट करना चाहता हूं कि हम क्राइटेरिया डिसाइड नहीं करते हैं। हमने जो सीलिंग लिमिट दी है, within that, the State Government has to decide the criteria. इसके कारण, हमने जो आंकड़ा उपलब्ध किया है, उसका उपयोग करते हुए ठीक करते हैं, सर्वे करते हैं, तो उस टेक्नोलॉजी का उपयोग करते हुए अपने हिसाब से सही बेनिफिशियरीज़ को ऐड करना और इनएलिजिबल बेनिफिशियरीज़ को डिलीट करना स्टेट गवर्नमेंट का काम है। अभी स्टेट चीफ सेक्रेटरीज़ की कॉन्फ्रेंस हुई थी, तो उसमें मेरे सेक्रेटरी और मेरी पूरी टीम ने उन लोगों को समझाया है कि इसमें कैसे आगे बढ़ सकते हैं। हमने पूरा डेटा दिया है और अगर वे काम करते हैं, तो देश के लिए और गरीब लोगों के लिए बहुत भला होगा।

MR. CHAIRMAN: Supplementary No. 3, Dr. Ashok Kumar Mittal.

डा. अशोक कुमार मित्तल : महोदय हमारे देश की पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम से सप्लाई होने वाला करीब 28 प्रतिशत अनाज बेनिफिशियरीज़ तक पहुंच नहीं पाता। इस लीकेज की वजह से सरकारी खजाने को 69,000 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। यह तकरीबन 20 मिलियन टन गेहूं और चावल है, जिससे देश की काफी आबादी का पेट भर सकता है। यह अध्ययन 2022-23

Contents Page

के बीच हाउसहोल्ड कंज़म्प्शन एक्सपेंडिचर सर्वे और एफसीआई की मासिक offtake रिपोर्ट के आधार पर है। मेरा प्रश्न यह है कि सरकार इस गम्भीर लीकेज और नुकसान को रोकने के लिए क्या ठोस कदम उठा रही है? क्या लीकेज को रोकने के लिए कोई तकनीकी सिस्टम, जैसे कि रियल टाईम ट्रैकिंग या बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन लागू करने पर विचार किया जा रहा है?

MR. CHAIRMAN: Hon. Minister.

श्री प्रहलाद जोशी : सर, हम e-PoS के through यह ऑलरेडी कर रहे हैं। The National Food Security Act provides the coverage up to 75 per cent and 50 per cent in urban areas. मैंने जैसे कहा, still there is a scope for around 79 lakh. ये कुछ भी नहीं करते हैं, तब भी 80 लाख वैकेंसीज़ available हैं। जहां तक लीकेज और गरीब व्यक्ति तक अनाज नहीं पहुंचने का सवाल है, तो मैं बताना चाहता हूं कि भारत सरकार का काम स्टोरेज प्वाइंट तक अनाज पहुंचाना है और बाकी डिस्ट्रीब्यूशन आदि का काम उनका है, क्योंकि भारत सरकार और राज्य सरकार को मिलकर काम करना है। सर, कल ही मीडिया में आया है कि कर्णाटक के हावेरी में बहुत बड़ी मात्रा में राइस चोरी हो रहा है। इसके ऊपर strictly विचार होना चाहिए। यह कल ही हुआ है, तभी मैं इसके बारे में जिक्र कर रहा हूं। ऐसा कई राज्यों में भी हुआ होगा। इसको strictly implement करने का काम और जिसको हमने टारगेट किया है, उनको पहुंचाने का काम स्टेट गवर्नमेंट का है।

MR. CHAIRMAN: Supplementary No. 4; Shri Jairam Ramesh.

SHRI JAIRAM RAMESH: Hon. Chairman, Sir, in part (b) of para 4 of the answer of the hon. Minister, he says, "Under the National Food Security Act, 2013, free-of-cost food grains are distributed to beneficiaries". Sir, I hope the hon. Minister does not get pulled up or removed from his assignment because of this admission that he has made, for the first time in 11 years, that the Government has acknowledged that under the National Food Security Act, 2013, free-of-cost food grains are distributed to beneficiaries.

MR. CHAIRMAN: You should appreciate the Minister for saying so.

SHRI JAIRAM RAMESH: Sir, this is an appreciation of the answer. He has acknowledged that there was an India before 2014 also.

MR. CHAIRMAN: Jairam*ji*, there was an India also before 1947. We have a long history.

SHRI JAIRAM RAMESH: Yes, Sir. That should be addressed to the Treasury

Benches, not to us. We recognize it. Sir, if you go by the answer of the hon. Minister, the difference between intended beneficiaries and identified beneficiaries is eight million. That means eight million Indians today, who are entitled under the National Food Security Act for free food grains, are not getting free rations, by the Minister's own admission. So, my first question is this: How will this gap between intended beneficiaries and identified beneficiaries be filled up? Second, last week, the Chairperson of the Congress Parliamentary Party had pointed out in her Zero Hour intervention that the 2011 Census has not been updated. There has not been a 2021 Census. As a result of that, almost 14 crore Indians, who are eligible under the National Food Security Act, are not getting the benefit. My question to the hon. Minister is when the 2021 Census will be conducted so that the National Food Security Act is updated in terms of free distribution of food grains.

श्री प्रहलाद जोशी : महोदय, मैं जयराम रमेश जी के क्वेश्चन के बारे में जिक्र करूं, तो वे * करने में बहुत माहिर हैं। उनकी इस क्षमता को हमें appreciate करना चाहिए। सर, मैंने रिप्लाई में जो ...(**व्यवधान**)...

MR. CHAIRMAN: The word * is deleted. ...*(Interruptions)*...

श्री जयराम रमेश : सर, उनका जवाब ...(व्यवधान)...

श्री प्रहलाद जोशी : जयराम जी, मैं बता रहा हूं। ...(व्यवधान)...

MR. CHAIRMAN: Hon. Minister, the word * is deleted. It is personal between the two of you. You may settle it outside.

श्री प्रहलाद जोशी : सर, वे सत्य से दूर की बात कहकर गुमराह कर रहे हैं। ऐसा बोल सकते हैं।

सभापति : आप और भी थोड़ा लाइट वर्ड यूज़ कर सकते हैं।

SHRI PRALHAD JOSHI: Sir, he is *.

MR. CHAIRMAN: No, no; 'गुमराह' is fine, not '*'.

श्री प्रहलाद जोशी : सर, मैंने इससे पहले भी कहा है ...(**व्यवधान**)...

* Not recorded.

श्री सभापति : आप यह कह सकते हैं कि कभी-कभी तथ्यों से भटक जाते हैं।

श्री प्रहलाद जोशी : महोदय, आप सही कह रहे हैं। सर, मैं जयराम जी को और यूपीए के लोग बैठे हुए हैं, उनसे कहना चाहता हूं कि ...(**व्यवधान**)... अभी इंडि हो गए। इंडिया नहीं है। ...(**व्यवधान**)... अभी पॉलिटिक्स में मत पड़िए। आप ही लोगों ने कहा है कि हम लोग कांग्रेस का नेतृत्व नहीं मानेंगे। आप लोगों ने ही कहा है। हम यह नहीं बोलना चाहते हैं। हम लोग तो पॉलिटिक्स में ...(**व्यवधान**)... जॉन ब्रिटास जी, आप तो बात मत कीजिए। मैं कल ही केरल से आया हूं। वहां पर आप लोग कांग्रेस से कितना लड़ रहे हैं, उसके बारे में मैं जानता हूं।

MR. CHAIRMAN: Hon. Minister, your response to his question.

SHRI PRALHAD JOSHI: Sorry, Sir; I would continue.

श्री सभापति : माननीय मंत्री जी, माननीय सदस्य ने प्वाइंटिड तरीके से आपके पैरा 4(बी) का ध्यान देते हुए यह कहा है कि there is a gap between the two categories, 'intended' and 'actual'. यह तो पहला है - is there a gap? Second, how would this gap be bridged? ...(*Interruptions*)... वह सेकंड है। ... I am on first part.

श्री प्रहलाद जोशी : सर, मैं यह कहना चाह रहा हूं कि एक तो उन्होंने 2014 से पहले की बात कही है, लेकिन अगर इस एक्ट के बारे में - because he is referring to the 2013 Act, मैं यह कहना चाहता हूं कि 2014 के मार्च-अप्रैल में चुनाव था, उसके ठीक एक महीने पहले ये लोग करके चले गए। ...(**व्यवधान**)... सर, बाद में जिस भी राज्य में इसका इम्प्लिमेंटेशन हुआ है, वह भी एक्ट में फ्री नहीं किया गया है। महोदय, एश्योर्ड फूड सेफ्टी यह है! ...(**व्यवधान**)... जो NFS Act में है, उसका implementation नरेन्द्र मोदी जी की सरकार में हुआ है और हम 81 करोड़ लोगों को फ्री में बांट रहे हैं। सर, इन लोगों ने रूल भी नहीं बनाया था। They had not even framed the rules. The rules were framed by us and all the States were brought in this National Food Security Act after Shri Narendra Modi took over. Let them understand this fact. ...(*Interruptions*)... This is number one. Number two, इन्होंने gap के बारे में जो intended की बात कही है, उस पर उन्होंने जो कहा है, उसके लिए मैं इन्हें बताना चाहता हूं कि भारत सरकार ने एक सीलिंग लिमिट दी है। उस सीलिंग लिमिट के अनुसार स्टेट गवर्नमेंट अपने क्राइटेरिया डिसाइड करके एडिशन और डिलिशन कर सकती है। मैंने इसीलिए इसके बारे में यह कहा था कि Census की बात मेरे डिपार्टमेंट के अंडर नहीं आती है, लेकिन मैं यह भी कहना चाहता हूं ...(**व्यवधान**)...

MR. CHAIRMAN: That is fair enough.

श्री प्रहलाद जोशी : जैसा कि मैंने कहा है कि अगर सभी स्टेट गवर्नमेंट्स in single-member AAY card, there are nearly about 31 lakh beneficiaries. Beneficiaries above 100 years

Contents Page

age are 5,60,000. And, single-member RCs having below 18 years age are 2,11,000. Duplicate beneficiaries are around 31,00,000. Silent ration cards are 2.20 crore. ऐसी जो बहुत सारी चीज़ें हैं, हमने जो डेटा शेयर किया है, वह रिप्लेस करके राइट बेनिफिशयरी को लाभ देने का काम स्टेट गवर्नमेंट का है और हम स्टेट गवर्नमेंट को बार-बार याद भी दिला रहे हैं। जयराम रमेश जी कर्णाटक से आते हैं, लेकिन यह चीज़ उधर भी नहीं है, इसलिए कृपया इन्फ्लुएंस करके इसको करवाएं। महोदय, यहाँ खरगे जी भी बैठे हैं, अगर इसको ठीक करा देते हैं, तो कम से कम एक राज्य को बेनिफिट जरूर होगा। ...(**व्यवधान**)...

श्री जयराम रमेश : आप खुद कहाँ से आते हैं? ...(**व्यवधान**)...आप 2011 के Census का जवाब दीजिए। ...(**व्यवधान**)...

श्री सभापति : जयराम जी, आपके नाम में भी राम है। इन्होंने यह जवाब दिया है कि Census का विषय मेरे मंत्रालय से जुड़ा हुआ नहीं है। यह नंबर एक बात है। ...(**व्यवधान**)...

श्री जयराम रमेश : सर, उनकी जिम्मेदारी है, वे सरकार की ओर से जवाब दे रहे हैं।

MR. CHAIRMAN: I know. But when there is a question in the House, we expect a Minister to be thorough with his own Department. That is number one. Number two, hon. Members, if there is dissatisfaction, and which is quite often, that the Minister has not responded adequately, there is a mechanism. I would appreciate Members to take recourse to that mechanism. ...(*Interruptions*)... Pramodji, you will find the Chair to be proactive once you take recourse to a mechanism that a question needs to be supplemented or it is inadequate. Right now, the hon. Minister has said कि आपने इन्हें जो होमवर्क दिया, उस होमवर्क को इन्होंने काफी लगनशीलता से किया है और यही आपके सवाल का जवाब है।

Now, supplementary No.5 - Shri R. Girirajan. ...(*Interruptions*)... Hon. Members, I had indicated to the House that I will be open to such discussions. So far, nothing is on my table. Once there will be something on my table, in accordance with the rules, I will discuss the same with the Leader of the House and the Leader of the Opposition. But, as of now, there is nothing on my table with respect to any discussion. There is nothing on my table. ...(*Interruptions*)...

SHRI R. GIRIRAJAN: Thank you, Mr. Chairman, Sir, for giving me the opportunity...

MR. CHAIRMAN: Hon. Leader of the Opposition.

श्री मल्लिकार्जुन खरगे : सर, मुझे तो यह चिंता हो गई कि 2021 का सेंसस पब्लिश नहीं होने की वजह से करोड़ों गरीब, दलित, पिछड़े, एसटीज़ को अनाज नहीं मिल रहा है और आप कह रहे हैं

कि यह स्टेट का काम है, उनको करना चाहिए और यह मेरा पोर्टफोलियो नहीं है। आप एक-दूसरे को बोल रहे हैं। वे कह रहे हैं कि तुम कर्नाटक के हो, वहां करवाना चाहिए। वे भी कर्नाटक से हैं। उनको भी करवाना चाहिए।

श्री सभापति : आप भी कर्नाटक के हैं।

श्री मल्लिकार्जुन खरगे : मैंने इसीलिए बात नहीं की कि आप चेयर पर बैठे हैं और मैं आपको ज्यादा बोलकर उचकाना नहीं चाहता हूं कि आप उनसे कुछ कहें। इसीलिए मैं यह चाहता हूं...(**व्यवधान**)... साहब, मैं जोशी साहब को पूछता हूं, वे भी कर्नाटक से हैं, उसके बावजूद भी वे इंटरेस्ट क्यों नहीं लेते हैं और वहां रिव्यू क्यों नहीं करते हैं? Being a Central Minister, उनको रिव्यू करना चाहिए और वे वहीं के एमपी भी हैं। आप यह सब दूसरों के ऊपर डालने की कोशिश मत कीजिए। तुम दोनों एक ही हो, बाद में मिलते हैं और डिस्कस करते हैं, लेकिन हम परेशान हैं।
MR. CHAIRMAN: The Minister will get a right of reply, क्योंकि मामला...

श्री प्रहलाद जोशी : सर, मैंने कहा है कि जयराम जी और खरगे जी की सरकार है, इसलिए आप कर्नाटक में कर दो। सिर्फ जयराम जी और मैं नहीं, बल्कि खरगे जी और हम भी बाहर एक ही हैं। सर, दूसरी बात क्या है...

श्री सभापति : मतलब यहां पर नाटक है। आप बाहर एक हैं।

श्री प्रहलाद जोशी : सर, बाहर तो दोस्ती रहती है।

श्री सभापति : यहां भी दोस्ती कर लो।

श्री प्रहलाद जोशी : यहां हम मंत्री के नाते अपनी जिम्मेदारी निभाते हैं। उन्होंने जो कहा है, मैं उसका रिप्लाई दे रहा हूं। इससे पहले मैंने सप्लिमेंटरी में भी रिप्लाई दिया है। ये लोग ठीक तरह से सुनकर समस्या के बारे में बात नहीं करते हैं। मैंने पहले भी कहा कि 24.82 crore peple escaped the multi-dimensional poverty in the last nine years of Modi Government. यह नीति आयोग की रिपोर्ट है। इससे पहले 25 करोड़ लोग multi-dimensional poverty - ये लोग गरीबी की रेखा से ऊपर आए हैं। यह रिपोर्ट है। ...(**व्यवधान**)... मोदी जी की सरकार में गरीब कल्याण की, वेलफेयर की बहुत स्कीम्स हैं। इसकी वजह से 25 करोड़ लोग गरीबी की रेखा से बाहर आए हैं। अगर इन 25 करोड़ लोगों के हिसाब के बात करूं, तो यह जो 81 करोड़ का टारगेट है, वह उससे कम ही आता है।

श्री सभापति : मंत्री जी, मैंने तो आपको अवसर दिया था with respect to political punching. आपका जवाब आ गया है और आपकी बात से संतुष्ट हैं।

श्री प्रहलाद जोशी : सर, मैं एक सेकंड और बोलना चाहता हूं। Sir, overall, about 7.5 crore

people can be replaced and new people can be added according to our eKYC. वह काम स्टेट को करना है। कर्नाटक के चीफ सेक्रेटरी और कर्नाटक के मंत्री से हमारी इसके बारे में बात हुई है। यह मैं खरगे जी को बताना चाहता हूं।

MR. CHAIRMAN: Fifth supplementary. Shri R. Girirajan.

SHRI R. GIRIRAJAN: Mr. Chairman, Sir, through you, I would like to know from the hon. Minister whether the Government of India is procuring nutritious millets for supplying it to the poor people under the National Food Security Scheme. If so, kindly provide the year-wise and State-wise data with regard to the amount sanctioned, disbursed and spent for the procurement of nutritious millets in the last three years.

श्री प्रहलाद जोशी : सर, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना में हम देश में हरेक व्यक्ति को 5 किलो अनाज देते हैं। अंत्योदय अन्न योजना में हम 35 किलो अनाज देते हैं। उसमें 5 किलो अनाज के अलावा अगर कोई राज्य millet procure करना चाहता है, तो भारत सरकार और हमारा डिपार्टमेंट उसको allow करता है। अगर वे रागी खरीदते हैं, बाजरा खरीदते हैं और अगर उसमें कुछ थोड़ा ज्यादा भी खर्च होता है, तो भारत सरकार उसको bear करती है। सर, अगर हम 5 किलो चावल दे रहे हैं, तो उसमें हम 4 किलो चावल देंगे और एक किलो बाजरा देंगे, एक किलो रागी देंगे। इसके लिए they have to procure from their State. Otherwise, if they submit to us, wherever यह available है, उससे हम procure करने की कोशिश करते हैं, लेकिन यह 5 किलो अनाज assured है।

MR. CHAIRMAN: Question No. 257. Shri Aditya Prasad.

Solar Park Scheme

*257. SHRI. ADITYA PRASAD: Will the Minister of NEW AND RENEWABLE ENERGY be pleased to state:

(a) whether Government's Solar Park Scheme has been successful in setting up large-scale solar power projects in the country;

(b) if so, the number of Solar Parks set up, so far, and their total installed capacity along with the quantum of solar power generated from them; and

(c) the States which have been benefitted the most from the Solar Park Scheme, so far, and the progress made under this scheme in Jharkhand?

THE MINISTER OF NEW AND RENEWABLE ENERGY (SHRI PRALHAD

JOSHI): (a) to (c) A Statement is laid on the Table of the House.

Statement

(a) The scheme for "Development of Solar Parks and Ultra Mega Solar Power Projects" has been successful in setting up large-scale solar projects in the country.

(b) As on 28.02.2025, solar park infrastructure has been fully developed in 18 solar parks and partially developed in 6 solar parks. Solar projects of aggregate capacity 12,396 MW have been set up in these 24 solar parks. As per inputs received from various Solar Power Park Developers, around 22 billion units of solar energy was generated from the solar parks during FY 2023-24.

(c) As on 28-02-2025, 55 solar parks have been sanctioned in 13 States. The state-wise details of solar parks sanctioned in the country under the scheme, including Jharkhand, are given at **Annexure**.

Annexure

Details of Solar Parks and solar projects installed (as on 28.02.2025)

Sl. No.	State	Name of Park	Capacity sanctioned (MW)	Projects installed (MW)
1.	Andhra Pradesh	Ananthapuramu Solar Park	1400	1400
2.		Kurnool Solar Park	1000	1000
3.		Kadapa Solar Park	1000	387
4.		Ananthapuramu-II Solar Park	500	400
5.		Ramagiri Solar Park, Ananthapuramu district	300	0
6.	Chhattisgarh	Rajnandgaon Solar Park	100	100
7.	Gujarat	Radhnesada Solar Park, Banaskantha district	700	700
8.		Dholera Solar Park, Ahmedabad district	1000	300
9.		NTPC RE Park, Kutch district	4750	0
10.		GSECL RE Park, Kutch district	3325	0
11.		GIPCL RE Park Ph-I, Kutch district	600	0
12.		GIPCL RE Park Ph-II, Kutch district	1200	0
13.		GIPCL RE Park Ph-III, Kutch district	575	0
14.	Himachal Pradesh	Pekhubela Solar Park, Una district	53	0
15.	Jharkhand	SECI Floating Solar Park, Getalsud dam, Ranchi district	100	0
16.		DVC Floating Solar Park Ph-II,	234	0

Contents Page

		Maithon dam, Dhanbad		
17.		DVC Floating Solar Park Ph-I, Tilaiya Dam (Jharkhand) & Panchet Dam (in Jharkhand & partly in West Bengal)	755	0
18.	Karnataka	Pavagada Solar Park, Tumkur	2000	2000
19.		Bidar Solar Park	500	0
20.	Kerala	Kasargod Solar Park	105	105
21.		Floating Solar Park, Kollam	50	0
22.		Kasargod Solar Park Ph-II	100	0
23.	Madhya Pradesh	Rewa Solar Park	750	750
24.		Mandsaur Solar Park	250	250
25.		Neemuch Solar Park	500	330
26.		Agar Solar Park	550	550
27.		Shajapur Solar Park	450	155
28.		Omkareswar Floating Solar Park, Khandwa	600	278
29.		Barethi Solar Park, Chhatarpur	630	0
30.		Morena Solar Park	600	0
31.	Maharashtra	Sai Guru Solar Park, Dhule	500	0
32.		Dondaicha Solar Park, Dhule	250	0
33.		Patoda Solar Park, Beed	250	0
34.		Erai Floating Solar Park, Chandrapur	105	0
35.	Mizoram	Vankal Solar Park, Champai	20	20
36.	Odisha	Solar Park by NHPC, Ganjam	40	0
37.	Rajasthan	Bhadla-II Solar Park, Jodhpur	680	680
38.		Bhadla-III Solar Park, Jodhpur	1000	1000
39.		Bhadla-IV Solar Park, Jodhpur	500	500
40.		Phalodi-Pokaran Solar Park,	750	450
41.		Fatehgarh Phase-1B Solar Park, Jaisalmer	421	421
42.		Nokh Solar Park, Jaisalmer	925	190
43.		Pugal Solar Park Ph-I, Bikaner	1000	0
44.		Pugal Solar Park Ph-II, Bikaner	1000	0
45.		RVUN Solar Park, Bikaner	2000	0
46.		Bodana Solar Park, Jaisalmer	2000	0
47.	Uttar Pradesh	Solar Park in UP (Jalaun, Allahabad, Mirzapur & Kanpur Dehat)	365	365
48.		Jalaun Solar Park	1200	0
49.		Mirzapur Solar Park	100	0

Contents Page

50.		Kalpi Solar Park, Jalaun	65	65
51.		Lalitpur Solar Park	600	0
52.		Jhansi Solar Park	600	0
53.		Chitrakoot Solar Park	800	0
54.		Kanpur Dehat Park	75	0
55.		Kanpur Nagar Park	35	0
Total			39958	12396

श्री आदित्य प्रसाद : आदरणीय सभापति महोदय, the SECI Floating Solar Park, Getalsud Dam, Ranchi; the DVC Floating Solar Park Ph-II, Maithon Dam, Dhanbad; DVC Floating Solar Park Ph-I, Tilaiya Dam, Jharkhand; and Panchet Dam, Jharkhand, इन स्वीकृत सौर पार्कों के लिए मैं माननीय मंत्री जी को बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूँ। माननीय मंत्री जी से मेरा यह प्रश्न है कि क्या सरकार इन परियोजनाओं के संचालन और रखरखाव के लिए स्थानीय युवाओं को प्रशिक्षित करने के लिए किसी योजना पर विचार कर रही है?

श्री सभापति : माननीय मंत्री जी।

श्री प्रहलाद जोशी : सर, हम Solar Park sanction करते हैं। यह प्रश्न Solar Park के संबंध में है। हमने कई राज्यों को Solar Parks allot किए हैं। इसमें subsidy भी है। This subsidy, CFA is up to Rs. 25 lakh per solar park for the Detailed Project Report. इसमें हम DPR के लिए 25 लाख रुपए देते हैं। यह up to Rs. 20 lakh per megawatt or 30 per cent of the cost है। इसमें हम actual solar park installation के लिए per megawatt subsidy देते हैं। इसमें झारखंड में हमें जो कुछ भी करना है, हमने झारखंड सरकार को बार-बार याद दिलाया है। हमने झारखंड के लिए जो Solar Parks दिए हैं, मैं दुर्भाग्यपूर्ण रूप से बता रहा हूँ कि झारखंड में एक भी Solar Park का implementation नहीं हो रहा है।

MR. CHAIRMAN: Second Supplementary, Shri Aditya Prasad.

श्री आदित्य प्रसाद : सर, माननीय मंत्री जी से मेरा यह प्रश्न है कि क्या सरकार ऐसे किसी कदम पर विचार कर रही है, जिससे किसानों को अपनी अनुपयोगी या बंजर भूमि को सौर पार्कों के लिए किराए पर देने हेतु अधिक प्रोत्साहन मिल सके?

श्री सभापति : माननीय मंत्री जी। यह एक महत्वपूर्ण प्रश्न है।

श्री प्रहलाद जोशी : सर, यह Solar Park का विषय है। Solar Park 100 megawatt का होता है। 500 megawatt Solar Park requires about 2,000 to 2,500 acres. हम 500 megawatt के लिए sanction देते हैं। इसलिए हम बंजर भूमि पर Solar Park नहीं दे सकते हैं, लेकिन feeder level solarisation के लिए PM-KUSUM एक बहुत ही उपयोगी कार्यक्रम है, उपयोगी योजना है।

उससे बहुत ही benefit मिलता है। उससे हमारे किसानों को एक तो दिन में बिजली available होती है, वह affordable बिजली होती है। इसलिए PM-KUSUM के द्वारा यह काम किया जा सकता है। उसमें PM-KUSUM A है, PM-KUSUM B है। Component A PM-KUSUM में 10,000 megawatt sanction हुआ है। इस PM-KUSUM योजना में जो किसान अपनी land में इसे establish करते हैं और DISCOMs उनसे electricity खरीदती हैं, तो हम per unit 40 paise subsidy भी देते हैं। हमने राज्य सरकारों को यह suggest किया है कि जो unusable land है, जो uncultivable land है, उसमें वे इसका उपयोग कर सकती हैं।

SHRI PRAFUL PATEL: Sir, what we have in abundance in our country and the nature has provided us is abundant sunlight.

MR. CHAIRMAN: What did you say?

SHRI PRAFUL PATEL: The nature has given us sunlight in abundance. That is something which we need to harness. I must compliment Prime Minister Modi for a renewed focus and with a lot of emphasis that this sunlight should be harnessed to produce solar power. Sir, your State and Gujarat are probably the two States which are more blessed in terms of availability of land. Because of desert areas, there is a lot of availability of land. Both Gujarat and Rajasthan have taken advantage of the availability of land and put it to good use and are producing a lot of solar power. States like Maharashtra and others are not able to make full use of this source of energy due to paucity of land. In Maharashtra, land is very expensive if you try to acquire private land. Government land, आपने अभी बंजर भूमि भी कहा, we are not supporting that. ...*(Interruptions)*... You are supporting that! It is good. इसका फायदा लेकर, can't we encourage other States to take advantage of this policy of yours to use idle revenue land and put it to good use so that solar energy which can be produced across the length and breadth of the country does not remain limited to a few States but gets equitably harnessed all across the country in all the major States?

SHRI PRALHAD JOSHI: Sir, the suggestion is well taken. जहाँ तक महाराष्ट्र का सवाल है, अभी महाराष्ट्र की सरकार पीएम कुसुम नाम की एक बहुत बड़ी innovative scheme में subsidy दे रही है। सरकार किसानों से लैंड लेकर, उसका किराया किसानों को देकर, इसको establish कर रही है। महाराष्ट्र सरकार feeder-level solarization की एक बहुत बढ़िया स्कीम लाई है। I think other States like Maharashtra can also follow that model. अगर overall बताएं, तो देश में 55 solar parks हैं, महाराष्ट्र में भी 4 solar parks हैं, जो काम भी कर रहे हैं। उसके साथ मैं यह कहना चाहता हूँ कि 2014 में we were having 2.83 GW of solar power. In ten years, we have crossed very recently 103 GW in solar power. It is happening not just in two States. In many States यह हो रहा है। मेरा तो इतना ही निवेदन है कि जो भी

स्कीम्स हैं, उनके बारे में मैं अभी आपको यह भी बताना चाहता हूँ कि एक तो हमारे पास conventional energy के साथ we have committed that by 2030, out of the total requirement of energy, 50 per cent will be met through renewable energy. 2032 तक overall requirement of power भी double होने जा रही है, इसलिए हमें इसमें conventional energy plus renewable energy को मिलाकर आगे बढ़ना है। इसके कारण आज के दिन हमारा टोटल 103 GW है। Now 125 GW is under implementation and 69.61 GW is under tendering stage. हमारा overall total target 297.38 GW है, इसे 2030 तक लगभग 300 GW करना है, उसमें हम ठीक तरह से आगे बढ़ रहे हैं। हमने राज्यों में solar parks भी allow किया है, पीएम कुसुम में भी दिया है और पीएम सूर्य घर में भी दिया है। कुछ राज्य इसे नहीं कर रहे हैं। पीएम सूर्य घर तो इतनी बढ़िया योजना है कि अगर sustainable, free-of-cost electricity किसी एक योजना में दे सकते हैं, तो वह पीएम सूर्य घर योजना में दे सकते हैं। उसके अलावा किसी में सिर्फ free electricity नहीं है, he can earn, he can deposit Rs.15,00,000 after 25 years. क्योंकि हमारे जो modules हैं, उनकी life minimum 25 years है। For 25 years, he will get minimum 300 units per month free and अगर कोई पूरा 300 यूनिट्स का उपयोग नहीं करता है, तो जो extra बचता है, उसको वह DISCOM में बेच सकता है। इसके लिए हमने Renewable Purchase Obligation एक नियम रखा है। अब यह लागू होना शुरू होगा। अगर कोई DISCOM उस एनर्जी को यूज़ नहीं करेगा, तो उसके ऊपर penalty लगेगी। इसलिए राज्यों को DISCOM का उपयोग करके, हम जो 50 परसेंट renewable energy बना रहे हैं, overall energy की जो need बढ़ रही है, उसके अनुसार राज्य को काम करना चाहिए। इसके लिए हम राज्यों के साथ लगातार मीटिंग कर रहे हैं और इसमें हमारी बहुत ही बढ़िया प्रोग्रेस है।

MR. CHAIRMAN: Supplementary no.4; Dr. K. Laxman.

DR. K. LAXMAN: Mr. Chairman, Sir, at the outset, I would like to congratulate the Government, led by Modiji, and the Minister concerned for setting up large scale solar projects in the country. In the answer, I have seen that 22 billion units of solar energy were generated in 13 States. Unfortunately, the State to which I belong does not seem to be there in those States. Given Telangana's potential for over 20 gigawatt solar energy generation, why has the State not prioritized it under Central schemes like Solar Park Scheme? What steps are being taken to address regulatory and financial barriers to accelerate large scale solar plant in Telangana?

श्री प्रहलाद जोशी : सर, यह प्रश्न particularly Jharkhand का है, लेकिन माननीय सदस्य ने तेलंगाना के बारे में पूछा है। तेलंगाना में भी सोलर पार्क allotted है। उसका implementation करना, उसके लिए land available करना राज्य सरकार का काम है। जैसा कि मैंने शुरू में कहा कि for 500 megawatt Solar Park, 2000 acre to 2500 acre of land is required. जमीन देने का काम तो राज्य सरकार को करना है। राज्य सरकार ने पहले भी नहीं किया है और आज की राज्य सरकार भी नहीं कर रही है। अभी Chief Minister met me. मैंने उनको भी कहा कि जो

Contents Page

barren land है, वह दे दीजिए, जिस revenue land का आप उपयोग नहीं कर रहे हैं, वह दे दीजिए। आप elevated solar energy plant भी लगा सकते हैं। In Telangana, a Solar Park was allotted but was cancelled due to non-availability of land. हमने दिया था। इसमें सब्सिडी भी है। अगर राज्य सरकार नहीं करती है, तो हम उसको withdraw करते हैं। जहाँ पर राज्य सरकार इसको करती है, हम वहाँ सब्सिडी देते हैं। ये जो तीन-चार स्कीम्स हैं - 'पीएम-कुसुम' हो, 'पीएस सूर्य घर' हो, 'सोलर पार्क' हो - अगर एक राज्य नहीं करता है, तो जो राज्य करता है, वहाँ तो हम इसको करवाते हैं, क्योंकि we need energy. Not only have we committed to the world, as pledged by the hon. Prime Minister, but otherwise also, since we have become the fifth largest economy of the world and we are going to become the third largest economy of the world, investment is coming; FDI is flowing. सर, इसके लिए पावर चाहिए। ...(**व्यवधान**)... पावर की जो requirement है ...(**व्यवधान**)...

MR. CHAIRMAN: Energy-power!

SHRI PRALHAD JOSHI: Not political power! हमारे पास political power और 25 साल रहेगी। इसके लिए हमें कोई चिंता नहीं है। Power generation के लिए हर राज्य को कोशिश करनी होगी। अगर ऐसा नहीं होगा, तो जहाँ energy नहीं है, वहाँ इन्वेस्टमेंट नहीं होगा। अभी मैंने झारखंड का जिक्र किया और अभी तेलंगाना के माननीय सदस्य ने जिक्र किया। हमें वहाँ पर allotted Solar Park को कैंसिल करना पड़ा। Every State Government has to think over it that energy generation is a basic responsibility. हम तो मदद कर सकते हैं। हम पीएम मोदी जी के नेतृत्व में renewable energy और overall energy में काफी प्रोग्रेस कर रहे हैं। सर, मैं आपके माध्यम से सदन और देश को बताना चाहता हूँ कि when we took power, the overall generation was 269 gigawatt from both renewable and conventional energy sources. Today, in just ten years, हम 469 gigawatt generate कर रहे हैं। It is a little less than double. इससे देश की प्रगति हो रही है और इसमें सबको सहयोग देना है। Recently, Telangana Chief Minister मुझसे मिले थे। उनको मैंने पूरी तरह से आश्वस्त किया कि अगर आप achieve करते हैं, तो हम support देंगे।

श्री सभापति : मंत्री जी, तेलंगाना और झारखंड तो ठीक है, लेकिन आप राजस्थान पर भी नजर रखिए। Supplementary number five, Shri Mayankbhai Jaydevbhai Nayak. ...*(Interruptions)*...

SHRI PRALHAD JOSHI: As far as renewable energy is concerned, they are doing very well.

श्री सभापति : मुझे कहना था, मैंने कह दिया। तेलंगाना और झारखंड पर नजर रखना ठीक है, लेकिन आप राजस्थान पर भी नजर रखिए, क्योंकि प्रफुल्ल पटेल जी ने कहा कि गुजरात और राजस्थान जमीन के मामले में सौभाग्यशाली हैं, तो आप उधर भी नजर रखिए। Supplementary number five, Shri Mayankbhai Jaydevbhai Nayak.

श्री मयंक भाई जयदेव भाई नायक : सर, माननीय प्रधान मंत्री, मोदी जी के नेतृत्व में इस क्षेत्र में बहुत बड़ा काम हो रहा है। ...(**व्यवधान**)...

SHRI RAJEEV SHUKLA: Sir, point of order.

MR. CHAIRMAN: One minute. Do you have a point of order, Shri Rajeev Shukla? Under which rule?

SHRI RAJEEV SHUKLA: Sir, it is about general procedure of the Question Hour.

MR. CHAIRMAN: Under which rule?

SHRI RAJEEV SHUKLA: But you can listen because you are reformer, parliamentary reformer...

MR. CHAIRMAN: One minute. ...*(Interruptions)*...

SHRI RAJEEV SHUKLA: In forty minutes, not even two questions have been finished. ...*(Interruptions)*... We prepare the questions. Long supplementaries, then unending replies become a problem.

MR. CHAIRMAN: Hon. Members. ...*(Interruptions)*... Rajeev*ji*...

SHRI RAJEEV SHUKLA: Why should we prepare, why the bureaucrats should prepare the questions?

MR. CHAIRMAN: Rajeev*ji*, once we have a thorough discussion on a question, bureaucracy is very alert. I would tell you why. They do not know which question would come -- to begin with – unless it is listed but if there is threadbare micro level analysis here, then the bureaucracy -- mind you, we are proud of our bureaucracy -- they deliver but we have to keep everyone alert. We have to be alert. They have to be alert. Therefore, on these issues, if you examine the questions that are being taken, these are connected with the entire country as such and the entire population. Even there was reflection of the Leader of the Opposition. Yes, Supplementary number five. ...*(Interruptions)*... Point well-taken!

श्री मयंक भाई जयदेव भाई नायक : सर, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि यह साल पूरे देश में सहकारिता वर्ष के रूप में मनाया जा रहा है। ऐसी जो सहकारी संस्थाएं, जैसे- दूध की डेयरी, सहकारी मंडली, कोऑपरेटिव बैंक हैं, क्या सरकार, उनमें solar panel लगाने के लिए कोई विशेष योजना बना रही है, क्योंकि दूध की डेयरी और सहकारी मंडली

में बिजली की जो बचत होती है, उससे गाँव और गरीब किसान मजबूत होता है। यह जो सहकारिता वर्ष मनाया जा रहा है, क्या इसमें सरकार उन संस्थाओं को इस योजना का कोई लाभ दे रही है, यह मैं जानना चाहता हूँ।

श्री प्रहलाद जोशी : सर, सरकारी बिल्डिंग के ऊपर rooftop solar लगाने के लिए राज्यों के संबंधित विभाग को हम लगातार reminders भेजते रहे हैं। बाकी, इसकी schemes में से एक पीएम कुसुम है, पीएम सूर्य घर है, PM Solar Park है। माननीय सदस्य जो godown की बात कर रहे हैं, तो वह अभी इस योजना में शामिल नहीं है। सर, मैं उत्तर बहुत संक्षेप में इसीलिए दे रहा हूँ, क्योंकि आपका comment भी मेरे ध्यान में है।

श्री सभापति : आप तो यह बताइए कि शामिल नहीं है, पर इस पर विचार कर रहे हैं।

श्री प्रहलाद जोशी : जी, सर।

श्री सभापति : विचार कर रहे हैं।

DR. V. SIVADASAN: Sir, the solar energy issue is very crucial but you have given the questions to only those who are supporting the Treasury Benches. That is very painful.

MR. CHAIRMAN: I take your point in the right spirit but when I call a Member, I see, if he has ever got an opportunity! This is number one. And can he put the Minister in tight spot! That is why, Shri Jairam Ramesh was given opportunity, Shri R. Girirajan was given an opportunity, all of them. The purpose is, we get the best out of the Government. ...*(Interruptions)*... I tried to spread out but with limitations.

MR. CHAIRMAN: Now, Q. No. 258.

Vacancies in AIIMS, Mangalagiri

*258. SHRI YERRAM VENKATA SUBBA REDDY: Will the Minister of HEALTH AND FAMILY WELFARE be pleased to state:

(a) whether there are 107 teaching and 450 non-teaching post lying vacant in AIIMS, Mangalagiri out of the sanctioned 259 teaching and 1469 non-teaching posts, respectively;

(b) whether a vacancy of 41 per cent, in AIIMS, Mangalagiri is the highest amongst all AIIMS;

(c) whether the Ministry considers conducting a special drive to fill in the above vacancies; and

(d) if not, the reasons therefor?

THE MINISTER OF HEALTH AND FAMILY WELFARE (SHRI JAGAT PRAKASH NADDA): (a) to (d) A Statement is laid on the Table of the House.

Statement

(a) to (d) Creation of posts and recruitment is a continuous and dynamic process. In All India Institute of Medical Sciences (AIIMS) Mangalagiri set up under the Pradhan Mantri Swasthya Suraksha Yojana (PMSSY) out of 1728 (faculty and non-faculty) posts sanctioned, 1290 (74.65%) posts are filled and 438 (25.35 %) posts are vacant. Status is placed at **Annexure.**

Filling up of vacant faculty/ non-faculty positions is contingent on various factors including availability of eligible, qualified doctors/health professionals, reservation roster, location of the Institute etc. In order to expeditiously fill vacant sanctioned positions in the newly set up AIIMS under PMSSY, following special measures have been taken by the Ministry of Health and Family Welfare:

(i) Standing Selection Committee has been constituted in each AIIMS as per the provision of the AIIMS Act to facilitate expeditious filling up of vacant faculty positions.

(ii) Conduct of Institute of National Importance Combined Entrance Test (INI-CET) and Institute of National Importance Super Speciality (INI-SS) exam twice a year to select Junior Residents (Academic) and Senior Residents (Academic).

(iii) Conduct of Centralized Nursing Officer Recruitment Common Eligibility Test (NORCET) by AIIMS Delhi for recruitment of Nursing Officers twice a year.

(iv) Conduct of Common Recruitment Examination (CRE) by AIIMS Delhi for recruitment of Group B and C non-faculty.

<u>The Status of Faculty and Non-Faculty Positions in AIIMS Manglagiri</u>

Particulars	**Sanctioned**	**Filled**	%	**Vacant**	%
Faculty	259	152	58.69	107	41.31
Non Faculty	1469	1138	77.47	331	22.53
Total	1728	1290	74.65	438	25.35

Contents Page

SHRI YERRAM VENKATA SUBBA REDDY: Sir, hon. Minister, in his reply, has submitted that out of total sanctioned posts of 1,728, only 1,298 posts have been filled. The balance of 438 posts are yet to be filled. So, I would like to know from the hon. Minister when the Standing Selection Committee was constituted in AIIMS, Mangalagiri and what it has done since its constitution to recruit faculty positions. I would like to also know from the hon. Minister the timeframe within which all faculty positions in AIIMS, Mangalagiri, will be filled on a regular basis.

SHRI JAGAT PRAKASH NADDA: Sir, this Question pertains to All India Institute of Medical Sciences, Mangalagiri. But, in my very detailed reply while answering the debate on the Working of the Ministry of Health and Family Welfare, I had elaborated and said that we have to understand two things. Number one, the All India Institute of Medical Sciences have grown in a very short span of 10 years under the dynamic leadership of hon. Prime Minister Modi*ji* from 6 to 22. And, when I say so, I would also like to suggest that we have not diluted the brand of All India Institute of Medical Sciences. So, we are recruiting continuously and the recruitment process is continuous and dynamic in nature. What we see is, number one, the eligible candidates. We also see the reservation roster and it depends on the location of the institute also. We have a permanent Standing Selection Committee for recruiting the faculty members, which meets from time-to-time and accordingly they are recruited. Number two, we have got the Institute of National Importance Super Speciality Examination for Senior Residents. We have the examination twice a year. Every six months, we have an examination. In the same way, we have got an Institute of National Importance Combined Entrance Test for Junior Research Fellowship. So, for JRs also, the test is conducted twice a year. Now, we can go as fast as we can. I would also like to enlighten the House that the Centralized Nursing Officer Recruitment Common Eligibility Test for Nursing Officers is also held twice a year. So, for Nursing, for Paramedics, for JRs, Junior Residents, for Senior Residents, and for faculty members, we leave no stone unturned. We obey the rosters also, but at the same time, we see that we do not compromise with the standards of the All India Institute of Medical Sciences and that brand name does not get diluted. We have Common Recruitment Examination for Group 'C' and 'B' posts also. Here, I would also like to say that when you talk about Mangalgiri, we have 259 posts for faculty, and 58.69 per cent is filled. Of course, 41 per cent is to be done and we are going very fast on it and, I assure you, we will go very fast on it. For the non-faculty positions, we have recruited 77 per cent, and the total is 74 per cent which has been recruited in Mangalgiri. What I would like to assure the hon. Member is that for All India Institute of Medical Sciences, this continuous and dynamic process is in

Contents Page

automated mode. We have to only monitor and see to it that the posts are filled. But, despite the leap for the All India Institute of Medical Sciences from 6 to 22 being so huge, we are not compromising on the brand and are taking care of that. We are going as fast as we can.

MR. CHAIRMAN: Hon. Minister, in your reply to the debate on the Demands of the Ministry, you had exhaustively focused on this. Second Supplementary; Shri Yerram Venkata Subba Reddy.

SHRI YERRAM VENKATA SUBBA REDDY: Sir, I welcome that the hon. Finance Minister announced in the Budget to set up Day Care Cancer Centres in all the district hospitals. But I would like to know from the hon. Minister, since you are registering nearly 15 lakh cases annually, whether all the proposed Day Care Cancer Centres in districts will have a separate Department for Cancer patients and facilities for screening, X-Ray and mobile testing facilities, etc. Sir, I would also like to know as to whether AIIMS Mangalagiri has Tertiary Care Cancer Centre. If not, will the hon. Minister consider setting up of this Centre in AIIMS Mangalagiri?

MR. CHAIRMAN: Please be specific.

SHRI JAGAT PRAKASH NADDA: Sir, out of the two supplementaries which he has asked, number one is related to Cancer. Although that does not pertain to this question, but I will say that the hon. Finance Minister has announced that every district will have a Cancer Care Centre in next three years. I assure that more than 300 Cancer Centres are working at the moment. I do not have the exact figures, but approximately 300-plus day care Cancer centres are working. This year, we are going to have 200 day care Cancer centres and within three years, all districts will have day care Cancer centres. When I say 'day care Cancer centres', they will have Chemotherapy and other equipments also for giving treatment to the patients. That is number one. Number two, Mangalagiri is having a full-fledged Department of Oncology. All the All India Institutes of Medical Sciences are having it full-fledged and state-of-the-art equipments are being provided to Mangalagiri also.

MR. CHAIRMAN: Supplementary number three; Shri Tiruchi Siva.

SHRI TIRUCHI SIVA: Sir, in the statement by the Minister, it was mentioned that the vacancies in faculty is 41.31 per cent and in non-faculty, it is 22.53 per cent. On the reasons for the vacancy, you said that there are lack of eligible qualified doctors,

Contents Page

health professionals, reservation roster and location of the institute. Whether it applies to non-faculty also, is the difference. Sir, I would like to say that in Guindy, Chennai, 1,000-bedded Kalaignar Centenary Super Speciality Hospital has been constructed in three years. The AIIMS which you announced to be operational by 2020 in 2015 has not yet come into operation. My question is: What is the status of it? What is the time-line and when would it be operational?

SHRI JAGAT PRAKASH NADDA: Sir, it is not related to this question. But, certainly, there were initially some problems which have arisen in Madurai. But now it is in full swing and we are trying to see to it that the construction work takes place in due time and it would be operational very soon.

MR. CHAIRMAN: Supplementary no. 4; Shri Sandosh Kumar P.

SHRI SANDOSH KUMAR P: Sir, establishment of a new AIIMS is a long- pending demand from the State of Kerala. What prevents you from allowing a new AIIMS to Kerala? If nothing prevents, when are you going to announce the same?

SHRI JAGAT PRAKASH NADDA: Sir, nothing prevents us. We are consolidating at this point the existing All India Institute of Medical Sciences. In our statement, we have said that we are trying to remove the regional imbalances. And that is why priority-wise, we have given All India Institute of Medical Sciences to those regions which did not have any public or private good quality hospitals. We concentrated in North-East, Assam. We went to Bhubaneswar. We went to North. So we are trying to see to it that the areas which have been ignored, have been taken care of and Kerala will also be taken care of.

MR. CHAIRMAN: Supplementary no. 5. Shri Sanjay Kumar Jha. ...*(Interruptions)*...

श्री संजय कुमार झा: सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं ...(**व्यवधान**)...

MR. CHAIRMAN: Only Shri Sanjay Kumar Jha ...*(Interruptions)*...

श्री संजय कुमार झा : आदरणीय प्रधान मंत्री जी ने बिहार के दरभंगा में दूसरे एम्स शिलान्यास किया। वहां पर हमारे मुख्य मंत्री श्री नीतीश कुमार जी भी थे। मैं यह जानना चाहता हूं कि जब तक वह एम्स की बिल्डिंग बनती है, वह फंक्शनल होती है, तब तक क्या कोई जगह लेकर वहां पर पढ़ाई शुरू की जा सकती है? सर, इसके साथ एक विषय और है कि कोसी का बहुत बड़ा एरिया

है। जैसे आपने दिल्ली एम्स का विस्तार झज्जर में किया, उसी तरह क्या दरभंगा एम्स की सब-ब्रांच या उसी टाइप का सिस्टम सहरसा में बनाने के ऊपर विचार कर सकते हैं?

MR. CHAIRMAN: Dr. John Brittas, bear with me. ...(*Interruptions*)...

DR. JOHN BRITTAS: This is not fair, Sir. ...(*Interruptions*)... Only one State...

MR. CHAIRMAN: Dr. John Brittas, don't force...

श्री जगत प्रकाश नड्डा : सभापति जी, यह प्रश्न मूल प्रश्न से जुड़ा हुआ नहीं है, लेकिन हमारा एक एसओपी है। हम जब भी किसी एम्स को establish करते हैं, तो उसका एक standard operating procedure होता है, उस प्रोसिज़र में क्लासेस कब शुरू होंगी, जब कितने परसेंट बिल्डिंग्स बन जाएंगी, तब कैसे-कैसे स्टाफ का रिक्रूटमेंट होगा आदि बातें आती हैं। महोदय, उस प्रोसेस को हम लोग दरभंगा में भी letter और spirit में implement कर रहे हैं। ...(**व्यवधान**)...

MR. CHAIRMAN: Would you take your seat? Listen to me first. ...(*Interruptions*)... Hon. Minister, the Members from Kerala have a point of view. I am sure you will be gracious enough to invite them over a cup of tea. And, you did!

Now, Q. No. 259, Sri Sanjeev Arora; not present.Sri Sanjeev Arora is not present for the second time. Still, he was lucky to get his question accommodated. Now, Supplementaries.

** 259. [The questioner was absent.]*

Guidelines for Ambulance Procurement

*259. SHRI SANJEEV ARORA: Will the Minister of HEALTH AND FAMILY WELFARE be pleased to state:

(a) whether the Ministry has formulated any guidelines/SOPs for the States to ensure that the ambulances procured by the hospitals are as per AIS125 Standards;

(b) if so, the details of the guidelines/SOPs issued;

(c) whether there is any alternate mechanism to ensure that the ambulances procured by the States/UTs are as per AIS125 Standards; and

(d) if so, the details thereof?

THE MINISTER OF HEALTH AND FAMILY WELFARE (JAGAT PRAKASH NADDA): (a) to (d) A Statement is laid on the Table of the House.

Statement

(a) to (d) Ministry of Road Transport & Highways (MoRTH) has issued the Automotive Industry Standard (AIS 125) also called the National Ambulance Code, that lays down the guidelines for State/UT governments and Non-Government Organizations regarding the standards for ambulances in the country. AIS 125 outlines specifications for vehicle dimension, loading capacity & safety features such as fire extinguishers & emergency exits. AIS 125 specifies equipments for Basic Life Support (BLS) and Advanced Life Support (ALS) ambulances. These standards ensure that the ambulances are designed with safety features & medical equipments to provide effective emergency care. The guidelines are available at **https://morth.nic.in/sites/default/files/ASI/352018104443AMAIS_125.pdf**

The Ministry of Health and Family Welfare (MoHFW) provides technical and financial support to the States/UTs under the State Programme Implementation Plans (PIPs) to strengthen their emergency response system including the provisioning of National Ambulance Services (NAS). As "Public Health and Hospitals" is State subject, the primary responsibility of strengthening public healthcare system, including deployment of ambulances, maintaining standards, ensuring their functionality and operationality lies with the respective State/UT Governments. NHM provides operating cost under OPEX and CAPEX model as per norms.

Technical teams from state health departments evaluate ambulances to confirm compliance with AIS-125 standards.

DR. FAUZIA KHAN: Sir, emergency medical services in Maharashtra, and across India, are suffering from severe inadequacies. Despite efforts under the NHM, systemic gaps continue to jeopardize the lives of those in urgent need of care. In November, 2024, a pregnant woman in Maharashtra's Palghar lost her life in transit as her ambulance was not equipped with basic life-saving equipment, like oxygen. A recent CAG Report also has highlighted deficiencies in tribal and rural health infrastructure in Maharashtra, especially the acute shortage of ambulances equipped to provide essential care. What steps is the Government taking to prevent such tragic incidents? And, what steps are being taken to augment the number of BLS and ALS ambulances and revise the existing ratio of BLS and ALS ambulances as per population standards?

SHRI JAGAT PRAKASH NADDA: Sir, I will answer the question which hon. Member has raised. But it gives an impression that something very wrong is going on. I would like to enlighten the House — I had highlighted it when I was discussing about

the Working of the Health Ministry -- that the MMR of India is more than double than the global decline. The IMR is also more than the global decline.

MR. CHAIRMAN: Being double is good! But, sometimes being double may be bad.

SHRI JAGAT PRAKASH NADDA: The rate of decline in mortality is much higher. So, a lot of good things are being done by Ministry of Health and Family Welfare. Now, as far as the National Health Mission (NHM) is concerned, we provide technical and financial support according to the Programme Implementation Plan. Every district, every State has to make a Programme Implementation Plan. In that, they have to enlist what they need, whether they need equipment; whether they need ambulances, what the need of that district is! And, I am happy to share with you that Government of India takes care of fulfilling all those demands, which are in the Program Implementation Plan, which are mutually agreed upon. Now, as far as the automated industry standard which has been laid down by the Ministry of Road and Highways, AIS-125, called as the National Ambulance Code is concerned, we supply ambulances to all States, UTs, and also to the NGOs. Now, it specifies, on all vehicles which we supply, the vehicle dimension is there, the loading capacity is also told, the safety features are there, fire extinguisher is there, emergency exits are there, and, as you yourself have said, provide basic life support and advanced life support. So, we keep on doing this according to the population. For five lakh population, we have got ALS ambulance and for over one lakh population, we have got BLS. So, we assure the Member that it will be taken care of.

1.00 P.M.

ANNOUNCEMENT BY THE CHAIR

MR. CHAIRMAN: Hon. Members, a request has been received from the hon. Minister of Parliamentary Affairs for taking up the Disaster Management (Amendment) Bill, 2024 before the Banking Laws (Amendment) Bill, 2024 listed in today's revised List of Business. I have acceded to the request of the Minister after consultation with concerned.Accordingly, the Disaster Management (Amendment) Bill, 2024, will now be taken up first after lunch hour for consideration and passing.

The House stands adjourned to meet at 2.00 p.m. today.

The House then adjourned for lunch at one minute past one of the clock.

The House reassembled after lunch at two of the clock,
MR. DEPUTY CHAIRMAN *in the Chair*

GOVERNMENT BILL

The Disaster Management (Amendment) Bill, 2024

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Shri Amit Shah to move a motion for consideration of the Disaster Management (Amendment) Bill, 2024.

गृह मंत्री; तथा सहकारिता मंत्री (श्री अमित शाह): महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ :

"कि आपदा प्रबन्धन अधिनियम, 2005 का संशोधन करने वाले विधेयक पर, लोक सभा द्वारा पारित रूप में, विचार किया जाए।"

The question was proposed.

श्री उपसभापति : क्या आप कुछ बोलना चाहेंगे?

श्री अमित शाह : नहीं।

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Now, I call upon the Members whose names have been received for participation in the discussion. माननीय श्री नीरज डांगी।

श्री नीरज डांगी (राजस्थान): आदरणीय उपसभापति महोदय, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद, आपने मुझे इस बिल पर शुरुआत करने का अवसर प्रदान किया। सबसे पहले तो मैं कहना चाहूँगा कि जो यह आपदा प्रबंधन संशोधन विधेयक, 2024 है, इसका उद्देश्य आपदा प्रबंधन में शामिल विभिन्न हितधारकों के हित स्पष्टता और समन्वय को बढ़ाना है। प्रस्तावित संशोधन उन प्रयासों की कड़ी है, जो यूपीए सरकार के द्वारा शुरू किए गए थे, जब 2005 में आपदा प्रबंधन अधिनियम को पेश किया गया था और लागू किया गया था। इस अधिनियम का उद्देश्य आपदा प्रबंधन के लिए एक सुदृढ़ और व्यापक ढाँचा स्थापित करने का था, जो रोकथाम, तैयारी, प्रतिक्रिया और पुनर्वास पर केंद्रित हो।

आदरणीय उपसभापति महोदय, आपदा प्रबंधन संशोधन विधेयक, 2024 में कई प्रकार की कमियाँ हैं। इस विधेयक में संघवाद को कमजोर करने, स्थानीय समुदायों की उपेक्षा करने, जलवायु परिवर्तन अनुकूल और पशु कल्याण सहित व्यापक आपदा जोखिम प्रबंधन की कमी की वजह से इसे आलोचना का भी सामना करना पड़ेगा। अगर मैं मुख्य नकारात्मक बिंदु पर प्रकाश

डालूँ, तो मैं यह बात कहूँगा कि इसमें सत्ता का केंद्रीकरण और स्थानीय स्वायत्तता की कमी नजर आ रही है। संघवाद को कमजोर करना इस विधेयक में नजर आ रहा है। राज्य सरकार और स्थानीय निकायों की कीमत पर एक उच्च स्तरीय समिति (HLC) और राष्ट्रीय संकट प्रबंधन समिति (NCMC) को सशक्त बनाने पर विधेयक का जोर विवाद का एक प्रमुख बिंदु है। एक शीर्ष से नीचे का दृष्टिकोण महत्वपूर्ण आपदा प्रतिक्रिया प्रयासों में देरी का कारण बन सकता है, क्योंकि स्थानीय अधिकारी, जो अक्सर पहले प्रतिक्रिया के बारे में ज़िक्र करते हैं और होशियार करते हैं, वे सभी हाशिए पर हैं। स्थानीय स्तर पर अधिकारी और स्थानीय लोग जो सूचना दे सकते हैं, मैं समझता हूँ कि वह कोई और नहीं दे सकता। इस बिल में जवाबदेही की कमी है। जिला अधिकारियों के लिए प्रदर्शन मूल्यांकन उपायों को हटाने से उनकी तैयारी और प्रतिक्रिया प्रभावशीलता का आकलन करना भी कठिन हो जाता है। इसमें नए प्राधिकरणों के निर्माण और वित्त के बारे में ज़िक्र है। यह बिल स्पष्ट औचित्य के बिना एक नई शहरी आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (UDMA) का प्रस्ताव करता है, जो संभावित रूप से अनावश्यक नौकरशाही परतों का निर्माण करेगा। मैं समझता हूँ कि इस बिल में यह बहुत बड़ी खामी है। अगर हम ऋण राहत को हटाने की बात करें, तो विधेयक मूल आपदा प्रबंधन अधिनियम की धारा 13 को समाप्त करने का प्रयास करता है, जो राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (NDMA) को आपदाओं से प्रभावित व्यक्तियों और समुदायों को महत्वपूर्ण ऋण राहत प्रदान करने का अधिकार देता है। इस बिल में यह बहुत बड़ी कमी नजर आती है।

आदरणीय उपसभापति महोदय, यह जो विधेयक है, इसे पेश करने का मुख्य कारण वायनाड भूस्खलन जैसी त्रासदियों से बचने के लिए और उनसे निपटने के लिए विशेष रूप से है। आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 की शुरुआत 2004 के उस हिंद महासागर में भूकंप और सुनामी जैसी जो विनाशकारी आपदा आई थी, उसके बाद हुई थी। इस अधिनियम को प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित लोगों को सहायता और पुनर्वास प्रदान करने और उनके जीवन के पुनर्निर्माण में मदद करने के लिए उस समय लागू किया गया था।

उस समय जो यूपीए-1 सरकार थी, कांग्रेस के समर्थन से कांग्रेस की सरकार थी। उस वक्त का मुझे याद है कि सुनामी का वह जो दौर था, उसमें जो जरूरतमंद थे, जो उस डिजास्टर से प्रभावित हुए थे, उन तमाम लोगों को राहत प्रदान करने के लिए यूपीए की चेयरपर्सन सोनिया गांधी जी और तत्कालीन प्रधान मंत्री मनमोहन सिंह जी कटिबद्ध थे कि ऐसे जरूरतमंद लोगों को तुरंत प्रभाव से मदद मुहैया कराई जाए। वह वक्त मुझे याद आता है। मैं श्रीमती सोनिया गांधी जी को धन्यवाद भी देना चाहूँगा, जिन्होंने Post-Tsunami relief works के लिए बहुत काम किए। 2004 में जो सुनामी आई थी, 26 दिसंबर का वह दिन कोई भूल नहीं सकता। उस वक्त कई क्षेत्रों में, अंडमान-निकोबार, तमिलनाडु के भी कई क्षेत्रों में यह आपदा आई थी। मुझे भी वहाँ Post-Tsunami relief works के लिए काम करने का मौका मिला। हम लोगों ने भी 18 दिन तक उस त्रासदी को शायद बहुत नजदीक से देखा। आपदा क्या होती है और डिजास्टर का कोई सही रूप अगर देखने को मिला, तो उस वक्त देखने को मिला। मैं समझता हूँ कि राजनीति में मेरे लिए वह जो समय था, वह बहुत कुछ सीखने का था, बहुत कुछ जानने का था और डिजास्टर मैनेजमेंट कैसे किया जाता है, वह भी हम लोगों ने उस समय जाना और समझा।

सर, मैं समझता हूँ कि 2005 के इस अधिनियम की कुछ प्रमुख विशेषताएँ थीं, जिन्हें उस समय यूपीए-1 सरकार द्वारा लागू किया गया था। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (NDMA) की स्थापना - NDMA राष्ट्रीय स्तर पर आपदा प्रबंधन के लिए नीतियां, योजनाएं और दिशा निर्देश तैयार करने के लिए जिम्मेदार एक सर्वोच्च निकाय है, जिसको उस वक्त यूपीए-1 सरकार ने लागू किया था। राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (SDMA) की स्थापना, जिसकी अध्यक्षता मुख्य मंत्री करते हैं और जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (DDMA) की स्थापना, जिसकी अध्यक्षता जिला मजिस्ट्रेट या उपायुक्त करते हैं - इनको भी उस वक्त लागू किया गया था। उस वक्त आपातकालीन प्रतिक्रियाएं और आपदा शमन के लिए राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया कोष (NDRF) और राष्ट्रीय आपदा शमन कोष (NDNF) की स्थापना की गई थी।

महोदय, केंद्र की मौजूदा मोदी सरकार ने आपदा प्रबंधन के लिए अहम इन निकायों के प्रभावी संचालन की ओर जरा भी ध्यान नहीं दिया है। मैं समझता हूँ कि इसमें हैरानी की कोई बात नहीं है, क्योंकि हर चीज के अंदर इस सरकार का संचालन हमेशा विफल ही रहा है। इस वक्त जो असली आपदाएँ पैदा हुईं, ...(**व्यवधान**)... क्या बात है?

श्री उपसभापति : आप विषय पर बोलिए। ...(**व्यवधान**)... नीरज डांगी जी, आप विषय पर बोलिए। ...(**व्यवधान**)...

श्री नीरज डांगी : सर, मैं सत्यता पर प्रकाश डाल रहा हूँ। ...(**व्यवधान**)...

श्री उपसभापति : नीरज डांगी जी, नियमतः आप विषय पर बोलेंगे, तो वही रिकॉर्ड पर जाएगा। ...(**व्यवधान**)...

श्री नीरज डांगी : सर, मैं सत्यता पर प्रकाश डाल रहा हूँ। ...(**व्यवधान**)... वे विफलताएँ रहीं। ...(**व्यवधान**)...

श्री उपसभापति : आप नियमतः विषय पर ही बोल सकते हैं। ...(**व्यवधान**)...

श्री नीरज डांगी : सर, मैं आपदा ही बता रहा हूँ। ...(**व्यवधान**)... कोविड-19 का वह विफल प्रबंधन केंद्र की सरकार का रहा, जहाँ सरकार को चाहिए था कि कोविड-19 का कुशल प्रबंधन होता। ...(**व्यवधान**)...

एक माननीय सदस्य : सर, यह विषय से संबंधित ही नहीं है। ...(**व्यवधान**)...

श्री नीरज डांगी : कोविड-19 आपदा प्रबंधन से संबंधित विषय नहीं है! ...(**व्यवधान**)... बहुत खूब! ...(**व्यवधान**)...

Contents Page

श्री उपसभापति : मैं already कह चुका हूँ कि जो चीज इस विषय से संबंधित नहीं है, वह रिकॉर्ड पर नहीं जाएगी। ...(**व्यवधान**)... यह मैं already कह चुका हूँ। ...(**व्यवधान**)...

श्री नीरज डांगी : आप विफल हो गए, तो उसे..

श्री उपसभापति : इसमें प्राकृतिक विपदाओं पर बात करनी है।

श्री नीरज डांगी : आप कोविड-19 अगर विफलता नहीं है, कोविड-19 अगर आपदा नहीं है, तो in fact हमें इस डिजास्टर मैनेजमेंट बिल पर बहस करनी ही नहीं चाहिए। अगर कोविड-19 जैसी महामारी देश में नहीं आई होती, तो मैं समझता हूँ कि हम लोग इस विधेयक पर आज चर्चा ही नहीं कर रहे होते।

सर, मैं पुनः कहना चाहूँगा कि कोविड-19 के बारे में सबसे पहले आगाह करने का काम अगर किसी ने किया, तो राहुल गांधी जी ने 12 फरवरी, 2020 को किया। ...(**व्यवधान**)... उस दिन उन्होंने एक ट्वीट किया था। उनके शब्द थे – "Coronavirus is an extremely serious threat to our people and our economy. My sense is the Government are not taking this threat seriously." उन्होंने यह कहा था। ...(**व्यवधान**)... सरकार ने उसको सीरियसली क्यों नहीं लिया?

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री ; तथा नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री (श्री प्रहलाद जोशी) : सर, अभी वे यह कह रहे हैं कि कोविड ...(**व्यवधान**)...

SHRI NEERAJ DANGI: Sir, I am not yielding unnecessarily. I object. ...(*Interruptions*)... मैं न तो विषय से भटका हूँ और न मैंने यहाँ पर कोई अतथ्यात्मक बात रखी है। अगर तथ्यों से परे कोई चीज है, तो इनको objection का पूरा अधिकार है। 'PM-CARES Fund' का निर्माण किया गया, जिसे मैं तो कहूँगा कि यह 'PM does not care Fund' है। कोविड-19 महामारी और अन्य आपदाओं के दौरान घोषित 'पीएम केयर फंड' ने एनडीआरएफ और एनडीएमएफ की स्थापना के उद्देश्य को विफल किया है। यह कोविड के वक्त हुआ। 'PM does not care Fund' को आरटीआई और कैग की निगरानी से मुक्त क्यों रखा गया? मोदी सरकार ने इन फंडों के उपयोग को पर्दे में रखा और इसका खुलासा कहीं नहीं हुआ। यहाँ तक कि, आपको याद दिलाना चाहूँगा, सारे सदस्यों के लिए, चाहे ट्रेजरी बेंच हो, चाहे विपक्ष हो, हमारा उस वक्त का जो एमपीलैड फंड है, उसको भी रोका गया। आप उस चीज को मत भूलिए। उसको क्यों रोका गया? उसका जवाब भी आज लेना होगा। ...(**व्यवधान**)...

श्री उपसभापति : मैं पुनः आग्रह करूँगा कि कृपया आप 'नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट' पर बोलें। ...(**व्यवधान**)... प्लीज़, प्लीज़।

श्री नीरज डांगी : सर, मैं तो डिजास्टर पर ही बोल रहा हूँ, लेकिन इतना पता है कि कम-से-कम 38 सार्वजनिक क्षेत्रों (पीएसयूज़) से 2105 करोड़ रुपए का योगदान और पीएसयूज़ कर्मचारियों का भी लगभग 150 करोड़ रुपए का योगदान 'पीएम केयर फंड' में प्राप्त हुआ था। 'पीएम केयर फंड' को सरकार ने खास रियायतें दीं, जिनमें चैरिटी से जुड़ी आयकर अधिनियम की धारा 80जी के तहत 100 प्रतिशत की छूट शामिल थी। फिर पीएसयूज़ 100 प्रतिशत छूट लेने के लिए क्यों नहीं देते। कोविड-19 महामारी के चार साल बाद भी यह स्पष्ट नहीं है कि 'पीएम केयर फंड' क्यों बनाया गया था। आज तक यह स्पष्ट नहीं है। इससे कितनी धनराशि प्राप्त हुई, दानदाताओं का विवरण क्या था, फंड का वितरण कैसे हुआ और इसके प्रशासनिक ढांचे में पारदर्शिता की कमी क्यों रही - इसका अभी तक कोई खुलासा नहीं हुआ है। कोविड महामारी के दौरान अनाथ हुए बच्चों की मदद के लिए बनाए गए इस फंड के तहत प्राप्त आवेदनों में से 51 प्रतिशत आवेदनों को खारिज कर दिया गया। सरकारी आँकड़ों के मुताबिक कुल 9,331 आवेदनों में से सिर्फ 558 आवेदनों को ही मंजूरी मिली। ये परिस्थितियाँ 'पीएम केयर फंड' की रहीं।

महोदय, मैं आगे बताना चाहूँगा कि किस प्रकार से विधेयक एनडीएमए को राष्ट्रीय स्तर पर आपदा प्रबंधन योजनाएं स्वतंत्र रूप से तैयार करने का अधिकार देता है। सितंबर, 2023 से अब तक एनडीएमए ने कोई जोखिम मूल्यांकन रिपोर्ट या अध्ययन प्रकाशित नहीं किया है। यदि यह मूल्यांकन किए होते और उचित उपाय लागू किए होते, तो देश के विभिन्न हिस्सों में जो प्राकृतिक आपदाएँ हुईं, उनके कारण हुईं मौतों को टाला जा सकता था। ये परिस्थितियाँ रही हैं।
महोदय, मैं इस विधेयक पर बात करते हुए कहना चाहूँगा कि पिछले 2014 से लेकर के 2024-25 के बीच में जो आपदाएँ और त्रासदियाँ इस देश को भुगतनी पड़ीं, जिनमें मुख्य रूप से 2014 में कश्मीर में आई बाढ़ है, 2018 की केरल की बाढ़ है, 2015 में दक्षिण भारत में आई बाढ़ है, 2015 में देश को हीट वेव का शिकार होना पड़ा और हीट वेव से जो मौतें हुईं, वे भी सामने हैं कि 2015 में मार्च से लेकर जून के बीच किस प्रकार से भयावह मौतों को देखना पड़ा तथा 2020 का वह चक्रवात। भारत ने कई भयंकर चक्रवातों का सामना किया, लेकिन उस चक्रवात से जो नुकसान हुआ, वह सामने है। 2024 के 'रेमल' चक्रवात ने भारत में भी बहुत व्यापक क्षति पहुंचाई। अन्य आपदाएँ - मैं 2013 की उत्तराखंड बाढ़ का भी जिक्र करूँगा।

2024 में हुआ विरुधुनगर विस्फोट भी एक बहुत बड़ा उदाहरण है। 2025 की जलगांव ट्रेन दुर्घटना भी सामने है। 2025 में ही नई दिल्ली स्टेशन पर बहुत बड़ी भीड़ का जमावड़ा हुआ और 2025 में ही तेलंगाना में सुरंग के ढहने जैसी एक बहुत बड़ी विपदा भी देश को झेलनी पड़ी। अभी हाल ही में प्रयाग के महाकुंभ में हुई मौतों का नजारा देश ने और पूरे विश्व ने देखा और 2025 में उस आपदा का सामना भी देश को करना पड़ा।
सर, मैं कहना चाहूंगा कि अगर हम इस अधिनियम की बात करें, तो राष्ट्रीय कार्यकारी समिति का उद्देश्य विभिन्न सरकारी मंत्रालयों और विभागों के बीच अंतरक्षेत्रीय सहयोग सुनिश्चित करना था, ताकि आपदा स्थितियों का समग्र रूप से सामना किया जा सके, वह कमी भी इस विधेयक में नजर आ रही है। अगर हम इस विधेयक में राष्ट्रीय और राज्य स्तर पर एक व्यापक आपदा डेटाबेस बनाने के प्रस्ताव पर बात करते हैं, तो इस डेटाबेस में आपदा मूल्यांकन, निधि आवंटन, व्यय रिपोर्ट, तैयारी योजनाएँ और जोखिम के प्रकार व गंभीरता के अनुसार वर्गीकरण तथा जोखिम रजिस्टर जैसी महत्त्वपूर्ण जानकारियाँ शामिल होंगी, लेकिन मोदी सरकार पारदर्शिता की कमी

Contents Page

और अपनी सुविधा के नरेटिव के अनुसार आंकड़ों में हेरफेर करने में हमेशा प्रसिद्ध रही है। डेटाबेस बनाना मात्र एक दिखावा है। सरकार जोखिम मूल्यांकन करने, योजनाएं बनाने या पीएम केयर्स फंड के तहत हुए खर्च का विवरण देने में विफल रही और यह डेटाबेस भी दिखाने के अलावा कुछ नहीं होगा। अगर हम 2005 के अधिनियम की पुनः बात करें, तो राज्यों के लिए यह अनिवार्य है कि वे आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में विषय विशेषज्ञों और व्यावहारिक अनुभव रखने वाले लोगों की एक सलाहकार समिति का गठन करें, जो आपदा प्रबंधन के विभिन्न पहलुओं पर सिफारिश प्रदान करे। इस समिति का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना था कि राज्य-स्तरीय योजनाएँ साक्ष्य और सर्वोत्तम प्रयासों पर आधारित होकर तैयार हों, जिसमें विशेषज्ञों की भी भागीदारी सुनिश्चित हो। इन समितियों को समाप्त करना, इस प्रशासन के सर्वज्ञानी रवैये का एक और उदाहरण है।

सर, जैसा मैंने कहा, प्रस्तावित विधेयक में पीएम केयर फंड का उल्लेख नहीं है। इस फंड का उपयोग कैसे और किस उद्देश्य से किया जाएगा, इसकी भी बहुत बड़ी कमी है। प्रस्तावित विधेयक आपदा प्रबंधन निकायों के कार्यों को सुव्यवस्थित करने और मौजूदा समितियों की वैधानिक स्थिति को मजबूत करने का प्रयास करता है, लेकिन यह प्रत्येक निकाय की भूमिका को स्पष्ट रूप से निर्धारित करने में विफल रहा है, बल्कि यह आपदा प्रतिक्रिया में अधिक संभावित ओवरलैप और अक्षमताएँ पैदा करता है, जिससे एक निकाय दूसरे निकाय पर दोषारोपण करने का कार्य करता रहेगा, बजाय इसके कि वे मिलकर समन्वयपूर्वक कार्य करें। सर, यह संवैधानिक ढांचे पर भी एक हमला है। प्रस्तावित विधेयक केंद्र सरकार को राज्यों को दरकिनार करने के व्यापक अधिकार प्रदान करता है। यह मोदी सरकार के संघीय सिद्धांतों को कमजोर करने और राज्य सरकारों की स्वायत्तता को समाप्त करने का एक और प्रयास है। ऐसे प्रावधानों से एक जैसा समाधान थोपने का खतरा जरूर पैदा होता है। इस विधेयक में आपदा प्रबंधन के संबंध में राज्यों के फैसले को दरकिनार करने के प्रावधान तो शामिल हैं, लेकिन वित्तीय सहायता के लिए कोई प्रावधान नहीं करना भी इस विधेयक को लाने की एक चतुराई का उदाहरण है। यहाँ मोदी सरकार गैर-भाजपा शासित राज्यों का आपदा प्रबंधन राहत कोष भी रोककर बैठी है, मानो आपदाएं भी राजनीतिक निष्ठा के तहत राज्यों के अंदर प्रवेश करती हैं। तमिलनाडु और कर्णाटक को आपदा राहत कोष की राशि जारी कराने के लिए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाना पड़ा था। प्रस्तावित विधेयक के तहत नए निकायों के गठन में आपदा प्रबंधन क्षेत्र के विषय विशेषज्ञों को शामिल करने का भी प्रावधान नहीं है, जो करना चाहिए था। वर्तमान में एनडीएमए की संरचना में कोई विषय विशेषज्ञ नहीं है। इसके अलावा नेशनल एग्जीक्यूटिव कमिटी एनडीए सरकार के तहत निष्क्रिय है। जलवायु परिवर्तन के अप्रत्याशित और विनाशकारी परिणामों को देखते हुए भारत में हीट वेव और अभूतपूर्व भीषण तूफानों जैसी गम्भीर आपदाओं का खतरा लगातार बढ़ रहा है। ऐसे में यही कहना चाहूंगा कि जो कमियां इस विधेयक में हैं, उन्हें पूर्ण किया जाना चाहिए। यदि सरकार सभी दलों को बिठा कर बात करती और उसके बाद निष्कर्ष पर पहुंचती, तो मैं समझता हूं कि इस विधेयक का एक बेहतर परिणाम आता। श्रद्धेय अटल जी ने जो कहा, मैं उनके कुछ शब्दों को कहना चाहूंगा ...(**समय की घंटी**)...

श्री उपसभापति : आपका बोलने का समय खत्म हुआ।

SHRI NEERAJ DANGI: I will conclude within a minute.

श्री उपसभापति : नीरज डांगी जी, आपका बोलने का समय खत्म हुआ।

श्री नीरज डांगी : अंत में एक लाइन के साथ अपनी बात समाप्त करता हूं।

श्री उपसभापति : आपका बोलने का समय खत्म हो गया।

श्री नीरज डांगी : ये कहते हैं कि डूबते को तिनके का सहारा ही काफी है। ऐसी आपदाओं में केंद्र सरकार ने कहीं तिनके का सहारा भी प्रभावितों को दिया होता, तो मैं समझता हूं कि इन आपदाओं का सामना देश डट कर करता, बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री बृज लाल (उत्तर प्रदेश) : उपसभापति महोदय, आपने मुझे the Disaster Management Amendment Bill, 2024. पर बोलने का मौका दिया। महोदय, हमारे देश में Disaster Management की मुख्यतः जिम्मेदारी राज्य सरकारों की है। प्राकृतिक आपदाओं के प्रबंधन के लिए केंद्र सरकार में गृह मंत्रालय नोडल मंत्रालय है। जब भी गम्भीर प्राकृतिक आपदाएं आती हैं, तब केंद्र सरकार प्रभावित राज्यों को तमाम संसाधन उपलब्ध कराती है, जिसमें उनके अनुरोध पर सशस्त्र बलों, अर्धसैनिक बलों, एनडीआरएफ की तैनाती की जाती है, जिसमें संचार हैलीकॉप्टर, प्लेन तथा अन्य चीज़ों की तैनाती होती है, जो आपदा प्रबंधन में इस्तेमाल होती हैं।

महोदय, अभी हमारे मित्र ने कहा कि भारत सरकार तो कुछ नहीं करती। भारत सरकार ने एनडीआरएफ की 16 बटालियन बनाई हैं। उस एनडीआरएफ की बटालियन में चार बीएसएफ से हैं, तीन सीआरपीएफ, दो सीआईएसएफ, चार आईटीबीपी, दो एसएसबी और एक असम राइफल्स से हैं। महोदय, एक-एक बटालियन में 1,149 जवान होते हैं। इसमें टेक्नीशियन, डॉक्टर आदि की व्यवस्था है कि किसी किस्म की आपदा हो, तो उससे हम निपट सकते हैं।

उपसभापति महोदय, देश में जो स्ट्रेटेजिक प्लेसेज़ हैं, जो आपदा प्रबंधन प्रोन हैं, आपदा के लिए प्रोन हैं, वहां ये बटालियंस तैनात की गई हैं। महोदय, असम में गुवाहाटी, वेस्ट बंगाल में नाडिया, ओडिशा में कटक, तमिलनाडु में वेल्लोर, महाराष्ट्र में पुणे, गुजरात में बडोदरा, पंजाब में भटिंडा, यूपी में गाजियाबाद और वाराणसी, बिहार में पटना, आंध्र प्रदेश में विजयवाड़ा, अरुणाचल प्रदेश में ईटानगर, हिमाचल प्रदेश में मंडी, उत्तराखंड में हल्द्वानी, दिल्ली में नजफगढ़, जम्मू-कश्मीर में सांबा है, जहां पर ये बटालियंस तैनात हैं। भारत सरकार समय पड़ने पर इनको तैनात करती है और राज्य सरकारों की एक मदद यह करती है कि स्टेट्स की जो एसडीआरएफ बटालियंस हैं, जिनका गठन करने के लिए स्टेट्स को कहा गया है, उन बटालियंस की सहायता करती है और उनको ट्रेनिंग देती है।

मैं गृह मंत्री जी को साधुवाद देना चाहता हूं। महोदय, अभी मेरे मित्र ने कहा कि केंद्र सरकार तो कुछ नहीं देती, तो मैं उनको बताना चाहता हूं कि हमारे गृह मंत्री जी ने 23 जून, 2023 को 19 राज्यों को एसडीआरएफ बटालियन के गठन के लिए कुल 6,194 करोड़, 40 लाख रुपये का धन आवंटित किया है। अब तक केवल 15 राज्यों ने एसडीआरएफ का गठन किया है। मैं कुछ

Contents Page

प्राकृतिक आपदाओं के बारे में कि आपदा क्या है, उसके बारे में बताना चाहूंगा। आपदा दो प्रकार की होती है। एक आपदा प्राकृतिक होती है, जैसे फ्लड। 52 परसेंट आपदा फ्लड के कारण होती है। ट्रॉपिकल साइक्लोन की बात करूं तो हमारे जो कोस्टल राज्य हैं, वहां पर यह सबसे ज़्यादा आती है। हम ओडिशा के 1990 के उस साइक्लोन को भूल नहीं सकते, जिसने वहां तबाही मचा दी थी। मैं एक महीना पहले वहां गया था, तो उसके घाव आज भी ओडिशा में मौजूद हैं और वहां के लोग उन दिनों को याद करके सिहर जाते हैं। सर, हमारे देश का 18 परसेंट हिस्सा earthquake prone है। जिसमें दिल्ली, एनसीआर, हिमाचल प्रदेश, जम्मू-कश्मीर, केरल का करीब 30 परसेंट क्षेत्र और लक्षद्वीप शामिल है और ये सब earthquake prone हैं। हम लोगों ने वायनाड में लैंडस्लाइड को भी देखा है और उसकी विभीषिका भी देखी गई, जिसको बड़े ही अच्छी तरह से त्वरित mitigate किया गया। Avalanche हमारे पहाड़ी राज्यों में अकसर आता रहता है। Heat wave भी एक आपदा का रूप ले चुकी है, जिसको हम silent killer कहते हैं। इसके अलावा drought - जब सूखा आता है, तब rainfall नहीं होता है, crop failure होता है, animals की डेथ होती है, आबादी को दिक्कत होती है। हमारे soil का salinisation होता है और देश का 1/6 हिस्सा इससे पीड़ित है।

अब मैं man-made disasters के बारे में बात करना चाहता हूं। Industrial accidents, यह जो अमेंडमेंट एक्ट आया है, इसमें man-made disasters को, विशेष रूप से mitigate करने के लिए किया गया है। मैं अपने कांग्रेसी मित्रों को याद दिलाता हूं। उन्होंने अपनी पार्टी के कई गुण गाए। उनके पार्टी के नेता ने तो पहले ही कोविड के बारे में फोरकास्ट कर दिया था। आपको 2 सितंबर, 1984 Bhopal gas tragedy, Methyl isocyanate, Union Carbide के बारे में याद नहीं है। सरकारी रिकॉर्ड में 3,787 लोग मारे गए थे, लेकिन वहां 16 हजार से ज्यादा लोगों की डेथ हुई थी।

उपसभापति महोदय, इसके अलावा 5,58,125 non-fatal injuries थीं, जिसका खामियाजा वहां के लोग आज भी भुगत रहे हैं। जब वहां इतनी बड़ी ट्रेजेडी हो गई, तो कांग्रेस पार्टी को Disaster Management Act बनाने के बारे में याद आना चाहिए था। उन्होंने 2005 में शुरुआत की। इन्होंने 58 वर्ष बाद इसे क्रिएट किया। आज से पहले इनको याद नहीं आया। उसके बाद जब gas tragedy हो गई, तो उसका जो Chief Executive Warren Anderson था, उस समय की कांग्रेस पार्टी ने उसको हवाई जहाज से इस देश से भगा दिया। सर, जब उसको भगा दिया और भगाने के बाद जो सात Indian थे, उन पर केवल trial हो पाया और जून, 2010 में सात लोगों को मामूली दो वर्ष की सजा हुई और दो हजार डॉलर का उनको fine किया गया। जहां हजारों लोग मरे, वहां केवल दो वर्ष की सजा दी गई और केवल दो हजार डॉलर का fine किया गया। यह जो पार्टी है, उस समय इसको एक्ट बनाना चाहिए, लेकिन यह तो Anderson को बचाने में लगी हुई थी, जिसको भारत के इतिहास में हमेशा याद किया जाएगा। सर, दूसरा chemical spill है। यह भी man-made disaster है। अभी आंध्र प्रदेश में LG Polymers India Private Limited में हुआ था। न्यूक्लियर भी एक serious threat है। हम लोगों ने रशिया का Chernobyl nuclear disaster, 1986 में देखा है। Train accidents, aircraft crash, collision of marine vessels in sea or river, oil spills के भी serious consequences होते हैं। इसमें marine life प्रभावित होती है और seafood contamination खराब होता है। Fire incidents, जो फैक्टरीज़ में

और habitations में pollution और building collapse और एक हमारे कांग्रेसी मित्र ने बहुत बार नोटबंदी पर कहा, मैं इस पर बोलना नहीं चाहूंगा, मैं तथ्यों पर ही बोलता हूं। उसमें terrorist attack को जोड़ा गया है। Terrorist attack भी आपदा है, जो यूपीए सरकार के समय आया करती थी। 26/11 को हम कैसे भूल सकते हैं, जिसमें 170 जवान मारे गए थे, पब्लिक मारी गई थी, दो आईपीएस ऑफिसर और मेजर उन्नीकृष्णन मारे गए थे। सर, 26/11 को, कांग्रेस के बड़े नेता आज यहां पर नहीं हैं। वे वहां पर गए, उन्होंने 26/11 पर आरएसएस की साजिश नाम की एक पुस्तक लिखी। उन्होंने उसका विमोचन किया था। उन्होंने वह विमोचन दिल्ली में किया, मुंबई में किया। महोदय, मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, लेकिन बड़े-बड़े नेता और जिस कुरसी पर आप बैठे हैं, उस कुर्सी पर बैठने वाले एक बड़े कांग्रेसी नेता भी उसमें शामिल थे। इन्होंने कहा था कि इस अटैक में पाकिस्तान का कोई हाथ नहीं है। ...(**व्यवधान**)...

श्री उपसभापति : माननीय सदस्य, चर्चा का विषय प्राकृतिक आपदा है।

श्री बृज लाल : जी। सर, मैं आपदा पर बोल रहा हूं, क्योंकि टेररिस्ट अटैक भी एक आपदा है, जिसको इसमें शामिल किया गया है। महोदय, मैं इस बात पर आता हूं कि इस संशोधन की आवश्यकता क्यों पड़ी?

महोदय, जो डिजास्टर मैनेजमेंट अधिनियम है, उसमें 2005 के क्रियान्वयन के दौरान यह अनुभव हुआ कि आपदा प्रबंधन के जो तमाम प्राधिकरण हैं, सरकार के मंत्रालयी विभाग हैं और कार्यकारी समितियाँ हैं, उनके बीच एक अच्छा समन्वय और एकीकरण होना चाहिए, जिससे कि अगर कोई आपदा आए, तो सभी मिलकर उस आपदा से निपट सकें। इस बात की उस अधिनियम में कमी थी, एक अभाव था, इसलिए इस संशोधन की आवश्यकता है।

महोदय, कोविड महामारी के दौरान देखी गई चुनौतियाँ और पिछले कुछ वर्षों के दौरान अन्य प्राकृतिक और मानव निर्मित अग्नि आपदाओं से सीखे सबक, 15वें वित्त आयोग की सिफारिशों के अनुरूप और जो बड़ी-बड़ी सांप्रदायिक घटनाएं हुई हैं, नरसंहार हुए हैं, उनके अनुभव भी थे। हम 1984 के दंगे नहीं भूल सकते, नेल्ली नरसंहार नहीं भूल सकते, मुरादाबाद दंगा नहीं भूल सकते, मेरठ दंगे नहीं भूल सकते। महोदय, ये जो बड़ी-बड़ी आपदाएं हैं, ये भी मैन मेड हैं और इनको हमारे मित्र ने कभी भी सॉल्व नहीं किया।

महोदय, दिल्ली में क्या हुआ था? दिल्ली में 3 हज़ार लोग मारे गए थे। इसके अलावा भी जब अन्य घटनाएं घटित हुईं, तब एक निर्णय लिया गया और उसके बाद एक टास्क फोर्स का गठन हुआ। महोदय, यह कांग्रेस के समय में, यूपीए सरकार के समय में 23 दिसंबर, 2011 को हुआ था। महोदय, गृह मंत्रालय में श्री पीके मिश्रा, पूर्व सचिव भारत सरकार को अध्यक्ष बनाया। वे उस समय प्रधान मंत्री जी के मुख्य सचिव थे। इसमें सचिव एनडीएमए, डिजास्टर मैनेजमेंट गृह मंत्रालय के प्रमुख और कार्य विधि विभाग विधायी संस्थाओं के प्रतिनिधि शामिल हुए और टास्क फोर्स ने अपनी रिकमेंडेशन दी। महोदय, इस रिकमेंडेशन में इन्होंने राष्ट्रीय और राज्य स्तर पर नीतियों, योजना, दिशा-निर्देशों और विनियमों को कवर करने के लिए एनडीएमए और एसडीएमए, यानी State Disaster Management Authority की भूमिका और कार्य को स्पष्ट किया। महोदय, एनडीएमए के सदस्य बहुत थे, इसलिए उसको हटाकर पुर्गठित किया गया।

Contents Page

महोदय, अधिनियम में HLC और NCMC को शामिल किया गया। NEC, SEC को समाप्त किया और NCMC, SCMC को उनके रिस्पाँस के लिए संबंधित कार्य हस्तांतरित किये गये।

महोदय, इसमें राज्य पुलिस के महानिदेशक कहीं नहीं थे। पुलिस महानिदेशक, डीजीपी, जिसकी बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है, वे उसमें शामिल नहीं थे। महोदय, मुझे पुलिस फोर्स में साढ़े सैंतीस साल सेवा करने का मौका मिला है और मैं आपको बताना चाहूंगा कि पुलिस फोर्स ऐसी फर्स्ट फोर्स होती है, जो रिस्पांड करती है, परंतु उस फोर्स को उस एक्ट में नहीं रखा गया था, लेकिन उसे इसमें रखा गया है। इसमें डीजीपी को डाला गया है। इसमें एक चीज़ और की गई है कि अब यह नेशनल स्तर पर NDRF है और स्टेट स्तर पर SDRF है और इसके लिए माननीय गृह मंत्री जी ने पर्याप्त मात्रा में पैसा दिया है।

महोदय, इसके अलावा डिस्ट्रिक्ट के लिए यह किया गया है कि एक District Disaster Management Authority बनाई जाए। यह इस एक्ट में है। इसके साथ ही साथ हमारे जो नगर निगम वाले शहर हैं, राष्ट्रीय राजधानी है, उनके लिए Urban Disaster Management Authority भी बनाई गई है कि यदि वहाँ पर आपदा जैसा कुछ होता है, तो उसका अच्छी तरह से प्रबंधन किया जाए। महोदय, ये टास्क फोर्स की सिफारिशें हैं।

महोदय, इसके अलावा मैं यह भी बताना चाहूंगा कि जब यह सिफारिश आई, तो कोविड 19 महामारी में 15वें वित्त आयोग की सिफारिशों के मद्देनज़र डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, 2005 की गहन समीक्षा की गई। यह बात महसूस की गई और 26 मई, 2020 में गृह मंत्रालय द्वारा एक विशेष समिति बनाई गई। उसके अध्यक्ष श्री कमल किशोर, तत्कालीन मेम्बर एनडीएमए, डिजास्टर मैनेजमेंट प्रभाग मंत्रालय के प्रमुख, स्वास्थ्य क्षेत्र के विशेषज्ञ, अग्नि विशेषज्ञ, राज्य सरकार के प्रतिनिधि, आमंत्रित वित्त प्रधान, वैज्ञानिक सलाहकार थे। महोदय, जो रिकमेंडेशन दी गई थी, उसको इसमें इस तरह से समाहित किया गया कि 2005 में इन्होंने जो half-hearted Act बनाया था, उसमें वृहद् संशोधन की जरूरत है। इससे एक-एक बिंदु कवर किया जा सके। ऐसी तमाम शब्दावलियां थीं, जो परिभाषित नहीं थीं, उसको लाया जाए। महोदय, कभी-कभी यह भी देखा गया है कि जब man-made disaster आया और उसके लिए जो फोर्सेज़ और कर्मी जाते हैं, तो कुछ देशद्रोही तत्व उनको रोकते हैं, उनको बाधा पहुंचाते हैं। उनके लिए 2005 के एक्ट में कुछ नहीं था, लेकिन अब उनके लिए इसमें penal provision रखा गया है कि अगर ये सरकारी अधिकारियों, कर्मचारियों को बाधा पहुंचाते हैं, तो उसके लिए penal provision भी है। महोदय, ये चीज़ें इस आपदा प्रबंधन विधेयक में डाली गई हैं। इसमें जो मुख्य भूमिकाएं हैं – एनडीएमए की भूमिका, कार्य, नीतियों, योजनाओं, दिशा-निर्देशों आदि को शामिल करना, रिस्पॉन्स संबंधी कार्य, एमएचए, एनईसी, एनडीएमसी के डोमेन में होंगे। इसमें तमाम विभाग हैं, नगर निगम वाले शहर हैं और स्टेट के राज्य मोचन बल को अधिकार दिया गया है और लीगल अधिकार दिया गया है, जो पहले नहीं था। महोदय, डेटाबेस का भी प्रोविजन है। इस तरह से यह जो अधिनियम बन रहा है, इसमें जो अमेंडमेंट किया जा रहा है, यह पूरी तरह से परिपूर्ण है। आपदा प्रबंधन में, चाहे वह man-made आपदा हो, चाहे नेचुरल आपदा हो, उसके मोचन में, मिटिगेशन में यह बहुत ही प्रभावी एक्ट होगा। मैं इसके लिए पुनः अपने गृह मंत्री जी को बहुत-बहुत साधुवाद देता हूं कि उन्होंने इसकी आवश्यकता समझी ...(**समय की घंटी**).... आज यह विधेयक आया है और आज इसका एक्ट बनेगा।

Contents Page

SHRI RITABRATA BANERJEE (West Bengal): Sir, I rise today to speak on behalf of my Party, the All India Trinamool Congress. My first submission is that this Bill should have undergone pre-legislative consultation and thorough committee scrutiny as it directly impacts the life, the livelihood and security of 1.4 billion of our countrymen. In the 15th Lok Sabha, 2009-2014, seven out of ten Bills were sent to the committees for scrutiny. In the 17th Lok Sabha, 2019-2024, only two out of the ten Bills were sent for scrutiny. Now, in this Lok Sabha, only one out of ten Bills is sent for scrutiny. In the 17th Lok Sabha, nine out of ten Bills introduced in Parliament were marked by zero or incomplete consultations. ...*(Interruptions)*... In the 17th Lok Sabha, a total of 221 Bills were passed, more than one-third were hurried through with less than a sixty minute discussion. ...*(Interruptions)*...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Come to the topic. ...*(Interruptions)*... Speak on the topic, please.

SHRI RITABRATA BANERJEE: I am speaking, Sir. Let me speak. ...*(Interruptions)*... *

MR. DEPUTY CHAIRMAN: That would not go on record. ...*(Interruptions)*... Shri Ritabrata Banerjee, that would not go on record. ...*(Interruptions)*... बिल के अलावा आप जो भी बोलेंगे, वह रिकॉर्ड में नहीं जाएगा। Please speak on the Bill. ...*(Interruptions)*...

SHRI RITABRATA BANERJEE: Sir, the larger concern here is of legislative... ...*(Interruptions)*...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Please speak on the Bill. आप जो बिल पर बोलेंगे, वही रिकॉर्ड पर जाएगा।

SHRI RITABRATA BANERJEE: The Union and Concurrent Lists under the Seventh Schedule of the Constitution do not include entries related to disaster management. ...*(Interruptions)*...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Yes. Please take your seat. ...*(Interruptions)*...

* Not recorded.

SHRI RITABRATA BANERJEE: While introducing the Bill in the Lok Sabha last year, the hon. Minister of Home Affairs stated that the Bill is derived from Entry 23 of the Concurrent List. Entry 23 pertains to social security, pertains to social insurance, pertains to employment and unemployment. Disaster management does not fall under the ambit of this entry. Where does the Government derive the authority to enact this legislation?

Secondly, nearly two decades have passed since the enactment of the Disaster Management Act, yet this Bill fails to incorporate lessons learnt from its implementation. Let me give you two examples to prove my point. Number one, the Disaster Management Act establishes several authorities at Union, State and district levels. The Amendment Bill seeks to provide statutory status to pre-existing organizations such as the National Crisis Management Committee and a high level committee. Additionally, multiple corporations would come under the jurisdiction of the Urban Disaster Management Authority (UDMA) instead of the District Disaster Management Authority (DDMA). Sir, now, a major concern of the Disaster Management Act has been the excessive centralization, especially on matter of funds. Severity of the disaster is not a criterion for prompt disbursal of funds. The Bill also fails to mention this. Our past experience has shown that you cannot strengthen authorities without necessary financial devolution. States are constantly left at the mercy of the Union Government. Let me explain. After Cyclone Bulbul in 2019-20, the Bengal Government requested close to Rs. 7,500 crores from the NDRF. We received only 13 per cent of the requested funds. Sir, I repeat. We demanded Rs. 7,500 crores. *...(Interruptions)...* Only 13 per cent of the requested funds were received. Then, came Cyclone Amphan. *...(Interruptions)...*

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Please take your seats.

SHRI RITABRATA BANERJEE: Sir, 354 people died, 24,000 livestock lost, and over 5.6 lakh houses were damaged. We only got 6 per cent of the funds we demanded. For Cyclone Yaas, where 18 of our 23 districts were severely affected, and I repeat, Sir, in Cyclone Yaas, 18 of our 23 districts were severely affected, not a single rupee was disbursed by the NDRF. In the hon. Finance Minister's Budget Speech last year, assistance measures were announced for Sikkim, Bihar, Assam, Himachal Pradesh and Uttarakhand. We are genuinely happy for those States. But, why is West Bengal left out again and again? The northern part of Bengal, including Jalpaiguri, Alipurduars, Darjeeling and Kalimpong face some of the worst floods every year. Transboundary waters from Bhutan are flooding the areas. Now, what is happening in

the Northern part? According to the CAG Report, West Bengal suffered average annual damages worth almost Rs. 8,800 crores between 2013 and 2017. This was much higher than the All India average of the last 60 years - I repeat, Sir, much higher than the All India average of the last 60 years. Yet, the Union Government withheld funds and ignored the people of West Bengal. Let me say this on record, this trend of withholding funds to non-NDA States is a violation of our constitutional principles. You cannot combat Ms. Mamata Banerjee politically. You cannot combat Shri Abhishek Banerjee politically. You go on depriving the people of our State. *...(Interruptions)...* You are punishing our State. You are punishing the other States where you cannot win politically. *...(Interruptions)...* You are choking the people simply because they did not vote for you. *...(Interruptions)...* On top of that, not a single rupee has been sanctioned for the Ghatal Master Plan, putting the lives of 17 lakh of our people in Paschim and Pubra Medinipur districts at serious risk. *...(Interruptions)...*

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Please take your seats.

SHRI RITABRATA BANERJEE: Despite the Union Government turning its back on the people of West Bengal, the State Government under the leadership of Ms. Mamata Banerjee has already completed 19 kilometer resuscitation of river bank, using its own resources. Now, Sir, I will come to some very important points. Since 2009, the Bengal Government has received only 7 per cent of the requested funds for disaster relief. I repeat, Sir, we have received only 7 per cent of the requested funds for disaster relief. The expenditure for Central Sector Schemes includes funds for Relief and Rehabilitation, Freedom Fighters' Pensions and Disaster Management. The decrease has been to the tune of 40 per cent from the last year. In 2022, 25 lakh people were displaced due to climate-induced disasters. The aid that was provided for Cyclone Yaas, I have mentioned, was a big zero. This is a calculated decision to penalize the States run by non-BJP parties. The Disaster Management Bill, which you are bringing to Parliament, is also anti-federal. Our party wants this Bill to be examined by a parliamentary committee. Do not rush it like the Farm Laws. This is a request from us. In West Bengal, floods were triggered by the release of water from various reservoirs of the Damodar Valley Corporation without prior intimation to our State Government. These floods which were happening due to the release of water of DVC are completely man-made floods. These are man-made floods where our people are submerged in water. Now, these are man-made floods, and why did the Union Government not engage in dredging and desilting? The West Bengal State

Contents Page

Government and our Disaster Management Department have enough infrastructure to manage rainfall. The Damodar Valley Corporation was set up as the first multi-purpose river valley project of independent India. During the floods in 2024 last year, I personally had the experience to be in a number of districts in Malda. Our M.P., Shrimati Mausam Noor hails from Malda. I have been to the other parts where devastating floods have been there. In 2024, we have the worst floods caused by the Damodar Valley Corporation's release of water since 2009. Around five million people across thousand square kilometres were affected. This happened just before our biggest festival of Durga Puja. Even during Durga Puja, there were areas in Malda which were completely submerged under water. Why were you trying to drown the people of Bengal? We want to ask through you, Sir, as to why they were trying to drown the people of Bengal. Why did the Union Government unilaterally release such huge volumes of water without consulting the State Government concerned? This is not cooperative federalism. It is clear that when disaster strikes, creating multiple authorities will only make coordination harder. This will delay response efforts and ultimately put people at risk. What is baffling is that these provisions go against the very purpose of the Bill. That is why we are telling on behalf of our party, All India Trinamool Congress that Bill must be sent to the Committee on Home Affairs for a thorough scrutiny. Our hon. Chief Minister, Ms. Mamata Banerjee wrote letters to the hon. Prime Minister in the month of September. On 20th and 22nd September, 2024, the hon. Chief Minister of Bengal, Ms. Mamata Banerjee wrote two letters to hon. Prime Minister, Shri Narendra Modi on the flood situation in the State pointing out that all critical decisions to release water were made unilaterally by the representatives of the Central Water Commission (CWC) without arriving at a consensus. This was the second letter that our Chief Minister wrote to the Prime Minister in a span of two days. It was regarding the release of water from the reservoirs controlled by the Damodar Valley Corporation for inundation of large areas in south Bengal.

Sir, through you, I would like to know from the Government under what conditions all critical decisions are made unilaterally by the representatives of the Central Water Commission, Ministry of Jal Shakti, Government of India without arriving at a consensus. Sometimes, water releases take place even without any notice to the State Government, and the request and views of the State Government of West Bengal are completely ignored. At times, the peak releases from the reservoirs of DVC lasting for a prolonged period of nine hours are conducted with only three and a half hours' notice. I repeat, you are releasing water for nine hours and only three and a half hours notice we are getting, which proves insufficient for effective disaster management. Now, I want to mention here that the Bengal Delta,

which is a densely-populated region vulnerable to natural disasters, faces escalating climate calamities including tidal inundation, rising sea level and increased cyclonic activity, potentially displacing millions by 2050. This is the latest report that is arriving throughout the globe. Historically, the Bengal Delta also known as the Ganges-Brahmaputra Delta, has been a region prone to natural calamities particularly, cyclones, severe thunderstorms and floods due to its low-lying flood prone nature and a typical location in the Bay of Bengal. The Bengal Delta is a vast, low-lying area where the Ganges and Brahmaputra rivers flow into the Bay of Bengal, making it a highly vulnerable region to natural disasters. The delta's river systems, including the Ganges, Brahmaputra, Padma and Meghna, all are prone to flooding. They are flowing into the Bay of Bengal. Especially, during the monsoon season, they are prone to flooding, leading to significant disruption and damage.

Sir, I will mention and I will go to the pages of history as to why this Bengal delta is the most vulnerable one. It was the then Governor-General of Bengal, Charles Canning, who desired to form a port in his own name. He was living, but he desired to have a city, a port in his own name. He named that city as 'Canning' on the Matla River. His name was Charles Canning and the port was named as 'Port Canning'. Now, he did not listen to anybody. He said, "Port Canning will become an alternative to Singapore. His name will be there and his name will always be there." Sir, what happened? There was a person, an Englishman, who had served in the Caribbean for a long time. His name was James Spidington. James Spidington had served in the Caribbean as an English Merchant Navy officer. He was staying in Calcutta. He wrote a series of letters to the Governor-General, Charles Canning. He cautioned Charles Canning that the delta river system, including Ganges, had a history of devastating natural disasters, such as the Hooghly River Cyclone of 1737, considered one of the deadliest natural disasters in history. He advised, "Don't create this city, don't create this port in your own name." However, Charles Canning did not listen to his warning. And, in 1867, a disastrous cyclone ravaged the port city of Canning, leaving it a bleached skeleton. We must learn from history and heed the advice of those who understand. *

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Speak on the subject.

SHRI RITABRATA BANERJEE: No, no, I am on the subject, Sir.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Speak on the subject.

* Not recorded.

SHRI RITABRATA BANERJEE: Let me finish, Sir. *...(*Interruptions*)...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Speak on the subject as per rules. It will not go on that record.

SHRI RITABRATA BANERJEE: I will speak on the subject, Sir.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: That will not go on record.

SHRI RITABRATA BANERJEE: I will now come back to my first point. Let me remind the Union Government that when the Disaster Management Bill was introduced in this House in 2005, it was referred to the Committee on Home Affairs. The Committee took the time to gather comments from State and Union Territories, visited disaster affected areas and studied existing disaster laws across States. Now, we have an Amendment Bill coming after nearly two decades. And, in the backdrop of multiple civil disasters, this Bill fails to address the challenges we have.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Your time is over. Ritabrata*ji*, please conclude.

SHRI RITABRATA BANERJEE: Sir, I crave your indulgence. I will take half-a-minute. This Bill does not reflect the challenges we have faced and the lessons we have learned over the last decades. Legislations are meant to serve the people and this House must not let the people of this country down. On behalf of my party, the All India Trinamool Congress, I demand that this Bill be sent to the Committee on Home Affairs for a detailed and thorough scrutiny. Thank you, Sir.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Thank you. Now, Shri R. Girirajan.

SHRI R. GIRIRAJAN (Tamil Nadu): Thank you hon. Deputy Chairman, Sir, for the opportunity. Sir, the Disaster Management Bill (Amendment) Bill, 2024 seeks to legally establish the National Crisis Management Committee and several other panels. India faces a variety of disasters across seasons. This Bill aims to strengthen disaster risk reduction and management by introducing new structures like Urban Disaster Management Authorities. However, its success will hinge on overcoming challenges related to coordination, authority and resource allocation among various levels of

---

* Not recorded.

Contents Page

Government. Sir, the legislation is continuously untenable, as it lacks clarity on various pertinent issues. It will only weaken the Executive Committees related to disaster management. There is a pressing need to streamline our disaster management framework which, despite the best of intentions, ends up causing inordinate delays in the worst movements failing to rescue our fellow Indians caught up in disasters. The lack of financial aid from NDRF, under the perversely misguided assumption that the SDRF funds would suffice, has left us in an unenviable position. Sir, this Bill is an excellent case of minimum decentralization, maximum declamation, at which of course, the current Government excels. The Centre always fails to provide any necessary financial devolution in time. Without proper funding, this disaster management measure will be fruitless.This Bill offers no real resources to revitalize India's urban local bodies. The creation of these bodies could have been a good step towards sustainable urban spaces, but it will be useless without effective devolution of finances and authority. This half-baked provision needs to be amended. It should make a disaster relief a legal right and revive the Parliamentary Forum on Disaster Management to give the MPs' views a chance to be heard. This Bill does not have any of these qualities. Therefore, I urge the Union Minister to withdraw the Bill. Sir, what good will bulldozing this Bill through Parliament do if it cannot prevent another disaster or calamity? There are no provisions for disaster prevention, and collection and compilation of complete data on disasters of high magnitude. Merely creating a framework, that does not actually devolve any powers upon the States, upon local urban bodies, upon self-Government units in our country will not do any good to the people. Sir, our country is running smoothly because of effective administration by the State Governments and local bodies. There is over concentration of powers with the Union Government.There is a need for a genuine attempt to learn from our failures at navigating past disasters to keep up with the challenging realities of our climate change.

What we really need is decentralization of powers and financial autonomy to State Governments.This Bill practically does not speak anything about cooperative federalism; it is rather destroying the structure of federalism. Ultimately, whenever a disaster takes place, the concerned State Government, its whole departments and officers are the primary persons who take the responsibility. Unfortunately, in the last 10 years, continuous attempts are made by this Government deliberately to destroy the federal structure and State autonomy.

The Bill shows much evidence of a further centralization of an already heavily centralized Disaster Management Act. Who will take the decision? Who will do it? Who will perform the duty? The geographical setting of Tamil Nadu makes the State

vulnerable to natural disasters like cyclones, floods and tsunami. A large part of the State is affected by five to six cyclones and depressions every year, of which two to three are severe.

Tamil Nadu has witnessed natural disasters of severe intensity. There have been large-scale losses of lives and colossal damages to the infrastructure during the floods. There have also been extensive damages in several districts during cyclones, for example, Thane, Nilam, Vardha, Ockhi, Gaja, Burevi, Nivar, Mandous, Michaung and Fengal. They have all very badly affected Tamil Nadu besides crippling the entire State due to the severe drought in 2016-17. These are some of the major disasters that have impacted Tamil Nadu during the recent years. The management of these disasters is highly complex and poses serious challenges in all phases of disaster viz., preparedness, response, recovery and risk mitigation.

Sir, over the last 10 years, Tamil Nadu has been subjected to a step-motherly treatment, consistently denied its rightful share in the sanctioning of projects and allocation of resources. This has not only hindered the State's development but has also created a sense of alienation among its people. Sir, allow me to present a few instances before this House to highlight the gravity of the situation.

Tamil Nadu was ravaged by consecutive natural disasters year after year, in the form of cyclones like Michaung, Fengal and floods caused due to unprecedented rainfall in many districts. These disasters have caused a significant damage to the lives, livelihood and property of the people and caused a huge strain on the State's finances.

While the State had submitted two detailed memoranda outlining the extent and magnitude of disasters, seeking a disaster relief of Rs.37,906/- crores, the Union Government released only a meagre amount, of Rs.276/- crores, that too after several months.

Sir, cyclone Fengal has inflicted severe damage across Northern districts of Tamil Nadu, disrupting infrastructure, livelihoods, and daily life. The Chief Minister, Thiru M.K. Stalin, has appealed to the Prime Minister for an immediate interim relief of Rs.2,000 crores from the NDRF. This would help expedite rescue, restoration and rehabilitation process. Considering the gravity of the situation, Rs.944/- crores cyclone relief fund allocated by the Union Government falls significantly short of addressing the widespread damage.

In light of these challenges, I humbly request the Union Government to take immediate steps to support Tamil Nadu more effectively and I also appeal for an enhanced financial package to accelerate the restoration of roads, agricultural fields and other critical infrastructure. Sir, given the magnitude of the disasters and the

3.00 P.M.

colossal damage caused to the infrastructure and livelihoods of people, this compensation is grossly inadequate and is a grave injustice to the State of Tamil Nadu. We expect the Union Government to support the Tamil Nadu Government in designing a long-term rehabilitation plan, including additional financial and logistical support for vulnerable sections such as farmers and low-income communities. This cooperative approach is essential not only for rebuilding the affected regions but also for ensuring resilience against future calamities.

Sir, Tamil Nadu is a pioneering champion in the country and it plays a pivotal role in Indian economic growth. Tamil Nadu's Gross State Domestic Product (GSDP) has risen by 14 per cent to reach Rs. 23,64,514 crore, surpassing the national average in terms of per capita income. Tamil Nadu's per capita income stands at Rs. 3.08 lakh, nearly 56 per cent higher than the national average of Rs. 1.96 lakh. It is a testimony to the significant economic growth, under the Dravidian Model Government, under the dynamic leadership of *Thiru* M.K. Stalin that shed light on the pivotal contributions of the industries and other services sectors in Tamil Nadu. Tamil Nadu, which is the second highest contributor to the Central Exchequer, deserves a better treatment and must be provided with the required relief funds.

Sir, I urge the Union Government to create a separate Ministry for Disaster Management and Relief Measures with generous budgetary allocation to the tune of Rs. 1 lakh crore every year exclusively for disaster prevention and management. To mobilize funds for disaster management, the Union Government can levy and collect "Disaster Management Cess' which can be used exclusively for disaster management, relief and restoration as well as rehabilitation works during calamities of severe nature.

Sir, the Union Government should insist and make it mandatory for profit-making PSUs. I am, once again, reiterating that the Union Government should insist and make it mandatory for profit-making Public Sector Units and private companies to contribute three per cent of its total CSR funds to National Disaster Management. Thank you, Sir.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Thank you. Shri Sanjay Singh.

श्री संजय सिंह (राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली)ः मान्यवर, आपने इस अत्यंत महत्वपूर्ण विषय, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन के बिल पर मुझे अपनी बात कहने का मौका दिया, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं।

मान्यवर, जब देश में कहीं भी राष्ट्रीय आपदा आती है, तो उसमें केंद्र सरकार का रोल, राज्य सरकार का रोल, तमाम सामाजिक संस्थाओं का रोल, राजनीतिक पार्टियों का रोल और एक-एक व्यक्ति की भूमिका महत्वपूर्ण हो जाती है, वरना राष्ट्रीय आपदाओं से निपट पाना बहुत मुश्किल होता है। ...(**व्यवधान**)... मान्यवर, मैं आज हाथ जोड़ कर विनती करूंगा कि कम से कम ऐसे विषय पर टोका-टाकी ना की जाए।

श्री उपसभापति : प्लीज़, आप बोलें।

श्री संजय सिंह : यह ठीक नहीं है। मान्यवर, हर व्यक्ति के जीवन के कई पहलू होते हैं, सामाजिक, राजनीतिक और मैं ऐसी घटनाओं का ना सिर्फ न्यूज़ चैनल पर, टीवी पर गवाह रहा हूं, बल्कि मैंने जाकर ऐसी घटनाओं के वक्त में काम किया है। मेरी 'शहीद चंद्रशेखर आजाद जी' के नाम पर एक संस्था थी, 'आज़ाद समाज सेवा समिति'। मान्यवर, उस वक्त भुज का भूकंप आया था और वह घटना बहुत ही पीड़ादायक थी। 26 जनवरी का दिन था। बच्चे गणतंत्र दिवस का जुलूस लेकर निकल रहे थे और भूकंप आया, तो उसकी चपेट में बहुत सारे बच्चों की मौत हो गई थी। उस समय जॉर्ज फर्नांडिस साहब एनडीए के संयोजक थे। उन्होंने बयान दिया था कि एक लाख लोगों की मौत हुई है। वह बहुत बड़ी घटना थी, बहुत बड़ी त्रासदी थी। यह समझ नहीं आ रहा था कि उसमें हम लोगों की क्या भूमिका हो सकती है? उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर के छोटे से जिले में रहने वाली छोटी-सी संस्था के किसी कार्यकर्ता की भूमिका क्या हो सकती है? हमने शहर के लोगों को, व्यापारियों को, तमाम संस्थाओं को एकत्रित किया, शहर के अंदर जुलूस निकाला और चंदा इकट्ठा किया। अब आगे किस सामग्री जरूरत है? गुजरात में उस वक्त खबरे आने लगी और पूरे देश और दुनिया से बहुत सारी सहायता, सामग्री वहां पर पहुंचने लगी। ये भी खबरें आने लगी कि उन सामग्रियों का सही रूप से सदुपयोग नहीं हो पा रहा है। हमने हेल्पलाइन खोजी कि कहां से बात की जाए, जिससे उनकी मदद हो सके। अहमदाबाद की कच्छी जैन सेवा समाज की एक संस्था मिली। मैंने उन लोगों से संपर्क किया, तो उन्होंने कहा कि यहां पर टैंट की जरूरत है। आप ज्यादा से ज्यादा टैंट लेकर आइएगा और जिन चीज़ों की जरूरत थी, उन चीज़ों की लिस्ट लिखकर दी। मुझे याद है उस वक्त मैं कानपुर गया। वहां से मैंने तिरपाल वगैरह इकट्ठा किए, उनको टैंट की जरूरत थी, वे सारी चीज़ें इकट्ठा की। उस समय ममता जी रेल मंत्री थीं और उन्होंने एक बहुत अच्छा एलान किया था कि जो भी व्यक्ति गुजरात के भूकंप में सहायता के लिए जाना चाहता है, उसको कोई टिकट का किराया नहीं लगेगा और जो सामग्री लेकर जाना चाहता है, तो वह वहां पर लोगों की मदद के लिए सामग्री लेकर जा सकता है। हम लोगों ने अपना एक जत्था तैयार किया। दस-बीस लोग तैयार हुए कि हम जाकर खुद से काम करेंगे। हम अपनी टीम के साथ वहां पर गए और जो उस समिति के साथ, कच्छी जैन सेवा समाज के साथ मिलकर वहां जो मदद हो सकती थी, वह मदद हमने की, लेकिन जो दृश्य देखा, बड़े-बड़े घर गिरे हुए थे, स्कूल गिर गए थे, अस्पताल गिर गए थे, सड़कें टूट गई थीं, तो ऐसा लग रहा था कि ये लोग कैसे खड़े हो पाएंगे। आपदा जब आती है, उस वक्त का जो दृश्य होता है, उसमें मदद की जरूरत होती है, लेकिन उस आपदा के प्रबंधन के खत्म होने के बाद की जो जरूरत होती है, मैं समझता हूं वह बहुत बड़ी जरूरत होती है। उसमें घाव को भरने की जरूरत होती है, पीड़ा को भरने की जरूरत

है, उनके साथ बातचीत करने की जरूरत है, उनकी काउंसिलिंग करने की जरूरत है। वे सड़कें, जो टूटी हैं, उनको बनाने की जरूरत है। बच्चों के स्कूल जो टूट गए हैं, उनको बनाने की जरूरत है। अस्पतालों को बनाने की जरूरत है और इसके साथ-साथ गांव के गांव, जो मिट जाते हैं, बरबाद हो जाते हैं, उनको बनाने की जरूरत है। उसके लिए मैंने उस वक्त देखा था कि बहुत सारी संस्थाओं ने जिम्मेदारी ली थी कि इस गांव के प्रबंधन की जिम्मेदारी हमारी संस्था लेगी, बच्चों को पढ़ाने की जिम्मेदारी हमारी संस्था लेगी। इस प्रकार के काम वहां पर बहुत सारे लोगों ने किए थे। मैं समझता हूं कि एक सरकारी भूमिका है और दूसरी सबसे ज्यादा सामाजिक कार्यकर्ताओं की और राजनीतिक कार्यकर्ताओं की भूमिका है। जब ऐसी कोई बड़ी आपदा आए, तो उसके बाद आपको क्या करना है, कैसे उनकी मदद के लिए खड़ा होना है, यह एक बड़ी भूमिका आपको निभानी है। इसके अलावा तमिलनाडु में सुनामी आई। उस समय सुनामी में मैं अपनी टीम लेकर गया। जब उत्तराखंड की आपदा आई, त्रासदी आई, मैं उस समय आम आदमी पार्टी में था, तो आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ गया। कश्मीर में जब बाढ़ की त्रासदी आई, तो उस समय फिर आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ मैं वहां की त्रासदी में लोगों की मदद करने के लिए, उनके साथ खड़े होने के लिए, उनके सुख-दुख में शामिल होने के लिए जो कुछ भी कर सकता था, मैंने किया। केवल यहीं नहीं, नेपाल की जब त्रासदी आई, तो उसमें भी मुझे शामिल होने का मौका मिला। मैं अपनी डॉक्टर्स की टीम लेकर और दवाएं लेकर वहां गया। ...(**समय की घंटी**)...

श्री उपसभापति : आप कन्क्लूड कीजिए।

श्री संजय सिंह : केवल एक मिनट सर। वहां पर भी जाकर काम किया। मैं आपके माध्यम से सरकार से यही अनुरोध करना चाहता हूं, विनती करना चाहता हूं कि जो भी राष्ट्रीय आपदाएं होती हैं, इस प्रकार की जो आपदाएं होती हैं, उसके प्रबंधन में आपसी आरोप-प्रत्यारोप, राजनीति, एक-दूसरे पर ब्लेम गेम करने से कोई फायदा नहीं होने वाला है, बल्कि जितना आप समाज को जोड़ पाएंगे, जितना संस्थाओं को जोड़ पाएंगे, जितना राजनीतिक पार्टियों को जोड़ पाएंगे ...(**समय की घंटी**)...

श्री उपसभापति : धन्यवाद, संजय जी।

श्री संजय सिंह : जो अधिकतम मदद कर पाएंगे, मैं समझता हूं कि वही राष्ट्रीय आपदा को प्रबंधन करने का सही तरीका है...

श्री उपसभापति : धन्यवाद ।

श्री संजय सिंह : मान्यवर, मैं फिर दोहरा रहा हूं कि एक तात्कालिक मदद की जरूरत होती है। एक दीर्घकालिक मदद की जरूरत होती है।

श्री उपसभापति : धन्यवाद। श्री अयोध्या रामी रेड्डी।

श्री संजय सिंह : दोनों पर सरकार को ध्यान देने की जरूरत है, धन्यवाद।

SHRI AYODHYA RAMI REDDY ALLA (Andhra Pradesh): Thank you, Sir, for giving me the opportunity to speak on the Disaster Management (Amendment) Bill, 2024. This Bill aims to modernise India's disaster management plans, which have been in place since the enactment of the Disaster Management Act, 2005. This Bill addresses the evolving challenges posed by disasters, particularly in light of climate change and urbanisation. This 2024 Amendment is response to lessons learnt from the past disasters and aims to integrate disaster management plans more effectively into national and State-level development plans. Taking the clue from the 15th Finance Commission feedback from various stakeholders and also including the State Governments' feedback, this Amendment has come in a right manner. The important features that are taken into account are based on the data that is available, the information that is fed in, the planning authorities, the urban focus, regular risk assessment and response forces. They have all been taken into consideration while enacting and amending this Bill. There are certain critical issues that need to be addressed in the interest of our country's disaster management. As I told, certainly, keeping the climate change into consideration and also urbanisation into consideration, I see a huge disaster awaiting. We must be prepared as a country to address these disasters. As a country, when I look at this issue, the north has its own problems, and similarly south, east, west and the central regions have their own problems. So, we need to have disaster management plans region-wise, State-wise and also location-wise. We must have a detailed plan on that. We also need to look at the core civil infrastructure, which again has more of urban mobility component. We need to have clear action plans for different disasters. Individual Departments also need to have their own plans. The NHAI, the Railways and the airports all have to do in-depth analysis and every Government Department, on the urban areas, need to plan out their responses at the time of disasters.

On the environmental infrastructure, again, I would say that water is very precious. All the five elements are important. We certainly need to have an effective disaster management plan around our entire environmental infrastructure. The social infrastructure, which is very essential during disaster time, again needs to be effectively put in place. We have to see one by one as to how we will respond in case of fire, in case of flood and so on. Especially in the urban areas, we are building 50-100 storey buildings. We are certainly awaiting disasters. We need to really have a detailed plan on each one of those things and more importantly on the digital

Contents Page

infrastructure. The digital infrastructure, during disasters, is going to impact and that is one connect which we really need to look at.

Then, we have our four important areas. We need to have agriculture-focused disaster management plans, industry-focused disaster management plans, infrastructure-focused disaster management plans and service-focused disaster management plans. There has to be a very clear focus on how to address the manpower issue during disaster, on how the materials will be brought in for relief, and how the entire machinery needs to be worked out. They have to be ready with their disaster plans. Also the money, that needs to be pumped in, has to be clearly mentioned in the plan, and not only mentioned in the plan but money should be made available and it should be made an important point.

The roles between the Central Government, the State Governments and the local bodies should also be clearly laid down and put in specified format about roles, responsibilities, the reporting, the KRAs of every department and their calendars need to be properly kept in place. The rules and guidelines around the disaster management should be laid down. The rules and guidelines for every department need to be in place. If you look at Andhra Pradesh, one of the issues that I have seen regarding the disasters is that Andhra is prone to cyclones. Almost every year, we have one cyclone. Moderate to severe cyclones occur in every two to three years.

In 2019 alone, the cyclones caused losses amounting to more than 5.3 per cent of State's production value. Sir, as you know, the coastline of Andhra Pradesh is very vast. The State accounts for more than 70 per cent of India's shrimp and marine production. It has a lot of agricultural land. You know, it is completely agriculture-based. We have huge amounts of land, primarily, agricultural land, which is facing major problems due to salinity and also on account of floods.

So, with all these things, I personally feel that a Coastal Resilience Programme for Andhra Pradesh needs to be brought in as part of this Bill. And, as I told you, every State, every location and every region must come out with their own focus and that way, we will be ready to face these problems.

Sir, my second point relates to the economic losses around vulnerable communities. During the disaster, the community that is affected the most is the poor. So, especially in Andhra Pradesh, we certainly need to make a specific plan around the poor people and also the people who are dependent on agriculture and aquaculture.

Sir, in Andhra Pradesh, more than 2 lakh hectares of agricultural crops and 2,57,000 farmers were impacted in the 2024 floods, in which almost 19 Districts were impacted. It impacted more than 19,000 hectares of horticulture land, 30,000 farmers

Contents Page

and more than 250 fishing communities, 3,000 kilometers of roads, a lot of electrical substations and transmission lines. Even the early warning systems failed during that time. So, a lot of negative impacts have come up and the unfortunate situation is proper and functional communication and infrastructure was not available at the District levels. Sir, to ensure this, we also have to ensure that right kind of shelters are provided. We came to know that during those periods, proper shelters were not in place, the finances were not in place, and, timely utilization of the funds as also the utilization certificates, which were to be brought in, were not in place.

[THE VICE-CHAIRMAN (SHRI GHANSHYAM TIWARI) *in the Chair.]*

Sir, like that, you know, several issues are there. There are a lot of procedural barriers, which need to be addressed. There are also options of Disaster Risk Evaluation in projects for which approvals are pending.

Sir, one important thing is that this Bill fails to mandate the Disaster Risk Assessment as part of approval process for new infrastructure. This oversight could lead to preventable disasters. To cite an example, Amravati in Andhra Pradesh, which is the new capital city, is sitting on a river bank. I am coming from that place. I know that it is one of the most fertile areas that need to be really supported with the right kind of disaster management plans. Otherwise, you know, we will be paying very heavily down the line. *...(Time-bell rings)...*

Lastly, the disaster relief and compensation are not recognized as enforceable legal rights under this Bill.

उपसभाध्यक्ष (श्री घनश्याम तिवाड़ी) : रेड्डी साहब, कृपया समाप्त करें।

SHRI AYODHYA RAMI REDDY ALLA: I am concluding, Sir. We have to ensure establishment of a disaster relief and compensation plan along with a standardized compensation framework. With these words, I conclude. We support the Bill.

उपसभाध्यक्ष (श्री घनश्याम तिवाड़ी) : श्री मानस रंजन मंगराज – 8 मिनट।

SHRI MANAS RANJAN MANGARAJ (Odisha): Sir, I thank you for giving me the opportunity to participate in the discussion on the Disaster Management Amendment Bill, which has been introduced in the House. In this context, I would like to inform you about the disaster management from the perspective of my State, Odisha.

In the last 25 years, Odisha has faced 17 major floods, 11 droughts and nearly a dozen cyclones. Between the period from 2000 to 2020, the State suffered losses amounting to 8.5 lakh crores due to cyclones and storms, whereas the Central Government provided Odisha an assistance of Rs. 7,500 crores, which is less than one-tenth of the loss.

Such an approach by the Central Government is deeply distressing for the affected States.Therefore, it is essential that the Central Government adopt a forward-thinking policy to effectively manage disaster response and recovery. Sir, on October 29, 1999, Odisha faced an unprecedented disaster in the form of Super Cyclone. Villages were submerged in the sea. While the official death toll was recorded at 10,000, the actual number was significantly higher. The Cyclone destroyed 13 lakh hectares of paddy crops, 1.76 lakh hectares of horticulture crops and 2.5 lakh hectares of other crops. However, 1999 marked the last year of such unstructured response. Learning from history, our leader, Shri Naveen Patnaik, envisioned a robust disaster management strategy. Post 1999, Odisha has faced several powerful cyclones, including Phailin in 2013, Hudhud in 2014, Titli in 2018, Fani in 2019, Amphan in 2020 and Yaas in 2021. However, under the remarkable leadership of Shri Naveen Patnaik, the impact of these cyclones has been significantly minimized. Odisha has not only managed cyclone response effectively, but it has also excelled in handling various other disasters. Due to these efforts, the Odisha State Disaster Management Authority was honoured with Subhash Chandra Bose Aapda Prabandhan Puraskar by the Central Government. The United Nations has also recognised Naveen Patnaik's guiding principle 'every life is precious'. The U.N. praised Odisha's management of Cyclone Phailin in 2013, and in 2019, it lauded the Odisha Government's handling of Cyclone Fani. Our leader, Shri Naveen Patnaik, has successfully created disaster warriors in every household, transforming Odisha into a disaster-resilient State. Sir, it is ironic that despite Odisha's exemplary disaster management performance, the Central Government has not extended any significant assistance from the National Disaster Response Fund to our State. The proposed Amendment Bill raises further concerns regarding NDRF allocations. The original 2005 Act defined disaster response as 'addressing any threatening disaster situation or disaster'. However, the Amendment seeks to redefine it as 'for meeting different aspects of disaster management'. This change is worrisome for us. Instead of decentralising the usage of National Disaster Response Fund, the Central Government appears to be asserting greater control over it, which raises suspicions. The centralization may create further conflicts and delays in the relief measures during disasters. According to a report by the NITI Aayog, urban areas contribute 60 per

cent to India's GDP. However, the Amendment Bill focuses on decentralizing disaster management through NDMA, the National Disaster Management Authority, and SDMA, the State Disaster Management Authority, without ensuring financial empowerment. Without financial devolution, such decentralisation will only create more problems. The original Act clearly outlined the responsibilities of officials at national, State and district levels. But the proposed Bill appears to have contradictory intentions. Despite the Biju Janata Dal Government's extensive experience and exemplary performance in disaster management, Odisha continues to be neglected in NDRF allocations. While the Central Government acknowledges Odisha's success with words of praise, it has failed to provide tangible financial support. Thus, there is an urgent need for a disaster management policy that truly benefits affected States. Before passing this Bill, I urge the House to seriously consider these crucial aspects. Thank you, Sir.

श्री संजय यादव (बिहार) **:** महोदय, सरकार की ऐसी प्रवृत्ति बनती जा रही है कि हर बिल में केंद्र की शक्तियां बढ़ें और राज्यों की घटे - सारे ऐसे अमेंडमेंटेस लाए जा रहे हैं। जब राज्य सशक्त होंगे, तो देश और संघ अपने आप समृद्ध और शक्तिशाली होगा। यह जो Disaster Management (Amendment) Bill है, इसको पढ़ने के बाद मैंने कुछ चीजें observe की हैं, उनको मैं साझा करना चाहूंगा।

सर, वैसे अक्सर देखने में आता है कि जब कोई आपदा आती है, तो उसमें आपदा जीत जाती है, लेकिन प्रबंधन हार जाता है। अब बिहार के संदर्भ में कहें, तो बिहार का 73 per cent area flood prone है, यानी बाढ़-प्रभावित क्षेत्र है। वहाँ लाखों की संख्या में लोग बाढ़ से प्रभावित होते हैं। बाकी राज्य तो अपनी बारिश की पीड़ा भुगतते हैं, लेकिन बिहार ही एक ऐसा राज्य है कि दूसरे देश में जो बारिश होती है, वह उसकी पीड़ा को भुगतता है। नेपाल में जो बारिश होती है, उसकी पीड़ा को बिहार के लोग झेलते हैं।

सर, भारत में बाढ़ का जो कुल वार्षिक नुकसान होता है, उसका 30 से 40 परसेंट अकेला बिहार झेलता है। ...(**व्यवधान**)...

श्री जयराम रमेश: सर, मंत्री जी सुन रहे हैं? ...(**व्यवधान**)...

उपसभाध्यक्ष (**श्री घनश्याम तिवाड़ी**) : मंत्री जी सुन रहे हैं। ...(**व्यवधान**)...

श्री जयराम रमेश : मंत्री जी वहाँ बैठे हैं। ...(**व्यवधान**)...

उपसभाध्यक्ष (**श्री घनश्याम तिवाड़ी**) : आगे दो-दो मंत्री बैठे हैं। ...(**व्यवधान**)...

श्री जयराम रमेश : वे वहाँ बैठे हुए हैं। ...(**व्यवधान**)...

उपसभाध्यक्ष (श्री घनश्याम तिवाड़ी) : सुनने के लिए कानों की जरूरत होती है। ...(**व्यवधान**)... उनके कान खुले हुए हैं।

श्री संजय यादव : सर, बिहार में लोग सिर्फ बाढ़ से ही नहीं, बल्कि सुखाड़ से भी प्रभावित होते हैं। बिहार में ठनका, जिसको यहाँ वज्रपात कहते हैं, उससे भी सैकड़ों की संख्या में लोग मरते हैं और heat wave यानी लू से भी लोग मरते हैं। ...(**व्यवधान**)...

उपसभाध्यक्ष (श्री घनश्याम तिवाड़ी) : आपकी श्रवण शक्ति ठीक है।

श्री संजय यादव : सर, इस प्रकार बिहार में सबसे अधिक मौतें प्राकृतिक आपदा से होती हैं। हम जानते हैं कि इधर बिहार राज्य की सरकार को डिजास्टर मैनेजमेंट में अपेक्षित सहयोग नहीं मिलता, लेकिन अब चिंता की बात नहीं है, क्योंकि इस नवंबर से वह समस्या भी खत्म हो जाएगी। ...(**व्यवधान**)... सर, मेरी मांग है कि बिहार के लिए एक dedicated disaster budget होना चाहिए। ...(**व्यवधान**)...

उपसभाध्यक्ष (श्री घनश्याम तिवाड़ी) : आप विराजिए। ...(**व्यवधान**)... आप बैठिए।

श्री संजय यादव : सर, बिहार के लिए एक dedicated disaster budget होना चाहिए, क्योंकि डिजास्टर से सबसे अधिक प्रभावित बिहार राज्य है, चाहे वह बाढ़ हो, सुखाड़ हो, ठनका हो या heat wave हो। इसलिए जो annual budget बने, उसमें अभी से बिहार के लिए आप एक समर्पित बजट बना दीजिए। आप सिर्फ चुनावी साल के लिए बजट मत बनाइए। वहाँ हर साल बाढ़ आती है, हर साल ठनका गिरता है, हर साल heat wave रहती है। सर, चूंकि बिहार में maximum population rural areas में रहती है, तो rural areas में disaster preparedness की क्षमता को बढ़ाया जाना चाहिए, जो कि अभी है ही नहीं। न तो उसे राज्य सरकार कर पा रही है और न ही केंद्र सरकार कर पा रही है।

सर, disaster relief को legal right बनाना चाहिए। इस अमेंडमेंट में यह प्रावधान भी होना चाहिए। इससे पहले National Disaster Management Act (NDMA) में जो आपदा प्रभावित लोग थे, उनको कर्ज माफ करने की जो शक्ति थी, वह इस एक्ट में वापस ले ली गई है। ऐसा नहीं होना चाहिए था। आपदा प्रबंधन की प्रतिबद्धता केवल प्राकृतिक आपदाओं तक ही सीमित नहीं रहनी चाहिए, बल्कि इसमें man-made disaster और climate-induced disaster को भी शामिल करना चाहिए। जैसे, हम लोग दिल्ली में रहते हैं, देखते हैं कि world's most polluted countries में हमारा देश तीसरे नंबर पर है, world's most polluted cities में, top 15 में 13 शहर हमारे देश के हैं और अगर हम इंडिया के ऐसे cities की बात करें, तो उन most polluted cities में बिहार के भी 7 शहर हैं। इसलिए हमें पोल्यूशन को भी डिजास्टर मैनेजमेंट की कैटेगरी में शामिल करना चाहिए, ऐसा मेरा सुझाव है और मांग भी है।

सर, इसके अलावा, जैसा मैंने कहा कि बिहार में ठनका गिरने से, वज्रपात से प्रति वर्ष सैकड़ों की संख्या में मौतें होती हैं, तो उसको भी आप डिजास्टर मैनेजमेंट में जरूर शामिल करें।

इसके साथ ही रिसेंटली क्राउड मैनेजमेंट के बारे में एक चीज देखने में आयी। देश भर में भगदड़ की अनेकों घटनाएं होती हैं। अभी हाल में कुंभ में भी हुई, दिल्ली रेलवे स्टेशन पर भी हुई और अन्य जगहों पर भी जो धार्मिक या सामाजिक आयोजन होते हैं, उनमें भी भगदड़ की घटनाएं होती है। उसके लिए भी एक Standard Operating Procedure (SOP) होना चाहिए, उसको बनाना चाहिए और डिजास्टर मैनेजमेंट में उसको सम्मिलित करना चाहिए। ऐसा नहीं कि उसके घटित होने के बाद ही आप एक्ट करें। अगर उसका अंदेशा भी है, तो उसमें भी आप एक्ट कीजिए। महोदय, आपदा में अवसर के नारे से आपदा प्रबंधन नहीं होगा। आप आपदा में अवसर के नारे लगाते हैं, तो उसमें आप क्या करते हैं, उसमें आप बाजार को प्रोत्साहित करते हैं। अगर कोरोना आ गई, तो भैया, आप मास्क बना लीजिए, आप यह equipment बनाने की फैक्ट्री खोल लीजिए। नहीं, पहले आप आपदा को रोकने का काम कीजिए। आपदा में आप आपदा को जिता देते हैं, लेकिन प्रबंधन हार जाता है, इसलिए उसमें वह काम होना चाहिए।

सर, आपदा प्रबंधन को आपदा आने या आपदा हो जाने या आपदा के अंदेशे या सूचना के बाद ही हरकत में आने की इस कार्य प्रणाली को बदलना होगा। आपदा पूर्व ही राहत एवं बचाव की तैयारी करनी चाहिए और जो आपदा प्रभावित लोग हैं, उनको आर्थिक मदद देनी चाहिए। जैसे मैंने कहा कि उसको लीगल राइट बनाना चाहिए। महोदय, किसी भी आपदा में शून्य मृत्यु को ही लक्ष्य मान कर आगे बढ़ना चाहिए और बिहार जैसे जो पिछड़े राज्य हैं, गरीब राज्य हैं, उन राज्यों पर विशेष रूप से केंद्र सरकार की नजर रहनी चाहिए, क्योंकि मैन मेड डिजास्टर भी है, क्लाइमेट इंड्यूस्ड डिजास्टर भी है और वहाँ नेचुरल डिजास्टर तो है ही। बिहार तो इसको ऐसे झेलता है, जैसे मैंने कहा कि अन्य देश की बारिश को भी हम झेलते हैं। बिहार में जितने लोग डिजास्टर से, आपदा से प्रभावित रहते हैं, उस अनुपात में केंद्र सरकार बजट नहीं देती है। पहले की यूपीए सरकार में एक बार बाढ़ आने पर हजार-हजार करोड़ रुपए प्रधान मंत्री देते थे। प्रधान मंत्री स्वयं दौरा करते थे। इस सरकार में न गृह मंत्री जाते हैं, न प्रधान मंत्री जाते हैं। महोदय, क्या बिहार देश से बाहर है?...(**समय की घंटी**)...

उपसभाध्यक्ष (श्री घनश्याम तिवाड़ी) : माननीय सदस्य, आप अपना भाषण समाप्त करें।

श्री संजय यादवः महोदय, पलायन भी बिहार से सबसे अधिक होता है, इसलिए बिहार पर विशेष दृष्टि देनी चाहिए, धन्यवाद!

उपसभाध्यक्ष (श्री घनश्याम तिवाड़ी) : धन्यवाद। श्री रामजी लाल सुमन। अनुपस्थित। श्री नरेश बंसल। 15 मिनट।

श्री नरेश बंसल (उत्तराखंड) : उपसभापति जी, मैं आपका आभारी हूँ कि आपने मुझे आपदा प्रबंधन के संशोधन बिल पर बोलने का अवसर प्रदान किया। इसके साथ ही मैं अपने वरिष्ठ नेतृत्व का भी आभारी हूँ, जिन्होंने मुझे इस चर्चा में भाग लेने के लिए अधिकृत किया।

मान्यवर, आपदा से सुरक्षा सशक्त राष्ट्र की पहचान है। यह संशोधन विधेयक देश की आपदा प्रबंधन प्रणाली को अधिक सशक्त और प्रभावी बनाने की दिशा में एक अहम कदम है।

Contents Page

उत्तराखंड एक आपदा संवेदनशील राज्य है, जहाँ भूकंप, भूस्खलन, बाढ़, जंगल की आग और बादल फटने जैसी प्राकृतिक आपदाएँ लगातार आती रहती हैं। चूँकि मैं उत्तराखंड से आता हूँ, इसलिए इस प्रकार की आपदाओं से निरंतर उत्तराखंड वासियों का सामना होता है।

मान्यवर, 1991 में उत्तर काशी का भूकंप आया, जो 6.5 की तीव्रता से भी अधिक का था, जिसमें साढ़े सात सौ से ज्यादा लोग काल कवलित हुए, हजारों पशुओं और मकानों की हानि हुई। वहाँ पर एक अवसाद का वातावरण था। मान्यवर, मैंने उस आपदा को बड़े निकट से देखा है। उस आपदा के समय चारों ओर निराशा का वातावरण था। सामाजिक संस्थाएँ भी राहत की सामग्री लेकर जा रही थीं, लेकिन प्रबंधन न होने के कारण एक प्रकार से आपदा टूरिज़्म, जिसे कहें, वह शुरू हुआ। अनेक संस्थाएँ राहत सामग्री लेकर जाती थीं, लेकिन वितरण की समुचित व्यवस्था न होने के कारण वे सड़क पर ही छोड़ कर आ जाते थे। सड़क के पास के गांव में उस सामान को होर्डिंग करने की प्रवृत्ति भी उत्पन्न हुई, अनेक प्रकार के झगड़े की घटनाएँ भी हुईं। उस आपदा के समय मुझे वहाँ पर राहत और पुनर्वास कार्य में काम करने का मौका मिला।

मान्यवर, मैं संघ का कार्यकर्ता रहा हूँ। संघ की ओर से उसमें राहत और पुनर्वास कार्य करने के लिए एक राष्ट्रीय स्तर पर समिति बनी - 'उत्तरांचल दैवी आपदा पीड़ित सहायता समिति'। मैं 20 वर्षों तक उसका संस्थापक महामंत्री रहा हूँ। उस समिति ने वहाँ पर सबकी सहायता से राहत और पुनर्वास का जो काम किया, उनमें सबसे पहला काम तो यह था कि उस आपदा में जो लोग दब गए थे, उनके शव को निकालने का काम किया। इसके लिए बड़ी संख्या में युवा साथ में जुटे और वह काम हुआ। उसके बाद वहाँ पर जो बालक थे, उनकी शिक्षा की व्यवस्था की गई, पुनर्वास की व्यवस्था की गई। टेंटों में पहले रहना, सामग्री देना, उससे भी आगे चल कर गांव वालों को साथ में खड़ा करके उनके बीच में जागरण करके उनकी हिम्मत बंधा कर, कार्यकर्ताओं ने भटवाड़ी ब्लॉक के 55 गांव गोद लेकर, उनके पुनर्वास का काम किया और 10 गांव में 410 ग्रामीणों का सहयोग से मकान भी बनाए।

इसके अलावा, उन्होंने बच्चों की शिक्षा का प्रबंध किया, 55 गांवों में एकल विद्यालय, कुछ प्राइमरी स्कूल्स, जूनियर हाई स्कूल्स, तीन छात्रावास बनाए। मान्यवर, वे छात्रावास आज भी चल रहे हैं और क्षेत्र में उनकी बड़ी प्रसिद्धि है। उस छात्रावास के पढ़े-लिखे बच्चे आज बड़े-बड़े पदों पर पहुंचे हैं। जहाँ सरकार की ओर से बड़ी-बड़ी व्यवस्थाएं होती हैं, वहाँ इन सारी व्यवस्थाओं के लिए समन्वय की आवश्यकता होती है। आपदा के प्रबंधन के लिए 2005 में आपदा प्रबंधन का कानून बना। 2016 में राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने देश की पहली राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन योजना विकसित की। योजना को वर्ष 2019 में संशोधित किया गया। संशोधित NDMP केंद्र और राज्य स्तर के सभी क्षेत्रों, मंत्रालयों और विभागों के साथ-साथ जिला स्तर के पदाधिकारियों को एक साथ लाता है और आपदा जोखिम न्यूनीकरण में उनकी संबंधित भूमिकाओं और जिम्मेदारियों को परिभाषित करता है। NDMA ने विभिन्न विषयगत और cross-cutting मुद्दों पर जोखिम विशिष्ट आपदा के प्रबंधन के लिए 38 दिशानिर्देश जारी किए हैं। NDMA विभिन्न मंत्रालयों और विभागों की आपदा प्रबंधन योजनाओं की समीक्षा कर इनपुट प्रदान करता है और अनुमोदन प्रदान करता है। NDMA ने अब तक विभिन्न मंत्रालयों और विभागों की 36 आपदा प्रबंधन योजनाओं को अनुमोदित किया है। 23 सितंबर, 2019 को न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र जलवायु कार्रवाई शिखर सम्मेलन में प्रधान मंत्री जी द्वारा आपदा प्रतिरोधी अवसंरचना संगठन का शुभारंभ किया गया था।

अब तक 42 देशों और सात अन्य संगठन सदस्य के रूप में इसमें शामिल हुए हैं। CDRI वर्तमान में 13 छोटे द्वीपीय विकासशील देशों को उनकी बुनियादी अवसंरचना प्राणियों को आपदा प्रतिरोधी बनाने में सहायता कर रहा है। इसके अतिरिक्त CDRI बिजली और दूरसंचार जैसे विशिष्ट विकास क्षेत्रों में आपदा resilience को एकीकृत करने का काम कर रहा है।

मान्यवर, विभिन्न प्रकार की आपदाएं, जैसे चक्रवात के समय जोखिम, शमन और मोचन के लिए एक web आधारित Dynamic Composite Risk Atlas और Decision Support System (Web-DCRA & DSS tool) विकसित किया गया है। इस उपकरण का उपयोग हाल के चक्रवातों, जैसे- Biparjoy, जो जून, 2023 में आया था और चक्रवात Michaung, जो दिसंबर, 2023 में आया था, उनमें इसने सफलतापूर्वक काम किया है। National Remote Sensing Centre (NRSC) द्वारा पश्चिमी बंगाल, आंध्र प्रदेश, बिहार, ओडिशा, असम और उत्तर प्रदेश जैसे अधिक बाढ़ संवेदनशील राज्यों के लिए और जम्मू-कश्मीर, तमिलनाडु, केरल, गुजरात, अरुणाचल प्रदेश, कर्णाटक और महाराष्ट्र जैसे तुलनात्मक रूप से कम बाढ़ प्रभावित राज्यों के लिए बाढ़ जोखिम एटलस भी विकसित किया गया है। इसी प्रकार, भवन निर्माण सामग्री एवं प्रौद्योगिकी संवर्धन परिषद् (BMTPC) द्वारा एक डिजिटल एटलस विकसित किया गया है, जो देश के विभिन्न हिस्सों में विभिन्न खतरों के प्रति संवेदनशीलता को दर्शाता है।

मान्यवर, भारतीय हिमालयी क्षेत्र में 28,000 हिमनद हैं। जिलों का एक व्यापक dataset तैयार किया गया है। भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) सभी संभावित प्रभावित राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के लिए चक्रवात सहित नियमित और सटीक मौसम पूर्वानुमान और चेतावनी बुलेटिन जारी करता है।

मान्यवर, इस अधिनियम में डेटाबेस संशोधन हुआ है, क्योंकि किसी भी योजना को बनाने में डेटा की बहुत आवश्यकता होती है। उत्तराखंड एक आपदा वाला राज्य है, जलवायु परिवर्तन, बाढ़, भूकम्प और चक्रवात जैसी आपदाओं की बढ़ती घटनाओं के कारण सशक्त आपदा प्रबंधन प्रणाली की आवश्यकता पहले से कहीं अधिक हो गई है। उत्तराखंड हिमालयी क्षेत्र में स्थित राज्य है, जहां भूगर्भीय हलचलों के कारण भूकम्प का खतरा अधिक है। मान्यवर, हमने वर्ष 2013 में देखा कि जब केदारनाथ की बाढ़ आई, तब किस प्रकार से — आज federal system की बड़ी चर्चा होती है, जबकि मोदी जी की सरकार आपदा के समय सहायता का काम करती है — वर्ष 2013 में जब आपदा आई और सैकड़ों लोग दब गए, तब केंद्र में यूपीए की सरकार ने आठ दिन तक कोई सुध नहीं ली। हमारे वर्तमान प्रधान मंत्री जी, उस समय गुजरात के मुख्य मंत्री थे, वे स्वयं वहां आए और तीन दिन तक वहां रहे। मैं उस समय पार्टी का महामंत्री होने के नाते राहत कार्य देख रहा था। वे वहां तीन दिन तक रहे, पर केंद्र के इशारे पर उनको वहां जाने नहीं दिया। उस समय गुजरात से जो राहत सामग्री भेजी गई, जो गुजरात किट, मोदी किट के नाम से मशहूर हुई, उसके आर्टिकल भी अखबारों में छपे। उसमें दैनिक जीवन में आवश्यकताओं की जितनी भी चीजें हो सकती हैं, नमक से लेकर सब चीज़ें बड़े व्यवस्थित ढंग से थीं। * यह भी देखने में आया था, यह उस समय के अखबारों में भी देख सकते हैं।

श्री प्रमोद तिवारी : सर, आप इनको ऑथेंटिकेट करने को कहिए।

* Not recorded.

Contents Page

उपसभाध्यक्ष (श्री घनश्याम तिवाड़ी) : माननीय सदस्य, आप समाचार पत्रों के आधार पर नहीं बोल सकते।

श्री नरेश बंसल : सर, मैंने समाचार पत्रों के आधार पर कहा है।

उपसभाध्यक्ष (श्री घनश्याम तिवाड़ी) : आप समाचार पत्रों के आधार पर नहीं कह सकते।

श्री नरेश बंसल : सर, अगर नहीं कह सकते हैं, तो आप डिलीट कर दीजिए।

उपसभाध्यक्ष (श्री घनश्याम तिवाड़ी) : वह, अपने आप हो जाएगा। आप अपनी बात बोलिए।

श्री नरेश बंसल : उस समय माननीय मोदी जी कह कर आए थे कि हम केदारनाथ का पुनर्निर्माण और वहां आपदा से जो भी नुकसान हुआ है, उसकी पूर्ति करना चाहते हैं। उस समय की सरकार ने केंद्र की सरकार के इशारे पर नहीं करने दिया, लेकिन जब मोदी जी केंद्र में प्रधान मंत्री बने, तब उन्होंने उसका जो पुनरुद्धार किया, वहां का जो सौंदर्यीकरण किया है, उससे आज वहां पर श्रद्धालुओं की संख्या पहले से कई गुना बढ़ गई है। सारी सुविधाएं हो गई हैं। केवल केदारनाथ ही नहीं, बल्कि उसके बाद बद्रीनाथ का मास्टर प्लान बना और हमारे यहां अब चार धाम यात्रा पूरे सीज़न भर हो गई है, केवल सीज़न की नहीं रह गई। उसे 12 मासी यात्रा बनाने का काम मोदी जी के द्वारा हुआ है। आपदा प्रबंधन की दृष्टि से जितनी भी आपदाएं आईं, उनमें हमारी चाहे सिलक्यारा की आपदा हो, अभी माणा में ग्लेशियर फटा, उस समय की आपदा हो, तो केंद्र के सहयोग से आपदा प्रबंधन मंत्रालय के सहयोग से उन आपदाओं में कोई जनहानि नहीं होने दी। अभी माणा में जो ग्लेशियर फटने की आपदा हुई, उसमें बीआरओ के मज़दूर फंसे थे, उनको बड़ी सफलतापूर्वक NDRF, SDRF और सेना के सहयोग से रेस्क्यु किया गया, जिससे करीब 50 लोगों की जान बची। उसके पहले सिलक्यारा की जो घटना हुई, उसे सबने देखा। सबके सामने विश्व को चकित करने वाली वह घटना थी, लेकिन उसमें भी सफलता पूर्वक - एक भी मज़दूर की जनहानि नहीं हुई – उनको निकालने का काम हुआ। जब से आपदा मंत्रालय 2015 से बना है और गृह मंत्रालय के अंतर्गत आपदा का यह काम चल रहा है, सब जगह एनडीआरएफ और एसडीआरएफ बन रही हैं, हमारे यहां हल्द्वानी में भी उसकी कंपनियां तैनात हुई हैं। हर आपदा के समय वे दिखाई देती हैं।

मान्यवर, महाकुंभ के समय में भी जो एनडीआरएफ की टीमें थीं - मैं खुद महाकुंभ में गया था - देश के 66 करोड़ लोगों ने देखा कि कुंभ के समय किस प्रकार से एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की कंपनियां वहां विनम्रता के साथ श्रद्धालुओं का सहयोग कर रही थीं और उसके कारण वहां एक भी दुर्घटना नहीं हुई। यह आपदा प्रबंधन का जो काम है, आपदा के जो न्यूनीकरण का काम है। ये सब आदरणीय अमित शाह जी के नेतृत्व में बहुत अच्छे ढंग से हो रहा है, उसको और सशक्त करने के लिए, उसमें और समन्वय करने के लिए, जिससे त्वरित सूचनाएं मिलें।

आज हमारे यहां डॉपलर लगे हैं। Early warning system लगे हैं, जिसके कारण आपदाओं की पहले से जानकारी मिल जाती है, तो आपदाएं घटेंगी, लेकिन उसमें जान-माल की हानि बचाने

में हम सफल होते हैं। इस प्रकार से आपदा के समन्वय करने की दृष्टि से, data जुटाने की दृष्टि से, उसके आधार पर राज्यों को सहायता करने की दृष्टि से जो मंत्रालय द्वारा यह Amendment Bill लाया गया है, यह बहुत ही उपयोगी है। सर, इससे संघ और राज्य सरकारों की भूमिकाएं और अधिक स्पष्ट होंगी और राहत और पुर्नवास कार्यों में तेजी आएगी। इस विधेयक में आपदा की परिभाषा का विस्तार किया गया है, जिससे glacier पिघलने, जलवायु परिवर्तन और जैविक आपदाओं को भी शामिल किया गया है। स्थानीय प्रशासन और समुदायों की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए राज्यों को अधिक अधिकार दिए गए हैं। उत्तराखंड में तकनीकी उपायों, satellite imaging, AI आधारित पूर्वानुमान तकनीक को बढ़ावा देने की योजना है। पूर्वानुमान प्रणाली में सुधार, समय पर चेतावनी मिलने से जान-माल की क्षति को कम किया जा सकेगा। आपदा प्रबंधन बल की मजबूती, राज्य की rescue और राहत टीमें अधिक प्रशिक्षित और सशक्त होंगी। स्थानीय स्तर पर राहत कोष में वृद्धि, जिससे छोटे कस्बों और गांवों में तुरंत राहत प्रदान की जा सकेगी। आपदा की परिभाषा का विस्तार, महामारी, जैविक आपदाओं और आधुनिक खतरों को भी शामिल किया गया है। ...(**व्यवधान**)...

उपसभाध्यक्ष (श्री घनश्यान तिवाड़ी) : आप समाप्त कीजिए।

श्री नरेश बंसल : सर, अभी मैं कन्क्लूड कर रहा हूं। ...(**समय की घंटी**)... नए तकनीकी उपायों का समावेशन, आपदा पूर्वानुमान, data analytics और कृत्रिम बुद्धिमत्ता के उपयोग को बढ़ावा दिया जाएगा। ...(**व्यवधान**)... धन्यवाद।

उपसभाध्यक्ष (श्री घनश्याम तिवाड़ी) : धन्यवाद। डा. अशोक कुमार मित्तल। आपके पास पांच मिनट का समय है।

डा. अशोक कुमार मित्तल (पंजाब): उपसभाध्यक्ष महोदय, आपने मुझे the Disaster Management (Amendment) Bill, 2024, पर बोलने का मौका दिया। सर, मैं समझता हूं कि यह सिर्फ कागजों का पुलिंदा नहीं है, बल्कि उस मां की उम्मीद है, जो बच्चे को सीने से लगाकर बाढ़ के पानी से बचाना चाहती है। यह उन किसानों का भरोसा है, जो अपनी मेहनत को डूबते देख आंसू बहाते हैं। सर, भारत अपनी geo-climatic conditions और socio-economic factors के कारण विभिन्न प्रकार की आपदाओं के प्रति अत्यधिक sensitive है। हमारे देश में बाढ़ भी आती है, सूखा भी होता है, cyclones भी आते हैं, tsunami भी आती है, भूकंप भी आते हैं, शहरी बाढ़ भी आती हैं, landslides भी आते हैं, हिमस्खलन भी आते हैं, जंगल की आग जैसी आपदाएं भी लगातार हमारे सिर पर मंडराती रहती हैं। देश में कुल 36 राज्यों और UTs में से 27 disaster-prone हैं। लगभग 58 प्रतिशत भूमि medium and strong earthquake के खतरे में है। करीब 12 प्रतिशत क्षेत्र बाढ़ या नदी के कटाव से प्रभावित हैं। 57 किलोमीटर की coastline cyclones और tsunami के प्रति sensitive है। 68 प्रतिशत कृषि भूमि सूखे के जोखिम में है। 15 प्रतिशत भूमि भूस्खलन के जोखिम में है। 5100 शहरी निकाय शहरी बाढ़ से प्रभावित हैं। इसके अलावा fire incidents, industrial accidents, chemical, biological, radioactive सामग्री से जुड़ी जो

मानव निर्मित आपदाएं हैं, वे इनके अलावा हैं। सर, जब आपदा आती है, तब न अमीर होता है, न गरीब होता है और न ही वह जात-पात देखती है। सिर्फ तबाही ही तबाही नजर आती है। वर्तमान बिल the Disaster Management Act, 2005 को अमेंड कर उससे आधुनिक आज की जरूरतों के अनुरूप बनाने के लिए यह कदम है, जो सराहनीय है और हम सरकार के इस प्रयास का स्वागत करते हैं। इसमें कई नए कदम हैं। जैसे National Disaster Management Authority, State Disaster Management Authority के बारे में बताना जरूरी है, जो आपदा की preventive और आगे की चीज़ों को देखेंगे। सर, आपदा से निपटने के लिए राज्यों की तैयारी का भी वैलिडेशन भी करेंगे, valuation भी करेंगे और audit भी करेंगे। State Disaster Reaction Force को जरूरी बनाया गया है। NCMC, HLC को कानूनी दर्जा दिया गया है। ये बहुत अच्छी चीज़ें हैं। इसके साथ-साथ कुछ चिंताएं और सुझाव भी हैं, जिनके बारे में मैं कहना चाहूंगा। सर, Clause 5 के तहत NDMA को राष्ट्रीय योजना की जिम्मेदारी दी गई है, जिससे शायद राज्यों की स्वतंत्रता सीमित हो। क्लॉज छह के तहत NCMC और HLC के statutory status से केंद्र के अधिकार मजबूत होंगे और शायद स्थानीय स्तर पर राहत पहुंचाने में देरी हो।

महोदय, क्लॉज 26 में SDRF के गठन के लिए स्पष्ट धन और संसाधनों का प्रावधान होना चाहिए, ताकि स्टेट्स के पास फंड्स की कमी न हो।

सर, राज्यों ने इन आपदाओं से जूझने के लिए 2019 से 2024 के बीच केंद्र से लगभग 1.5 लाख करोड़ की मांग की थी, लेकिन उन्हें सिर्फ 29 हज़ार करोड़ रुपये जारी हुए, यानी कि सिर्फ 19 प्रतिशत मिला। इस फर्क को दूर करने की जरूरत है और बिल में इसका प्रावधान भी होना चाहिए।

सर, एक कहावत कही जाती है कि prevention is better than cure, लेकिन उसके लिए इसमें समुचित प्रावधान नहीं हैं। हमें जापान जैसे सफल मॉडल से सीखकर उसमें इस तरीके के प्रावधान शामिल करने चाहिए।

महोदय, early warning system और preventive preparedness को मजबूत बनाना चाहिए। महोदय, हीट वेव और कोस्टल इरोज़न जैसे weather-instigated disasters को भी इस कानून में शामिल किया जाना चाहिए, क्योंकि 2013 से 2022 के बीच में तकरीबन 10 हज़ार लोगों की डेथ हीट वेव के कारण हुई थी।

महोदय, मैं सरकार से मांग करूंगा कि वह इन सुझावों पर ध्यान दे और इन चीज़ों को बिल में शामिल करे। महोदय, मैं अंत में चार पंक्तियाँ कहकर अपनी बात समाप्त करूंगा:

'आपदा की छाया जब मंडराए'
हर दिल में एक भय सा जाग जाए।
आओ मिलकर रोकथाम का दीपक जलाएँ हम
आपदा के अंधेरे में राहत का रास्ता बनाएं हम।'

उपसभाध्यक्ष महोदय, आपने मुझे इस बिल पर अपनी बात रखने के लिए अवसर दिया, इसके लिए पुनः धन्यवाद।

उपसभाध्यक्ष (**श्री घनश्याम तिवाड़ी**) : माननीय सदस्य, आपका भी धन्यवाद। श्री प्रफुल्ल पटेल, आप अपना भाषण आरंभ कीजिए।

श्री प्रफुल्ल पटेल (महाराष्ट्र) **:** उपसभाध्यक्ष महोदय, आपने मुझे इस बिल पर अपनी बात रखने का अवसर दिया है, इसके लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। महोदय, राष्ट्रीय आपदा के मामले को लेकर यह जो बिल लाया गया है, मैं उसका समर्थन करता हूं और भारत के गृह मंत्री जी को भी बहुत-बहुत बधाई देना चाहूंगा कि उन्होंने इस एनडीएमए को और सशक्त बनाने के साथ-साथ राष्ट्रीय स्तर पर ही नहीं, बल्कि राज्य स्तर पर भी काम किया है। महोदय, इतना ही नहीं, उन्होंने जिला स्तर पर भी, विशेषकर जो अरबन बॉडीज़ हैं, उनको भी किसी भी आपदा की तैयारी करने के लिए सशक्त बनाने के अच्छे प्रयास किए हैं और मैं उन प्रयासों को सराहता हूं।

महोदय, मैं आपको एक आंकड़ा देना चाहता हूं कि 2021-22 से 2025-26 तक 1 लाख, 28 हज़ार, 122 करोड़ रुपये एसडीआरएफ में सभी स्टेट्स को अवार्ड किये गये थे। उसमें केंद्र सरकार ने 90 हज़ार, 80 करोड़ रुपये आवंटित किए हैं और राज्यों के लिए 30 हज़ार करोड़ रुपये लगाए हैं। महोदय, कहने का अर्थ है कि कोई भी प्राकृतिक आपदा हो या अन्य आपदा हो, उनका मुकाबला करने के लिए आज केंद्र की ओर से भरपूर प्रयास किए जा रहे हैं और पूरी ताकत दी जा रही है।

महोदय, पिछले समय में NDMA जरूर लाया गया था, लेकिन उसे और सशक्त करना, खास करके एक योजना के तहत इसमें काम करना, बहुत जरूरी है।

(**उपसभापति** महोदय *पीठासीन हुए।)*

महोदय, कई बार प्राकृतिक आपदा या अन्य आपदा आई, तो उसका immediately response करने की कोशिश की गई, लेकिन एक योजना के तहत काम करना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि हमारा देश भौगोलिक तरीके से बहुत बड़ा है। इसका करीब साढ़े सात हज़ार किलोमीटर लंबा समुद्री किनारा है, हमारे पास हिमालय की बड़ी-बड़ी चोटियाँ हैं, हमारे पास और भी जगहों पर पहाड़ हैं, हमारे पास बरसात में बड़ी-बड़ी नदियाँ हैं, अभी हमारे मित्र बिहार की बात कर रहे थे, आप असम में देखिए, वहाँ पर ब्रह्मपुत्र नदी है, और भी राज्य हों, जैसे पश्चिमी बंगाल है, ऐसे कई राज्यों में आज नदियों में बाढ़ आने से भी बहुत परेशानियाँ होती हैं। महोदय, क्लाइमेट चेंज की वजह से अचानक क्लाउड बर्स्ट होता है और उस इलाके में अचानक तबाही मच जाती है। महोदय, ऐसी अन्य और बहुत सारी बातें हैं। हमने देखा है कि कई बार जब जंगलों में आग लगती है, तो हमारी कई हज़ार हेक्टेयर वन भूमि को नुकसान पहुंचता है। ऐसी अन्य और भी कई प्रकार की आपदाएं हैं।

महोदय, natural disasters के अलावा man-made disasters भी होते हैं, हमें इनके लिए भी तैयारी करनी है। मैं यह कहना चाहता हूं कि इस तरह से एक अच्छा और सशक्त प्लान बनाने का जो काम केंद्र सरकार ने किया है, हम सब लोगों को उसकी सराहना करनी चाहिए। साहब, इसमें कई ऐसे अन्य पहलू हैं, जिनके बारे में बहुत सारे सदस्यों ने बात नहीं भी की होगी, लेकिन एक बात आप देखेंगे, क्योंकि जब क्लाइमेट चेंज की बात आती है ...(**समय की घंटी**)... सर, एक-

Contents Page

दो मिनट हमारे साथी दे देंगे। जब क्लाइमेट चेंज की बात आती है, तो यहां एक ग्रीन इंडिया मिशन और National Afforestation Programme लिया गया है। पिछले 5 साल में 55,000 करोड़ रुपये स्टेट और यूटी फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को Compensatory Afforestation Fund के लिए दिया गया है। यह कोई छोटा अमाउंट नहीं है। यह 55,000 करोड़ रुपया है। जब हम कहते हैं कि एक पेड़ मां के नाम लगाओ या हर व्यक्ति बोलता है कि वृक्षारोपण होना चाहिए, ताकि हम पर्यावरण की रक्षा करें, तो उस पर्यावरण की रक्षा के लिए केंद्र सरकार की ओर से जिस तरह से मदद की जा रही है, इसका भी हम लोगों को ध्यान रखना चाहिए। आज जिस तरह से हम लोग अन्य तैयारियों के लिए बातें करते हैं, उसमें आज 'आपदा मित्र' भी एक संकल्पना है, है, क्योंकि कम्युनिटी में कुछ लोगों को ...(**समय की घंटी**)... साहब, उन्होंने तीन-चार मिनट के लिए कहा है।

श्री उपसभापति : यह प्रक्रिया है और आप बड़े अनुभवी आदमी हैं। ...(**व्यवधान**)... यहां रिकॉर्ड में होगा, उसकी एक प्रक्रिया है, वह आप जानते हैं। आप वरिष्ठ आदमी हैं।

श्री प्रफुल्ल पटेल : आपदा मित्र भी बनाए गए हैं और उनको सपोर्ट किया जा रहा है। यह भी एक बहुत बड़ी बात होती है, क्योंकि कम्युनिटी में अगर थोड़ा बहुत प्रशिक्षण मिल जाए, तो बहुत सारी विपत्तियों को टालने में या लोगों को तुरंत मदद करने के लिए उसका बहुत बड़ा फायदा हो सकता है। यह एक बहुत बड़ी उपलब्धि है, जो हमें एनडीएमए और इस बिल के माध्यम से नजर आ रही है।

सर, मैं ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा। मैं फायर सर्विसेज के बारे में कुछ बोलना चाहूंगा। छोटे-छोटे गांवों में, आप भी एक राज्य से आते हैं, जहां अगर एक छोटे गांव में कहीं आग लग जाती है, तो वहां फायर ब्रिगेड नहीं पहुंच पाती है। Modernisation of Fire Services in the States के लिए जुलाई, 2023 में 5,000 करोड़ रुपये का फाइनेंशियल आउटले दिया गया है। यह भी बड़ा सराहनीय कदम है। इसलिए अंत में मैं यही कहूंगा कि यह जो बिल है, इसके मामले में टोका-टोकी या अन्य राजनीति न करते हुए, इसके जो अच्छे पहलू हैं, जिन पर विशेषकर ध्यान दिया जा रहा है, उनकी सराहना की जानी चाहिए। इस बिल में सभी लोगों को मदद करनी चाहिए और इसे पास करना चाहिए। यही कहते हुए मैं आपका बहुत-बहुत धन्यवाद करता हूं।

श्री उपसभापति : धन्यवाद, माननीय प्रफुल्ल जी। माननीय श्री घनश्याम तिवाड़ी जी।

4.00 P.M.

श्री घनश्याम तिवाड़ी (राजस्थान) **:** माननीय उपसभापति महोदय, मैं राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन (संशोधन) विधेयक पर चर्चा करने से पहले निवेदन करना चाहूंगा कि इन बिलों को, जो मोदी जी के कार्यकाल में लगातार आ रहे हैं, अगर एकांगी रूप से देखेंगे, तो हम इनकी सही व्याख्या नहीं कर सकते हैं। यह एक क्रम है ...(**व्यवधान**)... यह क्रांति है और मैं इसे वैधानिक क्रांति कहूंगा। यह एक वैधानिक क्रांति है, जो माननीय नरेन्द्र मोदी जी ने एक युगद्दष्टा के रूप में इस सम्पूर्ण समय में हमारे सामने प्रस्तुत की है।

महोदय, मैं इसके साथ एक निवेदन और भी करना चाहूंगा कि इस विषय को रखने के लिए हमारे गृह मंत्री जी आए थे। उन्होंने कहा था कि कई बार इस पर टीका- टिप्पणियां भी हुई हैं।

(**सभापति** महोदय *पीठासीन हुए।*)

मैं निवेदन करना चाहूंगा कि श्री अमित शाह गृह मंत्री हैं, इसको जरा अंग्रेजी में लिखकर देखिए, यह आएगा A, M, I, T मतलब अमिट।

श्री सभापति : अंग्रेजी में तो Amit कोई शब्द नहीं है।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : वह A, M, I, T है।

श्री सभापति : वह वो Amit हो गया।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : सर, वह अमिट है। साहब, हम तो हिंदी वाले अमित बोलते हैं, और अंग्रेजी वाले अमिट बोलते हैं और अमिट का हिंदी में अर्थ होता है, जो कभी मिटने वाली चीज नहीं है। उन्होंने जो-जो बिल पेश किए, चाहे वह भारतीय न्याय संहिता का हो, चाहे वह भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता का हो, चाहे वह साक्ष्य अधिनियम का हो, चाहे वह धारा 370 का हो, चाहे वह कोऑपरेटिव में सुधार का हो, चाहे अब वे यह राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन का विधेयक लेकर आए हैं, ये सब भारत के लोकतंत्र के इतिहास में अमिट हैं और एक रेखा खींच रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी एक वैधानिक क्रांति मोदी जी के नेतृत्व में ला रही है। माननीय सभापति महोदय, मैं इसका एक उदाहरण देना चाहता हूं। यह जो आपदा है, इससे रक्षा करने का काम केंद्र सरकार और राज करने वालों का है।

श्री सभापति : आपदा से कोई राजनीतिक संकेत तो नहीं है?

श्री घनश्याम तिवाड़ी : जी सर, है।

श्री सभापति : उनकी तरफ से तो कोई नहीं है।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : मैं उदाहरण देना चाहता हूं। अभी कहा गया कि आपदाएं बहुत बढ़ गई हैं। सर, आपदा तो हमेशा से आती रही हैं। जब राम जी दण्डक वन में गए थे, तो वहाँ 13 वर्ष तक बरसात नहीं हुई थी। उनको आपदा प्रबंधन करना पड़ा। जब भगवान कृष्ण का बचपन था, तो इंद्र कुपित हो गए और उन्होंने इतनी वर्षा की कि उनको गिरिराज पर्वत को ऊपर उठा कर जनता की रक्षा करनी पड़ी। इसलिए यह जो बिल है, यह उसी प्रकार का बिल है, जिससे देश के आम नागरिकों को सरकार का आश्वासन मिले कि वे पूर्णतः संरक्षित और सुरक्षित हैं। इस बात के लिए यह बिल लाया गया है।

Contents Page

माननीय सभापति महोदय, इसकी आलोचना यह कह कर की गई कि यह राज्य सरकारों के अधिकारों को छीन लेगा और केन्द्र के अधिकार प्रभावित हो जाएँगे। जो लोग यह चर्चा कर रहे हैं, उनको भारतीय संघवाद के प्रति सही दृष्टिकोण का ज्ञान नहीं है। भारत की संविधान सभा की प्रोसीडिंग्ज़ को पढ़ें और देश के 75 साल के इतिहास को देखें, तो यह जो कानून आ रहा है, यह राज्यों के अधिकार को कम करने के लिए नहीं आ रहा है। भारत की संसद को यह अधिकार प्राप्त है कि वह राज्यों की सीमा बदल सकती है, बाउंड्री बदल सकती है। इसलिए तमिलनाडु में से आंध्र प्रदेश अलग हुआ, आंध्र प्रदेश में से तेलंगाना अलग हुआ, उत्तराखंड उत्तर प्रदेश से अलग हुआ, झारखंड बिहार से अलग हुआ। कितने राज्य बन गए! भारत की सत्ता को यह अधिकार है। इसलिए संघवाद, जो cooperative federalism है, मैं उनको कहना चाहता हूँ कि भारत का संघवाद केंद्रीयकृत, एकीकृत संघवाद है और केंद्र इसमें सर्वोच्च है। वह राज्य की सीमाओं को भी पूरा बदल सकता है, राज्य के ढाँचे को भी ठीक कर सकता है और राज्यों की मदद भी कर सकता है। इसलिए जो विधेयक मदद करने के लिए आ रहा है, उस विधेयक के बारे में यह कहना कि यह विधेयक इस प्रकार का है, उचित नहीं है।

माननीय सभापति महोदय, मैं निवेदन करना चाहूँगा कि कितनी बार इसमें संशोधन हुआ है। पहली बार भारत सरकार यह सोच कर बिल लाई है कि भारत के हर नागरिक की रक्षा करना, उसको सुरक्षित करना, राज्यों को सहायता देना उसकी जिम्मेदारी है। जैसा कि मैं आपको बता रहा हूँ, कब 16 कंपनियाँ बनी थीं, जिनको भारत सरकार ने बनाया हो कि वे जाकर परिपूर्ण रूप से काम करें! यह पहला उदाहरण है कि भारत सरकार की तरफ से राज्यों को करीब 7 हजार करोड़ दिया गया है कि राज्य भी अपनी SDRF की टीम बनाएँ और उसमें संरक्षण में लगें। यह बिल ऐसा है, जो राज्यों को और अधिक मदद करने वाला है। यह बिल ऐसा है, जिसमें इतने काम हुए हैं। आप देखेंगे कि पहले शहरों में किसी प्रकार की आवश्यकता नहीं थी। पहली बार जितने भी नगर निगम हैं, इसमें उन सारे नगर निगमों को आपदा से बचाने के प्रावधान किए गए हैं और उनकी समितियाँ बनाने का प्रावधान किया गया है। इसमें heat wave से बचाने तक का काम है। Heat wave आएगी, उससे बचाने तक का काम है! इन सारे कामों को इसके अंदर प्रबंधित किया गया है।

सभापति महोदय, इसमें शहरी संपदा प्रबंधन की परिभाषा दी गई है। NDF और SDF को मजबूत करने का प्रावधान किया गया है कि ये कैसे मजबूत हो सकती हैं, कैसे काम कर सकती हैं। अभी हमने देखा कि विश्व के इतिहास में उत्तराखंड में जो टनल के लोगों को बचाया गया, वह अपने आप में एक महत्वपूर्ण बात है। तीन बड़े-बड़े cyclones आए थे, उस समय ओडिशा और पश्चिमी बंगाल में एक भी व्यक्ति की मृत्यु नहीं हुई। वहाँ पर पहुँच कर उन्होंने काम किया, इतना बड़ा काम करना मुश्किल है। लेकिन अभी पश्चिमी बंगाल से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा कि दैवीय आपदा से बचाने का काम नहीं किया गया। यह दैवीय आपदा नहीं है, यह देवी आपदा है और अगर देवी आपदा है, तो यह आपकी खुद की खड़ी की हुई है। अगर यह देवी की आपदा है, तो यह आपकी खुद की खड़ी की हुई है और अगर यह दैवीय आपदा है, तो भारत सरकार उसको बचाने का काम कर रही है।

अभी माननीय सदस्य कह रहे थे - नोटबंदी आपदा। आप-दा 10 वर्ष तक दिल्ली पर थी, उस 10 वर्ष की आप-दा को भारत सरकार ने दूर किया है। हम राजनीतिक आपदा को भी दूर कर

Contents Page

रहे हैं। हम प्राकृतिक आपदा को भी दूर कर रहे हैं। हम तो आपदा को दूर करने में लगे हैं। अभी एक-दो राज्यों में बची है, अब 2026 में समय आ रहा है, तो उनका भी काम पूरा हो जाएगा। उन सारी आपदाओं से हम मुक्त करने का काम करेंगे। हम वह काम भी कर रहे हैं।

सर, जहां तक वैधानिक स्थिति की बात हुई कि इससे वैधानिक अधिकार कम होंगे, तो इससे किसी प्रकार के अधिकार कम होने का सवाल नहीं है। उच्च-स्तरीय समिति और सारे संगठनों को इस बिल के अंतर्गत वैधानिक मान्यता प्रदान की गई है। उनकी वैधानिकता समाप्त नहीं की गई है। मैं मानव-निर्मित आपदाओं को भी स्पष्ट करना चाहता हूं। इसमें इस आपदा का अर्थ स्पष्ट किया गया है कि कानून-व्यवस्था की जो स्थिति हो, उसको हम दैवीय आपदाओं में नहीं मानते हैं। उसको ठीक करने का जो काम है, वह कर रहे हैं। जैसे, छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद का काम चल रहा है। वह दैवीय आपदा तो नहीं है, बल्कि वह मानव-निर्मित आपदा है। परन्तु उस आपदा को ठीक करने का जो काम है, उसमें मैं वही नाम ले रहा हूं, साहब। जिस प्रकार से मैंने अमित शाह जी का नाम बदलकर 'अमिट शाह' कर दिया, उन्होंने नक्सलवाद के बारे में भी कहा है कि 2026 तक इसका सफाया हो जाएगा और यह नहीं बचेगा। तो वह आपदा भी समाप्त हो जाएगी। तो फिर से 'अमिट' नाम हो जाएगा। इस प्रकार ये सारे काम हो रहे हैं। इसमें जो चिंताएं हैं, तो इस बिल के अंतर्गत सशक्त और अधिक समन्वित अधिकार दिए गए हैं, विकेंद्रीकरण किया गया है तथा राज्यों को और अधिकार दिए गए हैं, राज्यों को और अधिक सहायता का प्रावधान किया गया है।

माननीय उपसभापति महोदय, इसके बारे में कई प्रकार के Apps जारी किए गए हैं। जिनके बारे में आज तक सोचा नहीं गया होगा, इस प्रकार के Apps जारी किए हैं। 'दामिनी' - आकाश में जो बिजली चमकती है, उसको दामिनी कहते हैं। हमारे 350 जिलों में बिजली गिरती है। तो आप चिंता मत कीजिए। अभी एक बिहार के सदस्य कह रहे थे कि बिजली ज्यादा वहीं पर गिरती है। अभी 2026 में नवंबर में वह गिरने वाली है, तो उसकी चिंता मत कीजिए। वह नवंबर में गिर जाएगी। ...(**व्यवधान**)... हां, वहां डिजास्टर प्रबंधन की तैयारी पूरी हो रही है। इससे हमारे 350 जिलों में बिजली गिरने के एक-डेढ़ घंटे पहले सबको इसकी सूचना मिल जाएगी, इतना बड़ा काम भारत सरकार ने किया है। ऐसा काम आज तक कभी नहीं हुआ। लोग कहते हैं कि बिजली गिर गई। वे बिजली गिरने के बारे में बात कर रहे हैं। 'मौसम' - यह भी एक App है। यह 'मौसम' App इतनी सहायक हो गई है कि पहले लोग मौसम के बारे में सौदा करते थे कि आज बरसात आएगी, बोलो क्या भाव हुआ? आज तो rain होगी, बरसात होगी, नाला हो जाएगा - यह सब बात चलती थी। लेकिन, अब जो हमारा मौसम विभाग है, उसकी भविष्यवाणियाँ बिल्कुल सटीक होती हैं, वे 99 परसेंट सही होती हैं और उनसे किसानों को भी लाभ होता है और सारे काम होते हैं। आपदा प्रबंधन विभाग ने 'मौसम' नाम की जो App शुरू की है, यह उसका एक फायदा है। उसी प्रकार से 'मेघदूत' App है। जिन्होंने 'मेघदूत' के बारे में पढ़ा होगा या नहीं पढ़ा होगा, लेकिन जिन्होंने साहित्य में पढ़ा है, वह एक बहुत बड़ा काव्य है, जो कालिदास जी द्वारा लिखा हुआ है। लेकिन यह 'मेघदूत' वैसा मेघदूत नहीं है। यह 'मेघदूत' एक App है कि क्या सूचनाएं हैं। उस 'मेघदूत' काव्य में तो विरह का वर्णन है, लेकिन इसमें विरह की बात नहीं है। इसमें सूचना की बात है कि बरसात आ रही है। इसे समझने की बात है। 'सचेत' App भी चालू किया है। हम आपको बार-बार सचेत कर रहे हैं। हमने सचेत किया है कि भाई, आप रास्ते पर चलिए। ...(**व्यवधान**)...

Contents Page

सचेत करने के लिए App चालू किया है कि आप सचेत रहिए। तो इस प्रकार से राज्यों के लिए प्रबंधन करने का काम हो रहा है।

सर, राष्ट्रीय चक्रवात की जो समन्वित परिभाषा है कि राष्ट्र में जितने तूफान आ रहे हैं, सारे तूफानों की पहले से व्यवस्था है। हम सब ने दो बार देखा कि जब उत्तराखंड की टनल में लोग फंसे, तो माननीय प्रधान मंत्री जी ने रात भर जाग-जाग कर पुष्कर धामी जी से बात करके उनके बारे में बात की। सर, यह लगाव है। यह राष्ट्र के प्रति समर्पण का और राष्ट्रीय जन की सुरक्षा का भाव है। इसलिए माननीय गृह मंत्री जी और माननीय प्रधान मंत्री जी ये सारे काम को लेकर चले। इसको अन्यथा नहीं लेना चाहिए। तूफान तो आ रहे हैं, तूफान और आएँगे। हाँ, तूफान आने वाले हैं, तो डरने की जरूरत नहीं है, बल्कि हम रक्षा करेंगे। हम संरक्षण करने वाले हैं, जिनको बचना हो, वे छाया में आ जाएँ, तो वे तूफान से बच जाएँगे। इसी प्रकार से एक-एक करके सारी आपदाओं से मुक्ति, बिजली की आपदा से मुक्ति...। अब भारत का जो विवरण है, उसके अनुसार 28,000 हिमखंडों और उनसे बनने वाली झीलों का अच्छी प्रकार से विश्लेषण करके उसका डेटा बेस तैयार किया गया है। हमारे राज्यों की जो कृषि भूमि है, उसकी 28 प्रतिशत भूमि बार-बार सूखे से ग्रसित होती रहती है। उनका अलग से विश्लेषण करके उसके लिए काम किया गया है। समुद्री सीमा में जुड़े हुए हमारे जो तटीय राज्य हैं, उनका विश्लेषण करके उनके लिए भी विशेष रूप से, चक्रवात से बचने के लिए तीन बड़े काम किए गए हैं। पहले चक्रवात से बचने के लिए चेतावनी दिया जाता था और लोगों को उठा कर स्कूलों में लाकर रख दिया जाता था, लेकिन खाने-पीने की व्यवस्था नहीं होती थी। अब जहाँ वे परमानेंट रहते हैं, वहाँ पर उनके लिए भारत सरकार ने आश्रय स्थल बनाए हैं। इसके लिए 1 लाख से अधिक स्वयंसेवकों को ट्रेनिंग देकर तैयार किया गया है और 540 से ज्यादा पुलिस अफसरों को भी इसके लिए प्रशिक्षित किया गया है। यह भारत सरकार के द्वारा किया गया है। उसी प्रकार जहाँ भूस्खलन होता है, उसके लिए भी काम किया गया है। उसके लिए भी यह देखा गया कि यह कहाँ-कहाँ होता है। केरल के वायनाड का एक उदाहरण आया था और अन्य उदाहरण आएँ। उन सबका विश्लेषण करके उसके लिए भी काम किया गया है। पर्वतीय क्षेत्र के लिए भी काम किया गया है। भारत में ऐसी विविधता पूर्ण स्थिति है कि यहाँ पर्वतीय क्षेत्र भी है, रेगिस्तानी क्षेत्र भी है, तटीय क्षेत्र भी है, भूस्खलन वाला क्षेत्र भी है और हिमखंड तथा हिम शिखर वाला क्षेत्र भी है - इन सबका समन्वित विकास करके इस प्रकार का यह काम भारत सरकार कर रही है। इसमें जो प्रावधान है ...(**समय की घंटी**)... सभापति महोदय, आपने घंटी बजाई है, इसलिए मैं एक निवेदन करना चाहूँगा कि इस बिल को उस वैधानिक क्रांति के संदर्भ में देखिए, जो इस 11 साल के मोदी युग में हुए हैं। उन सारे कानूनों को हमने साफ कर दिया, जो गुलामी के कानून थे। वे सारे कानून लागू हो गए, जो भारत के आजादी के कानून हैं। भारत के हर क्षेत्र में सुधार हुआ - आर्थिक क्षेत्र, सामाजिक क्षेत्र, सांस्कृतिक क्षेत्र और अंत में जो आपदा की बात कहते थे, उसमें 66 करोड़ लोगों को एक साथ लाकर संगम में स्नान करा कर सबसे बड़े आपदा प्रबंधन का परिचय मोदी जी और भारत सरकार ने दिया है। मैं यह कह कर कि माननीय अमित शाह जी जितने कानून पहले लेकर आए, वे भी अमिट छाप हो गए हैं और यह कानून भी अमिट छाप है। इन्हीं शब्दों के साथ बहुत-बहुत धन्यवाद, शुभ कामनाएँ।

MR. CHAIRMAN: Now, Shri Abdul Wahab. You have three minutes.

SHRI ABDUL WAHAB (Kerala): Sir, I actually do not need that much time. I thought Shri Amit Shah would come to Wayanad instead of the hon. Prime Minister. Actually, I dreamt of that one, but Amit Shahji did not come. Now, I will not talk about Wayanad because the tourists are scared to come to Wayanad. So, I am not using Wayanad now. It is only Chooralmala or Mundakkai where tourists come nowadays. In this context, I request Amit Shahji because Shri Ghanshyam Tiwari has mentioned in detail the meaning of 'Amit'. We have got the meaning, and I request him to establish a National Institute for Disaster Management in Kerala. We are not getting AIIMS. हमने नड्डा जी को 'एम्स' के लिए बहुत बार बोला। अभी मैंने सुना है, के. वी. थॉमस जी ने बोला है कि केरल में एक टीम को भेजा गया है। यह सही है या नहीं - यह मुझे मालूम नहीं है। The Kerala Government has stated that you have sent a team to investigate in Kerala. I am not on that issue right now. The issue I want to raise is that frequent earthquakes occur in Delhi. Will we become Japan now? I am worried about that. Even before the earthquake happens, we should have proper study as well as measures in place. I am in Wayanad constituency but we are not at the top. We need a Disaster Management team to be stationed in Nilambur so that it can easily reach the desired place. It is my request.

There is one thing, which I want to mention. It is about the heat waves. Heat waves have been occurring everywhere. We should be having national-level plan in this regard. It is occurring more often. As per data available, 536 heat waves occurred in the last summer. Other report suggests that 733 deaths happened due to heat wave, 40,000 heat-strokes happened in 17 States in the year 2024 and 37 cities surpassed 45-degree temperature.

During 2024 Lok Sabha elections, in Uttar Pradesh alone, 33 polling officers died due to heat stroke due to lack of cooling facilities at the polling stations. I urge the hon. Minister to bring the phenomenon of heat wave under the scope of definition of notified natural disaster. Once again, I request the Central Government to give whatever you are giving to Kerala as a grant without interest and not as loan. Please ask the IAF people not to issue bills for the relief operations. The Indian Air Force is an agency which is not supposed to issue bills. Even if they do so, I would request the Ministry of Home Affairs to write off these bills. Thank you very much.

MR. CHAIRMAN: Thank you so much. You confined to your time and remain focused to your request. Now, Dr. K. Laxman. You have 15 minutes.

Contents Page

DR. K. LAXMAN (Uttar Pradesh): Thank you, Mr. Chairman, Sir, for giving me the opportunity to speak on this most important Bill. The Disaster Management (Amendment) Bill, 2024 is the need of the hour and it aims to improve disaster preparedness and risk reduction by empowering the National Disaster Management Authority and the State Disaster Management Authorities.

(MR. DEPUTY CHAIRMAN *in the Chair.*)

You can have a separate plan at the national level and keeping in mind the circumstances of the States, you can have a separate State-level plan. We are fortunate to have a separate Urban Disaster Management Authority for State capitals and cities with municipal corporations focusing more on urban-specific disaster risks. This is actually the need of the hour. In the country, we have seen many cities without proper planning, without proper drainage system and having encroachment on water bodies.

Being a citizen of Hyderabad, I would like to emphasize as to how we Hyderabad people have suffered. जहाँ तक मुझे जानकारी है और इतिहास बताता है कि हैदराबाद में 1908 से लेकर पांच साल पहले तक किस तरह की बाढ़ आई है। तब, हैदराबाद शहर में कई हजार लोग बेघर हो गए थे। जब मैं पहली बार विधायक बना और वर्ष 2000 में बाढ़ आई, तो हैदराबाद शहर के अंदर हमको नाव से जाना पड़ा। Hyderabad was the capital city of the then State of Andhra Pradesh and it is now the capital city of Telangana. वहां कम से कम तीन दिन लगे, जब बेघर हुए लोगों के लिए हेलिकॉप्टर भी मंगाना पड़ा। Ultimately, रिपोर्ट यह है कि 1908 से लेकर आज भी वहां encroachments, no proper drainage systems, encroachment on water bodies है and, finally, inadequate disaster preparedness and no proper Budget for the local bodies. इतना होने के बावजूद, लगभग 100 साल के बाद भी हैदराबाद शहर आज इतना सुरक्षित नहीं है। अगर वहाँ ज्यादा बारिश हो जाए, तो वहाँ के लोगों को आज भी बेघर होने का डर बना रहता है। वहाँ पाँच साल पहले जो बाढ़ आई थी, उसमें हजारों की संख्या में लोग मारे गए थे। आज तेलंगाना के अंदर कांग्रेस की जो सरकार है -- हमें सुनकर ताज्जुब होता है। University of Hyderabad was established in 1974. It was allotted 2,300 acres of land under Survey No. 25 by the then Government of Andhra Pradesh. It was purely for academic and research purposes. But, unfortunately, this present Government, जो अभी नई सरकार चुन कर आई है, जो गारंटी के नाम पर इतने assurances देकर चुन कर आई है, उसने आज 400 एकड़ ज़मीन का auction करने का निर्णय लिया।

श्री जयराम रमेश : सर, इसका बिल से क्या संबंध है?

Contents Page

DR. K. LAXMAN: It is a fact. The cities are becoming concrete jungles. You see in the newspapers how this particular land is being encroached. The presence of Indian Star Tortoise on the land of proposed auction at Kancha Gachibowli is highlighted. ...(*Interruptions*)... This is forest land. Wildlife is there, and this belongs to the Hyderabad Central University. मुख्य मंत्री बताते हैं कि पूरी सरकार कर्जे में है, 8 लाख करोड़ रुपये के कर्जे में है। ...(**व्यवधान**)...

श्री उपसभापति : माननीय गृह मंत्री जी कुछ कहना चाहते हैं।

श्री अमित शाह: सर, यह Disaster Management का बिल है। डिज़ास्टर होने के कारण पर्यावरण बिगड़ता है, वह है और ये जो वाइल्ड लाइफ खा गए हैं, उसकी बात करते रहे हैं, जंगल खा गए, इसकी बात करते हैं।

श्री नीरज डांगी : सर, जब मैं बोल रहा था, तब भी यह इश्यु था।

डा. के. लक्ष्मण : जब civil society ने सरकार से पूछा, तब उन्होंने बताया कि सरकार कर्जे में है। हमने बहुत सारे वादे किए हैं, इसलिए ज़मीन को बेचना पड़ रहा है। अभी हैदराबाद एक concrete jungle बन गया है और जो भी बचा-कुचा land है, उसको भी आज यह सरकार बेचकर, auction करके अपने वादों को पूरा करने के लिए प्रयास कर रही है। इसीलिए मैं बता रहा हूं कि how Hyderabad is becoming a concrete jungle day-by-day. सर, आज जो बिल लाया गया है, इस बिल के माध्यम से एक adequate relief mechanism ही नहीं – पिछली सरकारों में किस तरह से delayed responses होते थे। हम काफी disasters देख चुके हैं। हमने खासतौर से वायनाड की बात की है। I was in the House when our hon. Home Minister, Amit Shah ji, was repeatedly saying that we had alerted the State Government repeatedly, not once or twice, but two days before also. इस तरह वहां के illegal mining, deforestation, unregulated constructions हों – जो rampant ecologically sensitive areas हैं, उनको वायनाड में एक ज़िम्मेदार जनप्रतिनिधि रहने के बावजूद वायनाड में लगभग 250 लोग मारे गए। ...(*Interruptions*)...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Please, please. Take your seat. ...(*Interruptions*)... मैंने सभी से अपील की है।

DR. K. LAXMAN: Not only that, the Madhav Gadgil and Kasturirangan Reports had identified Wayanad as an ecologically sensitive zone, recommending restrictions on land use changes. ...(*Interruptions*)... However, these guidelines were not implemented. They allowed unchecked tourism ...(*Interruptions*)...

Contents Page

श्री उपसभापतिः आप बोलें। आपकी बात ही रिकॉर्ड पर जा रही है।

DR. K. LAXMAN: Illegal constructions and encroachments have taken place due to short sightedness. For making short-term economic gains over environmental sustainability, these things have happened. These are not natural calamities. These are all also a part of man-made calamities. *...(Interruptions)...* Not only Wayanad, when it comes to popular hill stations like Ooty and Kodaikanal, similar threats are there. Unscientific constructions are going on over the hill slopes. Encroachments on water bodies are taking place. Despite being classified as ESZ-1 areas in Gadgil Report, the Government ignored these recommendations which heightened the chances of landslide incidents during heavy rains. Even the Chennai floods happened because of urban mismanagement, because of unplanned urbanisation, encroachment on water bodies and poor drainage system. The State Government's failure to regulate construction on wet lands turned a natural calamity into a man-made disaster. *...(Interruptions)...*

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Please take your seat. Nothing else is going on record.

DR. K. LAXMAN: Sir, it shows their failure to implement ecological recommendations and prioritizing the short-term economic benefits over long-term environmental sustainability.It is due to the failure of earlier Governments, particularly Congress regime. There was no proper relief mechanism. Delayed response is another reason. There was lack of financial empowerment. Urban local bodies were underfunded, accounting for only 0.79 per cent of the GDP. There was glaring oversight in disaster preparedness. Congress's disaster management was more about managing disasters in their governance than addressing calamities. This Bill ensures that we prevent disasters before they become headlines. This is what Modi ji's Government does. This is what the hon. Home Minister, Shri Amit Shah, does. While Congress debated definitions of disasters, BJP delivers solutions that redefine resilience. The Disaster Management (Amendment) Bill, 2024 reflects BJP's commitment to proactive governance addressing gaps left by Congress while empowering institutions at national level, State level and at the level of urban bodies. While the Government led by Modi *ji* is supporting through Smart Cities and AMRUT, its budget is not properly utilized. Hence, the Bill is the need of the hour.

In order to strengthen disaster preparedness and response capacity at local level in the country, Aapda Mitra Scheme has been started by Modi *ji*'s Government to train one lakh community volunteers for disaster recovery in 350 multi-hazard

disaster-prone districts covering all States and Union Territories. So far, one lakh Aapda Mitra Volunteers have been trained. After successful implementation of Aapda Mitra Scheme, the Government has now launched a scheme titled Yuva Aapda Mitra Scheme with financial outlay of Rs.469.53 crore for training of around 2,37,000 community volunteers, including volunteers of NCC, NSS, NYKS and BS&G. The NDRF is also implementing School Safety Programme to provide training to children on disaster response in vulnerable schools in all the 36 States and Union Territories. The Government has also approved a scheme for expansion and modernization of fire services in the States with a financial outlay of Rs.5,000 crore in July 2023. The hon. Home Minister, Shri Amit Shah, has approved the proposal worth Rs.3,373.12 crore in respect of 20 States which includes Central Assistance of Rs.2,613.70 crore from the NDRF. The Government also approved a programme for landslide risk mitigation with financial outlay of Rs.1,000 crore to reduce mortality and economic losses by reducing vulnerability. This programme is implemented in ten North-Eastern States and Himalayan States as well as five landslide-prone States, namely Maharashtra, Karnataka, Tamil Nadu, Kerala and West Bengal. Following the incident of glacial lake outburst flood in Sikkim, the Government has also come out with a financial outlay of Rs.150 crore for four Himalayan States, namely Himachal Pradesh, Uttarakhand, Sikkim and Arunachal Pradesh. In order to reduce risk of urban floods, the Government has approved the Urban Flood Mitigation Programme with a financial outlay of Rs.3,075.65 crore in seven major cities, namely Chennai, Kolkata, Bengaluru, Hyderabad, Mumbai, Pune and Ahmedabad. There is a catalytic assistance to 12 most drought-prone States like Andhra Pradesh, Bihar, Gujarat, Jharkhand, Karnataka, Madhya Pradesh, Maharashtra, Odisha, Rajasthan, Tamil Nadu, Telangana and Uttar Pradesh with an outlay of Rs.2,022.16 crore. It has been approved for developing long-term plans for drought.

With this, I support this Bill. This Bill caters to the need of urban population. The Government of India interferes because local Governments have no proper planning, no proper budget and no foresight. This Bill is the need of the hour. I strongly support it. Thank you very much, Sir.

श्री रामजी (उत्तर प्रदेश) : उपसभापति महोदय, आपने मुझे डिजास्टर मैनेजमेंट अमेंडमेंट बिल, 2024 पर बोलने का अवसर दिया। इसके साथ ही मैं अपनी पार्टी की मुखिया आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी का आभार व्यक्त करता हूं। सर, आपदा दो प्रकार की होती है। एक प्राकृतिक आपदा होती है और दूसरी मानव निर्मित आपदा होती है। प्राकृतिक आपदा को रोकना नामुमकिन है, लेकिन उसमें होने वाले जान-माल में कैसे कमी कर सकें, उस पर भी सरकार को तमाम तरह की रिसर्च करने की जरूरत है। इसमें मैं एक बात और कहना चाहता हूं कि जो मानव निर्मित

आपदा है, वह देश के अंदर continuous बढ़ती दिखाई पड़ रही है। महोदय, चाहे सूखा हो, चाहे बाढ़ हो, चाहे महामारी हो, ये सारी की सारी मानव निर्मित आपदाएं हैं। सूखा रोकने के लिए पानी का कम से कम दोहन किया जाए। देश में इसको लेकर भी आज सतर्कता बरतने की जरूरत है।

महोदय, उत्तर प्रदेश के साथ-साथ कई अन्य राज्य भी हैं, चाहे वह पंजाब ही हो। महोदय, मैं पंजाब की बात करूँ, तो यहाँ पर साठा धान की खेती की जाती है। उसमें काफी पानी खर्च होता है। एक किलो धान पैदा करने में 500 लीटर के आसपास पानी खर्च होता है। महोदय, गरमी के दिनों में, जून-जुलाई में साठा धान का काम चलता है, जिसको रोकने की जरूरत है, अन्यथा फ्यूचर में यह खेती हमारे लिए पानी की बहुत शॉर्टेज लेकर आने वाली है।

महोदय, इसके साथ ही बाढ़ रोकने के लिए व्यापक रोकथाम करनी भी बहुत जरूरी है। हमारे लखीमपुर खीरी क्षेत्र में हर साल बाढ़ आती है। उस बाढ़ से करीब 20 लाख की आबादी ग्रसित रहती है। इसमें उनके जान-माल, मकान, जमा अनाज आदि सब कुछ बरबाद होता है। इसके साथ ही रोड्स, सरकारी बिल्डिंग्स, स्कूल्स आदि भी सब तरह से बरबाद होते हैं। महोदय, इसको लेकर कुछ कमियाँ भी देखने को मिली हैं कि प्रशासन इसमें केवल खानापूर्ति करता है। वह गाँव में दो-चार जगह पर जाएगा, पूड़ी बाँट देगा और फोटो खिंचवा कर अखबार में छपवा देगा, जैसे कि सब कुछ हो गया, सब जगह राशन पहुँच गया, सभी को मिल गया, लेकिन वास्तव में ऐसा होता नहीं है। ऐसी तमाम दलित और आदिवासी बस्तियाँ होती हैं, जहाँ पर वे पहुँचते ही नहीं हैं, जाते ही नहीं हैं, उन गाँवों को छोड़ देते हैं। वे सोचते हैं कि – छोड़िए, वहाँ जाकर क्या करना है? इसको लेकर भी सरकार को एक व्यापक पैमाना तय करना चाहिए कि अगर हम कोई रसद भेज रहे हैं, तो उसका हर गाँव, हर देहात और हर व्यक्ति तक पहुँचना सुनिश्चित हो। मान्यवर, यह भी एक जरूरत है, इसलिए मैं सरकार से कहना चाहूंगा कि एनडीएमसी, एसडीएमसी, डीडीएमसी जो लोग नोमिनेट करेगी, वे लोग कम से कम प्रबंधन में एक्सपर्ट होने चाहिए। ऐसा न हो कि पोलिटिकल बेनिफिट लेने के लिए एक फिगर बिठा दी जाए। महोदय, वह नहीं होना चाहिए। अगर प्रबंधन में काम करना है, तो हमें एक्सपर्ट्स की जरूरत है, ऐसे लोगों को बिठाने की जरूरत है।

मान्यवर, मैं इसके साथ ही आपसे यह भी कहना चाहता हूं कि इसमें कुछ कानूनी प्रावधानों की भी जरूरत है। जिन कारणों से यह मानव निर्मित आपदा आई है, वे लोग इसके कारण हैं और वे उनके लिए जिम्मेदार हैं। जैसे कि अभी खनन में देखने के लिए मिला है कि हमारे सैकड़ों लोग कोयले की खान में जाकर खत्म होते जा रहे हैं, कहीं पर सीवेज लाइन में जाकर खत्म होते जा रहे हैं, कहीं पर टनल बना रहे हैं, तो वहाँ पर फंसकर खत्म हो रहे हैं। महोदय, अभी तेलंगाना के अंदर कई सारे लोग खत्म हो गए, हिमाचल में भी एक टनल बन रही थी, वहाँ पर भी लोग खत्म हुए। महोदय, इसको तत्काल रोकने की जरूरत है और सरकारी प्रावधान करने की भी जरूरत है। इसके साथ ही उनके लिए एक बड़ी आर्थिक घोषणा की भी जरूरत है। मान्यवर, इसके साथ ही राज्य प्राधिकरणों में, अन्य प्राधिकरणों में आपदा को लेकर सरकार को एक्सपर्ट्स बिठाने की भी जरुरत है। ...(**समय की घंटी**)... महोदय, विश्वविद्यालयों और कॉलेजों में इस आपदा प्रबंधन के कोर्स को भी शुरू करने की जरूरत है।

श्री उपसभापति : श्रीराम जी, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री रामजी : इसके लिए सरकार अपना एक व्यापक पैमाना रखे। ...(**व्यवधान**)... मान्यवर, वायु प्रदूषण को भी नेशनल डिजास्टर के रूप में रखना चाहिए। क्योंकि हर आदमी अपनी-अपनी लाइफ कम कर रहा है, अतः इसको लेकर भी सरकार काम करे। महोदय, आपने मुझे इस बिल पर अपने विचार व्यक्त करने का अवसर दिया, इसके लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री उपसभापति : श्रीराम जी, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। संजय कुमार झा जी, आप अपना भाषण आरंभ कीजिए, आपके पास पाँच मिनट हैं।

श्री संजय कुमार झा (बिहार): उपसभापति महोदय, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे इस महत्वपूर्ण विधेयक पर बोलने का समय दिया है। महोदय, मैं इस विधेयक में एक- दो चीज़ें देख रहा था, जो कि बहुत महत्वपूर्ण एडिशन्स हैं, वे ये हैं कि आजकल क्लाइमेट चेंज हो रहा है और बहुत कम समय में बहुत ज्यादा बारिश हो जाती है, इसलिए जो अरबन फ्लडिंग है, वह भी एक भारी समस्या है। हम लोगों ने पटना में देखा कि कितनी भारी मात्रा में बरसात हुई, इसलिए अब राज्य सरकार को राज्य की राजधानी और नगर निगम वाले शहरों के लिए अलग से एक

अरबन डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी गठित करने का अधिकार दिया गया है।

महोदय, इसी तरह से मैंने देखा है कि 2005-2006 से 2013-14 तक और 2014-15 से लेकर 2022-23 तक एसडीआरएफ और एनडीआरएफ में फंड की जो वृद्धि हुई है, वह 35 हज़ार करोड़ रुपये से लेकर करीब 1 लाख, 4,000 करोड़ रुपये की हुई है।

महोदय, मैं और एक विषय यहाँ पर रखना चाहता हूं। आप जानते हैं कि मैं बिहार से आता हूं और हमारी सरकार के आने से पहले, वहाँ पर जो मुख्यमंत्री थे, जब बाढ़ आती थी, तो वे भाषण देते थे कि यदि पानी नहीं आएगा, तो लोग मछली कैसे खाएंगे? महोदय, उनका भाषण ऐसा होता था कि पानी है, तभी तो मछली खाओगे। बिहार में जो रिलीफ वर्क होना होता था, वे इसी तरह से भाषण देकर अपना काम चलाते थे। महोदय, जब नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में एनडीए की सरकार बनी, तब वहाँ पर पहली बार रिलीफ वर्क शुरू हुआ। जब रिलीफ वर्क शुरू हुआ, तो मैं वहाँ पर इस विभाग को देख रहा था और मुझे याद है कि एक-दो बार हमारे समय में भी बाढ़ की आपदा आई थी। आप जानते हैं कि नॉर्थ बिहार की जो पूरी लोकेशन है, वह नेपाल से जुड़ी हुई है। जब नेपाल में बारिश होती है, तो वहाँ से सारा पानी बिहार की तरफ आता है। जब भी पानी आता था – हम लोग साथ नहीं थे, लेकिन नित्यानन्द राय जी बैठे हुए हैं – जब भी फ्लड आता था, तो वे फोन करते थे कि आपको एनडीआरएफ की कितनी टीम की जरूरत है, हम लोग यहां से भेजते हैं। जब भी आपदा प्रबंधन की बात आई और जब भी बिहार में फ्लड आया, तो यहां से हमेशा cooperate किया गया। मुझे पिछले ...(**व्यवधान**)...

SHRI MANOJ KUMAR JHA (Bihar): Sir, there is a point of order.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Sanjay*ji*, there is a point of order. आपका प्वाइंट ऑफ ऑर्डर किस नियम के तहत है?

Contents Page

SHRI MANOJ KUMAR JHA: It is under Rule 238A.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Yes.

SHRI MANOJ KUMAR JHA: Sir, I was standing in the lobby and listening to the intervention made by our hon. Member from Janata Dal (United). He made reference of a speech that पहले बाढ़ के बारे में ऐसा बोला जाता था। ...(**व्यवधान**)...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: No, no, it does not come under this. ...*(Interruptions)*...

SHRI MANOJ KUMAR JHA: I want him to authenticate. ...*(Interruptions)*...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: It does not come under this. ...*(Interruptions)*... No point of order, please. ...*(Interruptions)*... *Mananiya* Jha, there is no point of order. It cannot come in this. ...*(Interruptions)*... माननीय संजय जी, आप बोलें, आपकी बात ही रिकॉर्ड में जाएगी। ...(**व्यवधान**)... मनोज झा साहब, प्लीज़ बैठ जाइए, there is no point of order. ...*(Interruptions)*...

श्री संजय कुमार झा : उपसभापति महोदय, बिहार में आपदा में कभी रिलीफ नहीं बांटा जाता था। ...(**व्यवधान**)... पहली बार जब नीतीश कुमार मुख्य मंत्री बने, तब उन्होंने फ्लड के समय सबको एक क्विंटल अनाज देना शुरू किया। यह तो रिकॉर्ड की बात है। मैंने बताया कि कैसे यहां से एनडीआरएफ की टीम को भेजा जाता था। 2024 के बजट में पहली बार बिहार के फ्लड को address करने के लिए 11.5 हज़ार करोड़ रुपया नरेन्द्र मोदी जी ने बिहार को दिया है। पहली बार इतना बड़ा अमांउट दिया गया है कि इससे वहां barrage बने, जहां से नदी enter करती है। यह इस बार के, 2025 के बजट में दिया गया है।

उपसभापति महोदय, मैं जिस एरिया से आता हूं - पूरे मधुबनी, दरभंगा, समस्तीपुर में 1972 से Western Kosi पर डीपीआर बनकर काम हो रहा था। आज तक वह काम पूरा नहीं हुआ। इस पर इस बार माननीय वित्त मंत्री जी ने 6,000 करोड़ रुपये से ज्यादा दिया है, क्योंकि वही flood mitigation का काम करेगा। गृह मंत्री जी सदन में बैठे हुए हैं, मैं उनसे एक आग्रह जरूर करना चाहूंगा। पूरा उत्तर बिहार वर्षों से इस समस्या को झेल रहा है। एक बार फ्लड आता है, तो हमारा हजारों-करोड़ का नुकसान करके जाता है। वह सारा पानी नेपाल से आता है। नेपाल में हाई डैम बनना है। वह long due है। विराटनगर में लंबे समय से हाई डैम बनने के लिए ऑफिस बना हुआ है और 2004 से डीपीआर बनने की बात हो रही है। वही उत्तर बिहार के बाढ़ के निदान के लिए एक permanent solution है। आपने तो बहुत सारा काम किया है। अगर नेपाल में यह हाई डैम बन जाता है, तो उत्तर बिहार के लिए बहुत बड़ा काम हो जाएगा। इससे पूरे उत्तर बिहार के फ्लड का निदान भी हो जाएगा और आने वाले समय में हमारा हज़ारों करोड़ रुपया जो रिलीफ

में खर्च होता है, वह बिहार सरकार का बच जाएगा। उधर से माइग्रेशन की भी एक मेजर वजह फ्लड है। माइग्रेशन के solution के लिए भी जरूरी है कि नेपाल में एक हाई डैम बने।

महोदय, मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझे इतने महत्वपूर्ण बिल पर अपनी बात रखने का मौका दिया।

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Shri A. A. Rahim, five minutes.

SHRI A. A. RAHIM (Kerala): Sir, on July 30, 2024, approximately, 86,000 square metres were devastated in a single night. A total of 266 people lost their lives and 32 people were reported missing in the landslide. More than 1,555 houses and other buildings including schools, dispensaries, panchayat bhawan, the electricity board office and 136 community buildings were destroyed. All of the affected people are Indian citizens. All are Indians! I am trying to speak about the disaster and plight of Wayanad. It has been eight months since this tragedy.

Sir, yet today, as I stand here in this Parliament, the Union Government of India has not given a single penny to my State, Kerala, and to these victims. Sir, can you imagine it? Irrespective of politics, I would like to ask my colleagues—are you all in agreement with this inhumane approach of this Government? This approach towards us is not an isolated incident. I have a document and I can authenticate it. What is the share of the Central Government towards the State Disaster Response Fund (SDRF) allocated to different states? During the period of 2024-25, the Union Government's share allocated to Kerala's SDRF was only Rs. 291 crore, whereas Gujarat received Rs. 1,226 crore; Madhya Pradesh received Rs. 1,686 crore; Uttar Pradesh Rs. 1,791 crore; Maharashtra received more than Rs. 2,000 crore; and even a small State like Haryana received Rs. 455 crore. After the small States of North-East India, Kerala is the only State receiving such a minimal share from the Union Government.

Kerala has been facing natural calamities and extremely heavy rainfall for the past few years, like Cyclone Ockhi and floods. I would like to repeat that the Union Government is allocating such a petty amount to a State where natural disasters have become frequent. You kindly look at the Union Government's allocation. But we will not surrender. The day after tomorrow, hon. Chief Minister of Kerala, Comrade Pinarayi Vijayan, will lay the foundation stone for the new township for Wayanad victims. Can you imagine? We are estimating an amount of Rs. 25 to Rs. 30 lakh for a single house. Proudly, I can say in this august House. This is the will of Kerala. We will never surrender before the political vendetta of the Union Government. We will not surrender. Yesterday evening—proudly, I can say that—my organization, the

Contents Page

Democratic Youth Federation of India, handed over Rs. 20 crore to the State Government, particularly for housing of the Wayanad victims. Can you imagine as to how we have collected it? We collected this amount by collecting scrap by the youths, doing manual labour in villages and selling snacks, etc. Irrespective of politics, caste, religion, or gender all people, all the political parties from Kerala and all civil groups in Kerala joined together and stood for Wayanad. We will not surrender. Kerala will not surrender before the political vendetta of the Union Government. At last, after months' long demand, the Wayanad landslides have been declared a calamity of a "severe nature".

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Conclude. ...*(Time-bell rings.)*...

SHRI A.A. RAHIM: Sir, I am going to conclude. I urge every hon. Member in the august House to contribute from their MPLADS for the rehabilitation of the Wayanad victims. That is my humble request. Sir, I am going to conclude. We, the Left MPs from Kerala, have contributed an amount from our MPLADS funds. But, I would like to blame the hon. Congress colleague... Sir, I will take just a few seconds.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Please conclude. ...*(Interruptions)*...

SHRI A.A. RAHIM: When Rahul Gandhi was departing from Wayanad, he said to me that now, Wayanad will be having two MPs. One is himself and one is his sister, Shrimati Priyanka Gandhi Vadra. Sir, I would like to remark... ...*(Interruptions)*...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Time is over. ...*(Time-bell rings.)*... Please conclude. ...*(Interruptions)*...

SHRI A.A. RAHIM: Sir, I would like to remark... ...*(Interruptions)*...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Please conclude. ...*(Interruptions)*...

SHRI A.A. RAHIM: Sir, I would like to remark that even the sitting MP neither contributed her MPLAD funds nor did anything for the victims of Mundakkai-Chooralmala landslide.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Thank you. ...*(Interruptions)*...

SHRI A.A. RAHIM: I repeat that the people of Kerala will not surrender before the political vendetta of the Union Government. ...*(Time-Bell rings)*...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Your time is over. I have already given you almost one extra minute. Mr. G.K. Vasan, you have three minutes.

SHRI G.K. VASAN (Tamil Nadu): Sir, first I would like to thank the NDRF teams and congratulate the NDRF for saving the lives of lakhs and lakhs of people at the time of cyclones, floods and calamities like landslide. The people of our country today have full confidence and faith on the functioning of NDRF. No doubt, the revised plan under the guidance of the hon. Home Minister brings together all sectors, ministries and departments at the Centre and State level as well as district level functionaries and defines their respective roles and responsibilities in disaster/risk reduction. Implementation of this plan has considerably reduced deaths due to disasters. The NDMA has issued 38 guidelines for management of risk-specific disasters on various thematic and cross-cutting issues. Sir, I am very happy that out of 38 guidelines, NDMA has approved 36 disaster management plans of various ministries, departments. This approach of the NDMA has helped each ministry to act quickly during disasters and save the lives of our citizens. Early-warning systems have been established in coastal States under the National Cyclone Risk Mitigation Project which helps the fishermen community of our country. In order to implement hon. Prime Minister's vision of single emergency number for all across the country, the project extension of ERSS has been launched with the existing single number '112'. This project is designed to leverage technology for quick response, with time limit and stipulated time in disaster moment to help our people. The Government has approved a programme for landslide risk mitigation with a financial outlay of Rs.1,000 crores and ten North-Eastern and Himalayan States are benefitted. Especially, five landslide-prone States, namely, Tamil Nadu, Maharashtra, Karnataka, Kerala and West Bengal are benefitted from this. In order to reduce the risk of urban floods, the Government has approved urban flood mitigation programme ...*(Time-Bell rings)*... with a financial outlay of Rs.3,075 crores.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Please conclude.

SHRI G.K. VASAN: Seven major cities, Chennai, Kolkata, Bengaluru, Hyderabad, Mumbai, Pune and Ahmedabad are benefitted. I would like to complete my speech by

saying that disaster management is such an important management today which saves lakhs and lakhs of people of our county at the time of risky moments.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Now Shri Sandosh Kumar P; three minutes.

SHRI SANDOSH KUMAR P (Kerala): Sir, considering the critical importance of this particular Bill, most of our colleagues in this august House have suggested that this Bill may be sent to a joint parliamentary committee so that we can ensure more public participation, debates and discussion. Hence, I support the demand to send it to a parliamentary committee. Sir, one issue with the NDMMC was its centralization and slow decision making. Though High Level Committee is mentioned in the Amendment Bill, yet this High Level Committee also is not a solution. The centralization will continue. Moreover, it is not clear as to how you are going to define whether a disaster is a national or serious kind of nature. Sir, as far as we Keralites are concerned, natural calamity killed a lot of our people. But, the Government is trying to politically defeat us. Our people can be killed by natural disasters, but cannot be defeated by politically disastrous people. Sir, the point is that I don't want to speak much on Chooralmala, Wayanad calamity. Hon. Member from the Treasury Benches was making lots of allegations. It is totally disconnected from the reality. The real reason of Chooralmala disaster is to be explored more. And, you cannot say anything categorically in this august House. I request you to make it clear. The Member should authenticate what the actual reality is. He cannot speak like that. Sir, in the parent Legislation, Clause number 13 — now, it is not in the amendment -- speaks about loan waiver. I request the hon. Minister to reintroduce Clause 13 in the parent Bill. Secondly, whether it is compensation or relief, this is also to be clarified. We need compensation, not relief. Compensation is a concrete term, and instead of compensation, — now, that Section 61 is not in this Amendment Bill -- relief should not be the term; compensation should be the term. And, as pointed out by many speakers, heat waves, drought and coastal erosion should be considered natural calamities so that we can make this a comprehensive Bill. Sir, political vendetta should not be done against any States. We are all Indian citizens and disasters can happen anywhere. It should not be politicized and our people should not be treated this way. Thank you, Sir.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Thank you Sandosh*ji*. Now, Shrimati Priyanka Chaturvedi.

SHRIMATI PRIYANKA CHATURVEDI (Maharashtra): Thank you so much, hon. Deputy Chairman, Sir, for allowing me to speak on a very important Bill. And, I find it extremely unfortunate that we have only four hours to speak and only three minutes to speak on an important issue which causes loss of lives, livelihoods. This is something we could have discussed more in detail. But, there was a sudden change in the revised List of Business. Sir, it is said, 'prepare for the worst, hope for the best'. But, unfortunately, in this particular Bill, we were hoping that there would be a lot many issues that would be covered considering this is coming as an Amendment. The Bill has specifically, in Section 2, omitted man-made situation related to law and order situation. This frees the Government of responsibility in terms of relief and disasters such as the incidents of stampede that took place at the New Delhi Railway Station and Mahakumbh. I pay my homage to all of them. I was myself at the Mahakumbh. I would hope that we would look at this law and order situation related manmade disasters also becoming a part of it. Recently, Nagpur also saw manmade disaster due to a law and order situation, politically driven violence that had erupted and caused loss of lives. Sir, if we are omitting this particular Section, why is it that the DGP of the State has been made a member of the State Executive Committee? This is something, I am hoping, the hon. Home Minister would tell us.

Sir, climate change is a very important issue. I had introduced a Climate Change Council Bill. I had proposed that we should have something like that, just like a Private Member's Bill is extremely important because it recognizes critical gaps in governance that we can propose through Private Members Bill. But, last week, I was surprised to note that Private Members Bill also was removed from discussion, Question Hour was removed from discussion to accommodate the Home Minister's response on the Working of the Ministry of Home Affairs. Sir, however, as far as air pollution is concerned, losing 20 lakh lives in India due to air pollution, unfortunately, it has not become a part of the natural disasters in this particular Amendment. Similarly, India saw 536 heat wave days, which is the highest in 14 years. And, all studies tell us that as the heat wave issue increases, climate change increases, we are going to see similar number of additional days. But, again, it is not part of the natural disaster. In fact, we have lost 10,636 human lives due to sun stroke or heat between 2013 and 2022. It is a critical gap which we can, definitely, answer through this amendment. Unfortunately, under Sections 12 and 13 of the original Act, which we have done away with, which does away with a lot of accountability, it covered minimum standards of relief for disaster victims and the possibility of loan repayment relief -- which I think Shri Sandosh Kumar P also raised-- which has been omitted. Similarly, Section 19 which demanded that State Governments follow guidelines on

Contents Page

minimum standards of relief has also been dropped. These Sections carried special provisions for widows, orphans *(Time-bell rings)*, the homeless and provided *ex-gratia* assistance on account of loss of life, which has been done away with this. So, I would request the Minister to consider bringing it back to ensure that besides displacement, the problems of the widows, the homeless and those who have suffered the consequences, are adequately compensated. Thank you, Sir.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Thank you. Now, Shrimati Jebi Mather Hisham. You have 10 minutes.

SHRIMATI JEBI MATHER HISHAM (Kerala): Mr. Deputy Chairman, Sir, as I am from Kerala, I wish to start with the painful memory of Wayanad and the people of ayanad, who are still continuing in pain. The devastating Wayanad landslide on 30th July, 2024, the India's worst ever, which we all have said multiple times in this House and outside, requesting for reliefs, claimed over 250 lives, shattered families, hopes, dreams and villages.

Sir, very sadly, the rehabilitation activities at the landslide affected Mundakkai and Chooralmala areas of Wayanad are moving at a snail's pace, leaving the people in distress. Neither the Central Government nor the State Government is expediting or making moves for the rehabilitation activities in Wayanad. A disaster of such a high magnitude, where Prime Minister of India himself had visited and witnessed, the devastation which all the leaders of the political parties have seen, still it took five long months for the Central Government to even declare Wayanad tragedy as a disaster of severe nature, -- normally, it does not happen and it should not happen -- that too, from a Government which declared 'demonetisation' overnight, from a Government which declared 'national lockdown' overnight. After declaring it as a disaster of severe nature, what did the Central Government do? The Central Government, instead of declaring a rehabilitation package, which was the demand made by Kerala, sanctioned a loan for the affected areas, a loan of Rs.529.50 crores for 16 projects for rehabilitation, with two stringent conditions. Very strange, with two stringent conditions! On February 14, 2024, the Central Government says, "The fund should be utilized by 31st March, 2025." Imagine the arbitrariness of the Central Government's decision! And, the second condition was that after 50 years, this loan should be repaid. Sir, when the demand by Kerala was for a special package of Rs.2,000/- crores, when the Central Government has a constitutional liability to sanction it and which it has done on multiple times for other States when a disaster of such a magnitude has happened over there, instead of declaring a financial package

or a grant, the Government announces this loan! I wish to tell the Union Home Minister, this is equivalent to mocking the people of Wayanad and Kerala. Very respectfully, I am asking the Union Home Minister: Isn't Kerala and Wayanad a part of India?

Sir, in different heads, I wish to speak on the plight of the people of Wayanad. If you look at housing, the Central Government has not provided the assistance and the State Government till today, after eight months have passed, has not even started the housing activities. The people are still living in rented houses and they are not able to pay rent for several months. ...*(Interruptions)*...

5.00P.M.

Secondly, Sir, under the 'Health' front, what about the medical expenses? ...*(Interruptions)*... What about medical expenses of those who are still under-treatment? It is not that all those who are affected by Wayanad disaster are now happy and fine. They are all under treatment for spinal injury, veins, etc. But both the Central Government and the State Government have miserably failed and only an amount of Rs. 5 lakhs is allotted for disaster victims when the PM's PR runs to crores and also the State Government's expenses on saving of Kripesh & Sarathlal murderers run to crores. But nothing is set apart for the 'Health'. ...*(Interruptions)*... Then, Sir, I will talk about students' future. Around 200 students are studying elsewhere, outside and inside the country. They don't have their fathers, their parents and their grandfathers to take care. They have no one to take care. The Centre and the State Governments are doing nothing for the children. But I am proudly saying that my Party, the Indian National Congress, under the leadership of Rahul Gandhiji, Priyanka Gandhiji and the local MLA there, Shri T. Siddique, are arranging for their studies with the support of Malabar Charity, taking care of those 200 students, which would not have happened. ...*(Interruptions)*... Without the Congress Party, the future of those 200 students would be in the Arabian Sea ...*(Interruptions)*..

MR. DEPUTY CHAIRMAN: He has a point of order.

SHRIMATI JEBI MATHER HISHAM: No, I am not yielding, Sir. I am not yielding.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: He has a point of order. Listen to his point of order.

SHRIMATI JEBI MATHER HISHAM: Sir, no point of order. My time is running out. ...*(Interruptions)*... Sir, now I want to move on to the livelihood factor. For 88 shops, nothing is done by the Central and the State Governments and also no compensation is paid -- agricultural land; nothing. That area should be taken over by the Government because it is like a 'no-go-zone area.' That should be taken over by the Government. But are they doing it? They are not doing it. ...*(Interruptions)*...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: He has a point of order.

SHRIMATI JEBI MATHER HISHAM: No, Sir. No point of order. ...*(Interruptions)*...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: No, the Chair will decide it, not you. The Chair will decide it. ...*(Interruptions)*... Please sit down. Yes, Mr. Rahim, tell me your point of order. ...*(Interruptions)*... It is not going on record. ...(Interruptions)... Mr. Rahim, under which rule?

SHRI A.A. RAHIM: Rule 240.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Yes.

SHRI A.A. RAHIM: It is about 'Irrelevance'.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: No, no; no point of order. Yes, Shrimati Jebi Mather, you speak.

SHRIMATI JEBI MATHER HISHAM: Sir, you should give me time.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: It hardly took twenty seconds. I will give you twenty seconds.

SHRIMATI JEBI MATHER HISHAM: Sir, you should give me one minute.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Twenty seconds. It was not even twenty seconds. I will give you that.

SHRIMATI JEBI MATHER HISHAM: Sir, regarding loans, not thinking about the people who are affected by a disaster of such magnitude, the nationalized banks are

still keeping quiet. As per the existing law, they have to give loan-waiver which they are not doing. They are not doing it and the people one after the other are under trouble. Now after saying that, I urge the Central Government, please do not treat Wayanad and Kerala as not part of India, and give whatever is due to Kerala and Wayanad.

Sir, now I move on to the Amendment Bill. What is this about? Clause 6 speaks about the National Crisis Management Committee. Who are its members? We don't know about its members. There is no mention of it whether its members would be ecologists, climate scientists, environmentalists or experts from this field. There are absolutely no specifics. Now given the practice generally followed by the Central Government for past many years, let us not be surprised if the members of the National Crisis Management Committee are decided from Nagpur. What the Universities have become or the UGCs have become are all glaring examples.

About the powers, every power is being concentrated at the hands of the Centre. Regarding my second point, this Bill is silent on 'livelihood.' Look at 'Definition' clause. It says about reconstruction, recovery, rehabilitation, resilience but it doesn't say about 'livelihood.' Sir, we have the example of Wayanad in front of us. If the livelihood is lost, what will they do? The Bill should specify it.

Now, I move on to the next factor which is about Sections 12 and 13. Sections 12 and 13 of the Bill, which are very, very crucial, are being omitted. Why are they omitted? While I again want to quote the Wayanad example, as per the existing Section 13, it empowers the National Disaster Management Authority, in case of disasters of severe nature, to recommend relief in repayment of loans. New loans can also be given at concessional rates. Now, what has happened in the country that this section had to be omitted or deleted? It is only because you do not want to give that privilege to the poor people of Wayanad. Why is this being omitted?

Sir, I now move to clause 23, which talks about Urban Disaster Management Authority for State Capitals and all cities having municipal corporations. The new Bill says that the Urban Disaster Management Authority shall consist of the Municipal Commissioner as the ex-officio Chairperson and District Collector of the district concerned. Sir, how does this work? I am a three-time Municipal Councillor. I have witnessed in front of my eyes the floods of 2019. Now, as per the new law, the District Collector is the Vice-Chairperson and the Municipal Commissioner is the Chairperson. The District Collector has many municipalities and corporations under him. How would this arrangement work? I would request the Minister to give clarification. When Wayanad is reeling under such a crisis, such amendments are being brought. I am just trying to draw a parallel with the Wayanad situation and the

amendment that has been brought. ...*(Time-bell rings)*... Sir, I wish to conclude by saying that it is alright to bring in reforms, but reforms should be for the good of the people, in the interest of the people. But this reform is not in the interest of the people. It is only for concentration of more power in the hands of the Centre and this is, again, an opportunity lost to bring in true reforms. Thank you, Sir.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Shri Masthan Rao Yadav Beedha; not present. Dr. M. Thambidurai.

SHRI A.A. RAHIM: Sir, I have a point of order.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Yes, tell me the rule.

SHRI A.A. RAHIM: Sir, it is Rule 238. Sir, my hon. colleague...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Tell me what the point of order is.

SHRI A.A. RAHIM: Sir, the Rule says, "The Member, while speaking, shall..." Sir, it is misleading the House.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: No, no.

SHRI A.A. RAHIM: Sir, I would like to clarify. Just a minute, Sir.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Thank you. It is your point of order. Now, Dr. M. Thambidurai.

DR. M. THAMBIDURAI (Tamil Nadu): Mr. Deputy Chairman, Sir, on behalf of my leader, Thiru Edapaddi Palanisamy, I would like to participate in the discussion on the Disaster Management (Amendment) Bill. You know very well that we witnessed the tsunami in Tamil Nadu in 2004. At that time, the Chief Minister of the State was Madam Jayalalitha. She made significant efforts to save the people, especially the poor and fishermen. Similarly, Thiru Edapaddi Palanisamy, when he was the Chief Minister, faced many floods and managed them effectively, helping the poor. Despite requesting the Central Government for funds, the support received was insufficient. Nevertheless, our AIADMK Government managed to assist the poor. I want to join the hon. Member, Dr. Laxman, and others regarding the situation in Chennai. The State

Government needs funds from the Centre to address the situation. During the DMK Government, Chennai spent Rs. 4,000 crores on its drainage system, and the Chief Minister claimed that no further flooding would occur. However, Chennai was soon inundated again. What happened to the Rs. 4,000 crores spent on the drainage system? Where did the money spent on drainage system go? *...(Interruptions)...*

MR. DEPUTY CHAIRMAN: No comments while sitting, please.

DR. M. THAMBIDURAI: Sir, every time, they criticize the Central Government that they do not give sufficient money. Can the State Government keep quiet? It is the duty of the Government to protect the people. We cannot simply blame the Central Government. We too joined them in requesting the Central Government to give us more money, but we must work together to find solutions. In Ooty also, all the trees have been cut by the DMK people. Their Ministers are there. *...(Interruptions)...*

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Shri Rajesh Kumar, please take your seat. *...(Interruptions)...* Nothing is going on record. Please take your seat.

DR. M. THAMBIDURAI: In Tamil Nadu, illicit liquor flood is more dangerous. ...(*Interruptions*)... I want to draw the attention of the hon. Home Minister that illicit liquor issue is there in Tamil Nadu. That is the flood that we are facing. ...(*Interruptions*)... In Tamil Nadu, illicit liquor flood is going on. ...(*Interruptions*)...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: No; please take your seat.

DR. M. THAMBIDURAI: Therefore, I request that you have to save the people ...(*Interruptions*)...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Please, let him speak.

DR. M. THAMBIDURAI: Therefore, I would like to say that the present Tamil Nadu Government ... ...(*Interruptions*)...

श्री उपसभापति : श्री चुन्नीलाल गरासिया, आपके पास दस मिनट हैं।

श्री चुन्नीलाल गरासिया (राजस्थान): आदरणीय उपसभापति महोदय, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे इस 'आपदा प्रबंधन संशोधन विधेयक' पर बोलने का मौका दिया है और मैं इसके लिए आपका आभार व्यक्त करता हूं।

Contents Page

महोदय, मैं आज इस सदन में 'आपदा प्रबंधन संशोधन विधेयक, 2024' के पक्ष में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं। मैं प्रधानमंत्री नरेन्द्रभाई मोदी जी को उनकी दूरदृष्टि वाली सोच और 2047 तक विकसित भारत के विजन के लिए धन्यवाद और बधाई देना चाहता हूं।
महोदय, प्रधानमंत्री जी का यह दृष्टिकोण केवल आर्थिक विकास तक ही सीमित नहीं है, बल्कि एक सुरक्षित, सशक्त और आपदारोधी भारत के निर्माण की ओर भी केंद्रित है। प्रधानमंत्री नरेन्द्रभाई मोदी जी के नेतृत्व में और हमारे गृह मंत्री अमितभाई शाह जी के मार्गदर्शन में भारत के आपदा प्रबंधन क्षेत्र में एक क्रांतिकारी बदलाव देखा गया है। महोदय, 2016 में राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन योजना का शुभारंभ, आपदा मित्र योजना और राष्ट्रीय भूकंप पूर्व चेतावनी प्रणाली जैसे कार्यक्रमों ने भारत को आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में एक नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया है। इन प्रयासों का उद्देश्य हर नागरिक को सुरक्षित और आपदाओं से मुक्त जीवन देना है। महोदय, अब मैं इस विधेयक के प्रमुख बिंदुओं पर अपनी बात रखना चाहूंगा।

महोदय, पहला प्वाइंट तो यह है कि आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, आपदा मित्र के रूप में बदलाव किया गया है। यह संशोधन बिल राष्ट्रीय और राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरणों को स्वतंत्र रूप से आपदा योजना तैयार करने का अधिकार देता है। महोदय, हाल ही में केरल राज्य के वायनाड में भूस्खलन और देश भर में आई बाढ़ की घटनाओं ने हमें दिखाया है कि प्रभावी आपदा प्रबंधन कितना जरूरी है। यह विधेयक आपदाओं का प्रभाव कम करने और लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। शहरी आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (यूडीएमए) में स्मार्ट शहरों को सुरक्षित शहर बनाना भी एक लक्ष्य है। राज्य की राजधानी और बड़े शहरों में शहरी आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का गठन एक ऐतिहासिक कदम है। महोदय, स्मार्ट सिटी पहल के साथ आपदा प्रबंधन को जोड़ना यह दर्शाता है कि यह सरकार केवल प्रौद्योगिकी में प्रगति को ही नहीं, बल्कि नागरिकों की सुरक्षा को भी प्राथमिकता देती है। इस कदम का लक्ष्य शहरी क्षेत्रों में बेहतर तैयारी करना और स्थानीय सहयोग को बढ़ावा देना भी है। भूमिकाओं और जिम्मेदारी का सरलीकरण कैसे हो, इसमें भी यहां प्रकाश डाला गया है। यह विधेयक विभिन्न आपदा प्रबंधन प्राधिकरणों की भूमिकाओं को स्पष्ट करता है और उनके बीच समन्वय बढ़ाता है और साथ ही राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण को जलवायु परिवर्तन जैसे आपदाओं का आकलन करने का अधिकार भी देता है। सहकारी संघवाद के तहत यह बिल केंद्र और राज्यों को आपस में मिलकर काम करने के लिए प्रेरित भी करता है। यह बिल प्रभावी शासन को और जवाबदेह कैसे बनाए? इस विधेयक के तहत राष्ट्रीय संकट प्रबंधन समिति को वैधानिक मान्यता दी गई है। इससे आपदा प्रबंधन की संरचना को अधिक संगठित और जवाबदेह बनाया जाएगा। यह कदम राज्य की क्षमता को बढ़ाने और विभिन्न हितधारकों के बीच बेहतर समन्वय सुनिश्चित करने में भी सहायक होगा। इसके अनुपालन के लिए इसमें दंडात्मक प्रावधान भी किया गया है। आपदा प्रबंधन कर्मियों के काम में बाधा डालने पर दंडात्मक प्रावधान इस विधेयक का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। यह कदम यह सुनिश्चित करता है कि आपदा प्रबंधन प्रक्रिया में कोई बाधा न डाले और सरकार आपातकालीन स्थितियों में तेजी से और प्रभावी ढंग से कैसे काम कर सके, इसका विशेष रूप से उल्लेख किया गया है। विकास और आपदा प्रबंधन का समन्वय भी इसमें रखा गया है। यह विधेयक 15वें वित्त आयोग की सिफारिश को भी लागू करते हुए विकास योजनाओं को और आपदा प्रबंधन को एक साथ लाने का प्रयास करता है। इससे न केवल आपदाओं का प्रभाव कम होगा,

बल्कि देश को एक आपदा रोधी भविष्य की ओर भी ले जाएगा। इसमें व्यापक आपदा डेटाबेस का निर्माण भी किया गया है। राष्ट्रीय और राज्य स्तर पर आपदा डेटाबेस का निर्माण इस विधेयक का एक और दूरदर्शी पहलू है। इस डेटाबेस तकनीक का उपयोग करते हुए बेहतर तैयारी और प्रतिक्रिया रणनीतियों को सक्षम बनाने का भी लक्ष्य रखा है। इसके साथ ही सरकार द्वारा क्षेत्रीय प्रबंधन भूस्खलन चेतावनी प्रणाली और उन्नत प्रारंभिक चेतावनी प्रणालियां पहले से इस दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। इस विधेयक में यह रखा गया कि यह विधेयक आपदा प्रबंधन को स्थायी स्तर पर अधिक प्रभावी बनाने और विकास प्रक्रिया में एकीकृत करने का एक प्रयास है। इसके माध्यम से शहरी आपदा प्रबंधन प्राधिकरणों का गठन और राष्ट्रीय संकट प्रबंधन समिति को एक वैधानिक मान्यता जैसे प्रावधान आपदा प्रबंधन को सशक्त बनाएगा। इसकी पृष्ठभूमि और संदर्भ के विषय में - 2014 बाद से मोदी सरकार ने आपदा प्रबंधन ढांचे को मजबूत करने के लिए कई कदम उठाए हैं। राष्ट्रीय चक्रवात जोखिम शमन परियोजना, राष्ट्रीय आपदा शमन कोष और Glacial Lake Outburst Flood (GLOF) Project, जैसे कार्यक्रमों ने इस क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण योगदान दिया है।

उपसभापति महोदय, वास्तव में यह विधेयक प्रधान मंत्री नरेन्द्र भाई मोदी जी के आपदा रोधी और सुरक्षित भारत की दृष्टि को पूरा करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। यह भारत को न केवल एक विकसित, बल्कि एक सुरक्षित और सशक्त राष्ट्र बनाने में मदद करेगा। मैं इस विधेयक का पूर्ण समर्थन करता हूं और सदन के सभी सदस्यों से इसे पारित करने की अपील करता हूं। मैं कुछ शब्दों को पंक्तियों के रूप में आपके सामने प्रस्तुत करता हूं:

जो मुश्किलों को अवसरों में बदल दे,
जो हर संघर्ष को विजय में तब्दील कर दे,
जो असंभव को संभव बना दे,
जो राष्ट्र को सशक्त बनाए,
जो आपदा को चुनौतियों में बदल दे,
वह मोदी है।

जय भारत! जय हिंद!

श्री उपसभापति : डा. अनिल सुखदेवराव बोंडे।

डा. अनिल सुखदेवराव बोंडे (महाराष्ट्र) : उपसभापति महोदय, भारत के यशस्वी प्रधान मंत्री, नरेन्द्र मोदी जी का लक्ष्य है - आपदा में zero casualty और भारत के गृह मंत्री, अमित शाह जी इस लक्ष्य को पूरा करने के लिए यह आपदा प्रबंधन संशोधन विधेयक लाए हैं। मैं इसका समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूँ।

माननीय उपसभापति महोदय, आपदा प्रबंधन, यानी disaster management, इसकी effectiveness को best of the best करना, बेहतर करना, यह इस बिल का उद्देश्य है। National Disaster Management Authority (NDMA) और State Disaster Management Authority

(SDMA) को सक्षम बनाने के लिए, ताकि वे योजना बना सकें, उनको सक्षम करना इसका उद्देश्य है। आपदा का एक database होना चाहिए। इस database का प्रस्ताव भी यह विधेयक करता है।

उपसभापति महोदय, 2005 के आपदा अधिनियम में संशोधन इसलिए किया जा रहा है कि राज्य स्तर पर 2005 का विधेयक अपर्याप्त क्रियान्वयन करता था। अभी इस बिल से disaster management, यानी आपदा प्रबंधन के ढाँचे और प्रतिक्रिया तंत्र में सुधार के महत्वपूर्ण कदम उठाए जा सकते हैं। आपदा प्रबंधन तभी effective हो सकता है, जब उसकी दक्षता बढ़ेगी और जब उसका decentralization होगा। यानी स्थानीय प्राधिकरणों को ज्यादा अधिकार दिए गए, तो वे प्रभावी ढंग से जवाब देने की प्रक्रिया शुरू कर सकते हैं।

उपसभापति महोदय, नीयत अच्छी रही, तो नीति भी अच्छी बनती है। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि 2004 से 2014 तक NDRF को 27,619 करोड़ मिले थे, जबकि 2014 से 2024 तक 78,000 करोड़ मिले हैं। SDRF को, स्टेट्स को 2004 से 2014 तक 37,723 करोड़ मिले थे, जबकि 2014 से 2024 तक 1,20,379 करोड़ मिले। जो Disaster Relief Fund है, वह 2004 से 2014 तक 66,000 करोड़ था, जबकि वह 2014 से 2024 तक 2 लाख करोड़ के ऊपर हो गया। 15^{th} Finance Commission में State Disaster Risk Management Fund 2021-2026 के लिए 1,60,153 करोड़ किया गया। इसमें स्टेट को भी बहुत अच्छी तरह से इजाफा प्राप्त हुआ है।

उपसभापति महोदय, प्रधान मंत्री, नरेन्द्र मोदी जी 'सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास', इसके ऊपर भरोसा रखते हैं। सबका प्रयास महत्वपूर्ण है। देश का युवा प्रशिक्षित होना चाहिए, इसलिए गृह मंत्रालय ने जो देश की 321 यूनिवर्सिटीज़ हैं, NGOs हैं, इनका सहभाग इस disaster management के लिए लिया है। उसने उनका network तैयार किया है और उस नेटवर्क के माध्यम से सभी connected हैं। आपदा के संभावित 350 जिलों में आपदा मित्र योजना में 1 लाख आपदा बचाओ स्वयंसेवक हैं। ये young आपदा मित्र actually decentralization से जब वहाँ emergency होती है, जब वहाँ crisis होता है, उस वक्त अच्छे से काम कर सकते हैं। एक step और आगे जाकर 470 करोड़ खर्च करके एक 'युवा आपदा मित्र योजना' का निर्माण किया गया है, जिसमें NCC के cadets हैं, NSS के students हैं, NYKS के स्वयंसेवक हैं, BSG के स्वयंसेवक हैं। इन सभी 2,37,000 स्वयंसेवक, युवा आपदा मित्रों को प्रशिक्षित किया गया है।

उपसभापति महोदय, जब तक सरकारी अधिकारी इस crisis management के लिए प्रशिक्षित नहीं होते, तब तक effectiveness नहीं बढ़ सकती। Health, education, पंचायती राज, शहरी स्थानीय विकास निकाय और ग्रामीण विकास, उनके 24,060 सरकारी अधिकारी इसमें प्रशिक्षित किए गए। एक तो उन्हें संवेदनशील भी होना चाहिए और सबसे important है कि जब बच्चा स्कूल में रहता है, उस समय उसको इस disaster management या crisis management के बारे में प्रशिक्षण देना बहुत जरूरी है, क्योंकि बहुत बार हम देखते हैं कि छोटे-छोटे बच्चे भी अच्छी तरह से जान बचा सकते हैं। इस तरह से स्कूल के सुरक्षा कार्यक्रम में भी इसको कार्यान्वित किया गया है।

उपसभापति महोदय, माननीय प्रधान मंत्री जी हर बार बोलते हैं कि women empowerment होना चाहिए। इसलिए प्रधान मंत्री जी और गृह मंत्री जी ने इस crisis management में, disaster management में भी महिलाओं का सहभाग बहुत अच्छी तरह से

लिया है। इस आपदा मित्र योजना में 20,000 महिलाएं हैं, जिनको 'आपदा सखी' बनाने के लिए प्रशिक्षित किया गया है। Cyclone Shelter Management and Maintenance Committee में 50 परसेंट महिलाएं हैं। Role of women in disaster risk management के लिए National Institute of Disaster Management ने एक targeted training programme तैयार किया है, यानी महिलाओं का डिजास्टर रिस्क में कैसा रोल रहना चाहिए? महिलाएं घर में रहती हैं, महिलाएं ऑफिस में भी रहती हैं। डिजास्टर में उनका रोल कैसा हो, उसके ऊपर बहुत अच्छा फोकस किया गया है। सबसे important बात यह है कि हमारी मातृशक्ति ने इसके लिए एक अच्छा रोल तुर्की में अदा किया है। जब तुर्की में अर्थक्वेक आया था, तो NDRF की जो women rescuers थीं, उन्होंने humanitarian help की और disaster में relief दी और उनके रोल को बहुत सराहा गया है।

उपसभापति महोदय, एक भारत, एक आपदा का नंबर – 112. इस नम्बर को आप 10 types of crisis के लिए डायल कर सकते हैं। 112 नंबर डायल करने के बाद जो golden hour होता है, उसमें बचाव दल पहुंच सकता है। उसमें doctors भी रह सकते हैं, rescuers भी रह सकते हैं। यह golden hour important होता है। Basically, इसमें पहले disaster management का reactive relief-centric approach था और अभी pro-active and integrated approach है। इसमें सबसे important बात यह है कि क्या हम इसमें prevention कर सकते हैं, because prevention is better than cure? तो क्या हम इसमें prevention कर सकते हैं, mitigation कर सकते हैं, क्या आपदा को सौम्य कर सकते हैं, क्या आपदा के लिए prepared रह सकते हैं, क्या early warning देकर सभी लोगों को जागृत कर सकते हैं? उसके बाद जब आपदा आ ही गई, तो डिजास्टर का रिस्क जितना ज्यादा कम कर सकें, डिजास्टर रिडक्शन कर सकें, उसके ऊपर इस बिल के माध्यम से ज्यादा impact दिया गया है। Relief and reactionary outlook और ultimately उसके बाद में recovery, rehabilitation and reconstruction आता है। इस प्रकार से इस बिल का यह proactive and integrated framework बहुत अच्छी तरह से तैयार किया गया है, यह मैं खुशी से बता सकता हूं।

उपसभापति महोदय, सबसे important बात यह है कि आपदा प्रबंधन के लिए कुछ applications निकाले गए हैं। वे applications बहुत ही important हैं। इसमें NDMA App, सचेत App, भूकम्प App और दामिनी App हैं। दामिनी App को मैं तो बहुत महत्वपूर्ण समझता हूं। मैं एक किसान हूं और बहुत बार मैं देखता हूं कि बरसात के दिनों में फील्ड में काम करते वक्त बहुत सारे लोग बिजली गिरने की वजह से मरते हैं। यह दामिनी App जो है, it provides early warnings about lightning strike. इससे हमें इसके बारे में अलर्ट मिल सकता है। अगर गांव में उसका अलर्ट मिल गया, तो उस दिन लोग खेतों में जाना बंद कर देंगे। इसके साथ ही एक Agriculture DPM App भी है और CWC flood App भी है। मैंने आपको 112 नंबर के बारे में तो बताया ही है। इस आपदा प्रबंधन के माध्यम से एनडीआरएफ ने बहुत अच्छा अचीवमेंट किया है। सिर्फ भारत में ही नहीं, क्योंकि भारत में जो टनल वाली दुर्घटना हुई थी, उसके बारे में तो हमें मालूम ही है। 12 नवंबर, 2023 को उत्तरकाशी के सिलक्यारा विलेज में जो टनल कोलैप्स हो गयी थी, उसमें तो बहुत देर तक पूरी दुनिया राह देखती रही थी कि क्या हमारे लोग बचेंगे, लेकिन हमारी एनडीआरएफ के टीम ने उन 41 trapped workers को बाकी सभी सहयोगियों के साथ

अच्छी तरह से निकाला। मैं उसके लिए गृह मंत्री जी का अभिनंदन करता हूं। इतना ही नहीं, अगर इंटरनेशनली भी देखें, तुर्की में जब रिक्टर स्केल पर 7.8 का भूकंप आया था, अर्थक्वेक आया था, तो उस वक्त भी हमारी टीम बहुत अच्छी तरह से काम में आ गई। ...(**समय की घंटी**)...
सर, ultimately मैं एक ही बात कहता हूं। कवि कुसुमाग्रज मराठी में बोलते हैं कि [&]"यानी पूरा devastation हो गया, फिर भी मेरा spine straight रहा।" भारत के लोग जुझारू हैं और गृह मंत्री जी तथा प्रधान मंत्री जी सिर्फ उनकी पीठ पर हाथ रखें, तो वे fight कर सकते हैं। इसलिए मैं इस बिल का अभिनंदन करता हूं और गृह मंत्री जी का अभिनंदन करता हूं। धन्यवाद, जय हिन्द!
MR. DEPUTY CHAIRMAN: Now, Shri Amit Shah to reply.

श्री अमित शाह: माननीय उपसभापति महोदय, मैं आज इस सदन के सामने 'आपदा संशोधन विधेयक, 2024' को, जिसे लोकसभा के समक्ष 1 अगस्त, 2024 को प्रस्तुत किया गया था और दिसंबर, 2024 को पारित किया गया, उसको सदन के सामने लेकर उपस्थित हुआ हूँ। काफी लंबे समय से सदन में पक्ष और विपक्ष, दोनों ओर के संसद सदस्यों ने काफी रचनात्मक सुझाव इस संवेदनशील विषय पर रखे। श्री नीरज डांगी जी ने इसकी शुरुआत की और उनसे लेकर डा. अनिल सुखदेवराव बोंडे तक 24 सदस्यों ने इसमें हिस्सा लेकर इस चर्चा को एक प्रकार से समृद्ध किया है।

(**श्री सभापति** महोदय *पीठासीन हुए।*)

मान्यवर, यह आपदा प्रबंधन का जो विषय है, वह संविधान की सातवीं अनुसूची के तीसरे भाग में है। यह Concurrent List की Entry no. 23 में समाहित है। एक प्रकार से आपदा प्रबंधन केंद्र सरकार और राज्य सरकार, दोनों का विषय है, इसलिए कई सारे सदस्यों ने चिंता व्यक्त की कि इसमें सत्ता का केंद्रीकरण हो रहा है, फेडरल स्ट्रक्चर को हानि होगी। मैं आपके माध्यम से पूरे सदन को और सदन के माध्यम से पूरे देश को तथा सभी राज्य सरकारों को आश्वस्त करना चाहता हूँ कि यह एक ऐसी लड़ाई है, जिसमें न केवल केंद्र सरकार, न केवल राज्य सरकार बल्कि पंचायत और हर एक नागरिक को जोड़ने की हमारी मंशा है। इसमें सत्ता के केंद्रीकरण का कोई विषय ही उपस्थित नहीं होता है। अगर कोई पूरा विधेयक ध्यान से पढ़ेगा, तो हमारी आपदा प्रबंधन के लिए जो लड़ाई है, आपदा के खिलाफ जो लड़ाई है, उस लड़ाई को एक प्रकार से reactive approach से आगे बढ़ा कर न केवल proactive approach, बल्कि innovative approach और participation करने वाली approach तक पहुँचाने का इस बिल में प्रयास है।

मान्यवर, आपदा जोखिम न्यूनीकरण के लिए देश के सम्माननीय प्रधान मंत्री जी ने 10 सूत्रीय एजेंडा, जो विश्व के सामने रखा है, मैं इस पर बाद में आऊँगा, मगर मुझे यह कहते हुए आनंद है कि विश्व के 40 से ज्यादा देशों ने इसे स्वीकार किया है, इसको अपना लिया है। हम इसमें न केवल राज्य सरकार और स्थानीय निकाय की सहभागिता, बल्कि समाज की सहभागिता को भी अपेक्षित रखा है। इसके अंदर राष्ट्रीय स्तर के साथ-साथ स्थानीय स्तर पर प्लानिंग की गुंजाइश रखी है और संस्थाओं की शक्तियों और कर्त्तव्यों, दोनों का स्पष्टीकरण किया है। किसी भी

[&] English translation of the original speech delivered in Marathi.

Contents Page

आपदा का सामना करने की लड़ाई तब तक नहीं लड़ी जा सकती है, जब तक संस्थाओं को empower न किया जाए और जब तक संस्थाओं को responsible न करें, तब भी नहीं लड़ी जा सकती है। अगर कोई इस विधेयक को ध्यान से देखेगा, तो हमने इस विधेयक के अंदर इन दोनों चीजों को करने का काम किया है।

मान्यवर, हम सब जानते हैं कि आपदा का सीधा रिश्ता जलवायु परिवर्तन के साथ है। आपदा न आए, ऐसी व्यवस्था करने का सबसे अच्छा तरीका तो यह है कि जलवायु परिवर्तन को हम संभाल कर रखें, global warming की चिंता करें। आज भारत में जो बात माननीय नरेन्द्र भाई कर रहे हैं, वह आज की नहीं है, बल्कि भारत इस दिशा में हजारों वर्षों से आगे बढ़ रहा है। यज्ञों से प्रकृति को अक्षुण्ण रखने की बात हो या यजुर्वेद के अंदर वर्णित शांति पाठ हो, जिसमें शांति की जो कामना की गई है, वह सिर्फ मानव तक सीमित नहीं रखी गई है, बल्कि वह पृथ्वी, जल, जड़ी-बूटी, वनस्पति, पेड़- पौधे, पशु और यहाँ तक कि हम अंतरिक्ष तक की शांति की प्रार्थना करते हैं, ताकि जलवायु का संरक्षण हो। यजुर्वेद के समय से, वेदकालीन समय से मनुष्य और प्रकृति के परस्पर संबंध को हमने स्वीकार किया है और हमारी सरकार इसी परंपरा को आगे बढ़ाने का काम कर रही है।

मान्यवर, हड़प्पा सभ्यता हो या सिंधु सभ्यता हो, उन सब जगहों पर जब हम पुरानी नगर रचनाओं को देखते हैं, तो उनके अंदर हमें आपदा प्रबंधन के बहुत विशिष्ट प्रयास इंगित किए हुए मिलते हैं। मौर्य साम्राज्य को भी पहली हाइड्रॉलिक सभ्यता के रूप में जाना जाता है, जिसे अब सब लोग स्वीकार करते हैं। हमारे यहाँ यह विचार नया नहीं है, परंतु जिस तरह से हानि हुई है, उस हानि की प्रतिपूर्ति के लिए परंपरागत उपायों और पर्यावरण की देखरेख के साथ-साथ हमें आधुनिक उपायों को, विज्ञान को और दुनिया भर की अच्छी प्रैक्टिस को अपनाने का खुला मन रखना चाहिए। मान्यवर, मैं यह जो अमेंडमेंट लेकर आया हूँ, वह इसी का उदाहरण है। 2005 में पहली बार आपदा प्रबंधन अधिनियम आया। इसके तहत NDMA, SDMA और DDMA का गठन किया गया। जब मैं NDMA कहता हूँ, तब यह National Disaster Management Authority की बात है; SDMA, State Disaster Management Authority की बात है और District Disaster Management Authority का गठन ऑलरेडी हो चुका है। अब यह चिंता व्यक्त की जा रही है कि पावर का केंद्रीकरण होगा। जब आप इस पूरे विधेयक को ध्यान से पढ़ेंगे, तो implementation की सबसे बड़ी जिम्मेदारी District Disaster Management Authority की है, जो राज्य सरकार की अधीन है, इसलिए कहीं पर भी federal structure को नुकसान करने की संभावना ही नहीं है। इसमें आर्थिक सहायता के लिए National Disaster Response Fund, National Disaster Mitigation Fund और राज्य तथा जिला स्तर पर फंड की रचना भी की गई है।

मान्यवर, बहुत सारे लोगों ने पक्षपात का जो आरोप लगाया, इसका मैं डिटेल में जवाब दूँगा, परंतु अगर पक्षपात होता है, तो वह 2005 में यूपीए की सरकार के बनाए कानून के कारण होता है। हमने उसमें कोई परिवर्तन नहीं किया है। मैं सारे सदस्यों से फिर से एक बात कहता हूँ कि आपदा सहायता के लिए वित्त आयोग ने एक वैज्ञानिक व्यवस्था की है। इससे एक भी कानी पाई कम, एक भी राज्य को नरेन्द्र मोदी सरकार ने नहीं दी है, बल्कि हमने ज्यादा दिया है। मान्यवर, कुछ सदस्यों ने सवाल उठाया है कि अमेंडमेंट की क्या ज़रूरत है, तो मैं उनको बताना चाहता हूं कि समय के साथ जिस इमारत की मरम्मत न हो, वह इमारत ढह जाती है। नए-नए

अनुभव होते हैं, नए-नए प्रकार की आपदाओं का अनुभव होता है, कुछ छूट गया है, कुछ दुनिया की best practices हैं। इन सब चीज़ों को समाहित करके हम कानून में बदलाव करें, तो इसमें क्या आपत्ति है? अगर कानून बदलता नहीं है, तो कालबाह्य हो जाता है।

मान्यवर, उनको यह लगता होगा कि शायद वे आएंगे, तब बदलेंगे, तो मैं उनको बता देना चाहता हूं कि उसमें बहुत देर है, करीब 15-20 साल तक किसी का नम्बर नहीं लगने वाला। आप ज़रा भी चिंता मत कीजिए। जो कुछ करना है, हमें ही करना है लम्बे समय तक। मान्यवर, COVID-19 जैसी वैश्विक आपदा, बढ़ता हुआ शहरीकरण, अनियमित होती बारिश की आपदाएं और जलवायु परिवर्तन के कारण आपदाओं का size और scale दोनों बढ़ता है। अब अगर साइज़ और स्केल बदला है, तो हमें इससे निपटने के तरीके भी बदलने पड़ेंगे। इससे निपटने की व्यवस्थाएं भी बदलनी पड़ेंगी और इससे निपटने के लिए संस्था को हमें जवाबदेह भी बनाना होगा और शक्तियां भी देनी पड़ेंगी। केवल इतने उद्देश्य मात्र से ही इसके प्रभावशाली और समग्र समाधान के लिए ही यह बिल लेकर मैं सदन के सामने उपस्थित हुआ हूं।

मान्यवर, हमने stakeholders को पहले से ही approach किया है। केंद्र सरकार के सभी मंत्रालय, सभी राज्य सरकार, सभी UT और अंतरराष्ट्रीय संगठनों के भी सुझाव लिए हैं। इसके साथ ही राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय गैर सरकारी संगठनों के भी सुझाव लिए हैं। मैं यहां यह बताना चाहता हूं कि हमें मिले हुए सुझावों में से ज्यादातर सुझावों को accept कर के समग्रता से हमने यह बिल बनाया है।

मान्यवर, यहां राज्य सरकार का, अपनी पार्टी का प्रतिनिधित्व करना कोई नई बात नहीं है, कोई बुरी बात भी नहीं है, करना ही चाहिए, मगर कम से कम विरोध करते वक्त इतना तो देख लेते कि कहीं यह मेरी राज्य सरकार का suggestion तो नहीं है। आपने ढेर सारे ऐसे suggestions का विरोध किया है, जो उनकी ही राज्य सरकार ने किए हैं। अब मैं एक-एक बात जो सदस्यों को बुरी लगे, इस तरह की कटु बात इस प्रकार के विषय में करना नहीं चाहता। मगर मेरा आग्रह है कि कम से कम बिल पढ़े बगैर, सिर्फ मेरी पार्टी का स्टैंड क्या है, मेरी पार्टी की पॉलिसी क्या है, मेरी पार्टी की चुनी हुई सरकार की पॉलिसी क्या है, उसने क्या सजेशंस दिए हैं, इसको अगर देख लें, तो embarrassment न हो।

मान्यवर, मैं संशोधन के विषय में जाने से पहले संशोधनों के मूल कारणों की ओर जाना चाहता हूं। हम इस विधेयक के माध्यम से, reactive response से pro-active risk reduction की ओर जाना चाहते हैं। Manual monitoring की जगह से AI आधारित real-time monitoring की ओर जाना चाहते हैं। रेडियो पर चेतावनी की जगह social media apps और मोबाइल की चेतावनी की ओर जाना चाहते हैं। Government-led response की जगह multi-dimensional response, जिसमें सोसायटी भी शामिल है, नागिरक भी शामिल है, उसकी ओर जाना चाहते हैं। मान्यवर, disaster response में क्षमता, तीव्रता, दक्षता और सटीकता को समाहित करने के लिए यह विधेयक बनाया गया है। मान्यवर, यह तो हम सबको स्वीकार करना पड़ेगा कि 10 साल के अंदर disaster management के क्षेत्र में जो परिवर्तन आया है, हम राष्ट्रीय स्तर के साथ-साथ regional और global power बन कर उभरे हैं। यह पूरी दुनिया स्वीकार कर रही है। भारत की इस सक्सेस स्टोरी को लंबे समय तक बनाए रखने के लिए यह विधेयक है। मेरे शब्द प्रयोग को कोई गलती से न समझे, मैं सरकार की सक्सेस स्टोरी नहीं कहता हूं। भारत की सक्सेस स्टोरी

को लंबे समय तक बनाने के लिए यह है। मान्यवर, इससे NDMA और SDMA दोनों प्रभावी बनेंगे। राष्ट्रीय और राज्य स्तर पर, दोनों स्तर पर आपदा डेटा बेस का सृजन होगा। इसमें शहरी आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के सृजन की कल्पना की है, जो पूर्णतया राज्य सरकारों के अधीन होगा। 15वें वित्त आयोग की जो सिफारिश है, वह इसके इम्प्लिमेंटेशन के लिए भी एक खाका बनाने के लिए वैधानिक ताकत NDMA और SDMA को देगा। सर, केवल information साझा करना ट्रांसपेरेंसी नहीं है। Trust, credibility और accountability ये तीनों तत्व इसके अंदर डाले गए हैं। Responsibility केवल कार्यभार सौंपना नहीं है। Well-defined roles, full stop, comma में भी confusion न हो, ऐसे well-defined roles हमने किए हैं और साथ में हमने नैतिक जिम्मेदारियों को भी डालने का काम किया है। Efficiency का मतलब पुराने विधेयक में केवल गतिशीलता था, हमने संसाधनों का सर्वोत्तम उपयोग के लिए भी responsibility fix की है। Synergy का मतलब केवल टीम वर्क नहीं है, हमारी तैयारी, सुप्रबंधन और समन्वय-इन तीनों के जरिए इसके अंदर synergy के साथ आपदा के खिलाफ लड़ने का एक प्रयास किया गया है। ये चार पिलर्स केवल शब्द नहीं हैं। अब आप इसकी धाराओं को देखेंगे, तो जब मैंने कहा कि ट्रांसपेरेंसी के लिए धारा 2 को विस्तृत किया गया है। जैसे आपदा प्रबंधन, स्थानीय प्राधिकरण, mitigation, 'disaster risk', 'evacuation', 'exposure', 'recovery', पुनर्वास, शहरी प्राधिकरण ऐसे नए शब्दों को परिभाषित करके ट्रांसपेरेंसी को हमने सुनिश्चित किया है। धारा 13 - गैर आवश्यक प्रावधानों को भी हटाने का काम ट्रांसपेरेंसी के लिए भी हुआ है। कुछ सदस्यों ने मुद्दा उठाया था कि धारा 12 को क्यों हटाया गया, मगर धारा 6 में जो एडिशन हुआ है, उसके बाद 12 का कोई औचित्य नहीं रहता है।

महोदय, responsibility, जिम्मेदारी के लिए धारा 3, 6 और 10 को लाए हैं जिसमें NDMA और NEC दोनों की responsibility fix करने का काम किया है। धारा 18 और 22 ये भी responsibility fix करती हैं राज्य प्राधिकरण और कार्यकारिणी समिति की और धारा 56 लापरवाही और अवज्ञा के लिए अनुशासनात्मक कार्यवाही करने की शक्ति देती है, जिससे भी responsibility fix होगी। धारा 60ए से आपदा के दौरान निर्देशों की अवहेलना करने और निर्देशों का संज्ञान न लेने के संबंध में penalty का भी प्रावधान करके responsibility fix करने का प्रयास किया है। मैंने efficiency, कुशलता को तीसरा pillar कहा - धारा 5, जिसमें भर्तियों की प्रक्रिया सुनिश्चित की है। धारा 11 में NDMP की तैयारी, समीक्षा और संशोधन की जिम्मेदारी NDMA को सौंपी है। धारा 23 में SDMA की जिम्मेदारी तय की है। धारा 44ए में राज्य आपदा मोचन बल के गठन और enabling provision किए हैं। धारा 46 में राष्ट्रीय आपदा मोचन निधि का अनुपयोग और इसको पारदर्शी बनाने की जिम्मेदारी इसमें तय हुई है। धारा 47 राष्ट्रीय आपदा शमन निधि के अनुप्रयोग के बारे में है और 48 भी इसी के लिए है। सर, synergy के लिए नई धाराएं 8ए और 8बी जोड़ी गई हैं। NCMC, HLC को वैधानिक दर्जा दिया गया है। धारा 25 - जिला आपदा प्राधिकरण DDMA के गठन से संबंधित है। हमने इसके अंदर सिविल सोसाइटी संगठनों को स्थान देने का प्रबंधन किया है। मैं आपके समक्ष इस विधेयक के माध्यम से 41 ए शहरी आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (यूडीएमए) के गठन का नया विचार लेकर उपस्थित हुआ हूं। मान्यवर, जहां-जहां भी सुधार किये गये हैं, वे सभी सुधार इन चार पिलर्स पर किये गये हैं। एक भी सुधार, किसी भी प्रकार की सत्ता के केंद्रीकरण के लिए नहीं किया गया है।

मान्यवर, जब इन 10 सालों को पीछे मुड़कर देखते हैं, तो पाते हैं कि एक ओर प्रधानमंत्री जी ने पर्यावरण के लिए भी ढेर सारे काम किए हैं। उन्होंने पर्यावरण के संरक्षण और आपदा प्रबंधन को भी बहुत आगे बढ़ाया है। पर्यावरण प्रबंधन पर पर्यावरण के संरक्षण के लिए मैं बाद में भी बात करूंगा, मगर कुछ बातें अभी भी जरूर रख दूंगा। महोदय, एक तरफ विश्व के सामने नरेन्द्र मोदी जी ने केवड़िया कॉलोनी में मिशन लाइफ की बात की, तो दूसरी ओर 10 सूत्रीय आपदा जोखिम न्यूनीकरण का एजेंडा भी घोषित किया। एक तरफ Pro-Planet People बनने के लिए एक निश्चित ठोस कार्यक्रम दिया, तो दूसरी ओर Coalition for Disaster Resilient Infrastructure विश्व के पटल पर रखा, जिसके 43 देश सदस्य बन चुके हैं। International Solar Alliance और Global Biofuels Alliance की शुरुआत की और भारत में ही इसका मुख्यालय बना। महोदय, जी20 सम्मेलन की मेजबानी करके disaster risk reduction पर टास्क फोर्स का गठन भी किया। महोदय, इन दोनों मोर्चों पर प्रधानमंत्री जी ने और उनके नेतृत्व वाली सरकार ने महीन तरीके से, बहुत दूरदर्शिता के साथ काम किया है। महोदय, एक ओर भविष्य में पर्यावरण के संरक्षण से डिजास्टर न हो, इसके लिए प्रयास करना और दूसरी ओर यदि डिजास्टर आ ही जाता है, तो उससे वैज्ञानिक तरीके से लड़ने की पूरी सुसज्जता, भारत के गांव से लेकर दिल्ली तक करने की व्यवस्था माननीय नरेन्द्र मोदी जी ने की है।

मान्यवर, मैं आज आपदा प्रबंधन के लिए गुजरात के योगदान को भी इस सदन के सामने रखना चाहता हूं। 2001 में भुज में आए विनाशकारी भूकंप की घटना ने न केवल गुजरात, बल्कि पूरे देश और विश्व को झिंझोड़कर रख दिया था। महोदय, भारत के इतिहास की जो स्मृति है, उसमें इतना बड़ा भूकंप कभी नहीं देखा गया। इसने सभी को झिंझोड़कर रख दिया। गुजरात में, जब वहां प्रधानमंत्री जी मुख्य मंत्री थे, तब भारत में पहली बार Climate Change Department की स्थापना गुजरात के मुख्यमंत्री नरेन्द्र मोदी जी ने की थी। गुजरात में जलवायु परिवर्तन कोष बनाया गया और 2003 में गुजरात में, राज्य आपदा प्रबंधन अधिनियम भी लाया गया। महोदय, मैं स्वीकार करता हूं कि यह 2005 में यूपीए सरकार लाई थी, और जो लाई, उसका स्वागत हो, मगर, 2003 में, देश में सबसे पहले लाने का काम, इस देश के प्रधानमंत्री, जब वे तत्कालीन मुख्यमंत्री थे, तब नरेन्द्र मोदी जी लाए। 2013 में अहमदाबाद की हीट वेव के लिए देश का पहला सिटी लेवल एक्शन प्लान बना। महोदय, भूकंप के बाद पुनर्निर्माण, सामुदायिक तैयारियां और पुनर्वास के लिए भी एक डिटेल्ड योजना बनाने का काम गुजरात के तत्कालीन मुख्यमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी ने किया।

मान्यवर, जब मोदी जी यहां पर प्रधानमंत्री बने, तो राहत केंद्रित दृष्टिकोण की जगह समग्र और एकीकृत दृष्टिकोण की शुरुआत की गई। रिएक्टिव की जगह प्रोएक्टिव एप्रोच ली गई और मिनिमम कैजुअलिटी का पहले जो लक्ष्य रखा जाता था, उसकी जगह पर जीरो कैजुअलिटी का लक्ष्य रखकर आपदा प्रबंधन करने की शुरुआत की।

मान्यवर, आज सरकारें आपदा के बाद केवल राहत और बचाव कार्य का ही ध्यान नहीं रखतीं, बल्कि प्रि डिजास्टर और कई सारी तैयारियां भी करती हैं। अर्लि वार्निंग सिस्टम, यथासंभव प्रिवेंशन, मिटिगेशन, टाइमली प्रिपेयर्डनेस और डिजास्टर रिस्क रिडक्शन के सारे क्षेत्रों में हमने बहुत अच्छा काम किया है। इसका ही परिणाम है कि 1999 में जब ओडिशा सुपर साइक्लोन आया, तब 10 हज़ार लोग लोग मारे गए थे, लेकिन जब 2019 में चक्रवात फानी आया, तब केवल एक ही व्यक्ति की मृत्यु हुई थी। मान्यवर, 2023 में गुजरात में बिपरजॉय तूफान आया

तब एक भी व्यक्ति और एक भी पशु की मृत्यु नहीं हुई है। Zero casualty का लक्ष्य 2023 में सिद्ध कर लिया। मान्यवर, चक्रवातों के कारण जान माल के नुकसान में 98 प्रतिशत की कमी आई है और लू संबंधित मृत्यु दर में भी उल्लेखनीय कमी लाने में हम सफल हुए हैं।

मान्यवर, ये आर्थिक सहायता की बात करते थे। मेरे पास सभी जवाब हैं, लेकिन अगर मैं राज्यवार देने जाऊंगा, तो बहुत देर हो जाएगी। मैं एक ग्रॉस पिक्चर, एक परिदृश्य आपके माध्यम से इस देश के सामने रखना चाहता हूं। 2004 से 2014 में - एसडीआरएफ की रचना हो चुकी थी - एसडीआरएफ का बजट 38,000 करोड़ था। यह 2014 से 2024 में 1,24,000 करोड़ रुपया हुआ। एनडीआरएफ, जो शुद्ध रूप से भारत सरकार का पैसा है, 2004 से 2014 में 28,000 करोड़ था और मोदी जी के समय में 2014 से 2024 में 28,000 करोड़ से बढ़कर 80,000 करोड़ करने का काम हुआ है। टोटल करें, तो 66,000 करोड़ से बढ़कर दो लाख करोड़ से ज्यादा दिया गया है। अब ये लोग फरियाद कर रहे हैं। जिनके समय से तीन गुना पैसा हमने राज्यों को केंद्र की निधि से दिया है और आप लोग फरियाद कर रहे हैं! आप बोलने से पहले अपने समय की जरा स्टडी तो करो। आप करो या न करो, आईने के सामने खड़े रहेंगे, तो चेहरा जरूर दिखाई देगा। आपसे तीन गुना पैसा देने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है।

मान्यवर, इसके अलावा उस वक्त जो कुछ संरचनाएं नहीं थीं, उन्हें हम अस्तित्व में लाए। 250 करोड़ से National Disaster Response Reserve बनाया। 2016 में पहला नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट प्लान जारी हुआ, जो पूर्णतः Sendai Framework के अनुरूप है। 2018-19 में Subhash Chandra Bose Disaster Management Award की स्थापना की गई। National Cyclone Risk Mitigation का पहला फेस ओडिशा और आंध्र प्रदेश में 2018 में पूरा किया और जो कहते हैं कि सिर्फ एनडीए की चिंता हो रही है, उस वक्त ओडिशा भी एनडीए में नहीं था और आंध्र प्रदेश भी एनडीए में नहीं था, दोनों हमारे शासित राज्य नहीं थे। मान्यवर, जो अंतर मंत्रालय परामर्श टीम भेजी जाती है, एक जमाने में उसे जाने में 6-8 महीने लगते थे, लेकिन 2019 में गृह मंत्रालय ने निर्णय किया कि पहले जाकर immediate जायजा लेंगे और पांच वर्ष में 10 दिन के अंदर 97 आईएमसीटी की टीमें भेजकर तुरंत सहायता करने का प्रावधान भारतीय जनता पार्टी की नरेन्द्र मोदी सरकार ने किया है।

मान्यवर, एनडीआरएफ की 16 बटालियन्स कार्यरत हैं। आज एनडीआरएफ की जो ड्रेस है, मैं कलर कहूंगा तो थोड़ी तकलीफ होगी, मगर कह ही देता हूं कि एनडीआरएफ के भगवा कलर के कपड़े देखकर लोगों को शांति होती है कि ये आ गए हैं और हम बच जाएंगे और न केवल देश में, बल्कि पूरी दुनिया में हमने काम किया है। इसके अलावा कुछ नए इनिशिएटिव्स लिए गए हैं। भूस्खलन जोखिम प्रबंधन के लिए कार्यक्रम बनाया गया है। Glacial Lake Outburst Flood के लिए भी कार्यक्रम बनाया गया। नागरिक सुरक्षा और प्रशिक्षण क्षमता निर्माण का भी कार्यक्रम लिया गया। मान्यवर, एनडीआरएफ ने कई सारे इंटरनेशनल अभियान भी किए हैं।

MR. CHAIRMAN: Hon. Home Minister, one minute, please. Hon. Members, we are clocking 6.00 p.m. today. If the House agrees, we may sit beyond 6.00 p.m. today till the disposal of the Disaster Management (Amendment) Bill, 2024. Do I have the leave of the House to extend the sitting beyond 6.00 p.m.?

Contents Page

SOME HON. MEMBERS: Yes, Sir.

MR. CHAIRMAN: Yes, hon. Home Minister.

6.00 P.M.

श्री अमित शाह: सभापति महोदय, NDRF ने वसुधैव कुटुम्बकम् की भावना को ध्यान में रखते हुए 2015 में ऑपरेशन मैत्री नेपाल के भूकंप में, 2018 में ऑपरेशन समुद्र मैत्री इंडोनेशिया में, ऑपरेशन दोस्त 2023 में तुर्की और सीरिया में, ऑपरेशन करुणा म्यांमार में, ऑपरेशन सद्भाव जब वियतनाम में तूफान यागी आया, तब किया। इन सब जगहों पर न केवल सरकारों ने, बल्कि इन देशों की जनता ने भी NDRF की और मोदी जी की भूरी-भूरी प्रशंसा की है। मान्यवर, NDRF ने यह जो राष्ट्रीय स्तर पर हमारे आपदा प्रबंधन को स्वीकृति दिलाने का काम किया है, मैं आज इस सदन के माध्यम से NDRF के सभी जवानों को बहुत-बहुत साधुवाद देना चाहता हूँ।

मान्यवर, हमने अपने disaster management और disaster risk reduction को पैना बनाने के लिए जापान, ताजिकिस्तान, मंगोलिया, बंगलादेश, इटली, तुर्कमेनिस्तान, मालदीव और उज्बेकिस्तान, इन सबके साथ समझौता ज्ञापन किया है। इन सबकी भौगोलिक परिस्थिति में कोई न कोई ऐसा disaster है, जो भारत के अंदर भी संभव है। इसलिए हमारे best practices का फायदा उनको पहुँचे और उनके यहाँ जो व्यवस्था है, उसे हमारे यहाँ लाने के लिए हमने ढेर सारे काम किए हैं। हमने न केवल समझौता ज्ञापन किया है, बल्कि 2015, 2016, 2019, 2020 और 2023 में हमने यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय गोष्ठियाँ भी आयोजित की हैं। 2015 में SAARC की, 2016 में BRICS की, 2019 में SCO की, 2020 में BIMSTEC की और 2023 में SCO की गोष्ठी आयोजित हुई। इन सारी गोष्ठियों में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के ढेर सारे आपदा प्रबंधन के विशेषज्ञ आए, जिन्होंने आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में सारे देशों के समूहों के अनुभवों और ज्ञान को समृद्ध करने का काम किया है।

मान्यवर, मैं CDRI की बात बहुत संक्षिप्त में करना चाहता हूँ। CDRI आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में भारत के वैश्विक नेतृत्व का उदाहरण है। 23 सितंबर, 2019 को न्यूयार्क में संयुक्त राष्ट्र के Climate Action Summit में मोदी जी ने इसका विचार रखा और भारत में ही इसकी स्थापना की गई। अब तक 43 देश और 7 अंतर्राष्ट्रीय संगठन CDRI की सदस्यता ले चुके हैं और वैश्विक स्तर पर भारत के नेतृत्व को प्रस्थापित करने का काम CDRI के माध्यम से हुआ है।

मान्यवर, हमने एक 'आपदा मित्र योजना' के माध्यम से 350 disaster prone जिलों में 370 करोड़ से एक लाख community volunteers की एक फोर्स बनाई और भारत आपदा संसाधन नेटवर्क पोर्टल पर उनको रजिस्टर किया। जब भी आपदा आती है, ये trained स्वयंसेवी अपने आप वहाँ पहुँचते भी हैं और district collector के पास भी इनका पूरा लेखा-जोखा रहता है। मान्यवर, मुझे बताते हुए आनंद होता है कि एक लाख आपदा मित्र volunteers हैं, जिनमें से 20 प्रतिशत मातृ शक्ति हैं, महिला हैं। मान्यवर, यह एक बहुत बड़ी बात है। हमारी मातृ शक्ति आपदा प्रबंधन के कार्य के अंदर कंधे से कंधा मिला कर जुड़ी है। आपदा मित्र योजना का परिणाम क्या हुआ! 78 हजार व्यक्तियों को बचाया गया, मतलब वे अलग जगह पर ले जाए गए और 129 लोगों

Contents Page

को, जो दबे हुए पड़े थे, जिनको कोई करंट लग गया था, उनको समय पर अस्पताल में पहुँचा कर उनकी जान बचाने का काम इस आपदा मित्र योजना में हुआ है।

अब इस बजट के अन्दर इसको एक नए लक्ष्य समूह में विस्तार दे रहे हैं। 470 करोड़ से युवाओं को इसके साथ जोड़ने के लिए 1,300 से ज्यादा प्रशिक्षित आपदा मित्रों को Master Trainer के रूप में काम दिया गया है, जो NCC, NSS, Nehru Yuva Kendra Sangathan और Bharat Scouts and Guides के 2 लाख, 37 हजार नए आपदा मित्रों को प्रशिक्षित करेंगे, जिससे community volunteers की कुल संख्या 3 लाख, 37 हजार हो जाएगी। हमारे पास यह एक बहुत बड़ी फोर्स हो जाएगी। ...(**व्यवधान**)...

मान्यवर, हमने कई सारे Apps बनाए हैं, जिनका कुछ सदस्यों ने जिक्र किया है, फिर भी मैं बता देता हूँ। 'मौसम' IMD के लिए है; 'मेघदूत' बारिश के लिए है; 'Flood Watch' बाढ़ की स्थिति के लिए है; 'Damini' lightning strike के लिए है; 'Pocket Bhuvan' voice navigation app है; 'SACHET' geo targeted alert जारी करता है; 'वन अग्नि' जंगलों की आग के लिए है; 'समुद्र' महासागर की जानकारी देता है; 'भू-स्खलन' - भू-स्खलन के अध्ययन की nodal agency बनी है; 'India Quake' भूकम्प के मानदंडों को automated प्रसारण करने का काम करता है। मान्यवर, आज मोदी जी के कारण, शायद ही देश का कोई नागरिक ऐसा बचा होगा, जिसके पास मोबाइल नहीं होगा। सबके पॉकेट में ये सारे Apps पहुंचाने का काम भारतीय जनता पार्टी की इस सरकार ने करके दिखाया है। ...(**व्यवधान**)... चाहे वह किसान हो, मछुआरा हो, सागर के किनारे रहने वाला भाई हो, भूस्खलन की संभावना वाले क्षेत्र हों, इन सबको समय पर जानकारी मिल जाती है। खेत में काम करने वाले किसानों को भी दामिनी से जब मालूम पड़ जाता है, जब बिजली गिरने की संभावना बता दी जाती है, तो वे अपनी जान बचा सकते हैं।

मान्यवर, मैंने पहले ही कहा था कि मैं पर्यावरण के लिए भी जरूर बताना चाहूँगा। पूरी दुनिया एक बात को निर्विवाद रूप से स्वीकार कर चुकी है कि पर्यावरण के संरक्षण में नरेन्द्र मोदी जी आज पूरी दुनिया का नेतृत्व संभाल रहे हैं, इसीलिए संयुक्त राष्ट्र ने उनको 'Champions of Earth' की उपाधि देकर सम्मानित किया है। मोदी जी ने single use plastic से भारत को मुक्त करने का काम लगभग समाप्त कर लिया है। इनकी पहल से International Solar Alliance बना हुआ है और कई सारे देश इसके साथ जुड़ चुके हैं। नरेन्द्र मोदी जी ने दुनिया भर में One Sun, One World, One Grid परियोजना को popular करने का काम किया है। दुनिया भर में सोलर एनर्जी साझा करने के लिए Inter-regional energy grid का निर्माण करने का काम भी शुरू हो चुका है। 'एक पेड़ मां के नाम' से अपनी मां का ऋण चुकाने के लिए, करोड़ों लोगों ने श्रद्धा के साथ धरती माता और अपनी माता को ऋण चुकाने के लिए पेड़ लगाने का काम किया है।

मान्यवर, यदि मैं energy की बात करूं, तो भारत ने 2070 तक net zero Carbon emission का लक्ष्य रखा है। मोदी जी की पहल से International Solar Alliance और Global Bio-fuel Alliance बना है। हमारा 2025 तक 20 परसेंट blending का जो लक्ष्य था, उसे हम सिद्ध कर चुके हैं। आज 20 प्रतिशत इको फ्रेंडली ईंधन हम सबकी गाड़ियों में होता है। मान्यवर, हमने 10 करोड़ 'उज्ज्वला गैस कनेक्शन' देकर, कंडे और कोयले से जो धुआँ उत्पन्न होता था, उसको रोकने का काम किया है। हम स्वच्छता अभियान में sanitation coverage को 39 परसेंट से बढ़ाकर 100 परसेंट तक पहुंचे हैं। 'नमामी गंगे' के तहत 400 प्रकल्प शुरू हो चुके हैं।

Sewerage और घाटों के इन 400 प्रकल्पों में से 125 प्रकल्पों का काम पूर्ण हो चुका है। पृथ्वी माता के पुनरुद्धार के लिए और chemical fertilizers का उपयोग कम करने के लिए, हम एक बहुत बड़ी योजना 'पीएम प्रणाम' लेकर आए हैं। 'गोबरधन स्कीम' में गोबर को कंडों के रूप में बदलने की जगह, उससे गैस बनाकर और प्राकृतिक खाद बनाकर हम धुआँ भी कम कर रहे हैं तथा अपनी मातृभूमि का संरक्षण करने का काम भी कर रहे हैं।

मान्यवर, इसके साथ-साथ 'पीएम सूर्य घर योजना' और Advance Automated Technology Product Electric Vehicle के लिए भी 26,000 करोड़ रुपए का बजटीय प्रावधान किया गया है। Green Hydrogen Mission ने पूरी दुनिया में एक नए प्रकार की ऊर्जा बनाने का काम किया है। मान्यवर, मैं 2005 के कानून में यह जो सुधार लेकर आया हूँ, उस सुधार के उद्देश्य और उस सुधार के पहले 10 साल के एचीवमेंट्स को मैंने बताया है। मान्यवर, मगर चर्चा में कुछ चीजें आई हैं, जिनका जवाब देना मेरे लिए बहुत जरूरी बन जाता है। अब जिन-जिन लोगों ने जिक्र किया है, वे मुझे जरा धैर्य से सुनें - ऐसी मेरी उनसे विनती है।

मान्यवर, 2019 के कोविड के प्रबंधन के लिए जिन लोगों ने टिप्पणियाँ की हैं, उनको मैं विश्वास के साथ बताना चाहता हूँ कि पूरे संसार में सबसे अच्छा कोविड प्रबंधन कहीं हुआ है, तो वह हमारे भारत में हुआ है और इसका हर भारतीय को गौरव है। पूरा संसार आज इसकी भूरी-भूरी प्रशंसा कर रहा है। मान्यवर, दुनिया में सबसे अच्छा मैनेजमेंट हमने किया। कोविड आते ही टीका बनाने की शुरुआत की है। कांग्रेस के शासन के अंदर कई ऐसे रोग हैं, जिनका बना हुआ टीका लगाने में 20-20 साल, दो-दो पीढ़ियाँ निकल गईं, जबकि हमने एक-दो साल में ही टीका बनाया भी और 130 करोड़ लोगों को लगाया भी और 2-2 टीके लगाए। मान्यवर, जनकल्याण के लिए टेक्नोलॉजी का इससे सटीक उपयोग पूरे विश्व में कहीं नहीं हुआ होगा। टेक्नोलॉजी का जो उपयोग हुआ, उसके कारण टीका लगाते ही आपके मोबाइल पर मोदी जी की हँसती हुई फोटो के साथ सर्टिफिकेट आ जाता था। सर्टिफिकेट लेने के लिए कहीं नहीं जाना पड़ता था। आपका नंबर आते ही एसएमएस आ जाता था। टीका लगते ही आपकी तबीयत ठीक है, इस पृच्छा का एसएमएस आ जाता था और दूसरे टीका का टाइम होते ही रिमाइंडर आ जाता था। मान्यवर, यह तभी संभव हुआ है, जब यह हँसते थे कि टेक्नोलॉजी से क्या होगा, क्या इससे पेट भरेगा? इससे पेट ही नहीं भरा, बल्कि जान भी बची है - यह आज आपको स्वीकार करना पड़ेगा।

मान्यवर, ऑनलाइन ट्रीटमेंट - मुझे बराबर याद है कि कई सारे एक्सपेरिमेंट्स होते थे, क्योंकि इसकी कोई निश्चित ट्रीटमेंट ही नहीं थी, पहली बार दुनिया इस वायरस का सामना कर रही थी, trial and error चल रहे थे। कई सारी ऐसी दवाइयाँ, कई ऐसी ट्रीटमेंट, जो सफलता प्राप्त करती थी, लोग तुरंत ही देश के साथ, दुनिया के साथ साझा करते थे। तजज्ञ डॉक्टर्स इस पर बैठ कर, इसको सर्टिफाइड करते थे और इसको जारी करते थे। छोटे-से-छोटे गांव से राज्य के सिविल अस्पतालों तक और राज्य के सिविल अस्पताल से 'एम्स' तक video conference के माध्यम से, tele-medicine के माध्यम से छोटे-से-छोटे दर्दी के डॉक्टर को यहाँ से गाइड करने का काम किया गया और मैं कह सकता हूँ कि इससे लाखों लोगों की जान बची है।

मान्यवर, इस देश के प्रधान मंत्री ने 40 बार राज्य के मुख्य मंत्रियों के साथ बातचीत की, उनकी पृच्छा की। केवल प्रधान मंत्री नहीं, बल्कि पूरा मंत्रिमंडल, जो इस काम के साथ जुड़ा था, वे बैठते थे। कोई मुझे बता दे कि आजाद भारत में किसी भी आपदा में कोई प्रधान मंत्री ने सभी

Contents Page

मुख्यमंत्रियों के साथ 40 बार बात की हो। आप वह बता दीजिए। आप फेडरल स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं! कोई कह सकता है कि हमारे राज्य में टीका नहीं मिला। टीका तो हम सबको देते थे, लेकिन लगाने में राजनीति होती थी। मोदी टीका, मोदी टीका करके लोगों को रोक रहे थे और जब देखा कि यह तो अब काम में आने लगा है, तो चुपचाप अंधेरे में दो टीके लगा कर घर में बैठ गए और ट्वीट भी नहीं किया। ऐसे आपदा के समय में आप जनता को गुमराह करते हैं!

मान्यवर, पूरी दुनिया में सबसे अच्छी लड़ाई हम लड़े, इसका कारण नेतृत्व है। नेतृत्व के कई प्रकार होते हैं, कोई अपने आप में विद्वान होता है, अभ्यास करता है, अच्छे भाषण कर लेता है, चुनाव जिताता है, उसको नेता मानते हैं, मगर मैं नेता मानता हूँ, क्योंकि हम सफल इसलिए हुए कि पूरी दुनिया में सरकारें कोविड-19 के खिलाफ लड़ रही थीं, लेकिन हमारे यहाँ केंद्र सरकार, राज्य सरकार और 130 करोड़ जनता - सभी लड़ रहे थे। इसका नाम नेतृत्व होता है। आज़ाद भारत में ऐसा एक भी उदाहरण नहीं है कि कोई सरकारी नोटिफिकेशन के बगैर एक भी नेता ने वायु प्रवचन किया हो कि कल जनता कर्फ्यू है, कोई अपने व्हीकल लेकर नहीं जाएगा और पूरे देश में एरोप्लेन बंद, रेलवे बंद, ट्रेन बंद और गाड़ी बंद हुआ हो। इतना बड़ा सम्मान किसी नेता की अपील को कभी नहीं मिला। हमने जब जनता कर्फ्यू निकाला, तो मखौल उड़ाते थे। जब हमने थाली बजाकर जागरुकता लाने का काम किया, तो मखौल उड़ाते थे। जब हमने दीया प्रगटाकर श्रद्धा व्यक्त करने का काम किया, ईश्वर से मदद मांगकर हमारी लड़ने की क्षमता में वृद्धि करने का काम किया, हमारा मजाक उड़ाते थे और अंत में क्या हुआ? मान्यवर, जो मजाक उड़ाते थे, वे खुद ही मजाक हो गए और देश की जनता ने दूसरी बार नरेन्द्र मोदी जी को चुनकर भेजा।

मान्यवर, यहाँ एक बात पीएम केयर्स फंड की हुई कि इसमें कोई ट्रांसपेरेंसी नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, ढेर सारे आरोप लगाए गए। अब तो एक कल्चर बन गया है, आरोप लगाना और भाग जाना, परंतु मान्यवर, यह पार्लियामेंट है, स्ट्रीट नहीं है, यहाँ आरोप लगाओगे तो जवाब भी सुनना पड़ेगा। अब धैर्य से सुनिएगा।

मान्यवर, प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष कांग्रेस के शासन में बना और पीएम केयर्स फंड नरेन्द्र मोदी जी के शासन में बना, एनडीए के शासन में बना। कांग्रेस के शासन में एक परिवार का ही नियंत्रण होता था। इसके अंदर कांग्रेस के अध्यक्ष सदस्य होते थे। मान्यवर, कांग्रेस के अध्यक्ष, सरकारी फंड में कांग्रेस के अध्यक्ष रहते थे! देश की जनता को क्या जवाब दोगे? ऐसा मानते हैं, कोई पढ़ता नहीं है, देखता नहीं है! हमारे यहाँ प्रधान मंत्री जी, रक्षा मंत्री, गृह मंत्री, वित्त मंत्री हैं, वे पदेन हैं। कल अगर हम नहीं रहेंगे, ऐसा होने वाला नहीं है, मगर नहीं रहेंगे तो आप आकर बैठोगे। हमने भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष, श्रीमान नड्डा को नहीं रखा है, हमने पदेन व्यवस्था की। ...(**व्यवधान**)... आप सुनिए। ...(**व्यवधान**)... आप सुनिए। ...(**व्यवधान**)... सुनने के लिए अभी काफी कुछ है, बैठिए। ...(**व्यवधान**)...

श्री जयराम रमेश : *

श्री अमित शाह : मान्यवर, कोई पारदर्शिता नहीं थी। ...(**व्यवधान**)... आप बैठिए न! ...(**व्यवधान**)...

* Not recorded.

Contents Page

MR. CHAIRMAN: He is not yielding. ...(*Interruptions*)... Nothing will go on record. ...(*Interruptions*)... No, no. Yes, hon. Home Minister. ...(*Interruptions*)... He is not yielding. ...(*Interruptions*)... Hon. Home Minister is not yielding.

श्री अमित शाह : आप मुझे सुनिए न! मान्यवर, मैं गलत हूँ, तो कल लिखित रूप में आपको दे दूँगा, नहीं तो authenticate कर दूँगा। आप चिंता मत कीजिए। ...(**व्यवधान**)...

MR. CHAIRMAN: He is not yielding.

श्री अमित शाह : मान्यवर, क्या हमारी प्रथा बीच में जवाब देने की है?

MR. CHAIRMAN: He is not yielding. Nothing will go on record. ...(*Interruptions*)... He is not yielding.

श्री अमित शाह : मान्यवर, जब वो बोल रहे थे, मैं कुछ नहीं बोला, उनको लगा कि ये बैठा-बैठा सुन रहा है, ठीक ही है। ऐसा नहीं होता है, भाई। मान्यवर, उस फंड का उपयोग क्या हुआ? प्रधानमंत्री राहत कोष के फंड में से राजीव गांधी फाउंडेशन को फंड दिया गया। राजीव गांधी फाउंडेशन कौन चलाता है? उसको कांग्रेस की तत्कालीन अध्यक्षा और उनका परिवार चलाता है। मान्यवर, क्या यह फंड का ट्रांसपेरेंट उपयोग है? हमने क्या किया? कोरोना महामारी, आपदा राहत, ऑक्सीजन प्लांट, वेंटिलेटर, गरीबों को सहायता और टीकाकरण के लिए इसको खर्च करने का काम भारतीय जनता पार्टी के प्रधान मंत्री ने किया है। मान्यवर, जवाबदेही - कोई स्पष्ट पारदर्शिता नहीं थी, फंड के उपयोग के लिए कोई कमिटी नहीं थी। यहाँ पर प्रधान मंत्री जी के प्रधान सचिव, जो ब्यूरोक्रेट होते हैं, उनकी अध्यक्षता में पांच सचिवों की एक कमिटी बनायी गयी है। जब वह रिकमेंड करती है, फिर वह ट्रस्टियों के सामने आता है और तब जाकर खर्च होता है। मान्यवर, तब कोई सिस्टम नहीं था, अपने घर से ऑर्डर कर देते थे और किसी भी प्रकार की जवाबदेही के बगैर दान स्वीकार कर लिया जाता था। आज पूरे दान का रिकॉर्ड है और यह पारदर्शी ढंग से संचालित होता है। मान्यवर, हमने राहत कार्य के साथ-साथ कई प्रकार की इनोवेटिव सहायता भी की है। इसमें कोई राजनीतिक हस्तक्षेप नहीं है। इसके अंदर जनता के चुने हुए नुमाइंदे और सरकार के पांच प्रमुख पदों पर बैठे हुए मंत्री ही काम करते हैं, पार्टी का कोई हस्तक्षेप नहीं है। अब देश की जनता तय करेगी कि पारदर्शिता कहां है। आप पारदर्शिता के मामले में तो बोलिए ही मत - जीप कांड से लेकर बोफोर्स तक और 2जी तक इतनी पारदर्शिता आपने दिखाई है कि पूरा देश थक गया देखते-देखते। 12 लाख करोड़ रुपये के घपले-घोटाले, भ्रष्टाचार किए हैं, तब जाकर आप वहां बैठे हो।

मान्यवर, राजीव गांधी फाउंडेशन के बारे में भी बताने के लिए बहुत कुछ है, मगर मैं बताना नहीं चाहता, क्योंकि राजीव गांधी फाउंडेशन को सब पीएसयूज़ फंड करते थे, कई conversion करने वाले संगठन भी करते थे। उसको ज़ाकिर नाइक के एनजीओ से भी 50 लाख रुपये का चंदा

मिला था और कई चीनी संस्थाओं ने भी पैसा दिया था। मान्यवर, ये भारतीय जनता पार्टी के लिए transparency की बात करते हैं, इनको यह बात करने का कोई अधिकार नहीं है।

मान्यवर, नीरज डांगी जी ने कोविड में विफल प्रबंधन का मुद्दा उठाया। इसके बाद उन्होंने कहा कि डीएम अधिनियम में कोई विशिष्ट आपदा सूचीबद्ध नहीं है। मैं बताना चाहता हूं कि राज्य-विशिष्ट आपदा सूचीबद्ध करने का अधिकार राज्यों के पास है। वे अपने राज्यों की आपदा के प्रकार के अनुसार उसको सूचीबद्ध कर सकते हैं। इन्होंने कहा कि हिंसा और दंगों को इसमें से निकाल दिया। मान्यवर, आपदा प्रबंधन और दंगों की हिंसा का इससे क्या लेना-देना है? आप मुझे बताइए। यह विचार क्यों आता है? क्योंकि इनके राज में बहुत दंगे होते थे। आपदा प्रबंधन और दंगों का क्या लेना-देना है, उसे कैसे कर सकते हैं? हमने उचित किया है यह कि नहीं किया है।

मान्यवर, एआईटीसी के रीताब्रता बनर्जी ने कहा कि हमें फंड कम दिया गया है। यूपीए सरकार, जिसमें ममता जी थीं...

SHRI NEERAJ DANGI: Sir, I have an objection. ...*(Interruptions)*...

MR. CHAIRMAN: Hon. Minister is not yielding. ...*(Interruptions)*... Please, please.

श्री अमित शाह : उससे 367 प्रतिशत ज्यादा फंड भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने दिया है। ...(**व्यवधान**)... मान्यवर, उनको सुनना है क्या? आप प्लीज़ मुझे संरक्षण दीजिए, उनको बिठाइए।

MR. CHAIRMAN: Hon. Members, please take your seat. This is not our culture. ...*(Interruptions)*... I am happy that the leader will take care of you. ...*(Interruptions)*... Please take your seat. I do not appreciate disturbance in the House. ...*(Interruptions)*...

(*At this stage, some hon. Members left the Chamber.*)

श्री अमित शाह : मान्यवर, बंगाल में सरकार बदली, पार्टी बदली। मगर वाक आउट करने की परम्परा नहीं बदली, कम्युनिस्ट भी करते थे, ये भी करते हैं।

मान्यवर, कर्णाटक में उच्च स्तरीय समिति द्वारा 5,909 करोड़ रुपये का आकलन दिया गया, जिसमें से 5,800 करोड़ रुपये दिये हैं। केरल में 3,743 करोड़ रुपये का आकलन दिया गया, उसमें से 3038 करोड़ रुपये दिये हैं। तमिलनाडु में 4,817 करोड़ रुपये का आकलन दिया गया, उसमें से 3747 करोड़ रुपये दिये गए हैं। पश्चिम बंगाल में 6,837 करोड़ रुपये का आकलन दिया गया, इसमें से 4619 करोड़ रुपये दिये गए। हिमाचल प्रदेश में 2,339 करोड़ रुपये का आकलन दिया गया, इसमें से 1,766 करोड़ रुपये दिए गए। तेलंगाना में भी जो समिति ने आकलन दिया है, उसमें से कमोबेश हमने दिया है। अब एक फैशन हो गया है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि वित्त आयोग ने सहायता करने के लिए norms तय किए हैं। आपदा के समय में सहायता किस तरह से की जाएगी, वह भी तय किया है और उसकी दर क्या होगी, वह भी तय किया है। दूध देने वाला

Contents Page

पशु मरता है, तो 'एक्स' सहायता होगी। दूध न देने वाला पशु मरता है, तो 'वाई' होगी। झोपड़ी टूटेगी तो 'ए' होगा, पक्का मकान गिरेगा तो 'बी' होगा। बिजली का खम्भा गिरेगा, तो 'ए' होगा, रोड टूटेंगे तो 'ए' होगा। ये सारी चीजों के नॉर्म्स तैयार हैं। मेरा सभी राज्यों से आग्रह है कि वे नॉर्म्स के हिसाब से अपनी दरख्वास्त भेजें।

आपने जो फ्री बीज़ बांटी है, इसका खर्चा आपदा प्रबंधन के पैसों से नहीं हो सकता है। नॉर्म्स के हिसाब से 5 हजार करोड़ रुपये बनते हैं और आप 50 हजार करोड़ रुपये का करोगे। हमने 50 हजार करोड़ रुपये मांगे थे, 5 हजार करोड़ रुपये दिए गए। आपने ज्यादा मांगा था, आपका उतना बनता नहीं है। अगर ये नॉर्म्स किसी को नहीं, वैसे तो साइड पर हैं, अगर नहीं है, तो मुख्य मंत्री जी मुझे पत्र लिखे, मैं तुरंत पर्सनल मैसेन्जर से उनको भेज दूंगा। वे देखकर बनाएं। हमें कोई आपत्ति नहीं है। हम 25 पैसे भी नहीं काटेंगे। हमें कोई आपत्ति नहीं है, मगर आप इस तरह से मांग करते हैं कि इसको काटा जाए। जो नहीं मांगा था, वह भी दिया है। झारखंड को 111 करोड़ , केरल को 121 करोड़, महाराष्ट्र को 460 करोड़, बिहार को 256 करोड़ और गुजरात को 254 करोड़ अग्निशमन के लिए दिए जा रहे हैं। जो पहले कभी नहीं दिया जाता था। नरेन्द्र मोदी जी ने दिया है और बाकी राज्यों को अगले साल मिलेगा। सर, तमिलनाडु को दी हुई सहायता के बारे में बहुत कहा गया। हमने NDRF को टोटल 2028 करोड़ रुपये 2020 से 2025 के बीच में दिए हैं और भरपूर सहायता की है। इसके साथ-साथ तंबी दुरै जी चिंता कर रहे थे। एक अलग प्रकार की आपदा आ गई है। शराब का flood आया है। तंबी दुरै जी, इसका रास्ता यहां से नहीं निकलता है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि एनडीए की सरकार बनेगी और शराब का फ्लड भी सूख जाएगा। आप 2026 तक राह देखिए। यह शराब का फ्लड और corruption की आंधी दोनों रुक जाने वाली हैं।

सभापति महोदय, वायनाड के भूस्खलन के लिए भी बहुत सारे सदस्यों ने बात की। हमने आपदा को गंभीर प्राकृतिक आपदा घोषित किया। हमने NDRF के तहत तुरंत 214.68 करोड़ रुपये भेजे। मलबा हटाने के लिए 36 करोड़ रुपये भेजे, जो अभी तक खर्च नहीं हुए। इसके अलावा IMCT की रिपोर्ट के आधार पर 153 करोड़ रुपये की हमने सहायता की। Recovery और पुर्ननिर्माण के लिए 2,219 करोड़ रुपये की आवश्यकता का अनुमान राज्य सरकार ने दिया है। उसमें हमने केरल को 530 करोड़ रुपये दिए हैं। एक window है, जिसके माध्यम से additional सहायता प्राप्त करने के अन्य उपाय बताए गए हैं। सर, हम आपदा में कभी भी party politics नहीं करते हैं, वरना, 2019 में कोविड में सफलतापूर्वक यह देश बाहर नहीं आया होता। मैंने देखा है कि रात को 1 बजे भी किसी सीएम का फोन आता था, तो प्रधान मंत्री जी का फोन आ जाता था कि वहां टीका खत्म हो गया है, तो कल पहली फ्लाइट से वायुसेना के जहाज से वहां टीका भिजवाएं। यह संवेदनशीलता है। ढेर सारी ऑक्सीजन बनाने की मशीन विदेशों से मंगवाई गईं। कई सारे ऑक्सीजन, ट्रांसपोर्टेशन के साधन विदेश से मंगाए गए। ये सारी चीज़ें सभी राज्यों के लिए उपयोग में आईं। इसमें हमने भाजपा का राज्य, यूपीए का राज्य, एनडीए का राज्य है, ऐसा नहीं किया है। केन्द्र सरकार के लिए केरल का नागरिक भी हमारा है, लेह और लद्दाख का नागरिक भी हमारा है और गुजरात और यूपी का नागरिक भी हमारा है। केन्द्र सरकार कभी इस तरीके से नहीं देख सकती। यह हमारी पार्टी का कल्चर नहीं है। परंतु सभी लोग सोचते हैं, क्योंकि सोचने की पुरानी आदत पड़ी है। जब वे सत्ता में थे, तो किस तरह से करते थे। मैं स्पष्ट करना चाहता हूं कि

रिकॉर्ड क्लियर है। हम आपदा के काम में और सरकार के संसाधनों के वितरण में कोई पक्षपात नहीं करते। संवैधानिक व्यवस्था से ही काम होता है। किसी को शंका रखने की जरूरत नहीं है।

महोदय, आज मैं जो बिल लेकर आया हूं, इसमें technical capability बढ़ाने का प्रावधान है ही, लेकिन हमने human capacity पर ध्यान रखा है। गवर्नमेंट के efforts के साथ community efforts बढ़ाने का भी प्रावधान किया है। आपदा रोधी निर्माण के साथ प्रकृति के संरक्षण की भी चिंता है। अतः मेरी सभी दल के सदस्यों से विनती है कि यह एक ऐसा बिल है, जिसको सर्वानुमति से पारित करना चाहिए। देश और दुनिया में इसका संदेश देना चाहिए। आपसी सहयोग की अपेक्षा है। आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

MR. CHAIRMAN: Before I put the question, Messages from Lok Sabha, Secretary-General.

MESSAGES FROM LOK SABHA

SECRETARY-GENERAL: Sir, with your kind permission, I rise to report that the Lok Sabha at its sitting held on the 25th of March, 2025:

(i) Passed the Finance Bill, 2025.

The Speaker has certified that the Bill is a Money Bill within the meaning of Article 110 of the Constitution.

I lay a copy of the said Bill on the Table; and

(ii) Adopted the following Motion: That this House do extend the time for the presentation of the Report of the Joint Committee on the Constitution (One Hundred and Twenty-ninth Amendment) Bill, 2024 and the Union Territories Laws (Amendment) Bill, 2024 up to the first day of the last week of Monsoon Session, 2025.

(MR. DEPUTY CHAIRMAN *in the Chair*.)

The Disaster Management (Amendment) Bill, 2024 – *Contd.*

MR. DEPUTY CHAIRMAN: The question is:

"That the Bill to amend the Disaster Management Act, 2005, as passed by Lok Sabha, be taken into consideration."

The motion was adopted.

Contents Page

MR. DEPUTY CHAIRMAN: We shall now take up Clause-by-Clause consideration of the Bill. In Clause 2, there are three Amendments (Nos. 1 to 3) by Shri A.A. Rahim. Are you moving the Amendments?

SHRI A.A. RAHIM (Kerala): Sir, I move:

No.1. That at page 2, line 13, *after* the words, "the Central Government", the words, "in consultation with the State Governments.", be *inserted*.

No.2. That at page 2, *after* line 17, the following be *inserted*, namely,—

"*(aa)* after sub-clause *(viii)*, the following sub-clauses shall be inserted, namely, —
(ix) adaptation;
(x) relocation;"

No.3. That at page 2, *after* line 28, the following be *inserted*, namely, —
"*(iv)* nature-based solutions."

The question was put and the motion was negatived.
Clause 2 was added to the Bill.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: In Clause 3, there is one Amendment (No. 8) by Dr. John Brittas. Are you moving the Amendment?

DR. JOHN BRITTAS (Kerala): Sir, I move:
No.8. That at page 4, *after* line 20, the following be *inserted*, namely:-

"(*3B*) No less than half of the members of the National Authority shall be nominated by the Chairperson from among a panel of nominees proposed by the States, with each State having the right to propose one individual to be included in the panel.".

The question was put and the motion was negatived.
Clause 3 was added to the Bill.
Clause 4 was added to the Bill.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: In Clause 5, there are three Amendments (Nos. 4 to 6) by Shri A.A. Rahim. Are you moving the Amendments?

SHRI A.A. RAHIM (Kerala): Sir, I move:

No.4. That at page 5, line 4, *for* the words, "and reconstruction", the words, ",reconstruction and rehabilitation ", be *substituted*.

No.5. That at page 5, line 37, *for* the words, "and orphans", the words, "orphans, children and senior citizens", be *substituted*.

No.6. That at page 5, *after* line 42, the following be *inserted*, namely, —
"*(x)* recommend guidelines for social, psychological and emotional support for the affected peoples.".

The question was put and the motion was negatived.
Clause 5 was added to the Bill.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: In Clause 6, there are four Amendments. Amendments (Nos. 13 and 14) by Shri Amit Shah and Amendments (Nos. 9 and 10) by Dr. John Brittas. Shri Amit Shah, are you moving the Amendments?

गृह मंत्री;तथा सहकारिता मंत्री (श्री अमित शाह) : महोदय, मैं संशोधन प्रस्तुत करता हूं :

No.13. That at page 5, line 47, *for* the figure, "2024", the figure, "2025" be *substituted*.

No.14. That at page 6, line 13, *for* the figure, "2024", the figure, "2025" be *substituted*.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Dr. John Brittas, are you moving the Amendments?

DR. JOHN BRITTAS (Kerala): Sir, I move:

No. 9. That at page 6, line 3, *after* the words, "as may be notified by the Central Government", the words, ", with no less than half of its members from among a panel of nominees proposed by the States, with each State having the right to propose one individual to be included in the panel.", be *inserted*.

Contents Page

No.10. That at page 6, *after* line 21, the following proviso be *inserted,* namely, —

"Provided that the Committee shall co-opt the Minister in-charge of the Ministry or Department of the relevant State Government having administrative control over the disaster management as a Member for any meeting, when the meeting pertains to a disaster management issue relating to that State.".

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Amendments moved. I shall first put the Amendments moved by Shri Amit Shah to vote. The question is:

No.13. That at page 5, line 47, *for* the figure, "2024", the figure, "2025" be *substituted.*

No.14. That at page 6, line 13, *for* the figure, "2024", the figure, "2025" be *substituted.*

The motion was adopted.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: I shall now put the Amendments moved by Dr. John Brittas to vote.

The question was put and the motion was negatived.
Clause 6, as amended, was added to the Bill.
Clauses 7 to 22 were added to the Bill.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: In Clause 23, there is one Amendment (No. 7) by Shri A.A. Rahim. Are you moving the Amendment?

SHRI A.A. RAHIM (Kerala): Sir, I move:

No.7. That at page 10, *after* line 46, the following be *inserted*, namely, —

"*(5A)* "The Urban Plan approved by the State Authority shall be integrated into the District Plan.".

The question was put and the motion was negatived.
Clause 23 was added to the Bill.
Clauses 24 to 50 were added to the Bill.

Contents Page

MR. DEPUTY CHAIRMAN: In Clause 51, there are two Amendments (Nos. 15 and 16) by Shri Amit Shah. Are you moving the Amendments?

श्री अमित शाह : महोदय, मैं संशोधन प्रस्तुत करता हूं :

No.15. That at page 14, line 21, *for* the figure, "2024", the figure, "2025" be *substituted.*

No.16. That at page 14, line 27, *for* the figure, "2024", the figure, "2025" be *substituted.*

The question was put and the motion was adopted.
Clause 51, as amended, was added to the Bill.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: In Clause 1, there is one Amendment (No. 12) by Shri Amit Shah. Are you moving the Amendment?

श्री अमित शाह : महोदय, मैं संशोधन प्रस्तुत करता हूं :

No.12. That at page 1, line 4, *for* the figure, "2024", the figure, "2025" be *substituted.*

The question was put and the motion was adopted.
Clause 1, as amended, was added to the Bill.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: In the Enacting Formula, there is one Amendment (No. 11) by Shri Amit Shah. Are you moving the Amendment?

श्री अमित शाह : महोदय, मैं संशोधन प्रस्तुत करता हूं :

No.11. That at page 1, line 1, *for* the words, "Seventy-fifth", the words, "Seventy-sixth" be *substituted.*

The question was put and the motion was adopted.
The Enacting Formula, as amended, was added to the Bill.
The Title was added to the Bill.

Contents Page

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Now, Shri Amit Shah to move that the Bill, as amended, be passed.

श्री अमित शाह : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं:

"कि विधेयक को यथासंशोधित, पारित किया जाए।"

The question was put and the motion was adopted.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Hon. Members, the House stands adjourned to meet at 11.00 a.m. on Wednesday, the 26th March, 2025.

The House then adjourned at thirty-eight minutes past six of the clock till eleven of the clock on Wednesday, the 26th March, 2025.

PUBLISHED UNDER RULE 260 OF RULES OF PROCEDURE AND CONDUCT OF BUSINESS IN THE COUNCIL OF STATES (RAJYA SABHA)